त्रयोदश माला, खंड 12, अंक 11

सोमवार, 4 दिसम्बर, 2000
13 अग्रहायण, 1922 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

FOR REFERENCE ONLY
NOT TO BE ISSUED

पांचवां सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY
No. D...51
Date 6.2.2002

(खण्ड 12 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डॉ. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

पी.सी. चौधरी
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डॉ॰ राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

उर्वशी वर्मा
सहायक सम्पादक

गोपाल सिंह चौहान
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 12, पांचवां सत्र, 2000/1922 (शक)]

अंक 11, सोमवार, 4 दिसम्बर, 2000/13 अग्रहायण, 1922 (शक)

विषय	कॉलम
अध्यक्ष द्वारा उल्लेख	1-2
पंजाब में सराय बंजारा में हावड़ा मेल दुर्घटना में अनेक यात्रियों की मृत्यु के बारे में	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 201 से 203	2-34
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 204 से 220	34-56
अतारांकित प्रश्न संख्या 2226 से 2455	56-321
सभा पटल पर रखे गए पत्र	321-323
राज्य सभा से संदेश	324
लोक लेखा समिति	324
बारहवाँ प्रतिवेदन	
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	324
विवरण	
कृषि संबंधी स्थायी समिति	325
ग्यारहवाँ प्रतिवेदन	
मंत्री द्वारा वक्तव्य	326-329
पंजाब में सराय बंजारा में 'डाउन फूडग्रेन स्पेशल' के पटरी से उतरे मालडिब्बों से हावड़ा-अमृतसर मेल की पार्श्व टक्कर	
कुमारी ममता बनर्जी	326-328
नियम 377 के अधीन मामले	340-348
(एक) मध्य प्रदेश के लोगों को अधिक रेल सुविधाएँ उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
श्री प्रहलाद सिंह पटेल	340

---

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय		कॉलम
(दो)	झारखंड में राँची में अधिक रेल सुविधाएँ उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
	श्री राम टहल चौधरी	340-341
(तीन)	दिल्ली में मंडावली रेलवे हाल्ट पर रेलगाड़ियों को रोके जाने तथा नन्दनगरी और धर्मपुरा अजित नगर में भी रेलवे हाल्ट का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
	श्री लाल बिहारी तिवारी	341
(चार)	गुजरात के किसानों को फसल बीमा योजना के अंतर्गत देय राशि का भुगतान सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री रतिलाल कालीदास वर्मा	343
(पांच)	कर्नाटक सरकार को बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
	श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा	343-344
(छह)	सीमा सड़क संगठन द्वारा भारत-बांग्लादेश सीमा पर रिम्बाई-बटायूं-डूरोई-बोरसारा-जालापुर सड़क का रखरखाव किए जाने की आवश्यकता	
	श्री पी.आर. किन्डिया	344
(सात)	अरूणाचल प्रदेश के चाय उत्पादकों का पंजीकरण निलम्बित करने और 'प्लांटेशन सब्सिडी' जारी करने के निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता	
	श्री राजकुमार वंग्चा	344
(आठ)	तमिलनाडु में सेतु समुद्र परियोजना का शीघ्र निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
	श्री पी. मोहन	345
(नौ)	आन्ध्र प्रदेश के पेद्दापल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पेयजल की गम्भीर समस्या के समाधान के लिए विशेष निधियाँ स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता	
	डॉ. (श्रीमती) सी. सुगुणा कुमारी	345
(दस)	उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में माखनपुर औद्योगिक क्षेत्र को प्राकृतिक गैस आपूर्ति किए जाने की आवश्यकता	
	श्री रामजी लाल सुमन	346
(ग्यारह)	महाराष्ट्र के किसानों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए राज्य को नेशनल ग्रिड से विद्युत आपूर्ति किए जाने की आवश्यकता	
	श्री सुरेश रामराव जाधव	346
(बारह)	उड़ीसा में कुष्ठ रोग उन्मूलन के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम शुरू किए जाने की आवश्यकता	
	श्री भर्तृहरि महताब	347
(तेरह)	तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले में एकीकृत होगेंजेक्कल पेयजल योजना का शीघ्र कार्यान्वयन किए जाने की आवश्यकता	
	श्री पी.डी. एलानगोवन	347-348
(चौदह)	पश्चिम बंगाल में झारग्राम और पुरूलिया के बीच बड़ी रेल लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता	
	श्री बीर सिंह महतो	348

लोक सभा

सोमवार, 4 दिसम्बर, 2000/13 अग्रहायण, 1922 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल) : महोदय, हम जानना चाहते हैं कि नेवी हाउस के परिसर में क्या हुआ है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष महोदय, रेल मंत्री के इस्तीफे का क्या हुआ?

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया) : अध्यक्ष महोदय, बिहार में...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। अध्यक्ष पीठ द्वारा टिप्पणी की जानी है।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

[अनुवाद]

अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

पंजाब में सराय बंजारा में हावड़ा मेल दुर्घटना में अनेक यात्रियों की मृत्यु के बारे में

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो, मुझे सभा को पंजाब के फतेहगढ़ साहिब जिले में सराय बंजारा में एक त्रासद रेल दुर्घटना में 45 यात्रियों के मारे जाने तथा 140 से अधिक यात्रियों के घायल होने की सूचना देनी है। यह दुर्घटना शनिवार, 2 दिसम्बर, 2000 को प्रातः 5.45 पर उस समय घटी जब अमृतसर जाने वाली हावड़ा मेल असम जाने वाली मालगाड़ी के पटरी पर से उतरे डिब्बों से जा टकराई।

इस त्रासदी में मारे गए लोगों के लिए हमें गहरा दुःख है और यह सभा इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त करती है।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहेंगे।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

(तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।)

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री पप्पू यादव, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएँ। मैं अभी बोल रहा हूँ। कृपया समझने की कोशिश करें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया) : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह लिखकर दिया है...

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको जीरो आवर में मौका दूँगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्वश्चन ऑवर में नहीं, जीरो ऑवर में बोलिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है?

...(व्यवधान)

श्री मोइनुल हसन (मुर्शिदाबाद) : महोदय, सरकार को चाहिए कि इस दुर्घटना के बारे में वक्तव्य दे।

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

पूर्वाह्न 11.03 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

राजधानी के चारों ओर बाई-पास/एक्सप्रेस वे का निर्माण

***201.+ डॉ. रमेश चन्द तोमरः**
श्री अनन्त नायकः

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नगर की भीड़-भाड़ कम करने के लिए राजधानी के चारों ओर बाई-पास अथवा एक्सप्रेस वे का निर्माण करने का निर्णय लिया है;

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(ख) यदि हाँ, तो क्या केन्द्र सरकार का इस प्रयोजनार्थ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को कोई सहायता देने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा राजधानी के चारों ओर राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का विस्तार करने के लिए उठाए गए अन्य कदमों का ब्यौरा क्या है?

[हिन्दी]

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द खंडूडी) : (क) ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) दिल्ली में राष्ट्रीय राजमार्गों के कुछ खंडों पर छः लेन बनाने का कार्य शुरू किया गया है।

डॉ. रमेश चन्द तोमर : अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार की रिक्वैस्ट पर जापान सरकार ने अपनी एक एजेंसी इंटरनैशनल कारपोरेशन द्वारा दिल्ली में बढ़ते हुए ट्रैफिक के दबाव को दूर करने के लिए एक रिपोर्ट अरबन डैवलेपमेंट मिनिस्ट्री को सबमिट की है जिसमें यह कहा गया है कि दिल्ली में जो ट्रैफिक है, रोइस का नैटवर्क है, वह आगे आने वाले पाँच साल के ट्रैफिक को सहन नहीं कर सकता है। उस रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि दिल्ली और एन.सी.आर. से लगे जो टाउन्स हैं, उनकी सड़कें इस ट्रैफिक को आगे आने वाले पाँच सालों में सहन नहीं कर सकती हैं। सन् 2011 और 2021 में एन.सी.आर. की 1999 की आबादी के अनुपात में क्रमशः 1.43 और 4.71 और इकनामिक ग्रोथ 1.87 और 2.579 वृद्धि होगी। इसी के अनुसार ट्रैफिक का अनुपात बढ़ेगा।

इसलिए दिल्ली में जो नेशनल हाइवेज और स्टेट एक्जिस्टिंग हाइवेज हैं, वे इस ट्रैफिक को वहन नहीं कर सकते हैं। उसमें यह भी कहा गया है कि दिल्ली और गाजियाबाद के बीच में 85 हजार ट्रैफिक पर डे चलता है और गाजियाबाद और मोदीनगर के बीच में 21 हजार ट्रैफिक पर डे चलता है। यदि इसमें कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो घंटों जाम रहता है। इसलिए दिल्ली के ट्रैफिक के दबाव को दूर करने के लिए उस रिपोर्ट में दो एक्सप्रैस वेज कुंडली से गाजियाबाद और गाजियाबाद से मेरठ बनाने के लिए कहा गया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जापानी इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेन्सी ने जो रिपोर्ट केन्द्र सरकार को सबमिट की है उसमें जो दो एक्सप्रैस वेज बनाने के लिए प्रस्ताव दिये गये थे, क्या उन्हें सरकार ने मंजूर कर लिया है। यदि सरकार ने उन्हें मंजूर कर लिया है तो उस पर कितनी धनराशि खर्च होगी और यह काम कब तक पूरा कर लिया जायेगा।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडी : माननीय अध्यक्ष जी, दिल्ली शहर की तरफ छः राष्ट्रीय राजमार्ग अलग-अलग दिशाओं से आते हैं। उत्तर से एक नम्बर आता है, उसके बाद 58, 24, 2, 8 और 10 ये छः राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली से होते हुए गुजरते हैं। समय-समय पर दिल्ली में ट्रैफिक का जो भारी कंजेशन है, उस पर विचार किया जाता रहा है। इस बारे में अनेकों प्रकार के सुझाव आये हैं। जिनमें एक पश्चिम की तरफ से, दिल्ली के बाहर-बाहर अलग हाइवे बनाने का सुझाव है और दो छोटे पूर्व की तरफ बनाने के सुझाव हैं। जहाँ तक जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेन्सी (जीका) का प्रश्न उठाया गया है, जीका जापान की गवर्नमेंट एजेन्सी है। इसके बारे में नेशनल कैपिटल रीजन के प्लानिंग बोर्ड से सम्पर्क किया गया और उन्हें स्कोप ऑफ वर्क बता दिया गया है। उन्होंने इस पर अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की है जो 80 किलोमीटर की लम्बाई के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट है। 1 दिसम्बर, 1998 को उन्होंने अपनी रिपोर्ट शुरू की थी और यह रिपोर्ट मार्च, 2000 में नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड को दे दी गई है और यह अभी उनके विचाराधीन है।

डॉ. रमेश चन्द तोमर : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि दिल्ली से नीतीपास मार्ग जो उत्तरांचल की राजधानी को दिल्ली से जोड़ता है उसमें गाजियाबाद, मोहननगर दिल्ली का ऐसा हिस्सा है जो राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है। क्या माननीय मंत्री जी उसे राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करेंगे। मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि वर्ष 2000-2001 के बजट में क्या उन्होंने दिल्ली से नीतीपास मार्ग और दिल्ली से लखनऊ मार्ग को दिल्ली-आगरा, दिल्ली-जयपुर, दिल्ली-चंडीगढ़, दिल्ली-अम्बाला की तरह चार लेन बनाने का प्रावधान रखा है?

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खंडूडी : माननीय सदस्य ने एक साथ बहुत सारे सवाल पूछ लिये हैं। उनका जो मुख्य सवाल 58 नम्बर हाइवे के बारे में है, जो गाजियाबाद के करीब शुरू होता है और वहाँ से यह बद्रीनाथ और माना तक जाता है। इसका एक छोटा-सा हिस्सा छूट गया है जो गाजियाबाद से मोहननगर होते हुए यह 24 नम्बर हाइवे मोहननगर दिल्ली की बाउण्ड्री पर मिलता है। इसके ऊपर विचार किया जाएगा और उचित निर्णय लिया जाएगा।

श्री विजय गोयल : अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि प्रधान मंत्री जी ने जो घोषणा की थी वह शायद किसी नेशनल एक्सप्रैस हाइवे की थी न कि जो वर्तमान में नेशनल हाइवे है उसे छः लेन करने की घोषणा की थी। चूँकि इससे कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि इसके दोनों तरफ कालोनीज बस चुकी हैं। सवाल यह है कि एक्सप्रैस हाइवे बनना चाहिए और इसके लिए दिल्ली सरकार कोई दबाव डाल रही हो, ऐसा नहीं लगता है। दिल्ली सरकार जैसे चल रही है वह हम सबको पता है। दिल्ली में ट्रैफिक की जो गंभीर समस्या है उसे देखते हुए क्या मंत्री जी एक्सप्रैस हाइवे के लिए कदम उठायेंगे? उन्होंने यह तो कह दिया है कि अभी तक इस तरह का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। किंतु दिल्ली आज ट्रैफिक और प्रदूषण का केन्द्र बनता जा रहा है। इसे रोकने के लिए मंत्री जी को एक्सप्रैस हाइवे लाना चाहिए। मुझे जहाँ तक याद है दिल्ली के पुराने मुख्य मंत्री श्री साहिब सिंह वर्मा ने एक समय एक्सप्रैस हाइवे का उद्घाटन भी किया था। मैं जानता हूँ कि उस योजना का क्या हुआ?

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खंडूडी : माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह स्पष्ट कर दूँ कि मैंने अपने जवाब में यह नहीं कहा कि यह विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

श्री विजय गोयल : प्रश्न के 'क' भाग के उत्तर से ज्ञात होता है कि "इस प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।"...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल : यह कैसा कैजुअल जवाब दे रहे हैं।

[अनुवाद]

प्रश्न यह है कि क्या केन्द्र सरकार का इस उद्देश्य के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को कोई सहायता देने का कोई विचार है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय को अपना उत्तर पूरा करने दीजिए।

[हिन्दी]

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी : पवन जी मुझे समझाने देंगे तो शायद उनकी समझ में आ जाएगा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप पूरक प्रश्न पूछकर इसका उत्तर प्राप्त कर सकते हैं।

श्री पवन कुमार बंसल : मुझे पूरक प्रश्न नहीं पूछना। मेरा सरोकार सरकार द्वारा अपनाए जाने वाले तरीकों से है। मेरी सोच इस बारे में है कि सरकार इस मुद्दे पर क्या तरीका अपनाती है।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी : मैं इस बात से एकदम सहमत नहीं हूँ। दिया गया उत्तर बिल्कुल ठीक है। यदि वे अनुमति दें तो मैं इसका स्पष्टीकरण उन्हें दूँगा।

[हिन्दी]

सवाल है क्या, सरकार ने भीड़-भाड़ कम करने के लिए निर्णय ले लिया है?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सबसे पहले आपको श्री विजय गोयल जी द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्न का उत्तर देना है।

...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल : यह इस विषय का तकनीकी पहलू है।

[हिन्दी]

मंत्री जी प्रश्न को टाल रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल में सूचना प्राप्त करने का यह तरीका नहीं है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खंडूडी : गोयल जी ने कहा है कि...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : शायद मंत्री जी पहली बार उत्तर दे रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल : प्रधान मंत्री जी ने क्या घोषणा की थी, वह बताइए।...*(व्यवधान)* इनको कहें कि सप्लीमेंटरी में पूछ लें।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खंडूडी : यदि आप अनुमति दें तो मैं आपको इसका स्पष्टीकरण दूँगा।

[हिन्दी]

अध्यक्ष जी, जो सवाल पूछा है, उसका जवाब मेरे पास है। मुझे मालूम है यह पहला प्रश्न है और यहाँ सवाल पूछे जाएँगे और मुझे स्पष्टीकरण देने का मौका मिलेगा। मैं आपको स्पष्टीकरण दूँगा।

अध्यक्ष महोदय : आप पहले विजय गोयल जी की बात का जवाब दें।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खंडूडी : विजय गोयल जी ने दो बातें कही हैं कि मैंने जवाब में कहा है कि कोई विचाराधीन नहीं है। मेरा उनसे आग्रह है कि निर्णय नहीं लिया गया है, यह मैंने कहा है। ऐसी बात नहीं है कि विचाराधीन नहीं है।...(व्यवधान)

श्री विजय गोयल : इसमें मंत्री जी लिखते हैं कि

[अनुवाद]

ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी को अपना उत्तर पूरा करने दीजिए।

[हिन्दी]

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खंडूडी : इसमें जो ऐक्सप्रैस हाइवे के बारे में पूछा है और प्रधान मंत्री की चर्चा की है, प्रधान मंत्री ने दो योजनाओं की घोषणा की है। एक गोल्डन क्वाड्रैन्गल है जो कि दिल्ली-मुम्बई-चेन्नई-कलकत्ता और दिल्ली के बीच होगा, इसमें जो सड़कें दो लेन की हैं, उनको ठीक करना और चार लेन भी करना है। जितने भी नेशनल हाइवेज़ हैं, जब वह शहर के अंदर जाते हैं तो अगर बाइपास है तो वह नेशनल हाइवे का हिस्सा बन जाता है और जो शहरी सड़कें हैं, वह स्टेट के अंदर आती हैं। जो क्वाड्रैन्गल बनाना है, वह दिल्ली के थ्रू भी जा रहा है। इसमें जहाँ-जहाँ चार लेन को छः लेन बनाने की गुंजाइश है, वह किया है और अभी भी छः लेन की सड़कें दिल्ली में बनाई जा रही हैं। वर्तमान में जो 6 नेशनल हाइवेज़ हैं, उनकी सड़कों को जितना संभव है, चौड़ा करके ज्यादा ट्रैफिक यूटिलिटी बनाने के लिए तैयार किया जा रहा है। दिल्ली में नेशनल हाइवेज़ का 75 किलोमीटर है। उसमें से 26 किलोमीटर छः लेन है और 49 किलोमीटर्स 4 लेन है। उसमें से 21 किलोमीटर को हम छः लेन बना रहे हैं। सीमित संसाधनों के अंदर हमारे मंत्रालय को जो काम दिया गया है, वह इनको दो लेन से चार लेन बनाना और चार लेन से छः लेन बनाना है।

ऐक्सप्रैस हाइवेज़ का काम एन.सी.आर. के द्वारा देखा जा रहा है, जैसा मैंने पहले भी सवाल के जवाब में कहा था और हम उनसे सलाह-मशविरा करके जो हमारा योगदान होगा, वह करेंगे, लेकिन बुनियादी तौर पर दिल्ली कोक डीकन्जैस्ट करने और ऐक्सप्रैस हाइवेज़ बनाने का, दिल्ली के बाहर की सड़कें जो करीब 198 किलोमीटर्स की बात हुई है और अभी वह 508 किलोमीटर हो गई है, इसका काम एन.सी.आर. कर रही है। तीन राज्य—हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली मिलकर एन.सी.आर. पर काम कर रहे हैं और वे लोग इसके ऊपर काम करेंगे।

[अनुवाद]

श्री अधीर चौधरी : महोदय, दिल्ली भारत का सबसे अधिक भीड़भाड़ वाला शहर हो जाएगा। यह विश्व का सबसे प्रदूषित शहर बन चुका है। क्या मैं मंत्री जी से यह जान सकता हूँ कि इस राजधानी क्षेत्र में प्रतिदिन कितने वाहन चलते हैं?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : बहुत हो गया।

श्री अधीर चौधरी : इसके अलावा, मैं यह जानना चाहूँगा कि क्या सड़कों का विस्तार, बढ़ रहे वाहनों की बढ़ती हुई संख्या के अनुरूप हो रहा है। शहर में वाहनों की वृद्धि की क्या भूमिका है?

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खंडूडी : महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य जानना चाहते हैं, मैं, इन छः राष्ट्रीय राजमार्गों से प्रतिदिन गुजरने वाली यात्री कार इकाइयों (पी.सी.यू.) के आँकड़े देता हूँ। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 से प्रतिदिन गुजरने वाली यात्री कार इकाइयों की संख्या है 43,754; राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-2 पर 93,086; राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर 96,078; राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 पर 46,687; राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 पर 47,000 और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58 से गुजरने वाले वाहनों की संख्या 48,000 है। आँकड़ों के अनुसार, ये आँकड़े जून, 1998 के हैं।

श्री अधीर चौधरी : क्या खर्च की गई धनराशि, वाहनों की संख्या में वृद्धि के अनुरूप है और वाहनों की वृद्धि की दर क्या है?

अध्यक्ष महोदय : श्री के. येरननायडू।

श्री के. येरननायडू : तीन या चार राष्ट्रीय राजमार्ग केवल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से ही नहीं बल्कि सभी राज्य राजधानी शहरों से गुजरते हैं। इसलिए, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इसकी कोई विस्तृत योजना है क्योंकि सामान ढोने वाले सभी बड़े वाहन दिन में रुक जाते हैं। इसीलिए बड़ी समस्या हो गई है। अतः मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूँ कि क्या, दिल्ली और सभी राज्यों की राजधानियाँ ही नहीं बल्कि सभी राज्यों के आसपास बाईपास और एक्सप्रैस मार्गों के निर्माण की कोई योजना विचाराधीन है?

अध्यक्ष महोदय : यह, राष्ट्रीय राजधानी के चारों ओर तीव्रगामी राजमार्गों और बाईपास के बारे में है।

श्री के. येरननायडू : किंतु, सभी राज्य राजधानियों की समस्या समान है और इसीलिए मैं यह प्रश्न पूछ रहा हूँ कि क्या भारत सरकार, राज्यों की राजधानियों के लिए एक्सप्रैस राजमार्गों के निर्माण की योजना पर विचार कर रही है?

अध्यक्ष महोदय : यह एक भिन्न अनुपूरक प्रश्न है। नहीं।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खंडूडी : फिर भी, मैं सभा को सूचित कर सकता हूँ कि जहाँ कहीं भी इस स्वर्ण चतुर्भुज के अंतर्गत या उत्तर-दक्षिण, पूर्व-पश्चिम राजमार्ग, जिसकी 13,300 कि.मी. की एक बहुत बड़ी योजना है; और जब भी हम भीड़भाड़ वाले शहरों से कहीं भी निकलने पर हम चाहते हैं कि वहाँ बाईपास बनाए जाएँ। हमारा उद्देश्य कि जहां तक संभव हो हम यह कार्य बी.ओ.टी. अवधारणा जिसका अर्थ है निर्माण, संचालन और हस्तांतरण के अनुसार करें—ताकि सरकार को भी इसमें अत्यधिक धन न लगाना पड़े। हमें इसकी जानकारी है और जहाँ तक संभव है हम यह प्रयत्न कर रहे हैं कि शहरों के बाहर राज्यों की सहायता से भूमि का अधिग्रहण कर और बाईपास बनायें।

[हिन्दी]

श्री माधवराव सिंधिया : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि बाई-पास अत्यावश्यक हैं क्योंकि शहरी आबादी इतनी बढ़ती जा रही है कि बीच में से गुजरना बहुत ही कठिन हो गया है। मंत्री जी कई बार देहरादून जाते हैं, उन्हें मालूम होगा कि कितना कंजैशन है। इसलिए यह आवश्यक है कि बाईपास बनने के बाद

उसके आसपास एक लिमिटेड कंस्ट्रक्शन हो या नो-कंस्ट्रक्शन जोन बननी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होगा, तो जिस प्रकार से आबादी बढ़ रही है, उस हिसाब से 15-20 साल के बाद पहले बाईपास के लिए दूसरे बाईपास बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि इस बारे में आपकी क्या नीति है और इस बारे में वे क्या कदम उठाना चाहते हैं?

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खंडूडी : अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य का बहुत आभारी हूँ जिन्होंने इस बारे में चिंता जाहिर की है और मैं समझता हूँ कि उनकी चिंता बहुत उचित है। इससे बहुत नुकसान हो रहा है और यह सही है कि बाई-पासेस के लिए हमें नए बाई-पास बनाने पड़ेंगे। अभी भी आसपास अवैध कब्जे बढ़ते जा रहे हैं। अभी मैं इंसपैक्शन पर जा रहा था, मैंने देखा कि मुजफ्फरनगर बाईपास पर सड़क के 75 फीट के अन्दर ही सड़क के बिलकुल बगल में अवैध निर्माण हो रहा था। वैसे नियम यह है कि सड़क के दोनों ओर 75 फीट तक कोई कंस्ट्रक्शन न हो और उसके बाद 100 फीट तक भी कोई निर्माण नहीं होगा, यह कायदा है, लेकिन मैंने देखा है कि मुजफ्फरनगर में सड़क के बिलकुल बगल में अवैध कंस्ट्रक्शन हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय : ''नो-कंस्ट्रक्शन जोन'' के बारे में कुछ बताइए।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खंडूडी : अध्यक्ष महोदय, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। कायदे-कानून हैं, लेकिन उनका एनफोर्समेंट स्टेट गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है, लेकिन मैंने देखा है कि राज्य सरकार कानून को पालन कराने में विशेष रुचि नहीं लेती और इस प्रकार से बाई-पासेस के आसपास अवैध निर्माण जारी हैं। मैं माननीय सदस्य की चिंता से सहमत हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस विषय में सदन में विचार कर कोई और कड़े नियम यदि सदन बनाना चाहता है ताकि अतिक्रमण रुके और राज्य सरकारें अपनी जिम्मेदारी समझकर अतिक्रमण को रोका जा सके, तो मंत्रालय तैयार है।

महोदय, जैसा मैंने बताया, मैंने मुजफ्फरनगर में अतिक्रमण के बारे में इंजीनियर से भी बात की थी। मुझे उन्होंने बताया कि इस काम में हमें प्रशासन का सहयोग नहीं मिलता है और स्थानीय नागरिक हमला और मारपीट करने को तैयार हो जाते हैं। इसलिए अतिक्रमण को प्रभावकारी ढंग से नहीं रोका जा रहा है। मैं चाहूँगा यदि सदस्य उचित समझें, तो सदन में अतिक्रमण को रोकने हेतु विचार-विमर्श कर नया कठोर कानून बनाया जा सकता है।

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के 'क' भाग में पूछा गया है कि क्या सरकार ने नगर की भीड़भाड़ कम करने के लिए राजधानी के चारों ओर बाई-पास अथवा एक्सप्रैस वे का निर्माण करने का निर्णय लिया है; इसके उत्तर में मंत्री जी ने कहा है कि ''ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है।'' मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या यह सच नहीं है कि तीन-चार साल पहले दिल्ली की भीड़ को कम करने के लिए एक एक्सप्रैस हाइवे बनाने का निर्णय लिया गया था, उसके लिए भूमि भी अधिगृहीत करने का फैसला भी कर लिया गया था? अगर यह सच है तो यदि वह एक्सप्रैस हाइवे बनेगा और यह जो बाई-पास मंत्री महोदय ने बनाने के बारे में बताया है वह भी बनेगा, तो दिल्ली सरकार के उक्त एक्सप्रैस हाइवे से यह बाई-पास आइसोलेट नहीं हो जाएगा और क्या यह उचित नहीं होगा कि पहले से दिल्ली सरकार की जो एक्सप्रैस-हाइवे बनाने की योजना है, उसके साथ इस बाई-पास को एक कम्पलीमेंट्री सप्लीमेंट्री के रूप में लिया जाए और उसके मुताबिक एक्सप्रैस हाइवे बन सके जिससे दिल्ली को मैक्सीमम फायदा हो सके और बढ़ती भीड़ को कम किया जा सके, इस बारे में क्या मंत्री जी कोई निर्णय लेंगे, दिल्ली सरकार से बात करेंगे, क्योंकि उक्त एक्सप्रैस-हाइवे के लिए भूमि अधिगृहीत करने का निर्णय हो चुका है, सारे नक्शे भी बन गए हैं, तो सप्लीमेंट्री-कम्पलीमेंट्री बनाने के लिए सरकार की कोई योजना है?

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खंडूडी : मैं स्पष्ट कर दूँ कि जहाँ तक ऐक्सप्रैस-वे बनने की बात है, दिल्ली सरकार ने हाईवे नम्बर 1, 10, 8 और 2 को मिलाने के लिए एक योजना बनाई थी जिसे वैस्टर्न ऐक्सप्रैस-वे कहा था। उसकी लम्बाई 93 किलोमीटर है और यह कार्य 1998 में प्री-फीज़िबिलिटी स्टडी, अभी फीज़िबिलिटी भी नहीं हुई है, यह एक प्री-फीज़िबिलिटी स्टडी है जिसे 1998 में पूरा किया गया था। उसकी कीमत ढाई हजार करोड़ रुपये है। उसके ऊपर 93 किलोमीटर लम्बी और 100 मीटर चौड़ी दिल्ली के चारों तरफ जगह ऐक्वायर करनी पड़ेगी। उसमें हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली इन्वॉल्वड हैं। इसलिए इस प्रकार की जो योजनाएँ हैं, जैसा आपने कहा, चारों तरफ का खाका बना हुआ है और उसमें पहले तीन थे अभी सात ऐलीमैंट्स आ गए हैं। तीन ऐलीमैंट्स में वैस्टर्न हाईवे, उसके बाद कुंडली, गाजियाबाद और गाज़ियाबाद से नोएडा, फरीदाबाद, ये तीन ऐलीमैंट्स हैं जिनकी लम्बाई 198 किलोमीटर है और पुराने हिसाब से इसके ऊपर 3,940 करोड़ रुपये की जरूरत है और 198 किलोमीटर लम्बी और 100 मीटर चौड़ी जगह ऐक्वायर करनी पड़ेगी। दिल्ली में लैंड की क्या स्थिति है, कैसे होगा। अभी जो नया प्रपोज़ल आया है, उसमें इनके बदले छः ऐक्सप्रैस वे बनाए गए हैं जो 508 किलोमीटर है और उसकी कीमत अभी तक 89,060 करोड़ रुपये आँकी गई है। मैं हाउस को बताना चाहता हूँ कि योजनाएँ बन रही हैं लेकिन इतनी लैंड ऐक्वायर करना, 8,060 करोड़ रुपये की व्यवस्था करना, तीन सरकारों की लैंड ऐक्वायर करना, यह समस्या बनी हुई है। इसके ऊपर विचार हो रहा है।

नौवीं योजना के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण

***202. +श्री राम टहल चौधरी:**
श्री प्रवीण राष्ट्रपाल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौवीं योजना अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य को ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु कितनी धनराशि का आबंटन किया गया;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष पूरे किए गए ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) आठवीं और नौवीं योजना के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक राज्य के लिए निर्धारित और प्राप्त किए गए लक्ष्य क्या हैं;

(घ) क्या देश में ग्रामीण विद्युतीकरण इस संबंध में निर्धारित लक्ष्य से काफी कम है;

(ङ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु प्रत्येक राज्य को कुल कितना अनुदान उपलब्ध कराया गया और कितना रियायती ऋण दिया गया;

(छ) क्या सरकार का विचार देश में ग्रामीण विद्युतीकरण प्रणाली का निजीकरण करने का है;

(ज) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) यदि नहीं, तो नौवीं योजना अवधि के दौरान बाकी सभी गाँवों को शामिल करने के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्यकरण को सुचारू बनाने हेतु सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

[अनुवाद]

विद्युत मंत्री (श्री सुरेश प्रभु) : (क) से (झ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) नौवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान ग्राम विद्युतीकरण के लिए रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कार्पोरेशन (आरईसी) द्वारा राज्य विद्युत बोर्डों/राज्य विद्युत विभागों को उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न अनुबंध-I में दिया गया है।

(ख) प्रथम तीन वर्षों के दौरान गाँवों के विद्युतीकरण एवं पम्पसेट ऊर्जीकरण में हासिल की गई उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न अनुबंध-II में दिया गया है।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना (1981 की जनगणना) के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण के लक्ष्यों एवं उपलब्धियों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न अनुबंध-III में दिया गया है। नौवीं योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त उपलब्धियो को संलग्न अनुबंध-IV में दर्शाया गया है।

(घ) और (ङ) 1991 की जनगणना के अनुसार देश में आबादी वाले 5,87,258 गाँवों की तुलना में सितम्बर, 2000 तक 5,07,216 गाँवों का विद्युतीकरण पूरा हो जाने की सूचना मिली है। हालाँकि गाँवों के विद्युतीकरण की गति पिछले कुछ वर्षों से कम हो रही है जिसका मुख्य कारण रा.वि. बोर्डों की कमजोर वित्तीय स्थिति है। विद्युतीकरण हेतु बचे शेष अनेकों गाँव सुदूर या दुर्गम क्षेत्रों में अवस्थित हैं। रा.वि.बो. इन गाँवों को विद्युतीकृत करने को गैर-मितव्ययी मानते हैं। इसके अलावा रियायती संसाधनों के अभाव ने भी ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम को प्रभावित किया है।

(च) पिछले तीन वर्षों के दौरान न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों को ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु ऋण के रूप में संवितरित वित्तीय सहायता को संलग्न अनुबंध-V में दिया गया है।

(छ) और (ज) देश में ग्रामीण विद्युतीकरण प्रणाली का निजीकरण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

(झ) गाँव का विद्युतीकरण, राज्य विद्युत बोर्डों/राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है जो राज्यों में वितरण प्रणाली का स्वामित्व एवं प्रचालन करते हैं। आरईसी ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के वित्त पोषण एजेंसियों में से एक है। चालू वित्तीय वर्ष से ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत सामान्य केन्द्रीय सहायता के रूप में राज्यों को निधि जारी की जा रही है। जबकि पहले रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कार्पोरेशन के जरिए मुहैया कराई जाती थी, ग्रामीण विद्युतीकरण की स्थिति में सुधार करने हेतु उठाए गए कदमों में शामिल है—आरईसी द्वारा भारत सरकार की सहायता, ग्रामीण विद्युतीकरण एवं पम्पसेट ऊर्जीकरण कार्यक्रमों का वित्त-पोषण। इसके अलावा आरईसी प्रणाली सुधार एवं लघु विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में निवेश को वित्त पोषित कर रहा है। आरईसी रा.वि. बोर्ड को इस प्रकार मदद कर रहा है कि वे सम्पूर्ण ग्रामीण वितरण प्रणाली का एकीकृत रूप में नामोद्दिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में देखें ताकि मौजूदा राशियों को अभिज्ञात कर उन्हें एलटी वितरण नेटवर्क के पुनःसंयोजन एवं सुदृढ़ीकरण और ऊर्जा मीटरों की संस्थापना, जहाँ भी आवश्यक हो, के जरिए इन्हें समयबद्ध रूप में दूर करने के लिए योजना तैयार की जा सके। सरकार ने जनजाति वाले गाँवों, दलित बस्तियों एवं अन्य कमजोर वर्गों के गाँवों के विद्युतीकरण से संबंधित मौजूदा स्कीमों की समीक्षा करने एवं विद्युतीकरण की गति को बढ़ाने हेतु संशोधन सुझाने हेतु एक मंत्रि-दल गठित किया है। इसके अलावा मंत्रि-दल आरईसी की भावी भूमिका, प्रचालन के तरीके एवं इसके वित्त-पोषण की भी समीक्षा करेगा।

अनुबंध-I

गत तीन वर्षों के दौरान आरईसी द्वारा उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता

क्र.सं.	राज्य	1999-2000 वितरण	1998-99 वितरण	1997-98 वितरण
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	29435	24866	6094
2.	अरूणाचल प्रदेश	1481	662	1174
3.	असम	296	82	0
4.	बिहार	0	0	147
5.	गोवा	243	361	386

1	2	3	4	5
6.	गुजरात	36160	31296	3931
7.	हरियाणा	3420	2357	836
8.	हिमाचल प्रदेश	2734	3041	2060
9.	जम्मू व कश्मीर	1568	3178	2187
10.	कर्नाटक	25949	29486	8655
11.	केरल	24026	13703	5200
12.	मध्य प्रदेश	8508	13461	6826
13.	महाराष्ट्र	39842	23991	26976
14.	मणिपुर	1761	1326	1359
15.	मेघालय	0	0	0
16.	मिजोरम	509	444	256
17.	नागालैंड	1143	333	173
18.	उड़ीसा	8610	8841	3612
19.	पंजाब	33183	3614	3314
20.	राजस्थान	34636	22872	12009
21.	सिक्किम	0	0	0
22.	तमिलनाडु	20727	16433	11476
23.	त्रिपुरा	1005	753	323
24.	उत्तर प्रदेश	15106	13719	9011
25.	पश्चिम बंगाल	54	29	322
26.	दिल्ली	0	0	0
27.	नीपको	10000	0	0
	उप जोड़	300396	214848	106327
	अन्य	4709	5412	3054
	कुल	305105	220260	109381

(*) केजीपी और ईसीपा हेतु अनुदान।

अनुबंध-II

गत तीन वर्षों के प्रत्येक के दौरान राज्य-वार विद्युतीकृत एवं पम्प ऊर्जीकरण

क्र.सं.	राज्य	के दौरान विद्युतीकरण			के दौरान पम्पसेट ऊर्जीकरण		
		1997-98	1998-99	1999-2000	1997-98	1998-99	1999-2000
1.	आंध्र प्रदेश	—	0	0	3398	59997	34026
2.	अरूणाचल प्रदेश	100	—	24	0	0	0
3.	असम	20	0	0	0	0	0
4.	बिहार	5	8	43	932	813	1539
5.	गोवा	0	0	0	391	136	68
6.	गुजरात	9	4	0	25931	26262	26665
7.	हरियाणा	0	0	0	943	835	783
8.	हिमाचल प्रदेश	0	184	25	318	294	370
9.	जम्मू व कश्मीर	14	0	0	533	0	0
10.	कर्नाटक	217	13	15	32685	59674	40139
11.	केरल	0	0	0	14723	24050	20457
12.	मध्य प्रदेश	463	300	87	52699	45857	23235
13.	महाराष्ट्र	0	0	0	59473	58810	65530
14.	मणिपुर	52	50	11	0	0	0
15.	मेघालय	27	16	0	0	0	0
16.	मिजोरम	12	3	4	0	0	0
17.	नागालैंड	—	10	33	0	0	0
18.	उड़ीसा	800	817	748	1903	1312	1167
19.	पंजाब	0	0	0	8941	9810	10169
20.	राजस्थान	698	685	509	25306	25051	22942
21.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0
22.	तमिलनाडु	0	0	0	41920	34673	35386
23.	त्रिपुरा	15	3	4	0	121	0
24.	उत्तर प्रदेश	851	711	476	11645	16113	11403
25.	पश्चिम बंगाल	48	83	113	1610	2855	2053
	संघ शासित क्षेत्र	0	0	0	713	581	442
	अखिल भारत	3270	2873	2092	284064	367244	296374

स्रोत : के.वि.प्रा. के आँकड़ों पर आधारित।

अनुबंध-III

आठवीं योजनावधि (1992-93 से 1996-97) के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण के व पम्पसेट ऊर्जीकरण के राज्य-वार लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ

क्र.सं.	राज्य	ग्रामीण विद्युतीकरण		पम्पसेट ऊर्जीकरण	
		लक्ष्य	उपलब्धियाँ	लक्ष्य	उपलब्धियाँ
1.	आंध्र प्रदेश	–	–	240500	547319
2.	अरूणाचल प्रदेश	690	756	0	0
3.	असम	1405	553	–	0
4.	बिहार	1540	592	8755	10837
5.	गोवा	–	–	–	1746
6.	गुजरात	–	–	99950	105070
	हरियाणा	–	–	51500	26300
8.	हिमाचल प्रदेश	–	–	550	1130
9.	जम्मू व कश्मीर	115	131	750	2424
10.	कर्नाटक	–	–	170000	232541
11.	केरल	–	–	37300	71408
12.	मध्य प्रदेश	1970	3278	102300	222615
13.	महाराष्ट्र	–	–	241500	388557
14.	मणिपुर	544	519	0	0
15.	मेघालय	321	152	0	0
16.	मिजोरम	210	219	0	0
17.	नागालैंड	–	–	65	4
18.	उड़ीसा	1785	2126	17800	11975
19.	पंजाब	–	–	47000	104758
20.	राजस्थान	3090	3503	111450	124877
21.	सिक्किम	–	–	0	0
22.	तमिलनाडु	–	–	167400	207574
23.	त्रिपुरा	660	672	360	256
24.	उत्तर प्रदेश	3210	4752	82858	101485
25.	पश्चिम बंगाल	2132	1251	17290	10379
	कुल (राज्य)	17672	18504	1397328	2171255
	संघ शासित क्षेत्र	–	–	–	2979
	कुल (अखिल भारत)	17672	18504	1397328	2174234

स्रोत : के.वि.प्रा. के आँकड़ों पर आधारित।

अनुबंध-IV

नौवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों (1997-98, 1998-99 व 1999-2000) के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण और पम्पसेट ऊर्जीकरण के लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ

क्र.सं.	राज्य	ग्रामीण विद्युतीकरण		पम्पसेट ऊर्जीकरण	
		लक्ष्य	उपलब्धियाँ	लक्ष्य	उपलब्धियाँ
1.	आंध्र प्रदेश		0		97421
2.	अरूणाचल प्रदेश	योजना	110	योजना	0
3.	असम		20		0
4.	बिहार		56		3284
5.	गोवा	आयोग	0	आयोग	595
6.	गुजरात		13		78858
7.	हरियाणा				2561
8.	हिमाचल प्रदेश	द्वारा	209	द्वारा	982
9.	जम्मू व कश्मीर		14		533
10.	कर्नाटक		245		132498
11.	केरल	अभी	0	अभी	183813
12.	मध्य प्रदेश		850		121791
13.	महाराष्ट्र	निर्धारित	0	निर्धारित	183813
14.	मणिपुर		113		0
15.	मेघालय		43		0
16.	मिजोरम	नहीं	19	नहीं	0
17.	नागालैंड		3		0
18.	उड़ीसा	किया	2365	किया	4382
19.	पंजाब		0		28920
20.	राजस्थान	गया	1892	गया	73299
21.	सिक्किम	है।	0	है।	0
22.	तमिलनाडु		0		111979
23.	त्रिपुरा		22		121
24.	उत्तर प्रदेश		2038		39161
25.	पश्चिम बंगाल		244		6518
	संघ शासित क्षेत्र		0		1756
	अखिल भारत		8235		947682

स्रोत : के.वि.प्रा. के आँकड़ों पर आधारित।

अनुबंध-V

पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष में ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत आरईसी द्वारा वितरित राज्य-वार ऋण

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	1997-98	1998-99	1999-2000
1.	आंध्र प्रदेश			
2.	अरूणाचल प्रदेश	511	277	
3.	असम	—	82	296
4.	बिहार	147		
5.	गोवा			
6.	गुजरात			
7.	हरियाणा			
8.	हिमाचल प्रदेश			
9.	जम्मू व कश्मीर			
10.	कर्नाटक			
11.	केरल			
12.	मध्य प्रदेश	1422	2326	1226
13.	महाराष्ट्र			
14.	मणिपुर	853	805	107
15.	मेघालय			
16.	मिजोरम	150	444	307
17.	नागालैंड		164	678
18.	उड़ीसा	854	2716	2065
19.	पंजाब			
20.	राजस्थान	3500	6317	2413
21.	सिक्किम			
22.	तमिलनाडु			
23.	त्रिपुरा	300	625	396
24.	उत्तर प्रदेश	3068	8996	2831
25.	पश्चिम बंगाल			
	कुल	10805	22752	10319

[हिन्दी]

श्री राम टहल चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैंने ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्य को सुचारू रूप से और तीव्र गति से चलाने हेतु प्रश्न किया। लेकिन सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि जो उत्तर दिया गया है, उसमें आँकड़े लाख में हैं या हजार में, वह नहीं दर्शाया गया है। वह अंग्रेजी के उत्तर में है लेकिन हिन्दी में नहीं है। मेरा आग्रह है कि वह हिन्दी में भी होना चाहिए। हम सब जानते हैं और बराबर बात होती है कि देश के विकास के लिए बिजली कितनी आवश्यक है। लेकिन आज 52 सालों के बाद भी गाँवों में बिजली नहीं पहुँच पाई है। बिजली पर कृषि तथा उद्योग धन्धे, बच्चों की पढ़ाई-लिखाई निर्भर करती है। ग्रामों का विकास भी इस पर निर्भर करता है। उसके बावजूद जो लक्ष्य था, वह आज तक पूरा नहीं हो पाया। उत्तर में यह भी कमी रही है। हर राज्य के बारे में आँकड़े दिए गए हैं। जो लक्ष्य था, वह नहीं दर्शाया गया है। बिहार के बारे में जो उत्तर दिया गया है, 1998-99 और 1999-2000 में बिहार को एक पैसा नहीं दिया गया। मैं जानना चाहता हूँ कि इसका क्या कारण है? सरकार ने उन अधिकारियों पर, जिनको यह काम करना था और नहीं किया, लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई, मैं इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ कि सरकार आगे विद्युतीकरण के लिए क्या करने जा रही है?

श्री सुरेश प्रभु : पहले मैं यह स्पष्ट करना चाहूँगा, सम्माननीय सदस्य ने पूछा था कि जो आँकड़े दिए गए हैं, वे लाख में हैं या हजार में हैं। इसके बारे में पूरी जानकारी है। अनैक्सचर 1 लाख में है।

श्री राम टहल चौधरी : मेरे कहने का मतलब यह था कि आँकड़े अंग्रेजी में हैं हिन्दी में नहीं हैं।

श्री सुरेश प्रभु : मैं बता रहा हूँ, अगर हिन्दी में नहीं होगा तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन जो मेरे सामने है, वह तो एब्सोल्यूट टर्म में है कि कितने विलेजेज को इलैक्ट्रीफाई किया गया या नहीं किया गया, वह आँकड़ा तो विलेज का नम्बर है। यह बात बिल्कुल सही है कि छठी और सातवीं पंचवर्षीय योजना तक हमारे लक्ष्य में हम काफी हद तक यशस्वी रहे। हमने छठी पंचवर्षीय योजना में हर साल 24107 गाँवों का विद्युतीकरण करने का काम किया। सातवीं पंचवर्षीय योजना में 20,101 गाँव हर साल विद्युतीकृत किये गये। लेकिन आठवीं पंचवर्षीय योजना में हर साल काम करने का जो हमारा लक्ष्य था, वह इतना घट गया कि सिर्फ 3700 गाँव ही इलैक्ट्रीफाइड हो पाये। नौवीं पंचवर्षीय योजना जो अब चल रही है, इसमें तो यह बहुत ही घटकर आज सिर्फ 2740 गांव ही विद्युतीकरण के माध्यम से उनके पास विद्युत की सेवा पहुँच रही है। यह बिल्कुल चिन्ता का विषय है और इसलिए हम चाहते हैं कि इसको ठीक करने के लिए कुछ ठोस कदम उठाये जायें। आपने पूछा है तो आपने काफी सवाल पूछे हैं, लेकिन जहाँ तक मैं समझ सका हूँ, उन सवालों का जवाब देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। आपने पूछा कि बिहार की स्थिति क्या है। बिहार की स्थिति आज यह है कि यदि इसी गति से हमारा जो काम करने का तरीका है, उसी से यदि हम चलेंगे तो शायद बिहार के सभी गाँवों को इलैक्ट्रीफाइड करने के लिए 800 से ज्यादा साल लग सकते हैं। यह हमारे लिए चिन्ता का विषय है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसके लिए हमें काफी जोर से कदम उठाने पड़ेंगे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये, प्लीज।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह जीरो ऑवर नहीं है, क्वश्चन ऑवर है। आप बैठ जाइये, प्लीज।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पहले आप बैठ जाइये न, प्लीज। अभी नहीं बोलें।

श्री सुरेश प्रभु : यह स्थिति है, यह वास्तविकता है और इस वास्तविकता को सबसे पहले हमें मानना होगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें न कि सदस्य को।

[हिन्दी]

श्री सुरेश प्रभु : हमारे सम्माननीय सदस्य ने पूछा कि जिन्होंने यह लक्ष्य पूरा नहीं किया, उनके ऊपर आप कौन-सी कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं। आपको पता होगा कि गाँवों का विद्युतीकरण करने का जो प्राथमिक कर्तव्य है, वह राज्य सरकार का कर्तव्य है। राज्य सरकार की यह जिम्मेदारी है, स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड की जिम्मेदारी है और इसलिए यदि उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई करनी है तो यह राज्य सरकार को ही करनी चाहिए। उसके लिए हम सैंट्रल गवर्नमेंट से कुछ नहीं कर पाएँगे। इन्होंने यह भी पूछा है कि इस स्थिति से बाहर आने के लिए आप क्या करने जा रहे हैं। इस स्थिति से बाहर आने के लिए, आपने सप्लीमेंटरी में सवाल पूछा है कि इस स्थिति को आप कैसे सुधारेंगे। *...(व्यवधान)* जरा सुनिये। आज ही हमने इस बात के लिए आगे आने वाले सात सालों में इस पूरे के पूरे देश में जितने भी 80,042 विलेजेज, जो आज इलैक्ट्रीफाइड नहीं हुए हैं, उन्हें पूरी तरह से विद्युतीकृत करने के लिए सात साल का एक कार्यक्रम हमने बनाया है, हम बनाने जा रहे हैं। उसी का आदेश हमने दे दिया है। इस आदेश के अनुसार आगे आने वाले सात सालों में हर राज्य के हर गाँव में विद्युतीकरण करने का काम हम करेंगे।...*(व्यवधान)*

श्री राम टहल चौधरी : अध्यक्ष महोदय, 1991 की जनगणना के अनुसार देश की आबादी वाले 5,87,258 गाँवों में विद्युतीकरण करना था, जिसमें से आँकड़ों के हिसाब से 5,07,216 गाँवों में हुआ है। मगर हम समझते हैं कि इसमें से सभी माननीय सदस्यों की शिकायत है, जो मुझे जानकारी है, जो आँकड़ा दिया जाता है, खासकर के बिजली विभाग के द्वारा जितना आँकड़ा दिया गया है। हम समझते हैं कि ये जितने भी आँकड़े हैं, इनमें 25 प्रतिशत ही सही होंगे, बाकी महज आँकड़े ही हैं। यह मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। किसी गाँव में खम्भा गाड़ देते हैं, तार नहीं डाली जाती, लेकिन कह दिया जाता है कि उस गाँव को विद्युतीकृत कर दिया और वहाँ लोगों को बिल भेजना शुरू कर दिया जाता है। इसके खिलाफ हमने काफी संघर्ष किया है। जिस राज्य के आँकड़े गलत हों, आप उसकी वहाँ के जनप्रतिनिधियों द्वारा या अन्य स्रोतों से जाँच कराएँ और जिस अधिकारी ने गलत आँकड़े दिए हैं, उसके विरुद्ध क्या कार्रवाई करेंगे? आपने जो नुकसान की बात कही है कि आगे विद्युतीकरण करने में दिक्कत होगी, पैसे की कमी है, ठीक है पैसे की कमी हो जाती है।

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न क्या है?

श्री राम टहल चौधरी : वही पूछ रहा हूँ। जब तक मंत्री जी को सच्चाई नहीं बताऊँगा तो कैसे इनको जानकारी होगी। पैसा नहीं है तो पैसा लीजिए, जहाँ बिजली देते हैं। आपके ये आँकड़े गलत हैं। आप इसकी छानबीन करें। अब चूँकि झारखंड क्षेत्र अलग राज्य बन गया है, वहाँ बिजली के मामले में घोर अन्याय हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न करें, यह कोई तरीका नहीं है।

श्री राम टहल चौधरी : क्या मंत्री जी अलग से झारखंड राज्य के लिए कोई पैकेज देने का विचार करेंगे? जिस गाँव में खम्भा गाड़ कर छोड़ दिया गया, वहाँ कब तक बिजली पहुँचाने का काम करेंगे और उस राज्य में अलग से राशि देकर वहाँ ग्रामीण इलाकों में विद्युतीकरण करने की आपकी क्या योजना है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, माननीय सदस्य दिए गए आँकड़ों से सहमत नहीं हैं। कृपया यह भी ध्यान में रखें। आप जो भी उत्तर देते हैं ये उस पर बहस करते हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सुरेश प्रभु : हमने जो स्टेटमेंट सभा पटल पर रखा है, उसके तहत ही मैं बता रहा हूँ कि बिहार में 67513 गाँव हैं। 21.3.1999 तक उनमें से 47845 गाँव विद्युतीकृत हो चुके हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप लोग बैठिए, यह शून्य काल नहीं है।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री सुरेश प्रभु : बिहार सरकार से जो आँकड़े हमें मिले हैं, उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ। बाकी 19668 गाँवों में अभी विद्युतीकरण होना बाकी है...*(व्यवधान)* इसलिए बिहार की स्थिति बहुत चिंताजनक है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री के उत्तर के अलावा यह कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री सुरेश प्रभु : माननीय सदस्य ने पूछा है कि क्या झारखंड के लिए कुछ पैकेज दिया जाएगा, तो मैं कहना चाहता हूँ...

अध्यक्ष महोदय : मि. मिनिस्टर आप इतना जोर से क्यों रिप्लाई दे रहे हैं, थोड़ा धीरे बोलिए।

श्री सुरेश प्रभु : मुझे भी तकलीफ हो रही है, लेकिन शोर काफी हो रहा है। झारखंड राज्य के मुख्य मंत्री जी मुझसे मिले थे। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों के लिए कोई विशेष प्लान झारखंड के लिए बनाया जाए। झारखंड और बिहार, दो अलग राज्य बन गए हैं, इन दोनों राज्यों में बँटवारा होना बाकी है। जब बँटवारा होगा और झारखंड को सीमित रूप में असेट्स और लायबिलिटीज ट्रांसफर की जाएँगी, तब झारखंड राज्य के लिए जिस सहायता की जरूरत होगी, केन्द्र सरकार उसके लिए पूरी तरह से कमिटेड है।

[अनुवाद]

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल (पाटन) : बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह स्वीकार किया है कि मुख्य रूप से वित्तीय परिस्थितियों के कारण पिछले कुछ वर्षों से गाँवों के विद्युतीकरण की प्रक्रिया धीमी हो गई है; किंतु इसके साथ ही उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि आर.ई.सी., ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए निधियाँ मुहैया कराने वाली एजेंसियों में से एक है। मैं उत्तरी गुजरात के एक ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र से हूँ और ग्रामीण विद्युतीकरण की मुझे काफी चिंता है।

अपने उत्तर के अंतिम पैरा में माननीय मंत्री ने जनजातीय गाँवों, दलित बस्तियों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के विद्युतीकरण से संबंधित वर्तमान सभी योजनाओं की समीक्षा के लिए मंत्री समूह समिति को भेजा है। इस सरकार ने जब भी कभी लिखित या मौखिक घोषणा की उन्होंने जनजातियों और दलितों का हवाला दिया किंतु मेरा अनुभव है कि जहाँ तक इस देश के दलितों और जनजातियों का संबंध है, उनके लिए कुछ भी नहीं किया गया है।

मैं गुजरात राज्य से आया हूँ जहाँ अनुसूचित जनजाति की आबादी 15 प्रतिशत और अनुसूचित जाति की आबादी 8 प्रतिशत है। मैं, गुजरात में अपने निर्वाचन क्षेत्र के एक गाँव से आया हूँ जहाँ बिजली नहीं है। मैं माननीय मंत्री द्वारा दिए गए लिखित उत्तर के अनुबंध III, IV और V का उल्लेख कर रहा हूँ जिसमें मंत्री जी ने गुजरात के संबंध में कोई सूचना नहीं दी है।

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इस मंत्री समूह के सदस्य कौन हैं, वे अपनी समीक्षा कब पूरी करेंगे; गुजरात के सभी 18,000 गाँवों का विद्युतीकरण कब किया जाएगा—चूँकि मैं गुजरात से आया हूँ इसलिए मैं गुजरात के लिए प्रश्न कर रहा हूँ, और जहाँ तक गुजरात का संबंध है—अनुबंध III, IV और V में सूचना क्यों नहीं दी गई है।

श्री सुरेश प्रभु : महोदय, गुजरात 100 प्रतिशत विद्युतीकृत राज्य है। गुजरात के सभी गाँवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : महोदय, मैं गुजरात के उन गाँवों के नाम बता सकता हूँ जहाँ अभी तक बिजली नहीं है। मैं अपने संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि में से गाँवों के विद्युतीकरण के लिए पैसा दे चुका हूँ।

अध्यक्ष महोदय : आपने एक अनुपूरक प्रश्न पूछा है और आप मंत्री जी को सुन ही नहीं रहे हैं, यह क्या है?

श्री सुरेश प्रभु : महोदय, मुझे बताने दीजिए। आप नहीं चाहते कि मैं चिल्लाऊँ और वे मुझे बोलने नहीं दे रहे! मैं क्या करूँ, महोदय।

यह सच है कि वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार गुजरात के सभी गाँवों में बिजली उपलब्ध है किंतु मैं आपको बताऊँगा कि समस्या क्या है। पाँच साल से पहले जो विद्युतीकरण की परिभाषा थी, उसके अनुसार यदि किसी राजस्व ग्राम के किसी भी भाग में बिजली है तो उसे पूरी तरह विद्युतीकृत मान लिया जाता था। यह पूरी तरह भ्रामक परिभाषा थी क्योंकि इसका अर्थ है कि गाँव से गुजरने वाली एक ट्रांसमीशन लाइन से ही वह गांव विद्युतीकृत हो जाएगा। यह एक हास्यास्पद परिभाषा है। इसलिए, पाँच साल पहले एक नई परिभाषा प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार यदि किसी गाँव को पूरी तरह विद्युतीकृत मानना है तो गाँव के कुछ रिहायशी भागों में कम-से-कम एक कनैक्शन तो होना ही चाहिए। जब हम पूरी तरह विद्युतीकृत गाँव की बात करते हैं तो इसका अर्थ यह भी नहीं है कि गाँव के सभी घरों में बिजली है। मैं आपको एक और सुझाव दूँगा। ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 30 प्रतिशत घरों में बिजली है और 70 प्रतिशत घरों को अभी भी बिजली प्राप्त नहीं है। इसलिए विद्युतीकरण की इस परिभाषा का अर्थ भी यही है कि गाँव में संभवतः बहुत थोड़ी मात्रा में ही बिजली उपलब्ध है। इसका अर्थ यह बिलकुल नहीं है कि गाँव के सभी घरों में बिजली है। दरअसल, ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी 70 प्रतिशत घरों में बिजली दी जानी है।

मेरे मित्र जानना चाहते थे कि गुजरात को कितना धन वितरित किया गया है। ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए गुजरात को पिछले वर्ष 703.87 करोड़ रुपये वितरित किए गए थे।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : महोदय, मेरे मुख्य प्रश्न का तो उत्तर दिया ही नहीं गया है। मंत्री समूह के सदस्य कौन हैं और उनकी समीक्षा पूरी कब हो जाएगी।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक सांसद को 25 गाँव विद्युतीकरण हेतु कुछ वर्ष पहले मिलते थे लेकिन वर्तमान सरकार ने 25 गाँव देना बंद कर दिया है और यह कहती है कि भारत सरकार हमें कोई सहायता नहीं कर रही है। यदि भारत सरकार सहायता दे रही है तो सांसदों को क्या 25 गाँव पूर्व की भाँति फिर से मिलेंगे क्योंकि यह एक समस्या है कि वह अपने यहाँ विद्युतीकरण किस ढंग से कराये, मैं इस बारे में माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ।

मेरा दूसरा प्रश्न है कि जिन गाँवों के बारे में कागज में लिखा जा चुका है कि इन गाँवों का पूर्ण रूप से विद्युतीकरण हो चुका है और लोगों ने एप्लाई भी किया है और बिल भी आ रहा है लेकिन विद्युतीकरण किया गया है या नहीं किया गया है इस बारे में माननीय मंत्री जी क्या कोई जाँच कराएँगे और सांसदों को कब तक विद्युतीकरण चयनित करने के लिए देंगे? मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या सांसदों को क्षेत्रवाइज धन दिया जा रहा है तथा कितने गाँवों का उनके यहाँ विद्युतीकरण हो चुका है और कितने गाँवों का विद्युतीकरण नहीं हुआ है, इसकी जानकारी हम लोगों को मिलेगी या नहीं मिलेगी?

श्री सुरेश प्रभु : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में विद्युतीकरण के लिए पिछले साल 378.36 करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश सरकार को दिये गये हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि उत्तर प्रदेश में जितने भी गाँव हैं, उन गाँवों का विद्युतीकरण पूरी तरह से हो गया है। मैं इस बात को पहले भी कहना चाहता था कि 80042 गाँव ऐसे हैं, जहाँ बिजली नहीं पहुँची है और चार लाख ऐसी बस्तियाँ हैं, जहाँ बिजली नहीं पहुँची है। इसलिए इस बात की जानकारी करने के लिए आदेश दिया है कि देश में कौन-कौन से राज्यों में कितनी बस्तियाँ है, जहाँ बिजली नहीं पहुँची है। सिर्फ टोकन विद्युतीकरण करके समस्या हल नहीं होगी। हमें यह प्रयास करना चाहिए कि ज्यादा-से-ज्यादा हाउसहोल्ड में बिजली पहुँचे। इसके लिए हमने जो टार्गेट रखा था, वह टार्गेट सही मायनों में सही नहीं है...*(व्यवधान)* माननीय सदस्य ने उत्तर प्रदेश की जिस स्कीम के बारे में कहा है, उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है कि सांसदों को 25 गाँव दे दिए जाएं। यदि आप ऐसा सुझाव देंगे, तो हम उस पर जरूर विचार करेंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न संख्या 203—श्री पी.डी. एलानगोवन।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया समय-सीमा का ध्यान भी रखें।

...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.42 बजे

(इस समय डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह, कुँवर अखिलेश सिंह, श्री हरीभाऊ शंकर महाले और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

अध्यक्ष महोदय : डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह, कृपया अपने स्थान पर जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुँवर अखिलेश सिंह और श्री हरीभाऊ शंकर महाले, आप भी अपने स्थानों पर जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, कृपया अपने-अपने स्थानों पर जाइए। हमें दूसरे प्रश्नों पर भी विचार करना है। मैं अगले प्रश्न के लिए कह चुका हूँ। अब कृपया अपने स्थानों पर जाइए।

[हिन्दी]

इस प्रश्न पर आधे घंटे की चर्चा कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि आप चाहें तो इस प्रश्न पर आधे घंटे की चर्चा की माँग कर सकते हैं। अब, कृपया अपने स्थानों पर जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप समय-सीमा को भी ध्यान में रखें। 'प्रश्न-काल' एक घंटे का है। हमें दूसरे प्रश्न भी उठाने हैं। कृपया समझिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कुँवर अखिलेश सिंह, कृपया अपने स्थान पर जाइए।

...(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अगर आप चाहेंगे, तो आधे घंटे की चर्चा कर सकते हैं।

[अनुवाद]

मंत्री जी, क्या आप इस पर आधे घंटे की चर्चा के लिए सहमत हैं?

श्री सुरेश प्रभु : महोदय, मुझे एक घंटे की चर्चा पर भी आपत्ति नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो, मंत्री जी ने इस प्रश्न पर आधे घंटे की चर्चा की सहमति दे दी है। अब कृपया अपने-अपने स्थानों पर जाइए।

...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.44 बजे

(इस समय, कुँवर अखिलेश सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गए।)

अध्यक्ष महोदय : डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह, मैं आपके विरुद्ध कार्यवाही करूँगा। बहुत हो गया है।

[हिन्दी]

कोई प्रोसीजर नहीं है, आप कितनी बार बोलेंगे। ऐसे आप रोज डिस्टर्ब करते हैं।

[अनुवाद]

दूसरे सदस्य भी प्रश्न करना चाहते हैं। सभा में केवल आप ही सदस्य नहीं हैं जिसे बोलना है।

कृपया समझें। वह आधे घंटे की चर्चा के लिए सहमत हो गये हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : मैं इसके विरोध में सदन से बहिर्गमन करता हूँ।

पूर्वाह्न 11.45 बजे

(तत्पश्चात् डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह, श्री हरीभाऊ शंकर महाले और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गये।)

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आधे घंटे की चर्चा की अनुमति दे चुका हूँ। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : महोदय, बिहार के सवाल पर आधे घंटे की चर्चा कब होगी?

अध्यक्ष महोदय : इस पर चर्चा हो जाएगी।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : महोदय, इसके लिए कब समय देंगे?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हमने समय देना है, वे नहीं देंगे। आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको हाउस का प्रोसिज़र मालूम नहीं है। आप बैठ जाइए।

[अनुवाद]

कृषि उत्पादन

***203. श्री पी.डी. एलानगोवन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में कृषि उत्पादन बढ़ाने और कपास के उत्पादन और आपूर्ति को बहाल करने और स्थिर करने पर कोई विशेष ध्यान दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष राज्य-वार कपास सहित कुल कितना कृषि उत्पादन हुआ; और

(घ) देश में कपास सहित कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए खेती की तकनीकों और विधियों में सुधार करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

कृषि मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) सरकार ने राष्ट्रीय कृषि नीति की संकल्पनानुसार, कृषि विकास को उच्च प्राथमिकता दी है। विशेष ध्यान देने की दृष्टि से, कृषि विकास हेतु चल रही 27 केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों का बृहत प्रबंधन पद्धति के अधीन एक स्कीम के रूप में सूत्रीकरण किया गया है ताकि राज्य सरकारों को अपनी आवश्यकतानुरूप कार्यक्रम चलाने के लिए स्वतंत्रता तथा लचीलापन प्रदान की जा सके।

कपास विकास के लिए अनुसंधान, उत्पादन, विपणन तथा प्रसंस्करण के समेकन हेतु किसानों और वस्त्रोद्योगों के लाभ के लिए जनवरी, 2000 से एक कपास प्रौद्योगिकी मिशन प्रारंभ किया गया है। इसी प्रकार, तिलहन व दलहन उत्पादन संवर्धन हेतु एक तिलहन व दलहन प्रौद्योगिकी मिशन कार्य कर रहा है। इन स्कीमों के अंतर्गत, बीजों, बीज मिनीकिटों के उत्पादन तथा वितरण, रिजोबियम कल्चर, उन्नत कृषि उपस्करों और प्रदर्शन सेटों आदि के वितरण हेतु वित्तीय सहायता दी जाती है। इनके अलावा, उन्नत उत्पादन प्रौद्योगिकियों के अंतरण के लिए किसानों के खेतों पर अग्रणी तथा क्षेत्र प्रदर्शन भी आयोजित किए जाते हैं।

(ग) महत्वपूर्ण राज्यों में वर्ष 1996-97, 1997-98 तथा 1998-99 के दौरान खाद्यान्न, तिलहन, कपास व गन्ना जैसी मुख्य फसलों का उत्पादन विवरण क्रमशः संलग्न अनुबंध I, II, III व IV में दर्शाया गया है।

(घ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कपास सहित कृषि उत्पादन विषयक विभिन्न क्षेत्रों में राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के सहयोग से अनुसंधान कार्य कर रही है। इसके अलावा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों द्वारा किए जा रहे अनुसंधान कार्यों में विभिन्न फसलों पर "अखिल भारतीय फसल सुधार परियोजना" के माध्यम से परिषद भी अनुसंधान प्रणाली में सहायता कर रही है। उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से कृषि तकनीकों के विकास/सुधार हेतु भी अनुसंधान कार्य किया जा रहा है। इनमें रोगों, कीटों तथा आर्द्रता प्रभावों के विरुद्ध प्रतिरोधी क्षमता वाली और अधिक उपज वाली किस्मों/संकर किस्मों का विकास; लागत प्रभावी उत्पादन हेतु संसाधन प्रबंधन; समेकित पोषण, कीट व जल प्रबंधन, प्रौद्योगिकी मूल्यांकन तथा परिष्करण, और गौण उपाय उपयोग आदि शामिल हैं।

उन्नत कृषि तकनीकों के प्रसार के लिए, राष्ट्रीय विस्तार प्रणाली विभिन्न कार्यक्रमों/स्कीमों के तहत खेत स्तर पर कृषि कार्मिकों तथा किसानों को प्रशिक्षण हेतु राज्यों की सहायता कर रही है। कपास सहित विभिन्न केन्द्रीय/केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के माध्यम से किए जाने वाले अग्रणी प्रदर्शनी सहित प्रदर्शन कार्यक्रम के तहत उन्नत उत्पादन प्रौद्योगिकी के प्रदर्शन किये जा रहे हैं।

अनुबंध-I

प्रमुख राज्यों में वर्ष 1996-97 से 1998-99 के दौरान खाद्यान्न उत्पादन

(उत्पादन '000 मी.टन में)

राज्य	1996-97	1997-98	1998-99
आन्ध्र प्रदेश	15675.20	10822.30	14395.30
असम	3532.10	3577.60	3434.00
बिहार	14417.60	14093.20	12908.80
गुजरात	5208.60	5709.70	5566.70
हरियाणा	11448.00	11347.70	12125.20
कर्नाटक	9212.80	8046.80	9976.60
मध्य प्रदेश	19487.80	17361.90	19798.40
महाराष्ट्र	14602.40	9664.00	12752.80
उड़ीसा	4831.40	6637.80	5806.50
पंजाब	21553.30	21143.20	22906.70
राजस्थान	12821.30	14048.90	12933.70
तमिलनाडु	6930.00	8103.80	10140.50
उत्तर प्रदेश	42385.10	41589.20	40145.40
पश्चिम बंगाल	13756.30	14353.20	14367.20
अखिल भारत	199435.70	192258.70	203042.90

अनुबंध-II

प्रमुख राज्यों में वर्ष 1996-97 से 1998-99 के दौरान तिलहन उत्पादन

(उत्पादन '000 मी.टन में)

राज्य	1996-97	1997-98	1998-99
आन्ध्र प्रदेश	2396.20	1424.10	2264.50
असम	159.80	173.90	154.80
बिहार	150.60	166.50	157.10
गुजरात	3809.00	3834.00	3883.20
हरियाणा	1004.80	423.20	714.30
कर्नाटक	1756.40	1198.60	1813.60
मध्य प्रदेश	5093.90	5687.80	5618.20
महाराष्ट्र	2395.90	1682.40	2650.50
उड़ीसा	167.40	191.20	176.60
पंजाब	284.00	218.60	210.50
राजस्थान	3529.50	3299.90	3813.40
तमिलनाडु	1514.50	1476.70	2081.70
उत्तर प्रदेश	1538.80	1006.40	1135.90
पश्चिम बंगाल	429.60	387.70	381.90
अखिल भारत	24384.50	21324.70	25210.30

अनुबंध-III

प्रमुख राज्यों में वर्ष 1996-97 से 1998-99 के दौरान कपास का उत्पादन

(उत्पादन '000 बेल में)

राज्य	1996-97	1997-98	1998-99
आन्ध्र प्रदेश	1878.40	1320.40	1486.60
गुजरात	2657.70	3180.00	3935.00
हरियाणा	1507.00	1129.00	873.00
कर्नाटक	932.00	721.00	855.00
मध्य प्रदेश	424.20	508.90	426.30
महाराष्ट्र	3143.30	1753.10	2618.90
उड़ीसा	30.20	36.00	50.00
पंजाब	1925.00	937.00	595.00
राजस्थान	1363.30	867.50	872.00
तमिलनाडु	329.90	358.00	429.50
उत्तर प्रदेश	7.30	8.30	5.80
अखिल भारत	14231.30	10851.40	12177.50

अनुबंध-IV

प्रमुख राज्यों में वर्ष 1996-97 से 1998-99 के दौरान गन्ने का उत्पादन

(उत्पादन '000 टन में)

राज्य	1996-97	1997-98	1998-99
आन्ध्र प्रदेश	15030.00	13955.00	16684.60
असम	1490.30	1287.50	1223.60
बिहार	5842.50	4959.90	5218.80
गुजरात	11404.30	11836.20	13566.30
हरियाणा	9020.00	7550.00	6880.00
कर्नाटक	23374.40	28332.70	28454.00
मध्य प्रदेश	1761.40	1631.70	1973.00
महाराष्ट्र	41804.80	38174.30	47151.10
उड़ीसा	1332.10	1144.00	1469.50
पंजाब	11040.00	7150.00	6130.00
राजस्थान	1290.20	1158.70	1078.30
तमिलनाडु	25918.80	30183.60	46672.80
उत्तर प्रदेश	125348.40	129266.70	116302.80
पश्चिम बंगाल	1810.30	1825.70	2001.90
अखिल भारत	277560.00	279541.40	295725.50

श्री पी.डी. एलानगोवन : माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषक हमारी अर्थव्यवस्था के मेरुदण्ड हैं। उनके कठोर परिश्रम के अभाव में हम भूखों मर जाते। यद्यपि अन्य क्षेत्रों में हमने विकास किया है, केवल कृषक ही हमें भोजन दे सकते हैं। अतः मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने कृषि उत्पादन की अत्यधिक लागत और विभिन्न कारणों से बर्बाद हुई फसल के कारण देश के गरीब किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए कोई उपचारात्मक उपाय किये हैं।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : महोदय, इसके लिए सरकार कदम उठा रही है, इस पर कार्यवाही कर रही है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

महोदय, मैंने 'हाँ' कहा है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है, "जी हाँ"। आपका दूसरा अनुपूरक प्रश्न क्या है?

श्री पी.डी. एलानगोवन : महोदय देश भर के किसान घोर कठिनाई में हैं चाहे उन्होंने फसल कोई उगाई हो, उदाहरण के लिए, तमिलनाडु में, मूँगफली और गन्ने के उत्पादक उत्पादन लागत के अत्यधिक भार से परेशानी में हैं और स्वभावतः वर्ष-भर मेहनत करने के बाद भी अंत में उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। इसके परिणामस्वरूप संपूर्ण कृषि समुदाय और हमारे देश की विशाल कृषि संपदा का विनाश हो गया। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं? मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या कृषि बीमा योजना आवश्यक है और क्या सरकार के पास कोई आपदा प्रबंधन कार्यक्रम है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री एलानगोवन, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना पर एक अलग प्रश्न है। कृपया अनुपूरक प्रश्न पूछने का तरीका समझें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपका अनुपूरक प्रश्न क्या है?

...(व्यवधान)

श्री पी.डी. एलानगोवन : यह मूँगफली और गन्ना उत्पादकों के बारे में है।

...(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार : महोदय, मैं प्रश्न का जवाब दूँगा।

[हिन्दी]

महोदय, सरकार की अलग-अलग ब्लाक के लिए अलग-अलग योजनाएँ हैं। जहाँ तक 27 सेंट्रली स्पोंसर्ड स्कीम को एक साथ मिला कर राज्य सरकारों को छूट दी गई है, उसमें वे कम्पोनेंट में अपनी जरूरत के

मुताबिक परिवर्तन कर सकते हैं, सरकार ने इस पर ध्यान दिया है। दूसरी बात यह है कि जो लॉसेस होते हैं, उसके लिए अब क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम की जगह नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम है। अब लोनी फार्मर्स के लिए तो पहले की तरह कम्पलसरी है ही, नॉन लोनी फार्मर्स के लिए भी एवेलेबल है और अब इसमें नेचुरल डिजास्टर के साथ-साथ पैस्ट अटैक वगैरह के लिए भी कवर्ड है।

श्री सुशील कुमार शिंदे : अध्यक्ष महोदय, अनैक्सचर तीन में कॉटन ग्रोअर्स के बारे में बताया गया है। देश के लिए यह बड़ी चिंता का विषय है कि एक तरफ आप कॉटन ग्रोअर्स को सुविधा देना चाहते हैं और दूसरी तरफ पूरे महाराष्ट्र में कॉटन न मिलने की वजह से हैंडलूम और पावरलूम बंद हो रहे हैं। शोलापुर में कॉटल बेल के रेट बढ़ने से पावरलूम और हैंडलूम बंद हो गए हैं। आपने कहा है कि 2000-2001 में इसके प्रोडक्शन के लिए एक नेशनल पॉलिसी बनाई है। 1996-97, 1997-98 और 1998-99 में कॉटन बेल्स की फीगर्स दी हैं। मैं उसमें महाराष्ट्र के बारे में बताना चाहता हूँ। 1996-97 में 3143.30, 1997-98 में 1753 और 1998-99 में 2618 बेल्स का उत्पादन हुआ। उत्पादन में कमी होती गई। आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पंजाब में वही हालत है। केवल थोड़ा बहुत गुजरात में बढ़ावा मिला है। क्या सरकार इस दृष्टि से देखना चाहती है या नहीं? वह कॉटन ग्रोइंग एरियाज में स्पैशल लक्ष्य लेकर चलेगी और वहाँ सुविधाएँ देने का प्रयास करेगी या नहीं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल के दौरान आपको मंत्री महोदय से जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए न कि उन्हें जानकारी देनी चाहिए।

श्री सुशील कुमार शिंदे : ठीक है, महोदय। उनके पास अतिरिक्त जानकारी होगी।

[हिन्दी]

पूरे देश में और विशेषतः विदर्भ में कॉटन ग्रोअर्स आत्महत्या करके मर रहे हैं। ऐसे में शोलापुर में बुनकर मर जाएँगे। मैं विनती करना चाहता हूँ कि आप इस बारे में विशेष ध्यान दें। सरकार ने इस बारे में क्या किया है?

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, कॉटन के क्षेत्र में कई प्रकार की समस्याएँ हैं। खास तौर पर प्रोडक्टिविटी है। इसके अलावा मार्किटिंग, प्रोसैसिंग सब प्रकार की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने टैक्नॉलोजी मिशन कॉटन पर शुरू किया है। इसके चार कम्पोनैंट्स हैं—रिसर्च, प्रोडक्शन, मार्किटिंग और प्रोसैसिंग। इसमें चार मिनी मिशन्स हैं। इसका मकसद यह है कि कॉटन का उत्पादन बढ़े और कॉटन की प्रोडक्टिविटी बढ़े। पूरे देश में जितने एरियाज में कॉटन उपजाया जाता है उसका एक बड़ा हिस्सा महाराष्ट्र में है लेकिन प्रोडक्टिविटी कम है। इसका मोटे तौर पर खास कारण देखा जाए तो यह है कि वह बिल्कुल रेन फेड एरिया है। वहाँ इरिगेशन की सुविधा नहीं है। जहाँ तक हमारे पास आँकड़े उपलब्ध हैं उसके अनुसार चार परसैंट से भी कम महाराष्ट्र का कॉटन ग्रोइंग एरिया इरिगेटिड है। वहाँ ये सारी समस्याएँ हैं। कॉटन पर पैस्ट और बीमारियों का भी काफी अटैक होता है। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए एक मिशन मोड में कॉटन की स्थिति को सुधारने के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया। इसे कार्यक्रम को शुरू और लागू करने के बाद इसकी स्थिति में अवश्य सुधार आएगा। हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो किसानों को इसका फायदा स्वाभाविक तौर पर होगा।

[अनुवाद]

श्री बिक्रम केशरी देव : महोदय, प्रौद्योगिकी मिशनों का कार्यान्वयन किया जा रहा है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ कि उड़ीसा में इसके लिए कौन-कौन से जिले निर्धारित किए गए हैं। वहाँ ऐसी भी घटनाएँ हुई हैं जबकि कपास उगाने वाले किसानों ने फसल-इवकाब होने, विपणनशीलता कम होने और खराब मौसम इत्यादि के कारण आत्महत्या की है। देश में कपास उत्पादकों और विशेष रूप से उड़ीसा के पिछड़े जिलों जैसे कालाहांडी, कोरापुट, बोलंगीर और के बी के जिलों तथा फूलबनी में उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक माननीय सदस्य ने जिन तीन जिलों का उल्लेख किया है कि लागू नहीं हो रहा है, मैं इसके बारे में उन्हें अलग से जानकारी दे दूँगा लेकिन कॉटन ग्रोइंग ऐरियाज़ इसमें कवर्ड हैं और कॉटन के लिए हैं। जिन कॉटन समस्याओं का उल्लेख किया है, महाराष्ट्र के संदर्भ में मैंने उन्हीं का जिक्र किया है, वहीं मूल समस्याएँ हैं। यह रेन फैड फार्मिंग है, कीड़ों का बहुत अटैक होता है। इसमें अच्छे किस्म के बीज और लोगों को अच्छे किस्म के बीज अपनाने के लिए प्रेरित करना, उनके बीच में काम करना, अच्छे किस्म के डिलेंटेडेट सीड करना, सीड की डिलेंटिंग करना इस टैक्नालॉजी मिशन के कम्पोनेंट्स हैं। लोग बेहतर क्वालिटी के सीड्स इस्तेमाल कर सकें, बेहतर एग्रीकल्चरल प्रेक्टिसेज़ अपना सकें ताकि उनका उत्पादन बढ़े। यह पूरे टैक्नालॉजी मिशन का उद्देश्य है। इसके चार मिनिमम मिशन हैं जिसमें रिसर्च, एग्रीकल्चर एंड को-आप्रेशन डिपार्टमेंट इसके प्रोडैक्शन के लिए कई तरह के डिमांस्ट्रेशन करना और राज्य सरकार के सहयोग से काम करेगी। इसके बाद टैक्सटाइल मिनिस्ट्री उसकी मार्किटिंग की स्थिति को बनाने का काम करेगी। इस तरह से मिनिमम मिशन के जरिये न सिर्फ उनका उत्पादन बढ़ेगा बल्कि बेहतर कीमत मिल सके, मार्किटिंग हो सके, तभी सरकार इसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस घोषित करती है। महाराष्ट्र को छोड़कर बाकी जगह कॉटन कारपोरेशन ऑफ इंडिया प्रोक्योरमेंट करती है। महाराष्ट्र में मोनोपोलीज़ प्रोक्योरमेंट स्कीम सरकार चलाती है।

डॉ. गिरिजा व्यास : अध्यक्ष महोदय, सरकार कहती है कि कृषि विकास को उच्च प्राथमिकता देने के लिए कॉटन प्रौद्योगिकी मिशन और तिलहन-दलहन प्रौद्योगिकी मिशन बनाया है। मैं इस संदर्भ में राजस्थान का जिक्र करना चाहती हूँ जहाँ पिछले तीन सालों से लगातार अकाल है

और कुछ इलाके जैसे गंगानगर, अलवर और भरतपुर जिले तिलहन और कपास का उत्पादन कर रहे हैं। केन्द्र सरकार की आयात नीति के कारण पामोलीन ऑयल बार-बार बाहर से आने के कारण हमारी लगभग 100 प्रतिशत, नहीं तो 99 प्रतिशत तेल मिलें बंद हो चुकी हैं। कॉटन प्रोक्योर होता है लेकिन सरकारी नीति के कारण कपास वहीं पड़ी हुई है और उसकी खरीद नहीं कर रही है। जब तक सरकार क्रय-विक्रय की नीति निर्धारित नहीं करेगी तब तक इस प्रकार की समस्याएँ आती रहेंगी। मैं मंत्री महोदय से एक स्पेसिफिक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि क्या सरकार हिन्दुस्तान-भर के लिए कोई क्रय-विक्रय योजना बनाने का विचार रखती है?

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने बताया कि सरकार की प्रोक्योरमेंट की योजना तो है लेकिन यदि माननीय सदस्य को किसी खास इलाके के बारे में तकलीफ है और जिसका जिक्र किया है, उस मामले को टेक अप करेंगे कि वहाँ प्रोक्योरमेंट क्यों नहीं हुआ। मैं सदन को बताना चाहूँगा कि कॉटन कार्पोरेशन ऑफ इंडिया कॉटन का प्रोक्योरमेंट करती है और सेंट्रल की तरफ से वहीं डैज़िगनेटेड एजेंसी है। यदि माननीय सदस्य द्वारा बताये गये इलाके में प्रोक्योरमेंट नहीं हुआ है तो मामले की जाँच कराएँगे। कॉटन प्रोक्योरमेंट के लिए एक स्थापित नीति है।

अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक माननीय सदस्य ने पामोलीन ऑयल के संबंध में कहा है, मैं इस संबंध में सदन को सूचित कर चुका हूँ कि नवम्बर महीने से फिर से इम्पोर्ट ड्यूटी रिवाइज़ की गई है और पामोलीन ऑयल पर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ गई है।

डॉ. गिरिजा व्यास : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने बाग्जाल के प्रति गलत उत्तर दिया था और आज भी सदन को भ्रमित कर रहे हैं। वर्तमान में कोई पॉलिसी नहीं है।

[अनुवाद]

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : महोदय, 1960 के दशक में, हमारे देश में हरित क्रांति के पश्चात् खाद्य-उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई थी। परन्तु पिछले दो दशकों, नौवें और दसवें दशक के दौरान उत्पादकता कम हो गई है। इस प्रकार, दस वर्षीय विकास दर भी काफी कम हो गई है। विकास दर लगभग 1.5 प्रतिशत है।

अब, सभा-पटल पर रखी गई राष्ट्रीय कृषि नीति में माननीय मंत्री ने 4 प्रतिशत की विकास दर परिकल्पित की है। मैं इस संबंध में सरकार द्वारा किए जाने वाले विशेष उपाय के बारे में जानना चाहता हूँ। प्रौद्योगिकी मिशन के बावजूद विकास में तेजी नहीं आई है। पिछले दो-तीन वर्षों में तिलहनों, दालों और कपास के उत्पादन में कमी हुई है।

मध्याह्न 12.00 बजे

उत्पादन में काफी उतार-चढ़ाव आए हैं। राष्ट्रीय कृषि नीति में परिकल्पित चार प्रतिशत विकास दर को आज करने के लिए क्या विशेष कदम उठाये जायेंगे?

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक पल्सेज, ऑयल सीड्स और कॉटन का सवाल है, कुछ इलाकों को छोड़कर यह ज्यादातर वर्षा पर आधारित खेती है और वहाँ मौसम का असर इन पर ज्यादा पड़ता है। इसलिए सरकार ने स्वीकार किया है कि इन चीजों में पिछले वर्षों में कुछ गिरावट आई है। लेकिन यह कहना कि जो टैक्नोलोजी मिशन पल्सेज और ऑयल सीड्स पर शुरू किया गया है उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, यह उचित नहीं होगा। इसका असर पड़ा है और इसका फायदा होगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

अन्तर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट की दरों में वृद्धि

*204. **श्री राम नायडू दग्गुबाटि** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नवम्बर, 2000 से अन्तर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट की दरों में वृद्धि की है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ई.एम.एस., पार्सल की दरों के निर्धारण हेतु क्या मानदण्ड नियत किए गए हैं?

संचार मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) डाक विभाग ने 1 नवम्बर, 2000 से त्वरित डाक सेवा (ईएमएस) मदों, जिसे प्रश्न में अंतर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट कहा गया है, पर डाक शुल्क दरों में संशोधन किया है।

(ख) अंतर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट दरों में संशोधन के निम्नलिखित कारण हैं:

(i) अंतर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट (ईएमएस) सेवा की डाक शुल्क दरों में 6 वर्ष के अंतराल के बाद संशोधन किया गया है। पिछली बार 1994 में इनमें संशोधन किया गया था। तबसे ईएमएस सेवा का प्रचालन करने की घरेलू लागत में काफी वृद्धि हुई है जिससे इसमें संशोधन की आवश्यकता हुई है।

(ii) भारत अन्य डाक प्रशासनों को, उन देशों में ईएमएस मदों के वितरण के लिए प्रभार का भुगतान करता है। इस प्रभार को असंतुलन प्रभार कहा जाता है और यह एसडीआर (विशेष आहरण अधिकार) में देय होता है। पिछले संशोधन के समय अधिकांश देश असंतुलन प्रभार के रूप में 4.9 एसडीआर वसूल कर रहे थे। तब से अनेक देशों में असंतुलन प्रभार की अपनी दर में संशोधन कर दिया है जो अनेक मामलों में 9 एसडीआर तक पहुँच गया है। इसलिए हमारे लिए ईएमएस दर संरचना में समान वृद्धि करना आवश्यक हो गया था।

(iii) भारत द्वारा अन्य डाक प्रशासनों को इसकी त्वरित डाक सेवा (ईएमएस) डाक के वितरण (असंतुलन प्रभार) के लिए किया गया भुगतान एसडीआर (विशेष आहरण अधिकार) में होता है। गत अवधि के दौरान रुपये की दृष्टि से एसडीआर के मूल्य में काफी परिवर्तन हुआ है। पिछले संशोधन के समय एसडीआर समानता की तुलना में रुपया 1 एसडीआर = 36.3616 रुपया था और अब वह 1 एसडीआर = 58.7532 रुपया है। अतः रुपये की तुलना में एसडीआर के मूल्य में परिवर्तन से भी त्वरित डाक सेवा (ईएमएस) की डाक शुल्क दरों में संशोधन की आवश्यकता हुई।

(iv) पूर्व दर संरचना को युक्तिसंगत बनाने की आवश्यकता थी। पूर्व दो स्तरीय दर संरचना भारत से दूरियों पर आधारित थी। इसमें से एक दर उन देशों के लिए थी जो 5000 कि.मी. के भीतर हैं तथा दूसरी दर उन देशों के लिए थी जो 5000 कि.मी. की दूरी पर या उससे अधिक की दूरी पर स्थित है। असंतुलन दरों में बाद में आए परिवर्तनों के कारण इसकी दर संरचना से प्रचालनों की वास्तविक लागत का बाद में पता नहीं चलता था। संशोधित दर संरचना से यह विसंगति दूर हो गई है और अब इसे वास्तविक लागत के आधार पर तैयार किया गया है।

(ग) त्वरित डाक सेवा (ईएमएस) और पार्सल दर निर्धारित करने का मानदंड इन सेवाओं का प्रचालन करने की लागत है। ईएमएस और पार्सल दरों का निर्धारण करने में लागत के घटक वस्तुओं का निपटान करने की घरेलू लागत, ढुलाई लागत और गंतव्य देश में वितरण के लिए देय प्रभार है। इनमें से किसी लागत में परिवर्तन से दरों में संशोधन की आवश्यकता होती है।

नौवीं योजना के दौरान 'मैंग्रोव' वनों का विकास

*205. **श्री त्रिलोचन कानूनगो** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'मैंग्रोव' वन किन-किन राज्यों में लगाए गए हैं;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान सरकार ने 'मैंग्रोव' वनों के विनाश का कोई आकलन किया है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नौवीं योजना के दौरान राज्यों, विशेषकर उड़ीसा में 'मैंग्रोव' वनों के विकास हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) भारत में मैनग्रोव वन पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, गोवा, महाराष्ट्र तथा गुजरात राज्यों तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा पांडिचेरी केन्द्र शासित प्रदेशों में हैं।

(ख) और (ग) वन स्थिति रिपोर्ट (1999) ने 1997-99 के दौरान देश में मैंग्रोव वनों में 44 वर्ग किलोमीटर की समग्र वृद्धि दर्ज की है। तथापि, इस अवधि के दौरान महाराष्ट्र में मैंग्रोव वनों में मामूली-सी कमी होने की रिपोर्ट मिली है। नौवीं योजना में मैंग्रोव की सुरक्षा, संरक्षण और पुनरुद्धान की एक थ्रस्ट क्षेत्र के रूप में पहचान की गई है। अब तक देश में मैंग्रोव के गहन संरक्षण और प्रबंधन के लिए 30 क्षेत्रों की पहचान की गई है। नौवीं योजना के दौरान, मैंग्रोव के संरक्षण के लिए प्रबंध कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु उड़ीसा सहित संबंधित तटीय राज्यों को 747.05 लाख रुपये रिलीज किये गये हैं। अक्तूबर, 1999 के विनाशकारी भयंकर समुद्री तूफान के कारण उड़ीसा के तटीय राज्यों में हुई क्षति का मूल्यांकन करने के लिए मंत्रालय ने नवम्बर, 1999 में एक कार्य बल गठित किया था। कार्य बल ने पाया कि समुद्री तूफान द्वारा मैंग्रोव वनस्पति को अधिक क्षति नहीं पहुँची है। तथापि, कार्यबल ने राज्य में 3000 हेक्टेयर क्षेत्र की पहचान की है जहाँ मैंग्रोव वनीकरण किया जा सकता है। 1999-2000 के दौरान भितरकनिका तथा महानदी मैंग्रोव संबंधी प्रबंध कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्य को 46.50 लाख रुपये की राशि रिलीज की गई थी। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उड़ीसा सरकार को राज्य के सुवर्णरेखा, धामरा तथा देवी मुहानों में मैंग्रोव संबंधी प्रबंध कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 55.75 लाख रुपये की राशि रिलीज की गई है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना

*206. **श्री शिवराज सिंह चौहान :**
श्री जयभान सिंह पवैया :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के कार्यान्वयन में घाटा हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार किसानों को राहत पहुँचाने के लिए राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के स्थान पर किसी अन्य प्रस्ताव पर विचार करने का है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम अब तक दो फसल मौसमों में क्रियान्वित की गई है और स्कीम के कार्यान्वयन के संबंध में केवल रबी 1999-2000 मौसम के परिणाम ही उपलब्ध हैं। क्रियान्वयन अभिकरण से रबी 1999-2000 मौसम के दौरान 524.27 लाख रुपये की प्रीमियम आय के मुकाबले 333.81 लाख रुपये के दावों की सूचना प्राप्त हुई है। देय दावों के मुकाबले अतिरेक आय हुई। तथापि, राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम के

कार्यान्वयन की यह छोटी अवधि स्कीम की वित्तीय व्यवहार्यता के आकलन के लिए पर्याप्त नहीं है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। तथापि, स्कीम के कार्यान्वयन से प्राप्त अनुभव के आधार पर इसमें सुधार किये जा सकते हैं।

गेहूँ की औसत पैदावार

*207. **श्री जोरा सिंह मानः**
श्री नवल किशोर रायः

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में गेहूँ की प्रति हेक्टेयर पैदावार 2.85 टन है जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में यह 2.8 टन है;

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार का आकलन क्या है;

(ग) क्या देश में प्रमुख गेहूँ उत्पादक क्षेत्रों के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी गेहूँ की प्रति हेक्टेयर पैदावार 2.7 टन है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ङ) देश में गेहूँ की अनुमानित औसत पैदावार कितनी है?

कृषि मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) और (ख) वर्ष 1999-2000 के लिए अग्रिम अनुमानों के अनुसार, खाद्य एवं कृषि संगठन वार्षिकी 1998 (खंड 52) के अनुसार भारत में गेहूँ की उपज दर संयुक्त राज्य अमरीका में 2.9 मी. टन प्रति हैक्टेयर के मुकाबले 2.7 मी. टन प्रति हैक्टेयर रहने की संभावना है।

(ग) से (ङ) पिछले चार वर्षों के दौरान गेहूँ की राज्य-वार उपज दरें, साथ ही अखिल भारतीय स्तर पर भी संलग्न विवरण में दर्शाई गई हैं। यह देखा जा सकता है कि विभिन्न राज्यों की उपज दरें भिन्न-भिन्न हैं।

विवरण

वर्ष 1996-97 से 1999-2000 के दौरान गेहूं उत्पादक प्रमुख राज्यों में उपज दरें

उपज : कि.ग्रा./हैक्टेयर

राज्य	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000*
असम	1332	1300	1010	1012
बिहार	2183	2337	1992	2061
गुजरात	2299	2373	2427	1923
हरियाणा	3880	3660	3916	4167
हिमाचल प्रदेश	1487	1700	1700	1266
जम्मू और कश्मीर	1671	1620	1530	1515
कर्नाटक	171	473	819	688
मध्य प्रदेश	1801	1573	1794	1823
महाराष्ट्र	1460	898	1289	1227
पंजाब	+4234	+3853	+4332	+4697
राजस्थान	2741	2501	2487	2540
उत्तर प्रदेश	2668	2495	2510	2660
पश्चिम बंगाल	2390	2206	2117	2187
अखिल भारत	2679	2485	2583	2707

टिप्पण : + से चिह्नित आँकड़े अधिकतम उपज और रेखांकित आँकड़े निम्नतम उपज को दर्शाते हैं।

*29.6.2000 की स्थिति के अनुसार आकलन

[अनुवाद]

"भारतीय वन्यजीव संस्थान का पुनर्गठन"

*208. **श्री के.पी. सिंह देवः**
श्री सुरेश रामराव जाधवः

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यू.आई.आई.) का पुनर्गठन करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) संस्थान को और अधिक परिणामोन्मुखी बनाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) देश के जैविक संसाधनों को सूचीबद्ध करने और अंतर्राष्ट्रीय अवैध शिकार से बचाने हेतु संस्थान ने क्या कदम उठाए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ख) सरकार के विचारार्थ भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून को पुनर्गठित करने की दृष्टि से कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, मंत्रालय में भारतीय वन्यजीव संस्थान के कार्यों की समीक्षा करने और देश में वन्यजीव प्रबंधन के उन्नयन में संस्थान की भूमिका में वृद्धि करने हेतु रणनीति का सुझाव देने के लिए डॉ. विप्लव दास गुप्ता (संसद सदस्य) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। समिति ने अपनी रिपोर्ट मंत्रालय को 31 जनवरी, 2000 को भेज दी है। समिति की मुख्य सिफारिश यह है कि

संस्थान को अपने वन्यजीव संबंधी मुद्दों से संबंधित मुख्य कार्य अर्थात् अनुसंधान, प्रशिक्षण और शिक्षा के क्षेत्रों में उत्कृष्टता का विकास करने पर अधिक ध्यान दिया जाए।

(ग) मंत्रालय द्वारा भारतीय वन्यजीव संस्थान को और अधिक परिणामोन्मुख बनाने की दृष्टि से किए गए उपायों में संकाय को सुदृढ़ बनाना, संवर्द्धित कार्य स्थल प्रदान करना और प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं में भाग लेकर संकाय के सदस्यों के तकनीकी कौशल में और वृद्धि करना शामिल है।

(घ) प्राणिजात और वनस्पतिजात के लिए क्रमशः भारतीय सर्वेक्षण और भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण द्वारा देश के जैव संसाधनों की सूची तैयार की जा रही है। भारतीय वन्य जीव संस्थान द्वारा प्रशिक्षण कार्यशालाओं के अध्ययन से सीमाशुल्क विभाग के अधिकारियों और विभिन्न अर्द्ध-सैनिक बलों को संग्राही बनाकर देश के जैव संसाधनों की अंतर्राष्ट्रीय अवैध शिकार अर्थात् देश के बाहर तस्करी से सुरक्षा करने में सहायता की जाती है। वे वन्यजीव न्यायिक विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन में वन विभाग के क्षेत्रीय संघटनाओं के कौशल में और वृद्धि करके उक्त उद्देश्य में योगदान भी दे रहे हैं।

[हिन्दी]

शीतागारों का निर्माण

***209. डॉ. मदन प्रसाद जायसवालः**
श्री मानसिंह पटेलः

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में आज की स्थिति के अनुसार राज्य-वार, कितने शीतागार स्थापित किए गए हैं;

(ख) क्या शीतागारों की वर्तमान भण्डारण क्षमता अपर्याप्त है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार देश के प्रत्येक ब्लाक में शीतागार स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हाँ, तो नए शीतागारों के निर्माण हेतु रियायती व आसान ऋण और अनुदान उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

कृषि मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) देश में 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार शीतागारों की कुल संख्या 3886 है। इनका राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) बाधाओं को अभिज्ञात करने तथा सुधारात्मक उपायों से संबंधित सुझाव देने के लिए भारत सरकार द्वारा गठित उच्चाधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति ने देश में नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शीतागारों की 12 लाख मीटरी टन क्षमता के सृजन/विस्तार तथा 8 लाख मीटरी टन क्षमता के पुनरुद्धार/आधुनिकीकरण के अलावा 4.5 लाख मीटरी टन प्याज भंडारण क्षमता अभिज्ञात की है। विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों एवं इस संबंध में हुए और विचार-विमर्श के उपरांत सरकार ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 175.00 करोड़ रुपये के परिव्यय से 1999-2002 के दौरान कार्यान्वयन हेतु बागवानी उत्पादों के लिए शीतागारों एवं भंडारण के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण हेतु पूँजी निवेश राजसहायता प्रदान करने के लिए एक स्कीम को मंजूरी दी है। इस स्कीम में प्रति परियोजना अधिकतम 50.00 लाख रुपये की शर्त पर परियोजना लागत की 25% पूँजी निवेश राजसहायता देने का प्रावधान है। उत्तर-पूर्वी राज्यों के मामले में, प्रति परियोजना अधिकतम 60.00 लाख रुपये की शर्त पर 33.33% की दर से राजसहायता देने का प्रावधान है। यह स्कीम कृषि मंत्रालय के स्वायत्त संगठन राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। इस स्कीम में देश के किसी भी भौगोलिक स्थल अथवा प्रशासनिक इकाई में सरकार द्वारा स्वयं कोई शीतागार स्थापित करने की परिकल्पना नहीं है।

विवरण

देश में 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार शीतागारों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	शीतागारों की संख्या
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	02
आन्ध्र प्रदेश	168
अरूणाचल प्रदेश	00
असम	19
बिहार	195
चंडीगढ़ (सं.क्षे.)	07
दिल्ली	95
गुजरात	252
गोवा	23
हरियाणा	201
हिमाचल प्रदेश	16
जम्मू व कश्मीर	15
केरल	148
कर्नाटक	102
लक्षद्वीप (सं.क्षे.)	01
महाराष्ट्र	341
मध्य प्रदेश	174
मणिपुर	00

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	शीतागारों की संख्या
मेघालय	00
मिजोरम	00
नागालैंड	01
उड़ीसा	71
पांडिचेरी (सं.क्षे.)	05
पंजाब	390
राजस्थान	74
सिक्किम	00
तमिलनाडु	93
त्रिपुरा	04
उत्तर प्रदेश	1129
पश्चिम बंगाल	360
कुल	3886

[अनुवाद]

माइग्रेशन पैकेज

*210. **श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सेल्युलर मोबाइल सेवाओं के विकास हेतु 'माइग्रेशन पैकेज' दिए थे;

(ख) यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम निकला; और

(ग) इस कारण सरकार को कुल कितना घाटा हुआ?

संचार मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी, हाँ।

(ख) सेल्यूलर आपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इण्डिया (सीओएआई) ने सूचित किया है कि माइग्रेशन के पश्चात् सेल्यूलर उपभोक्ताओं की संख्या 31.7.1999 की स्थिति के अनुसार लगभग 12.03 लाख से बढ़कर, 31.10.2000 की स्थिति के अनुसार लगभग 27.89 लाख हो गयी है। इस प्रकार उपभोक्ताओं की संख्या में लगभग 131 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

(ग) राजस्व हिस्सेदारी की नई दूरसंचार नीति-1999 (एनटीपी-99) व्यवस्था में माइग्रेशन के लिए मौजूदा लाइसेंसधारकों को पेश किये गये माइग्रेशन पैकेज की शर्तों में लाइसेंस शुल्क की बकाया राशि में इस प्रकार की कोई कमी नहीं की गई है। अनुमति इत्यादि प्रदान करने में हुए विलम्ब, जिससे कई मुकदमें दायर हो गये थे, को ध्यान में रखते हुए प्रभावी तिथि की छः महीने तक की 'एक्रॉस द बोर्ड' बढ़ोत्तरी (इस शर्त पर कि पूर्व में दी गई कोई बढ़ोत्तरी उसमें समायोजित कर ली गई) की केवल एकमात्र रियायत दी गई है। इस कारण लाइसेंस शुल्क में लगभग 1443.58 करोड़ रुपये की कमी का अनुमान लगाया गया था। तथापि, प्रभावी तिथि की बढ़ोत्तरी की रियायत महानगरीय सेल्यूलर आपरेटरों को नहीं दी गई थी क्योंकि वे अपेक्षाकृत अनुकूल स्थिति में थे। यह प्रत्याशा की जाती है कि नीति में हुए इस परिवर्तन से इस क्षेत्र की परिणामी प्रगति, जिससे राजस्व धारा बढ़ेगी, राजस्व हिस्सेदारी व्यवस्था के अंतर्गत लाइसेंसशुल्क की बेहतर वसूली का कारगर मार्ग प्रशस्त करेगी।

"गंगा और यमुना नदियों के आस-पास वातावरण में सुधार"

*211. **श्री साहिब सिंह:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का गंगा और यमुना नदियों के आस-पास के पर्यावरण की स्थिति में सुधार लाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकारी और अर्द्ध-सरकारी विभाग तथा गैर-सरकारी संगठन, इन नदियों के भीतर तथा इनके आस-पास के पर्यावरण में सुधार लाने के कार्य में लगे हुए हैं;

(ग) यदि हाँ, तो क्या इस संबंध में कोई अध्ययन कराया गया है;

(घ) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) इन नदियों के आसपास, विशेषकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के आस-पास के पर्यावरण में किए गए सुधारों तथा कार्यों के क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर.बालू) : (क) से (ङ) जी, हाँ। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए सर्वेक्षण के आधार पर देश की अन्य मुख्य नदियों के साथ ही गंगा और यमुना नदियों को प्रदूषित पाया गया है। इन नदियों के प्रदूषण निवारण की समस्या से निपटने के लिए यमुना प्रदूषण निवारण की एक स्कीम, जो यमुना कार्य योजना के नाम से जानी जाती है, को सरकार द्वारा अप्रैल, 1993 में अनुमोदित किया गया था। कार्य योजना की मौजूदा अनुमोदित लागत 509.54 करोड़ रुपये है। इस योजना के अंतर्गत 21 शहरों में कार्य शुरू किया गया है जिसमें दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश के 8 शहर और हरियाणा के 12 शहर शामिल हैं। योजना में सीवेज का अवरोधन एवं दिशापरिवर्तन, सीवेज शोधन संयंत्र, अल्प लागत शौचालय, शवदाहगृह और नदी तटाग्र विकास जैसे कार्य शामिल हैं। इस योजना पर अभी तक 446.04 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। यमुना कार्य योजना का दिल्ली घटक छोटा है जिसमें 10 मि.ली. प्रतिदिन क्षमता वाले दो सीवेज शोधन संयंत्र और एक विद्युत शवदाहगृह के कार्य शामिल हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार यमुना के प्रदूषण निवारण कार्यक्रम के मुख्य भाग का कार्यान्वयन अपनी निजी योजना निधियों से कर रही है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत इससे जुड़े कार्यों के साथ 14 अतिरिक्त सीवेज शोधन संयंत्रों का निर्माण किया जाना है। इनमें से 9 शोधन संयंत्र पहले ही पूरे हो चुके हैं

और अन्य 5 मार्च, 2003 तक पूरे हो जाएँगे। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार को 21 औद्योगिक क्षेत्रों से होने वाले औद्योगिक बहिस्राव के शोधन के लिए 15 सामूहिक बहिस्राव शोधन संयंत्रों का भी निर्माण करता है। इस परियोजना का कार्यान्वयन चल रहा है और यह दिसम्बर, 2002 तक पूरी हो जाएगी। इसके अतिरिक्त गंगा कार्य योजना के पहले चरण के अंतर्गत लगभग 455 करोड़ रुपये की लागत की एक गंगा प्रदूषण निवारण की स्कीम उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्य के 25 शहरों में पूरी की गई है। गंगा कार्य योजना के दूसरे चरण को भी इन शहरों के साथ ही साथ गंगा और इसकी प्रमुख सहायक नदियों के किनारे स्थित शहरों में शुरू किया गया है। इन कार्यों की अनुमानित लागत 733 करोड़ रुपये है। अब तक इस पर 41 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। गंगा कार्य योजना के दूसरे चरण का 2005 तक पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सरकारी, अर्द्ध-सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों को शामिल किया गया है।

"वन्य जीव विधेयक"

*212. **श्री आर.एस. पाटिल :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का वन्य जीवों की तेजी से घटती संख्या के मद्देनजर, उनके संरक्षण के उद्देश्य से, एक व्यापक वन्य जीव विधेयक सहित अन्य कदम उठाने का विचार है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ख) राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के प्रबंधन, चिड़ियाघरों के प्रबंधन तथा वन्यजीवों के शिकार और उनके अवैध व्यापार को रोकने के लिए वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के मौजूदा प्रावधान काफी व्यापक और प्रभावशाली हैं। तथापि, अधिनियम के प्रावधानों को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए एक प्रस्ताव मंत्रालय द्वारा नियुक्त एक समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर तैयार किया गया है। ये सिफारिशें मुख्यतया निम्नलिखित से संबंधित हैं:

(i) वन्यजीव संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन में स्थानीय समुदायों को शामिल करना और उन वन भोगाधिकारों का उपयोग करना जो स्थानीय समुदायों को स्पष्टतः उपलब्ध वन्यजीवों के आश्रय स्थलों के प्रबंधन की प्रक्रिया में उपलब्ध हैं।

(ii) "कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पीसिज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फाउना" (साइट्स) के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करना और कन्वेंशन के अंतर्गत शामिल इन प्रजातियों को रखने और उनके व्यापार को विनियमित करना।

(iii) अधिनियम की दण्ड संबंधी धाराओं को और अधिक कठोर और प्रभावी बनाना।

(iv) भारतीय वन्य जीव बोर्ड को एक सांविधिक निकाय बनाना।

"बाघिन की चमड़ी उतारा जाना"

*213. **श्रीमती श्यामा सिंह:**
श्री एन. जनार्दन रेड्डी:

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 18 अक्तूबर, 2000 के 'द पायोनियर' में 'रिसर्च प्रोजेक्ट हेम्पर्ड बाई किलिंग' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित कराया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या हाल ही में नेहरू जूलोजिकल पार्क में एक बाघिन की चमड़ी उतारने की घटना के कारण प्रजातियों के संरक्षण हेतु केन्द्र सरकार के सेल्यूलर और मौलीक्यूलर बायोलॉजी अनुसंधान के प्रयासों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने का है कि प्रजातियों की हत्या के कारण वैज्ञानिक परीक्षणों में बाधा न पहुँचे; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) जी, हाँ।

(ख) से (घ) जी, नहीं। आन्ध्र प्रदेश वन विभाग अपनी प्रजाति संरक्षण परियोजना के अंतर्गत सेल्यूलर और मौलीक्यूलर बायोलॉजी केन्द्र, हैदराबाद को पूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है।

बारानी भूमि की उत्पादकता

*214. **श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:**
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने खाद्य और चारे की बढ़ती आवश्यकताओं की पूर्ति के मद्देनजर, बारानी भूमि की उत्पादकता को उसके वर्तमान स्तर, 0.8 टन प्रति हेक्टेयर से और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो वर्षा पर आश्रित क्षेत्रों के लिए बनाई जाने वाली अनुसंधान-कार्यनीतियों को, पंचायती-राज संस्थानों की प्रभावी भागीदारी हेतु एक संस्थागत ढांचे सहित समुचित सरकारी नीतिगत पहल के साथ समर्थन दिए जाने की आवश्यकता है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) और (ख) जी, हाँ।

(ग) भारत सरकार शुष्क भूमि की उत्पादकता के सुधार को उच्च प्राथमिकता देती है। कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा बहुत-सी केंद्रीय प्रायोजित स्कीमें क्रियान्वित की जा रही हैं, जिनमें शुष्क भूमि क्षेत्रों की उत्पादकता बढ़ाने पर बल दिया गया है। ये केंद्रीय प्रायोजित स्कीमें राज्य सरकारों के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही हैं। राज्य सरकारें इन स्कीमों को स्वयं या पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से क्रियान्वित कर रही हैं। क्रियान्वित की जा रही प्रमुख केंद्रीय प्रायोजित स्कीमें निम्नवत हैं:

(क) पनधारा आधारित स्कीमें

1. वर्षासिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना
2. नदी घाटी परियोजनाओं तथा बाढ़ प्रवण नदियों के जल संग्रहण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण
3. झूम खेती वाले क्षेत्रों में पनधारा विकास

(ख) फसल प्रणाली-आधारित कार्यक्रम

1. तिलहन उत्पादन कार्यक्रम
2. राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना
3. त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम
4. मोटे अनाजों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम
5. गहन कपास विकास कार्यक्रम
6. चावल आधारित फसल प्रणाली वाले क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम
7. गेहूँ आधारित फसल प्रणाली वाले क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम

(ग) शुष्क भूमि बागवानी

1. समेकित फल विकास
2. प्लास्टी कल्चर हस्तक्षेप के माध्यम से बागवानी विकास

"पशु कल्याण बोर्ड की शक्तियाँ"

*215. **श्री चन्द्रकांत खैरे:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में पशुओं के साथ क्रूरता बरतने के मामलों में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस पर अंकुश लगाने के लिए पशु कल्याण बोर्ड के पास शक्ति नहीं है;

(ग) क्या सरकार का इस बोर्ड को और अधिक शक्तियाँ प्रदान करने का विचार है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) हाल ही के वर्षों के दौरान देश में पशुओं के प्रति क्रूरता बरतने के मामलों में वृद्धि हुई है।

(ख) जानवरों के प्रति क्रूरता अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुसार इस अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध के दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने की शक्तियाँ मुख्य रूप से पुलिस अधिकारियों के पास हैं। जानवरों के प्रति क्रूरता निवारण समितियों और राज्य सरकारों द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों को इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं।

(ग) और (घ) जी, हाँ। वर्तमान अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का संशोधन करने तथा जानवरों के प्रति क्रूरता बरतने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध प्रभावशाली कदम उठाने हेतु बोर्ड को शक्ति सम्पन्न बनाने हेतु इस अधिनियम में नए प्रावधान करने के लिए सरकार का प्रस्ताव है।

ओलंपिक के लिए तैयारियाँ

*216. **श्री राशिद अलवी:** क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सिडनी ओलंपिक के विभिन्न खेलों के लिए काफी अनुदान उपलब्ध कराये गए थे;

(ख) यदि हाँ, तो इसके पूर्ववर्ती ओलंपिक खेलों के बाद से हुए कुल व्यय का खेल-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार प्रत्येक खेल प्रतियोगिता में उपलब्ध परिणामों से संतुष्ट है और यदि हाँ, तो प्रत्येक खेल में भारत की उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या अगले ओलंपिक खेलों के लिए सरकार ने कोई सुधारात्मक कार्य योजना बनाई है और तैयारियाँ शुरू की हैं; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (कुमारी उमा भारती) : (क) जी, हाँ।

(ख) जिन खेल-विधाओं में भारत ने भाग लिया, उन पर पिछले ओलंपिक्स में हुए व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) सिडनी ओलंपिक खेलों में पदक जीतने के मामले में भारतीय दल का प्रदर्शन निराशाजनक था। तथापि, अटलांटा ओलंपिक में किए गए पिछले प्रदर्शन की तुलना में, अनेक खेल विधाओं में भारत के प्रदर्शन में सुधार हुआ है जैसा कि नीचे दिया गया है:

भारोत्तोलन : सुश्री के. मल्लेश्वरी ने कांस्य पदक जीता सुश्री सनमाचा चानू ने अन्य भारोत्तोलकों के साथ चौथी स्थिति प्राप्त की यद्यपि अपने शरीर के भार के कारण वह समग्र रूप से छठे स्थान पर रहीं।

मुक्केबाजी : श्री गुरचरण सिंह ने 5वाँ स्थान प्राप्त किया।

जूडो : सुश्री बृजेश्वरी देवी ने 9वाँ स्थान प्राप्त किया।

हाकी टीम ने 7वाँ स्थान प्राप्त किया।

निशानेबाजी : सुश्री अंजली वेद पाठक और श्री अभिनव बिंद्रा ने क्रमशः 8वाँ और 11वाँ स्थान प्राप्त किया।

एथलेटिक्स : सुश्री के.एम. बीनामोल 400 मीटर में सेमी फाइनल में पहुँची।

(घ) और (ङ) खेलों का संवर्धन व विकास एक सतत प्रक्रिया है और भारत सरकार भारतीय खेल प्राधिकरण, भारतीय ओलंपिक संघ तथा राष्ट्रीय खेल परिसंघों के परामर्श से निम्नलिखित सुधारात्मक कदम उठा रही है:

1. विस्तृत आधार प्रदान करना—विशेषतः प्रतियोगी खेलों के लिए।
2. उन्नत अवस्थापना—राष्ट्रीय टीमों के लिए।
3. हमारे प्रशिक्षण समुदाय के ज्ञान को सुधारना।
4. हमारे खेल वैज्ञानिकों के व्यावहारिक ज्ञान को सुधारना ताकि उन्हें खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार करने के लिए प्रशिक्षकों के साथ योगदान देने योग्य बनाया जा सके।
5. खेल परिसंघों के प्रबंधन में सुधरी हुई कार्य-प्रणाली और व्यावसायिकता।
6. खेल अवस्थापना के विकास में राज्यों की अधिक भागीदारी तथा खिलाड़ियों को उन्नत प्रशिक्षण।
7. वैयक्तिक/विशिष्ट खेल-विधाओं को अपनाने और प्रायोजित करने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी।
8. खेल गतिविधियों में अधिक भागीदारी के लिए जन सामान्य में जागरूकता पैदा करना।

विवरण

क्र. सं.	खेल विधा	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-2001 (1.12.2000 को)
1.	एथलेटिक्स	923005	2335164	2912864	5427204	2973615
2.	बैडमिंटन	520930	2525271	2680516	8306182	4287012
3.	मुक्केबाजी	1198690	2433564	3853350	273043	5550338
4.	घुड़सवारी	894390	135222	1490705	1018820	883772
5.	हाकी (पुरुष)	2315087	6264181	2823668	11261379	5994946
6.	जूडो	2628624	3867264	2274444	3401551	1098682
7.	रोइंग	327540	0	1370247	299790	4414337
8.	निशानेबाजी	5592688	8052807	8451156	17301963	12586362
9.	तैराकी	1694478	303144	826304	1852308	3026945
10.	टेबल टेनिस	1279629	811559	2170056	3573030	4142482
11.	टेनिस	0	396882	1115210	413126	523647
12.	भारोत्तोलन	1169624	2933481	1095437	839637	2048833
13.	कुश्ती	2589435	3393794	6264095	5580280	5746290
14.	प्रशिक्षण शिविर	20000000	3780000	17767700	23100000	27753000
15.	विदेशी प्रशिक्षक	8541214	7274000	10903313	5000000	10000000
16.	उपस्कर	18123000	28283369	7794018	20000000	00

तटीय विनियमन जोन में संशोधन

***217. श्री सुशील कुमार शिंदे:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तटीय विनियमन जोन (सी.आर.जेड.) जिसमें मत्स्य पालन भी शामिल है, से संबंधित 19 फरवरी, 1991 की अधिसूचना को संशोधित करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह प्रस्ताव सरकार के पास कब से लंबित है; और

(ग) इसे स्वीकार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) से (ग) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत दिनांक 19 फरवरी, 1991 को जारी तटीय विनियमन जोन (सी.आर.जैड.) अधिसूचना समुद्रों के तटीय बढ़ाव, मुहानों, खाड़ियों, नदियों तथा बैकवाटर जो हाई टाइड लाइन (एच.टी.एल.) से 500 मीटर तक ज्वार प्रतिक्रियाओं से प्रभावित होते हैं तथा लो टाइड लाइन (एल.टी.एल.) और हाई टाइड लाइन (एच.टी.एल.) के बीच की भूमि को तटीय विनियमन क्षेत्र घोषित करती है तथा उद्योगों, संचालन आदि के गठन एवं विस्तार पर प्रतिबंध

लगाती है। इस संबंध में बनाये गये जलकृषि प्राधिकरण विधेयक, 2000 में यह स्पष्ट करने की व्यवस्था है कि जलकृषि उक्त अधिसूचना के अर्थ में वर्जित क्रियाकलाप नहीं है। यह विधेयक राज्य सभा में 28 फरवरी, 2000 को प्रस्तुत किया गया था।

विदेश संचार निगम लिमिटेड के राजस्व में गिरावट

*218. **श्री शंकर सिंह वाघेला:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेश संचार निगम लिमिटेड के राजस्व में गिरावट आई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संचार मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) से (ग) वी.एस.एन.एल. का राजस्व उत्तरोत्तर रूप से बढ़ गया है जैसा कि निम्नलिखित आँकड़ों से स्पष्ट है :

वर्ष	राजस्व रुपयों में (मिलियन)
1997-1998	64,361
1998-1999	71,756
1999-2000	72,305

तथापि, राजस्व में वृद्धि, टेलीफोन ट्रैफिक की तादाद में वृद्धि के अनुपात में नहीं है क्योंकि इस संबंध में विश्व के रूझान के अनुरूप होने वाले अंतर्राष्ट्रीय काल प्रभारों में पर्याप्त कमी हुई है। इस रूझान और अंतर्राष्ट्रीय वॉएस ट्रैफिक में प्रतिस्पर्द्धा की प्रत्याशित शुरूआत के कारण, वीएसएनएल दूरसंचार के अन्य क्षेत्रों में पथान्तरित होने का प्रस्ताव कर रहा है और अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न करने के लिए वह इंटरनेट उपभोक्ताओं के मार्किट शेयर को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है।

[हिन्दी]

डेयरी विकास प्रौद्योगिकी मिशन

*219. **श्री रामचन्द्र बैंदा:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) डेयरी विकास प्रौद्योगिकी मिशन के अंतर्गत डेयरी विकास और पशुपालन के लिए कृषकों और डेयरी मालिकों को उपलब्ध कराई गई सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त मिशन के अंतर्गत वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान (आज की तारीख तक) कितनी नई योजनाएँ और कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं;

(ग) 31 अक्तूबर, 2000 की स्थिति के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत प्रत्येक राज्य को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है और उनसे क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं; और

(घ) उक्त मिशन के अंतर्गत अगले दो वर्षों में, प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि आबंटित किए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क) डेयरी विकास संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन के तहत किसानों और डेयरी स्वामियों को सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित गतिविधियाँ शुरू की गई थीं:

(1) *संचालनात्मक सम्पर्क कार्यक्रम*—स्वास्थ्य देखभाल प्रजनन सेवाएँ और पशुपालन विस्तार जैसी लागत प्रभावी पशुपालन सेवाएँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से और उपलब्ध संसाधनों को इष्टतम बनाने के लिए डेयरी सहकारिता समितियाँ तथा राज्य सरकारों तथा अन्य एजेंसियों के पास उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं के बीच संचालनात्मक सम्पर्क शुरू किया गया था।

(2) *हिमित वीर्य केन्द्रों को सुदृढ़ करना*—कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रमों के लिए वीर्य की भावी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए हिमित वीर्य उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से सरकारी क्षेत्र और गैर-सरकारी संगठनों में चुनिन्दा हिमित वीर्य केन्द्रों को सुदृढ़ किया गया है।

(3) *तरल नाइट्रोजन डिलीवरी प्रणाली*—कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम के लिए तरल नाइट्रोजन को सस्ती दर पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से गुजरात और कर्नाटक में तरल नाइट्रोजन डिलीवरी प्रणाली स्थापित की गई है।

(4) *चारा बीज उत्पादन कार्यक्रम*—मिशन ने डेयरी किसानों को उचित मूल्य पर उच्च गुणवत्ता वाले चारा बीज उपलब्ध कराने में मदद की है।

(ख) डेयरी विकास संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन का कार्यकाल मार्च 1999 में समाप्त हो गया। तथापि, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, जो मिशन के लिए क्रियान्वयन एजेंसी था, को चल रही और अधूरी गतिविधियों को वर्ष 1999-2000 के दौरान पूरा करने की अनुमति दी गई थी। अतः वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान कोई नई योजनाएँ और कार्यक्रम शुरू नहीं किए गए थे।

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान डेयरी विकास संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन कार्यक्रम के तहत उपलब्ध कराई गई राज्यवार सहायता संलग्न विवरण में दी गई है। मिशन द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से निम्नलिखित परिणाम निकले हैं:

(1) पशु स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराने के लिए 5974 डेयरी सहकारिताओं और कृत्रिम गर्भाधान, टीकाकरण आदि के लिए 2079 डेयरी सहकारिता समिति की अतिरिक्त कवरेज।

(2) जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों ने डेयरी और पशुपालन विकास के लिए तथा बुनियादी सुविधाओं के सृजन के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने और मौजूदा दुग्ध मार्गों में दुधारू पशुओं के वितरण के लिए ध्यान देना शुरू कर दिया है।

(3) हिमित वीर्य का उ ादन प्रतिवर्ष 108 लाख खुराक से बढ़कर 241 लाख खुराक हो गया।

(4) कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम के लिए तरल नाइट्रोजन की थोक खरीद भंडारण और डिलीवरी के लिए मॉडर्न प्रणाली की स्थापना।

(5) राज्य पशुपालन विभागों के 380 अतिरिक्त अधिकारियों और 29 जिला मजिस्ट्रेटों/कलक्टरों का अभिमुखीकरण।

(6) 9538 मी. टन अतिरिक्त उच्च गुणवत्ता वाले चारा बीज का उत्पादन।

(घ) चूँकि डेयरी विकास संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन का कार्यकाल समाप्त हो गया है, अतः अगले 2 वर्षों में किसी भी राज्य को कोई राशि आबंटन करने का प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

डेयरी विकास संबंधी प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार वित्तीय सहायता

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	वर्ष		
		1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	55.01	31.78	27.29
2.	बिहार	36.89	149.21	5.56
3.	गोवा	0.00	0.00	13.76
4.	गुजरात	78.10	119.01	72.48
5.	हरियाणा	2.05	0.41	0.00
6.	हिमाचल प्रदेश	4.18	0.00	0.00
7.	कर्नाटक	138.41	22.11	38.68
8.	केरल	0.02	1.72	2.71
9.	मध्य प्रदेश	11.73	13.41	38.89
10.	महाराष्ट्र	0.00	0.69	33.55
11.	उड़ीसा	16.16	57.99	7.93
12.	पॉडिचेरी	0.00	0.00	0.00
13.	पंजाब	0.00	30.76	11.13
14.	राजस्थान	0.09	9.04	10.14
15.	तमिलनाडु	0.00	2.50	0.01
16.	उत्तर प्रदेश	58.75	34.83	20.86
17.	पश्चिम बंगाल	0.00	4.33	5.96

[अनुवाद]

खनिज भंडारों का सर्वेक्षण

*220. **श्री नागमणि:** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में खनिज निक्षेपों, विशेषकर लौह-अयस्क, बॉक्साइट, अभ्रम, तांबा, सोना, चाँदी और अन्य उपयोगी धातुओं एवं खनिजों के संबंध में कोई प्रणालीबद्ध और वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समय प्रत्येक राज्य में, विशेषकर झारखंड में कितने खनिज निक्षेप हैं और उनके उत्पादन, माँग तथा आपूर्ति के संबंध में राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) भारत में खनिजों के उत्पादन को बढ़ाने तथा उनके संरक्षण के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं?

खान मंत्री (श्री सुंदर लाल पटवा) : (क) से (ग) खनिजों का सर्वेक्षण एक सतत प्रक्रिया है। इसमें गड्ढे, खाई खोदकर तथा अंत में, वेधन की मार्फत, हवाई-भूभौतिकीय और दूरस्थ संवेदी आँकड़ों, जमीनी भूभौतिकीय सर्वेक्षणों, भूरासायनिक पूर्वेक्षण तथा उपसतही गवेषण के व्याख्यात्मक विश्लेषण की मदद से किए गए वृहद पैमाने पर तथा विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्रण शामिल हैं। सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप, खनिज बहुल राज्यों में कोयले के अलावा, लौह अयस्क, बॉक्साइट, तांबा, सोना तथा चाँदी अयस्कों के संबंध में महत्वपूर्ण खनिजों के सत्यापित भंडार संलग्न विवरण-I में दर्शाए गए हैं। वर्ष 1999-2000 के दौरान, विभिन्न खनिजों के उत्पादन की स्थिति संलग्न विवरण-II में दी गई है। झारखंड सहित नये राज्यों में खनिजों के सत्यापित निक्षेपों तथा उत्पादन के आँकड़ों को अलग करने का कार्य जारी है।

खनिजों की माँग और आपूर्ति संबंधी परिदर्शनाएँ, पंचवर्षीय योजना कार्यक्रमों के भाग के रूप में की जाती हैं। ऐसी परिदर्शनाओं में सभी खनिज की आवश्यकताओं तथा उनकी उपलब्धता के बारे में पृथक्-पृथक् सूचनाएँ शामिल नहीं होती हैं।

(घ) सरकार ने खानों तथा खनिज क्षेत्र के विकास के लिए दीर्घकालीन उपाय किये हैं। गैर-ईंधन क्षेत्र के लिए, वर्ष 1993 में, राष्ट्रीय खनिज नीति तैयार की गई थी। खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 को वर्ष 1994 में संशोधित किया गया तथा खनन क्षेत्र को अधिक निवेशक अनुकूल तथा प्रगतिशील बनाने के लिए इसे हाल ही में, दिसंबर, 1999 में पुनः संशोधित किया गया है। सरकार ने खनिजों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए खनिज संरक्षण तथा विकास नियमावली, 1988 भी तैयार की है। हाल ही के संशोधनों ने, विश्वव्यापी व्यवहार के अनुरूप, टोही प्रचालनों के चरण को शामिल करने, प्रक्रियागत विलंब को कम करने, खनन पट्टे देने, उनके नवीकरण तथा स्थानांतरण के लिए राज्य सरकारों को अधिक शक्तियाँ प्रत्यायोजित करने, अवैध खनन आदि को रोकने तथा उसके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए राज्यों को शक्तियाँ प्रदान की हैं।

विवरण-I

प्रमाणित निक्षेप

विभिन्न राज्यों में महत्वपूर्ण खनिजों के प्रमाणित निक्षेपों का विवरण

राज्य	लौह अयस्क हेमाटाइट मेगनेटाइट (एम.एम.टी.)	बाक्साइट (हजार टन)	तांबा अयस्क (हजार टन)	स्वर्ण अयस्क (टन)	चाँदी अयस्क (टन)	कोयला (एम.टी.)
आंध्र प्रदेश		169848	338	438446	1161750	6624.83
बिहार*	18.25	15398	46584	7200		33532.00
गोवा	404+64	33935				
गुजरात		43685	2225			
कर्नाटक	665+1427	1801	963	3270984	2283276	
केरल				462280		
मध्य प्रदेश*	771	52132	91498			10762.37
महाराष्ट्र	88	62267				3633.30
उड़ीसा	1349	380961			1274150	7097.88
राजस्थान			22275		74369900	
पश्चिम बंगाल						10127.19

* अविभाजित

प्रमाणित निक्षेपों का खनन, पर्यावरण के दृष्टिकोण से मंजूरी और यदि ऐसा क्षेत्र वन-क्षेत्र के भीतर आता है तो उसका भी विचार करने आदि जैसे अन्य कारकों के अलावा भूमि की उपलब्धता की शर्त के अधीन होता है।

विवरण-II

खनिज उत्पादन 1999-2000 (राज्यों द्वारा)

खनिज/राज्य	इकाई	1999-2000 मात्रा
1	2	3
तांबा सान्द्र		
बिहार*	टन	12640
मध्य प्रदेश*	टन	74172
राजस्थान	टन	77569
सिक्किम	टन	620
उप जोड़		165001
स्वर्ण		
आंध्र प्रदेश	कि.ग्रा.	177
बिहार	कि.ग्रा.	433
कर्नाटक	कि.ग्रा.	1832
उप जोड़		2442
चूना पत्थर		
आंध्र प्रदेश	हजार टन	23360
असम	हजार टन	402

1	2	3
बिहार*	हजार टन	1140
गुजरात	हजार टन	12870
हिमाचल प्रदेश	हजार टन	6227
जम्मू एवं कश्मीर	हजार टन	66
कर्नाटक	हजार टन	9823
केरल	हजार टन	447
मध्य प्रदेश*	हजार टन	34420
महाराष्ट्र	हजार टन	6569
मेघालय	हजार टन	279
[illegible]	हजार टन	1814
[illegible]	हजार टन	20280
तमिलनाडु	हजार टन	10191
उप जोड़		127891
मैंगनीज अयस्क		
आंध्र प्रदेश	टन	87646
बिहार*	टन	6125
गोवा	टन	13623
कर्नाटक	टन	278056
मध्य प्रदेश*	टन	325864
महाराष्ट्र	टन	353406
उड़ीसा	टन	500763
उप जोड़		1565483
लौह अयस्क		
आंध्र प्रदेश	000 टन	340
बिहार*	000 टन	11913
गोवा	000 टन	15002
कर्नाटक	000 टन	15681
मध्य प्रदेश*	000 टन	18582
महाराष्ट्र	000 टन	25
उड़ीसा	000 टन	11921
राजस्थान	000 टन	10
उप जोड़		73475
बॉक्साइट		
बिहार*	टन	1227757

1	2	3
गोवा	टन	38645
गुजरात	टन	952471
कर्नाटक	टन	30177
केरल	टन	16320
मध्य प्रदेश*	टन	685867
महाराष्ट्र	टन	899444
उड़ीसा	टन	2866032
तमिलनाडु	टन	137712
उप जोड़		6854425
क्रोमाइट		
कर्नाटक	टन	12918
महाराष्ट्र	टन	702
उड़ीसा	टन	1682420
उप जोड़		1696040
अभ्रक (अशोधित)		
आंध्र प्रदेश	टन	902
बिहार*	टन	320
राजस्थान	टन	51
उप जोड़		1273

स्रोत : भारतीय खान ब्यूरो (आई.बी.एम.)

* अविभाजित

[हिन्दी]

टिहरी बाँध परियोजना

2226. श्री हरीभाऊ शंकर महाले: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को 'सोवियत एसेस्टमेंट ऑफ द टिहरी डैम प्रोजेक्ट' की रिपोर्ट में व्यक्त किए गए उस विचार की जानकारी है कि बाँध की 1500 मीटर नींव की चौड़ाई इसे सुरक्षित रखेगी और इससे इसके गिरने की संभावना भी नहीं होगी;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने टिहरी बाँध के नींव की चौड़ाई में वृद्धि की है;

(ग) यदि हाँ, तो नींव की चौड़ाई को वर्तमान 1100 मीटर से बढ़ाकर 1500 मीटर किए जाने के कारण निर्माण लागत में किस सीमा तक वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि नहीं, तो बाँध को भूकंपीय खतरे से सुरक्षित नहीं किए जाने के क्या कारण हैं जिससे यह बाँध कभी भी ढह सकता है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (घ) दिनांक 16.11.1998 के लखनऊ संस्करण के 'टाइम्स ऑफ इंडिया' में छपी खबर में कहा गया था कि सोवियत के भूकम्प वैज्ञानिकों ने 1500 मी. की फाउन्डेशन चौड़ाई की सिफारिश की थी पर इस रिपोर्ट को सोवियत संघ के प्राधिकारियों द्वारा यह कहते हुए खंडन किया गया कि सोवियत के विशेषज्ञ वास्तविकता के अनुरूप नहीं थे। यह भी कहा गया कि सोवियत के विशेषज्ञों ने टिहरी बाँध की संरचना को सुदृढ़ बताया।

सरकार ने टिहरी बाँध एवं एचईपी-I (1000 मे.वा.) के क्रियान्वयन को मार्च, 1994 में अनुमोदन देने के पूर्व इसकी भूकम्पीय सुरक्षा पहलू पर गहन रूप से विचार कर लिया था।

टिहरी बाँध की सुरक्षा के मामले की पुनः जाँच करने हेतु जून, 1996 में एक विशेषज्ञ समूह गठित की गई। समूह ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि बाँध का डिजाइन अधिकतम स्तरीय भूकंप के प्रभाव से भी सुरक्षित है।

छत्तीसगढ़ राज्य में धान की खेती में कमी

2227. श्री पी.आर. खूँटेः क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) छत्तीसगढ़ राज्य में कुल कितने क्षेत्र में धान की खेती की जा रही है;

(ख) क्या धान की खेती वाले क्षेत्र में कोई अत्यधिक कमी आयी है; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपद यासो नाईक) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग पर ओवरब्रिजों का निर्माण

2228. डॉ. प्रसन्न कुमार पाटसाणीः क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को उड़ीसा सरकार से भुवनेश्वर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर कतिपय ओवरब्रिजों का निर्माण किए जाने के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं,

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) केन्द्र सरकार की उड़ीसा सरकार के प्रस्तावों पर क्या प्रतिक्रिया है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खंडूडी) : (क) जी हाँ।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्ग-5 के 412.5 कि.मी. से 418.0 कि.मी. तक के खंड में आने वाले तीन फ्लाई ओवरों का निर्माण।

(ग) इस प्रस्ताव पर विचार नहीं किया गया था क्योंकि इस खंड पर चार लेन बनाने का कार्य पहले से ही चल रहा था, अतः इस स्थिति में फ्लाई ओवरों का निर्माण शुरू करना व्यावहारिक नहीं समझा गया था।

[हिन्दी]

ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंज

2229. श्री जय प्रकाशः
डॉ. जसवंतसिंह यादवः

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में कई ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंज इनमें प्रयुक्त की जा रही अप्रचलित उपकरणों के कारण ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश के उक्त जिले के एक्सचेंजों और राजस्थान के सभी टेलीफोन एक्सचेंजों का उन्नयन करने तथा इनका आधुनिकीकरण करने का है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस उद्देश्य हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी नहीं। हरदोई जिले के सभी ग्रामीण एक्सचेंज डिजिटल इलैक्ट्रॉनिक हैं और सामान्यतः संतोषजनक रूप से कार्य कर रहे हैं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

(ग) और (घ) हरदोई जिले के सभी ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंज पहले से ही इलैक्ट्रॉनिक हैं। 2001-2002 तक अलवर, व्यावर और पाली में केवल तीन पीआरएक्स एनालॉग इलैक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों को डिजिटल इलैक्ट्रॉनिक एक्सचेंज में अपग्रेड करने का प्रस्ताव है। इस प्रयोजन के लिए 3.61 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं।

(ङ) उपर्युक्त भाग 'ग' और 'घ' के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कृषि उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य

2230. श्री ए.के. मूर्तिः क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार गन्ना और धान जैसे कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि करने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपद यासो नाईक) : (क) और (ख) वर्ष 1999-2000 तथा 2000-2001 की फसलों के लिए मुख्य कृषि जिंसों के लिए निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। विवरण से स्पष्ट है कि 2000-01 की मुख्य खरीफ फसलों : पटसन व कोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में पिछले वर्षों में वृद्धि . । वर्ष 2000-01 फसलों के लिए रबी फसलों तथा गन्ने के न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा अभी की जानी है।

विवरण

न्यूनतम समर्थन मूल्य

क्र.सं.	जिन्स	किस्म	1999-2000	2000-01
1.	धान	साधारण	490	510
		श्रेणी 'क'	520	540
2.	मोटे अनाज (ज्वार, बाजरा व रागी)		415	445
3.	मक्का		415	445
4.	गेहूँ		580	
5.	जौ		430	
6.	चना		1015	
7.	अरहर		1105	1200
8.	मूँग		1105	1200
9.	उरद		1105	1200
10.	गन्ना@		56.10	
11.	कपास	एफ-414/एच-777	1575++	1625++
		एच-4	1775	1825
12.	छिलके वाली मूँगफली		1155	1220
13.	पटसन		750	785
14.	रेपसीड/सरसों		1100	
15.	सूरजमुखी के बीज		1155	1170
16.	सोयाबीन	काला	755	775
		पीला	845	865
17.	सूरजमुखी		1100	
18.	तोरिया		1065	
19.	तंबाकू (वीएफसी) रु. प्रति कि.ग्रा.	काला मृदाएफ-2 ग्रेड	25.00	
		हलका मृदाएफ-2 ग्रेड	27.00	
20.	खोपरा (कलेंडर वर्ष)	मिलींग, बॉल	3100	32500
21.	तिल		3325	3500
22.	रामतिल		1205	1300
			915	1025

@ सांविधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य उस स्तर से ऊपर वसूली में प्रत्येक 0.1 प्रतिशत वृद्धि के लिए आनुपातिक वृद्धि से 8.5 प्रतिशत की मूल वसूली से जुड़ा है।

++ जे-34 किस्म के लिए भी

[हिन्दी]

दिल्ली से राजस्थान को विद्युत की आपूर्ति

2231. डॉ. जसवंतसिंह यादवः क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली राजस्थान को विद्युत की आपूर्ति करने पर सहमत हो गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दोनों राज्यों के बीच इस संबंध में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसके परिणामस्वरूप दोनों राज्यों को क्या-क्या लाभ प्राप्त होने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (घ) सर्दी के महीनों में गैर-व्यस्ततम कालीन घंटों में दिल्ली में बिजली का आधिक्य होता है। दिल्ली ने अपने उत्तरी-क्षेत्र के केन्द्रीय क्षेत्र विद्युत केन्द्रों के अनावंटित कोटे से गैर-व्यस्ततम कालीन घंटों में राजस्थान को 16.10.2000 से 20 प्रतिशत का तथा 18.11.2000 से 11 प्रतिशत का अपना पूरा विद्युत आबंटन देने की सहमति दी है। इसके अलावा 12.10.2000 को डीवीवी एवं आरआर वीपीएनएल के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है जिसमें दादरी टीपीएस में दिल्ली के 15 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक का विद्युत उत्पादन का हिस्सा (वीटीपीएस

यूनिटों की उपलब्धता के आधार) 23.00 घंटों से अगले दिन के 06.00 घंटों के दौरान राजस्थान को विपथित कर दिया गया है। यह समझौता 16 अक्तूबर, 2000 के 23.00 घंटों से प्रभावी है और 15 मार्च, 2001 तक मान्य रहेगा।

(ङ) इन प्रबंधों के अंतर्गत जहाँ राजस्थान अपनी बढ़ी हुई रबी सिंचाई जरूरतों को पूरा कर सकेगा, वहीं दिल्ली केन्द्रीय क्षेत्र विद्युत केन्द्रों की अपनी बकाया राशि को भुगतान के जरिए कम भी कर सकेगा। इसके अतिरिक्त इन प्रबंधों से उत्तरी क्षेत्र में उपलब्ध विद्युत का बेहतर उपयोग करने में मदद मिलेगी जिससे दिल्ली एवं राजस्थान दोनों ही परस्पर रूप से लाभान्वित होंगे।

नेशनल पावर ग्रिड से बिहार को विद्युत का आबंटन

2232. श्री राजो सिंहः क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) बिहार को नेशनल पावर ग्रिड से कुल कितनी मात्रा में विद्युत आबंटित की गई है;

(ख) आबंटित विद्युत मात्रा में से कुल कितनी मात्रा में विद्युत की खपत की गई है;

(ग) क्या यह आबंटन आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु पर्याप्त है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार विद्युत आबंटन में वृद्धि करने का है; और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) पूर्वी क्षेत्र के विभिन्न केन्द्रीय उत्पादन केन्द्रों से बिहार को आबंटित विद्युत का परिमाण, पात्रता तथा अप्रैल-अक्तूबर, 2000 के दौरान वास्तविक निकासी निम्नानुसार हैः

विद्युत उत्पादन केन्द्र	शेयर प्रतिशत	शेयर मे.वा.	पात्रता (एम.यू.)	निकासी (एम.यू.)
फरक्का एसटीपीएस (1600 मे.वा.)	23.44%	375	939.6	1,034.6
कहलगाँव एसटीपीएस (840 मे.वा.)	33.93%	285	832.3	921.8
बरौनी एसटीपीएस (1000 मे.वा.)	23.9%	235	674.6	727.9
सूखा ज.वि. परियोजना (270 मे.वा.)	32.6%	88	409.5	415.1
रंगीत ज.वि. परियोजना (60 मे.वा.)	21.67%	13	39.6	39.6
कुल		1,000	2,895.6	3.139

(ग) से (च) बिहार केन्द्रीय क्षेत्र उत्पादन केन्द्रों से अपनी पात्रता से अधिक विद्युत प्राप्त कर रहा है। बिहार में माँग की तुलना में कम बिजली उपलब्धता का मुख्य कारण है पारेषण तथा वितरण प्रणाली संबंधी बाधाएँ और पूर्वी क्षेत्र, जिसके पास सरप्लस विद्युत उपलब्ध है, से बीएसईबी बिजली खरीदने की असमर्थता। इस समय केन्द्रीय क्षेत्र स्टेशनों से बिहार को आबंटन बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

असंतोषजनक टेलीफोन सुविधा

2233. श्री टी. गोविन्दनः क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केरल के कन्नूर सेकेंडरी स्विचिंग एरिया (एसएसए) की टेलीफोन सेवाएँ असंतोषजनक पायी गई हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस स्थिति में सुधार लाने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) केरल के कन्नूर गौण स्विचन क्षेत्र (एसएसए) में टेलीफोन सेवाएँ सामान्यतः संतोषजनक हैं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दूरसंचार सेवाओं में सुधार लाना एक सतत् प्रक्रिया है। चरणबद्ध तरीके से दूरसंचार सेवाओं में और सुधार लाने के लिए निम्नलिखित उपाए किए जाते हैं:

(i) बाह्य संयंत्र की पुनः स्थापना करना।

(ii) अधिकाधिक एक्सचेंजों में एफआरएस का कम्प्यूटरीकरण करना।

(iii) चरणबद्ध तरीके से ओवरहैड लाइन पर कार्यरत सभी एक्सचेंजों को विश्वसनीय पारेषण माध्यम उपलब्ध कराना।

(v) लंबे समय तक पावर ब्रेक डाउन की स्थिति का सामना करने के लिए 'स्टैंडबाय पावर' प्रबंध और अनुरक्षण रहित बैटरी सैटों की व्यवस्था करना।

आंध्र प्रदेश, असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में गैस आधारित विद्युत परियोजनाएँ

2234. श्रीमती रेणूका चौधरी:
श्री माधवराव सिंधिया:
श्री सुशील कुमार शिंदे:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में विशेषकर आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में गैस आधारित विद्युत परियोजनाएँ स्थापित करने के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक परियोजना की अनुमानित लागत, उत्पादन क्षमता कितनी है तथा यह कहाँ-कहाँ स्थापित की जायेंगी;

(घ) इस समय ये परियोजनाएँ किस चरण में हैं तथा इसमें विलंब के क्या कारण हैं;

(ङ) इन परियोजनाओं के लिए अनुमानित रूप से गैस का कितना भंडार उपलब्ध है; और

(च) इन परियोजनाओं को कब तक मंजूर किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (च) देश में स्थापित की जाने वाली गैस आधारित विद्युत परियोजनाओं की सूची विवरण के रूप में संलग्न है। इन परियोजनाओं को के.वि.प्रा. ने आरंभिक ईंधन के रूप में नेफ्था से तथा अंतिम ईंधन के रूप में गैस से प्रचालित करने के लिए स्वीकृति दे दी थी। हालाँकि कच्चे तेल/नेफ्था एवं गैस में मूल्य वृद्धि होने की वजह से इनमें से अनेक परियोजनाओं के क्रियान्वयन में विलम्ब हुआ है एवं अनेक अभी शुरू भी नहीं की जा सकी हैं।

1 अप्रैल, 2000 की स्थितिनुसार देश में सभी क्षेत्रों समेत विद्युत क्षेत्र के उपयोग के लिए अनुमानित कुल प्राकृतिक गैस रिजर्व 647 बिलियन मानक क्यूबिक मीटर (अर्नतिम) है।

विवरण

आरंभिक ईंधन के रूप में नेफ्था ईंधन की के.वि.प्रा. द्वारा स्वीकृत ताप विद्युत परियोजनाएँ

क्र.सं.	परियोजना एवं स्थल का नाम	क्षमता	ईंधन का प्रकार	अनुमानित संपूर्ण लागत आईडीसी सहित
1	2	3	4	5
उत्तरी क्षेत्र				
राजस्थान				
1.	धौलपुर सीसीजीटी मै. आरपीजी धौलपुर पावर कं. लि., जिला (धौलपुर)	702.7	नेफ्था	364.29 मिलियन अमरीकी डॉलर + 855.133 करोड़ रुपये 1 अमरीकी डॉलर = 39.50 रुपये
पश्चिमी क्षेत्र				
मध्य प्रदेश				
2.	नरसिंहपुर सीसीपीपी मै. जीबीएल पावर इंडिया लि., जिला (नरसिंहपुर)	166	नेफ्था	77.74 मिलियन अमरीकी डॉलर + 253.697 करोड़ रु. ईआर 1 अमरीकी डॉलर = 35.50 रुपये
3.	गुना सीसीजीटी मैं. एसटीआई पावर लि., जिला (गुना)	330	नेफ्था	152.330 मिलियन अमरीकी डॉलर + 484.860 करोड़ रु. ईआर 1 अमरीकी डॉलर =35.50 रुपये
4.	भाण्डेर सीसीजीटी मै. भाण्डेर पावर कं. लि., जिला (ग्वालियर)	342	नेफ्था	197.622 मिलियन अमरीकी डॉलर + 346.514 करोड़ रु. ईआर 1 अमरीकी डॉलर = 35.50 रुपये
5.	खण्डवा सीसीजीटी मैं. मध्य भारत एनर्जी कार्पोरेशन लि., जिला (पूर्वी निमाड़)	171.17	नेफ्था	76.0345 मिलियन अमरीकी डॉलर + 250.3315 करोड़ रु. 1 अमरीकी डॉलर = 39.50 रुपये

1	2	3	4	5
महाराष्ट्र				
6.	पातालगंगा सीसीपीपी मैं. रिलायंस पातालगंगा प्रा. लि., जिला (रायगढ़)	447	नेफ्था	319.02 मिलियन अमरीकी डॉलर + 246.66 करोड़ रु. 300.286 मिलियन अमरीकी डॉलर के विदेशी घटक के लिए ईआर 35.50 प्रति अमरीकी डॉलर एवं शेष विदेशी घटक के लिए 31.50 रु./अमरीकी डॉलर की निर्धारित विदेशी विनिमय दर
दक्षिणी क्षेत्र				
कर्नाटक				
7.	कर्नीमिंके सीसीपीपी मै. धीन्या पावर कं., जिला (बंगलौर)	107.6	नेफ्था	56.577 मिलियन अमरीकी डॉलर + 152.969 करोड़ रु. ईआर 1 अमरीकी डॉलर = 42.00 रुपये
केरल				
8.	कन्नूर मै. कन्नूर पावर प्रोजेक्ट प्रा. लि., जिला (कन्नूर)	513	एलएनजी के उपलब्ध होने पर नेफ्था का इससे प्रतिस्थापन	210.010 मिलियन अमरीकी डॉलर + 587.91 करोड़ रु. ईआर 1 अमरीकी डॉलर = 42.00 रुपये
9.	विपीन सीसीपीपी मै. सियासिन एनर्जी प्रा. लि., जिला (एर्नाकुलम)	679.2	एलएनजी	6.90 मिलियन अमरीकी डॉलर + 439.84 मिलियन एस. फ्रेंक + 771.475 करोड़ रुपये ईआर 39.50 अमरीकी डॉलर 1 एस. फ्रेंक = 26.50 रुपये
आंध्र प्रदेश				
10.	कोंडापल्ली सीसीजीटी मै. कोंडापल्ली पावर कार्पोरेशन, जिला (कृष्णा)	350	नेफ्था	180.616 मिलियन अमरीकी डॉलर + 385.254 करोड़ रु.
11.	वेमागिरि सीसीपीपी पूर्वी गोदावरी में मै. इस्पात इंडस्ट्रीज लि., जिला (पूर्वी गोदावरी)	492	नेफ्था	248.020 मिलियन अमरीकी डॉलर + 638.223 करोड़ रुपये 1 अमरीकी डॉलर = 42 रु.
तमिलनाडु				
12.*	पिल्लईपेरूमलनल्लूर सीसीजीटी मै. पीपीएन पावर जेनरेशन कं. जिला (तंजावुर) * निर्माणाधीन	330.5	प्राकृतिक गैस नेफ्था अनुपूरक या वैकल्पिक ईंधन	206.549 मिलियन अमरीकी डॉलर + ईआर 33.50 अमरीकी डॉलर
		केन्द्रीय क्षेत्र		
		आरंभिक ईंधन के रूप में नेफ्था ईंधन की के.वि.प्रा. द्वारा स्वीकृत ताप विद्युत परियोजनाएँ		
उत्तरी क्षेत्र				
राजस्थान				
1.	अंता सीसीपीपी चरण-2 एनटीपीसी, जिला (कोटा)	650	नेफ्था (जब तक गैस उपलब्ध है)	243.71 मिलियन अमरीकी डॉलर + 899.64 करोड़ रुपये ईआर 39.50 रुपये/अमरीकी डॉलर

1	2	3	4	5
उत्तर प्रदेश				
2.	औरैया सीसीपीपी चरण-2 एनटीपीसी, जिला (औरैया)	650	नेफ्था (जब तक गैस उपलब्ध है)	243.844 मिलियन अमरीकी डॉलर + 857.622 करोड़ रु. ईआर 39.50 रु. /अमरीकी डॉलर
पश्चिमी क्षेत्र				
गुजरात				
3.	कवास सीसीजीटी चरण-2 मै. एनटीपीसी, जिला (सूरत)	650	नेफ्था	243.69 मिलियन अमरीकी डॉलर + 831.57 करोड़ रु. ईआर 39.50 रु./अमरीकी डॉलर
4.	झनोर-गांधार सीसीजीटी चरण-2 एनटीपीसी, जिला (भड़ौच)	650	नेफ्था	243.62 मिलियन अमरीकी डॉलर + 854.113 करोड़ रुपये ईआर 42.50 रु./अमरीकी डॉलर
	राज्य क्षेत्र			
	आरंभिक ईंधन के रूप में नेफ्था ईंधन की के.वि.प्रा. द्वारा स्वीकृत ताप विद्युत परियोजनाएँ			
राजस्थान				
1.	मैथानिया आईएससीसी पावर प्रोजेक्ट मै. आरएससीपीएल, जिला जोधपुर	140	सौर+नेफ्था	50.6 मिलियन अमरीकी डॉलर + 659.34 करोड़ रु. ईआर-1 अमरीकी डॉलर = 42.00 रुपये

असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में विद्युत की प्रति व्यक्ति उपलब्धता

2235. श्री एम.के. सुब्बाः क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में अन्य राज्यों की तुलना में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में राज्यवार विद्युत की प्रति व्यक्ति कितनी उपलब्धता है; और

(ख) सरकार द्वारा इसे अखिल भारतीय स्तर पर लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं और इस संबंध में कितनी लागत तथा समयावधि शामिल है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) 1999-2000 के दौरान देश के विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति विद्युत उपलब्धता (ग्रामीण अथवा शहरी स्थान का विचार किए बिना) की स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में विद्युत विकास पर विशेष जोर दिया जा रहा है। केन्द्रीय सेक्टर में उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में नौवीं योजना की शेष अवधि के दौरान 465 मे.वा. तथा दसवीं योजना में 1495 मे.वा. वृद्धि की संभावना है। इसके अलावा, 11वीं योजना एवं इससे आगे की अवधि के दौरान 22630 मे.वा. क्षमता लाभ देने वाली परियोजनाओं को भी क्रियान्वयन के लिए अभिज्ञात किया गया है, साथ ही के.वि.प्रा. ने संघटक राज्यों के परामर्श से पूर्वोत्तर राज्यों में उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण एवं सुधार के लिए एक स्कीम भी तैयार की है। स्कीम में उन निर्माणाधीन उप-पारेषण एवं वितरण परियोजनाओं को पूरा करने की संकल्पना है, जिनके लिए योजना आयोग ने चालू वर्ष के दौरान 'स्थायी निधि' से 52 करोड़ रु. की राशि देने की सहमति दी है।

विवरण

1999-2000 के दौरान राज्यवार विद्युत की प्रति व्यक्ति वार्षिक उपलब्धता

राज्य का नाम	प्रति व्यक्ति उपलब्धता (कि.वा.घं.)
1	2
उत्तरी क्षेत्र	
चंडीगढ़	1172.73
दिल्ली	1247.53
हरियाणा	789.96
हिमाचल प्रदेश	469.13
जम्मू एवं कश्मीर	497.77

1	2
पंजाब	1116.69
राजस्थान	451.83
उत्तर प्रदेश	230.14
पश्चिम क्षेत्र	
गुजरात	979.86
मध्य प्रदेश	436.31
महाराष्ट्र	760.77
गोवा	930.64
दक्षिणी क्षेत्र	
आंध्र प्रदेश	570
कर्नाटक	498.86
केरल	370.50
तमिलनाडु	581.50
पूर्वी क्षेत्र	
बिहार	84.17
उड़ीसा	311.95
प. बंगाल	232.89
उत्तरी पूर्वी क्षेत्र	
अरूणाचल प्रदेश	102.29
असम	111.99
मणिपुर	181.20
मेघालय	225.33
मिजोरम	238.19
नागालैंड	125.18
त्रिपुरा	158.20
अखिल भारत	454.96

टेलीफोन एक्सचेंज

2236. श्री सुनील खाँ: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले के अंतर्गत गल्सी थाना क्षेत्र के कैटारा और बरजोरा थाना क्षेत्रों के परवना, मतशुरीद, बैराबपुर और मावग्राम में टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा है तथा इन्हें कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) जी, हाँ। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान, मार्च 2001 तक बुर्दवान जिले में पी.एस. गल्सी के अंतर्गत कैटारा में और बांकुरा जिले में पी.एस. बरजोरा के अंतर्गत पाखन्ना में 256 पी सी-डॉट एक्सचेंज स्थापित करने की योजना बनाई गई है। मतशुरीद, बैराबपुर और मावग्राम में कोई पंजीकृत माँग नहीं है। इसलिए 2000-2001 के दौरान इन स्थानों पर किसी एक्सचेंज की योजना नहीं बनाई गई है। ज्योंही पर्याप्त पंजीकृत माँग होगी, इन स्थानों पर टेलीफोन एक्सचेंजों की योजना बनाई जाएगी।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) में वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताएँ

2237. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताओं के संबंध में कोई विशेष लेखा-परीक्षा की गई;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त लेखा परीक्षा के संदर्भ में रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है;

(ग) यदि हाँ, तो कौन-कौन से अधिकारी दोषी/जिम्मेदार पाये गये और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी हाँ।

(ख) जी हाँ।

(ग) और (घ) संबद्ध अधिकारियों/प्रभागों से सभी ब्यौरे तथा दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया गया है। इनमें से कुछ ने अपनी टिप्पणियाँ दे दी हैं। सभी विवरण प्राप्त हो जाने पर मामलों की जाँच की जायेगी तथा तद्नुसार कार्रवाई की जायेगी।

[हिन्दी]

स्पीड पोस्ट सेवा

2238. श्री पुन्नू लाल मोहले: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य के सभी प्रमुख शहरों में स्पीड पोस्ट सेवा शुरू करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हाँ, तो यह कार्य कब तक किए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) नवगठित राज्य छत्तीसगढ़ में एक राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट केन्द्र एवं राज्य स्पीड पोस्ट नेटवर्क पर 15 केन्द्र हैं जो राज्य के सभी 16 जिला मुख्यालयों को कवर करता है।

राष्ट्रीय दूरसंचार परामर्शदात्री समिति

2239. श्री पुष्प जैन: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय दूरसंचार परामर्शदात्री समिति की संयुक्त बैठक किस तारीख को हुई थी;

(ख) उस बैठक में किस मामले पर चर्चा की गई;

(ग) क्या समिति उपरोक्त सेवा विभागों के कार्यकरण से संतुष्ट नहीं थी; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इन विभागों के कार्यकरण में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) संचार मंत्रालय की 'नेशनल कम्यूनिकेशन कन्सल्टेटिव कमेटी' नामक कोई समिति नहीं है। तथापि, माननीय संचार मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 6.11.2000 को मंत्रालय से जुड़ी संसदीय परामर्शदात्री समिति (कंसलटेटिव कमेटी ऑफ पार्लियामैंट) की एक बैठक हुई थी।

(ख) जिस मामले पर चर्चा की गई थी, वह यह था–"टेलीफोन सेवाओं के संबंध में जन शिकायतें तथा उपभोक्ता संतुष्टि"।

(ग) और (घ) समिति के सदस्य सामान्यतः विभाग में प्रचलित शिकायत समाधान प्रणाली (ग्रीवांस रिड्रैसल सिस्टम) से संतुष्ट थे किन्तु उन्होंने उपभोक्ता सेवाओं में और सुधार लाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। इन्हें आगे की कार्रवाई हेतु रिकार्ड कर लिया गया है। उपभोक्ता-हितों से संबंधित सुझावों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

- प्रत्येक टीडीएम/जीएम को, बुक किए गए, संस्थापित किए गए तथा उनके अधिकार क्षेत्र में लंबित टेलीफोनों के संबंध में अद्यतन स्थिति की रिपोर्ट समय-समय पर अपने संबंधित संसद सदस्य को उपलब्ध करानी चाहिए।

- ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन बिल एकत्र करने के लिए, अन्य अनुसूचित बैंकों के अलावा सहकारी तथा ग्रामीण बैंकों को भी प्राधिकृत किया जाना चाहिए।

- 180/197 इत्यादि नम्बरों के टेलीफोन ऑपरेटरों को यह चाहिए कि वे कॉल करने वाले को अपनी पहचान बताएँ।

- प्रत्येक एसएसए के प्रमुख को माननीय संसद सदस्य द्वारा संस्तुत 'बिन बारी आबंटन' संबंधी अग्रता मामलों की क्षेत्रवार अद्यतन स्थिति की रिपोर्ट मेंटेन करनी चाहिए तथा आवेदकों को यह बताया जाए कि उन्हें टेलीफोन कब तक (समय-सीमा) प्रदान किए जाएँगे।

- टेलीफोन अदालतें नियमित रूप से आयोजित की जानी चाहिएं तथा निर्वाचन क्षेत्रों के संसद सदस्यों/विधायकों को अदालतों के कार्यक्रम के बारे में पहले से ही सूचित कर देना चाहिए।

[अनुवाद]

श्रीकाकुलम के नारियल उत्पादक

2240. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय ने गत वर्ष श्रीकाकुलम जिले के प्रभावित नारियल उत्पादकों के लिए राहत के रूप में 6.15 करोड़ रुपए का प्रस्ताव योजना आयोग को भेजा था;

(ख) यदि हाँ, तो क्या योजना आयोग ने उक्त प्रस्ताव को अपनी सहमति दे दी है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने यह धनराशि आन्ध्र प्रदेश को जारी कर दी है;

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) आन्ध्र प्रदेश को इस धनराशि के कब तक जारी कर दिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपद यासो नाईक) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) योजना आयोग आन्ध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में चक्रवात से प्रभावित नारियल उगाने वाले किसानों को 6.15 करोड़ रु. की राहत उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर सहमत है।

(घ) से (च) वर्ष 1999-2000 के दौरान, नारियल विकास बोर्ड द्वारा इस उद्देश्य के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार को 1.00 करोड़ रु. निर्मुक्त किये गये थे। शेष 5.16 करोड़ रु. के प्रस्ताव पर सरकार सक्रियता से विचार कर रही है।

फसलोन्मुखी योजनाएँ

2241. श्री सुबोध मोहितेः क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव योजनाओं के दोहरेपन और अलग-अलग राजसहायता संबंधी प्रतिमानों से बचने के लिए अपनी फसलोन्मुखी योजनाओं को पुनर्गठित करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कृषि के चहुंमुखी विकास की विविधता हेतु कौन-कौन-सी योजनाएँ लागू की जाएंगी?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपद यासो नाईक) : (क) से (ग) कृषि विकास के लिए राज्यों को सहायता मुहैया कराने के लिए तत्काल प्रभाव से पारंपरिक स्कीम दृष्टिकोण से वृहत प्रबंधन पद्धति को अपनाने का निर्णय लिया गया है। इस स्कीम में कार्य योजनाओं के जरिए राज्यों के प्रयासों के संपूरण/अनुपूरण के लिए 27 स्कीमों को एक स्कीम में एकीकृत करने की संकल्पना की गई है, जो राज्यों द्वारा झेली जा रही विशिष्ट समस्याओं से निपटने में उन्हें नम्यता प्रदान करेगी, विभिन्न स्कीमों की विषय-वस्तु को अतिछादित करने से रोकेगी तथा कृषि के चहुंमुखी विकास की ओर लक्षित करेगी।

वृहत प्रबंधन स्कीम में एकीकृत 27 केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों का ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

विवरण

केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों की सूची

1. कमजोर वर्गों की सहकारी समितियों को सहायता
2. महिला सहकारी समितियों को सहायता
3. गैर-अतिदेय कवर स्कीम
4. कृषि ऋण स्थिरीकरण कोष
5. अनु.जा./अनु.जनजा. के लिए विशेष स्कीम
6. चावल आधारित फसल प्रणाली वाले क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम
7. गेहूँ आधारित फसल प्रणाली वाले क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम
8. मोटे अनाज आधारित फसल प्रणाली वाले क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम
9. विशेष पटसन विकास कार्यक्रम
10. गन्ना आधारित फसल प्रणाली वाले क्षेत्रों में सतत विकास
11. उर्वरकों का संतुलित एवं समेकित उपयोग
12. लघु किसानों में कृषि यंत्रीकरण को प्रोत्साहन
13. उष्णकटिबंधीय शुष्क एवं शीतोष्ण मंडलीय फलों का समेकित विकास
14. वनस्पति बीजों का उत्पादन एवं आपूर्ति
15. वाणिज्यिक पुष्प कृषि का विकास
16. औषधीय एवं सुगंधित पौधों का विकास
17. जड़ एवं कंदमूल फसलों का विकास
18. कोको और काजू विकास
19. समेकित मसाला विकास कार्यक्रम
20. खुम्बी विकास
21. कृषि में प्लास्टिक उपयोग
22. मधुमक्खी पालन
23. वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना
24. वनस्पति फसलों के आधारी एवं प्रमाणित बीज उत्पादन संबंधी स्कीम
25. नदी घाटी परियोजनाओं तथा बाढ़ प्रवण नदियों के जल संग्रहण क्षेत्र में मृदा संरक्षण
26. क्षारीय मृदाओं का सुधार एवं विकास
27. राज्य भूमि उपयोग बोर्ड

टीस्टा जल विद्युत परियोजना का विकास

2242. श्री सनत कुमार मंडलः क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय जल विद्युत निगम ने टीस्टा जल विद्युत परियोजना का विकास करने के लिए पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड के साथ समझौता किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की पश्चिम बंगाल में और अधिक संयुक्त उद्यम परियोजनाएँ खोलने के लिए राष्ट्रीय जल विद्युत निगम को अनुमति देने संबंधी कोई योजना है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) नेशनल हाइड्रो-इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (एनएचपीसी) ने पश्चिम बंगाल में तीस्ता नदी पर (100 मे.वा.) और 4 (132 मे.वा.) तीस्ता लोडैम हाइड्रो-इलैक्ट्रिक परियोजना चरण-III के विकास के लिए 10.11.2000 को पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड (पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ) के साथ एक एक करार पर हस्ताक्षर किए।

(ग) और (घ) सरकार के पास इस समय पश्चिम बंगाल में कोई संयुक्त परियोजना आरंभ करने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

मूँग का उत्पादन

2243. डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आस्ट्रेलिया के प्रति हैक्टेयर के मुकाबले भारत में प्रति हैक्टेयर कितने मूँग का उत्पादन होता है;

(ख) भारत में प्रति हैक्टेयर कम मूँग उत्पादन के क्या कारण हैं; और

(ग) देश में इस स्वास्थ्यकारी अनाज के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए कौन से कदम उठाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपद यासो नाईक) : (क) भारत में वर्ष 1998-99 के दौरान मूँग का प्रति हैक्टेयर उत्पादन आस्ट्रेलिया में प्रति हैक्टेयर 1000 कि.ग्रा. उत्पादन की तुलना में 38 कि.ग्रा. है।

(ख) मूँग समेत दलहन वर्षा सिंचित स्थितियों में उन सीमांत और उप सीमांत भूमियों पर उगायी जाती है, जिनकी उर्वरता कम होती है, और इसीलिए, हमारे देश में मूँग की उत्पादकता कम है।

(ग) मूँग समेत दलहन का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा 1990 में दलहन को तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन के दायरे में लाया गया है। मूँग सहित दलहन उत्पादन को किसानों के खेतों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए उन्नत किस्मों के उपयोग तथा किसानों के खेतों में उन्नत उत्पादन तथा संरक्षण प्रौद्योगिकियों को अपनाने के माध्यम से राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना नामक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, मूँग सहित दलहन की उत्पादकता बढ़ाने के लिए जीवन रक्षक सिंचाई मुहैया कराने के लिए राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना स्कीम के तहत छिड़काव यंत्रों के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई को भी प्रोत्साहित किया गया है।

[हिन्दी]

खाद्यान्नों का उत्पादन लक्ष्य

2244. श्री मणिभाई रामजी भाई चौधरी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने खाद्यान्नों का उत्पादन लक्ष्य हासिल करने के लिए राज्य सरकारों को कोई निर्देश दिये हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपद यासो नाईक) : (क) और (ख) जी, हाँ।

योजना आयोग द्वारा विभिन्न फसलों के लिए अखिल भारतीय स्तर पर दिए गए लक्ष्यों के विषय में राज्य सरकारों को कार्य सूची नोटों के जरिए तथा खरीफ और रबी मौसमों से पूर्व आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलनों में हुए विचार-विमर्शों के जरिए भी सूचित किया जा रहा है। इन सम्मेलनों से पहले, उत्पादन आदानों के आवश्यक इंतजामात करने के लिए बीज और उर्वरक संबंधी मंडलीय बैठकें भी राज्यों के साथ की गई हैं। उपर्युक्त सम्मेलनों/बैठकों में राज्य सरकारों को राज्य स्तर पर उत्पादन अभियान चलाकर उनको बताए गए उत्पादन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक उपाय करने की सलाह दी गई है।

[अनुवाद]

"संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में अतिक्रमण"

2245. श्री किरीट सोमैया: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, मुंबई के अतिक्रमण की जानकारी सरकार के ध्यान में आई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने विकल्प के तौर पर अनारक्षित भूमि का प्रस्ताव किया है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) जी, हाँ।

(ख) संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में आवासीय प्रयोजन के लिए लगभग 500 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण किया गया था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) माननीय उच्च न्यायालय ने संबंधित व्यक्तियों को किसी वैकल्पिक स्थान पर बसाने के लिए राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं।

तम्बाकू उत्पादक किसानों की समस्याएँ

2246. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान से यह कहा है कि वह विभिन्न मंत्रालयों की अनेक समितियों में तम्बाकू उत्पादक किसानों को प्रभावित करने वाली समस्याओं को उचित रूप से उठाये;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सी.टी.आर.आई. ऐसे मामले में सक्रिय और सचेत नहीं है;

(ग) क्या आई.सी.ए.आर. का विचार तम्बाकू उत्पादक किसानों के हितों की रक्षा हेतु ऐसी गतिविधियों और फैसलों पर नजर रखने का है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस संबंध में उठाये जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. देवेन्द्र प्रधान) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान से कहा है कि एक तो वे तम्बाकू की खेती करने वाले कृषकों को पेश आने वाली कठिनाइयों को उजागर करने के लिए वाणिज्य मंत्रालय के अधीन गठित तम्बाकू बोर्ड की बैठकों में उपस्थित हों, और दूसरे वे देश में तम्बाकू की खेती करने वाले कृषक समुदाय के लाभ के लिए उपयुक्त उपायों को सुझाए।

(ख) जी, नहीं। बल्कि केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान, ऐसे मामलों में पूर्ण रूप से सक्रिय और सचेत है और यह अपने आदेश पत्र के अनुसार तम्बाकू की खेती करने वाले कृषकों के लाभ के लिए कार्य कर रहा है।

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पहले से ही केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान की गतिविधियों और निर्णयों पर निगरानी रख रहा है।

(घ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन आने वाले अन्य संस्थानों की तरह केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान में भी अनुसंधान एवं विकास क्रियाकलापों और निर्णयों पर निगरानी रखने के लिए अनुसंधान सलाहकार समिति, प्रबंधन समिति, स्टाफ अनुसंधान परिषद और पंचवर्षीय समीक्षा दल का गठन नियमित आधार पर किया जाता है।

असम में बाइपासों का निर्माण

2247. श्री राजेन गोहेन: क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को बाइपासों के निर्माण के लिए असम सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या असम सरकार ने नागोन में बाईपास के निर्माण के लिए जरूरी भूमि को चिन्हित किया है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस परियोजना के लिए धन आबंटन किया गया है; और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) और (ख) जी हाँ। डिबरूगढ़, तिनसुखिया, नागांब, मंगलदोई और उत्तर लखीमपुर कस्बे के लिए बाइपासों का निर्माण करने संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ग) और (घ) जी हाँ। भूमि-अधिग्रहण कार्य प्रगति पर है।

(ङ) और (च) जी हाँ। 72.93 लाख रु. राशि का भूमि अधिग्रहण अनुमान स्वीकृत किया गया है।

पंजाब की सड़कें/पुल परियोजनाएँ

2248. श्री विनोद खन्ना: क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ई. एण्ड आई. कार्यक्रम के अंतर्गत पंजाब सरकार द्वारा प्रस्तावित महत्वपूर्ण सड़कों और पुल परियोजनाओं को मंजूरी देने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) परियोजनाओं को कब तक मंजूरी दिये जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) जी हाँ।

(ख) और (ग) ऋण सहायता के ई. एंड आई. कार्यक्रम के तहत सड़कों/पुलों के सुधार से संबंधित सभी प्रस्ताव हटा दिए गए थे क्योंकि केन्द्रीय सड़क निधि का नवीकरण किया जा रहा था। नवीकृत केन्द्रीय

सड़क निधि, जिसमें अब अनुदान शामिल होगा, के तहत आर्थिक एवं अंतर्राज्यीय महत्व की स्कीम के अंतर्गत विचार करने के लिए नए प्रस्तावों की प्रतीक्षा है।

लाइसेंस शुल्क

2249. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वलु: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ सेल्युलर टेलीफोन कंपनियों का लाइसेंस शुल्क जानबूझकर कम रखा गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

ग) क्या दिल्ली की सेल्यूलर टेलीफोन कंपनियाँ आसान अदायगी सुविधा का लाभ उठा रही हैं;

(घ) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा ऐसे मामले में समानता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या सरकार का विचार वर्तमान समझौते की समीक्षा करने का है; और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) सेल्यूलर सर्किलों के संदर्भ में लाइसेंस शुल्क प्रारम्भ में कंपनियों द्वारा दी गई बोलियों के आधार पर निर्धारित किया गया। मैट्रो शहरों के मामले में, प्रत्येक शहर के लिए लाइसेंसशुदा दोनों कंपनियों हेतु प्रथम तीन वर्षों के लिए लाइसेंस शुल्क उनके द्वारा संभावित राजस्व अर्जन के पूर्वानुमान पर विचार करने के बाद विभाग द्वारा निर्धारित किया गया था:

(रु. करोड़ में)

शहर	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष
मुम्बई	3	6	12
दिल्ली	2	4	8
कलकत्ता	1.5	3	6
चेन्नई	1	2	4

बाद के वर्षों के लिए लाइसेंस शुल्क प्रति 100 उपभोक्ता 6,02,300/रु. की दर से उपभोक्ताओं की संख्या पर आधारित था, जिसमें न्यूनतम निर्धारित राशि निम्नानुसार थी:

प्रत्येक मैट्रो सेल्यूलर ऑपरेटर के लिए न्यूनतम लाइसेंस शुल्क

शहर	चौथे से छठे वर्ष (प्रत्येक वर्ष के लिए)	सातवें वर्ष से आगे (प्रत्येक वर्ष के लिए) (करोड़ रुपये में)
मुम्बई	18	24
दिल्ली	12	16
कलकत्ता	9	12
चेन्नई	6	8

वास्तव में, सभी मैट्रो ऑपरेटरों ने चौथे/पाँचवें वर्ष की अवधियों के लिए उपभोक्ताओं के आधार पर लाइसेंस शुल्क का भुगतान किया था, क्योंकि वह ऊपर उल्लिखित न्यूनतम मूल्यों की अपेक्षा अधिक था। माइग्रेशन (नई दूरसंचार नीति 1999 व्यवस्था में) के बाद की अवधि में सर्किल और मैट्रो सभी सेल्यूलर लाइसेंसधारकों को लाइसेंस शुल्क का भुगतान अपने राजस्व के एक हिस्से के रूप में (जो इस समय अनंतिम रूप से 15% की दर पर निर्धारित है) देना होता है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) की सिफारिशों तथा सरकार के अंतिम निर्णय के आधार पर अनंतिम बकाया राशि (माइग्रेशन के बाद) का अंतिम समायोजन राजस्व हिस्से की अंतिम रूप से निर्धारित प्रतिशतता पर निर्भर करेगा।

(ग) जी, नहीं। दिल्ली में सेल्यूलर ऑपरेटरों द्वारा लाइसेंस शुल्क के रूप में दिए जाने वाले राजस्व की प्रतिशतता वही है, जो कि अन्य मैट्रो शहरों के ऑपरेटरों के लिए निर्धारित है।

(घ) उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) राजस्व हिस्सेदारी संबंधी नई दूरसंचार नीति-1999 (एनटीपी-99) में माइग्रेशन के लिए माइग्रेशन पैकेज में निर्धारित शर्तों को देखते हुए मौजूदा सेल्यूलर लाइसेंसों की शर्तों को संशोधित किया जाना है।

पहाड़ी क्षेत्रों में टेलीफोन एक्सचेंज

2250. श्री सुरेश चन्देल: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2000-2001 के दौरान देश के पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) एमपीसीसी और अन्य उपकरणों के समय पर न पहुँच पाने के कारण राज्य-वार किन-किन स्थानों पर टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित नहीं किए जा सके; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

(ग) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) प्रापण की कार्रवाई पहले ही की जा चुकी है। उपस्करों का क्षेत्रीय मूल्यांकन किया जा रहा है। सफल मूल्यांकन के पश्चात्, इनकी आपूर्ति मैसर्स पी.सी.एल. तथा आई.टी.आई. द्वारा की जाएगी।

विवरण

उन सर्किलों (स्थानों) की सूची जहाँ नए एक्सचेंज स्थापित करने के लिए एम.सी.पी.सी. वी-सैट की आवश्यकता है।

क्र. सं.	हिमाचल प्रदेश	बिहार	राजस्थान	महाराष्ट्र	उ.प्र. (पश्चिम)	मध्य प्रदेश	उत्तर पूर्व
1.	थिरोट	महुआ टांडा	धांगरी	शेलोशी	बेगन चोला	चिंडी	यचाली (एपी)
2.	खोकसर	गरू	अवाई	विशालगढ़	शेराघाट	सतरेंगा	नियापिन (एपी)
3.	धानकर	रामगढ़	रांधा	अनुसकुरा	कंडा	लोंगी	टेंगइनगाँव (एपी)
4.	चिटकल	बोरियो	हिजांलेर	गाजपुर	नागथाट	सालहेबरा	सुगनु (एमएन)
5.	ग्याबंग	करोन	कोट	बरवीडम	लखवार	रंगाखेरका	कसेमखुलेन (एमएन)
6.	च्यूनी	कुंधित	मंडरयाल	हाजीमलंगवाड़ी	लाखमंडल	सारखेडा	साईकुल (एमएन)
7.	गडा गुसांई	मसालिया			घुट्टा	किकिरमेटा	काकचिंस खुनाड (एमएन)
8.	सुधार	कुमारडुग्गी				खोकसापरे	खारखुटा (एमजी)
9.	गोमा	अधौरा				जोहरापडार	लुमशनौंग (एमजी)
10.	सैंज खुड					उरमल	रानीकोर (एमजी)
11.	पुल बहल					सुलेसा	चोकपोट (एमजी)
12.	मणिओटी					कुमा	नोकलोक (एनजी)
13.	सरपारा					किंमा	टोबू (एनजी)
14.	धामवारी					खामहर	टेनिंग (एनजी)
15.						भटुराकघार	चावमनु (टीपी)
16.						कटेकल्याण	
17.						गिरोला	
18.						विश्रामपुरी	
19.						जैतपुर	
20.						सालबर्डी	

टिप्पणी : उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए 45 एम.सी.पी.सी. वी-सैटों का आदेश पहले ही आपूर्तिदाताओं को दिया जा चुका है, जिसके लिए आपूर्तियों की प्रतीक्षा की जा रही है। 57 अददों की अतिरिक्त आवश्यकता को नए प्रापण में शामिल किया जाएगा।

[अनुवाद]

ग्रामीण विद्युतीकरण

2251. श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली के प्रयोग के संबंध में कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हाँ, तो अब तक विद्युतीकृत ग्रामीण क्षेत्रों का राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) ग्रामीण विद्युतीकरण के अंतर्गत देश के और ग्रामीण क्षेत्रों को शामिल करने हेतु कौन से कदम उठाने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) 1991 की जनगणना के अनुसार देश में 5,87,258 आवासीय गाँवों की तुलना में सितम्बर, 2000 तक 5,07,216 गाँवों को विद्युतीकृत किए जाने की रिपोर्ट है। विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में सितंबर, 2000 के अंत तक विद्युतीकृत गाँवों और उर्जित पम्पसेटों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) ग्रामीण विद्युतीकरण राज्य बिजली बोर्डों/राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है जो राज्यों में वितरण प्रणाली का स्वामित्व रखते हैं तथा उसका प्रचालन करते हैं। चालू वित्तीय वर्ष से, ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत निधियों को आरईसी के द्वारा प्रदान किए जाने की पहले की पद्धति की बजाए सामान्य केन्द्रीय सहायता के एक हिस्से के रूप में सीधे प्रदान किया जा रहा है। गाँवों में विद्युतीकरण की स्थिति में सुधार लाने के लिए उठाए जाने वाले अन्य कामों में भारत सरकार की सहायता से ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के ग्रामीण विद्युतीकरण और पम्पसेट उर्जन के कार्यक्रमों को वित्त पोषित करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, आरईसी प्रणाली सुधार और लघु उत्पादन के क्षेत्रों में निवेशों को वित्त पोषित कर रहा है। आरईसी द्वारा राज्य विद्युत बोर्डों को सहायता प्रदान की जा रही है जिससे एक निर्दिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में एकीकृत रूप में सम्पूर्ण ग्रामीण वितरण प्रणाली को देखा जा सके ताकि जहाँ भी आवश्यक हो एलटी वितरण नेटवर्क को बिछाकर तथा सशक्तिकरण करके और ऊर्जा मीटर लगाकर एक समयबद्ध रूप में विद्यमान अक्षमताओं को अभिज्ञात करके उन्हें हटाने के लिए एक योजना तैयार की जा सके। सरकार कुटीर-ज्योति स्कीम के अंतर्गत गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों को एकल प्वाइंट कनैक्शन प्रदान करने हेतु आरईसी के जरिए राज्य सरकारों/राज्य बिजली बोर्डों को 100% अनुदान सहायता प्रदान करती है। आंतरिक तारों को बिछाने तथा सर्विस कनैक्शन प्रभारों की एक समय की लागत को पूरा करने के लिए गैर-मीटरीकृत कनैक्शनों हेतु 800/- रुपये तथा मीटरित कनैक्शनों हेतु 1000/- रुपये की राशि प्रदान की जाती है। सरकार ने चालू वर्ष के दौरान 415 आदिवासी गाँवों और 2440 दलित बस्तियों के विद्युतीकरण हेतु 7.5% ब्याज आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु एक स्कीम को अनुमोदित किया है। सरकार ने त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम (एपीडीपी) नामक एक विशेष कार्यक्रम को भी आरंभ किया है जिसमें वितरण और उप पारेषण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण का एक घटक विद्यमान है। चालू वर्ष के लिए इस कार्यक्रम के अंतर्गत 100 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है।

विवरण

सितंबर, 2000 के अनुसार भारत में ग्रामीण विद्युतीकरण की स्थिति

क्र. सं.	राज्य	कुल बसे हुए गाँव (1991 की जनगणना)	सितंबर, 2000 के अंत तक विद्युतीकृत गाँव (अनंतिम)	टिप्पणियाँ
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	26586	26565	(*)
2.	अरूणाचल प्रदेश	3649	2171	(ई)
3.	असम	24685	19019	(ख)
4.	बिहार	67513	47890	($$)(घ)
5.	गोवा	360	360	(/)
6.	गुजरात	18028	17940	(*)
7.	हरियाणा	6759	6759	
8.	हिमाचल प्रदेश	16997	16854	(+)
9.	जम्मू एवं कश्मीर	6477	6315	($)(क)
10.	कर्नाटक	27066	26694	(+)
11.	केरल	1384	1384	
12.	मध्य प्रदेश	71526	68346	
13.	महाराष्ट्र	40412	40412	(@)
14.	मणिपुर	2182	2001	
15.	मेघालय	5484	2510	(ग)
16.	मिजोरम	698	691	
17.	नागालैंड	1216	1196	(च)
18.	उड़ीसा	46989	35232	
19.	पंजाब	12428	12428	
20.	राजस्थान	37889	35490	
21.	सिक्किम	447	405	(#)
22.	तमिलनाडु	15822	15822	

1	2	3	4	5
23.	त्रिपुरा	855	810	
24.	उत्तर प्रदेश	112803	89273	
25.	पश्चिम बंगाल	37910	29559	(च)
	उप जोड़	586165	506126	
	केन्द्र शासित केन्द्र	1093	1090	(*)
	कुल जोड़	587258	507216	

(*) विद्युतीकरण हेतु शेष गाँवों को अव्यावहारिक रूप से घोषित कर दिया गया।
(#) अनंतिम 42 वन गाँवों का विद्युतीकरण नहीं किया गया।
(@) 1991 की जनगणना के अनुसार अनन्तिम की पुष्टि शेष है।
(+) 1981 की जनगणना के अनुसार विद्युतीकरण शत प्रतिशत पूर्ण।
(**$$**) 1991 की जनगणना के अनुसार उपलब्धियाँ।
(**$**) 1971 की जनगणना के अनुसार उपलब्धियाँ 1. 1991 की जनगणना नहीं हुई
क. 31.3.98 के अनुसार
ख. 30.11.98 के अनुसार
ग. 30.4.2000 के अनुसार
घ. 31.5.2000 के अनुसार
ङ. 31.7.2000 के अनुसार
च. 31.8.2000 के अनुसार

स्रोत : गाँवों के विद्युतीकरण (9/2000) पर के.वि.प्रा. की रिपोर्ट।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा बड़ी परियोजनाओं का क्रियान्वयन

2252. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले: क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने विभिन्न राज्यों में क्रियान्वयनाधीन बड़ी परियोजनाओं के क्रियान्वयन संबंधी कार्य-प्रदर्शन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हाँ, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान सामान्य रूप से राज्य-वार और विशेष रूप से महाराष्ट्र के संबंध में निर्धारित और प्राप्त किए गए वित्तीय और वास्तविक लक्ष्यों का परियोजना-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) महाराष्ट्र में परियोजनाओं के लिए निजी निवेशकों के अनुमोदित और क्रियान्वयनाधीन प्रस्तावों तथा विचाराधीन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) महाराष्ट्र में चालू सड़क परियोजनाओं और प्रस्तावित सड़क परियोजनाओं के संबंध में अब तक प्राप्त विदेशी सहायता/अनुमोदित ऋण का ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खंडूडी) : (क) जी हाँ।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) महाराष्ट्र में निजी निवेश का कोई प्रस्ताव कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है। अकोला बाईपास की एक परियोजना का प्रस्ताव है।

(घ) राष्ट्रीय राजमार्ग-8 के सूरत-मनोर खंड की 57.4 कि.मी. की लम्बाई पर गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों में कुल 176 कि.मी. लम्बाई के लिए 180 मिलियन अमरीकी डॉलर की एशियाई विकास बैंक की ऋण सहायता के अंतर्गत कार्य किया जा रहा है।

विवरण

	परियोजनाओं की सं.	लम्बाई (कि.मी.)	लागत (करोड़ रु.)	लक्ष्य
स्वर्णिम चतुर्भुज	13	697	3010	दिसम्बर, 2003
उत्तर-दक्षिण, पूर्व-पश्चिम	20	272	839	दिसम्बर, 2002
अन्य	8	216	989	दिसम्बर, 2003
जोड़	41	1185	4838	

महाराष्ट्र में तीन परियोजनाएँ अर्थात् पूर्ण बाईपास (राष्ट्रीय राजमार्ग-4), कजली-मनोर (57.4 कि.मी.) और नागपुर आदिलाबाद (राष्ट्रीय राजमार्ग-7) कार्यान्वित की जा रही हैं जिनकी कुल लम्बाई 116 कि.मी. और लागत 360 करोड़ रुपया है।

सभी परियोजनाओं का कार्य समय तालिका के अनुसार चल रहा है।

किसानों को ऋण

2253. श्री सुकदेव पासवान:
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कुछ राज्यों में किसानों के पास बिना बिके खाद्यान्नों के विशाल भंडार के मद्देनजर उन्हें ऋण देने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपद यासो नाईक) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंकों को किसानों के कृषि उत्पाद (गोदाम प्राप्ति सहित) के रेहन बंधक के बदले अधिकतम 6 माह की शर्त पर एक लाख रु. तक के अग्रिम मंजूर करने की अनुमति दी गयी है।

पूर्वोत्तर राज्यों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

2254. श्री भीम दाहाल: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान और अभी तक सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में कोई खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित किए गए हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्री टीएच. चाओबा सिंह) : (क) और (ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग स्वयं कोई यूनिट स्थापित नहीं करता। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग की योजना स्कीमों के तहत गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों, गैर-सरकारी संगठनों, सहकारिताओं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, मानव संसाधन विकास संगठनों एवं अनुसंधान तथा विकास संस्थाओं आदि को फल एवं सब्जी प्रसंस्करण समेत प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र के विकास के लिए आसान शर्तों पर ऋण तथा सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। 1998-99 और 1999-2000 की अवधि के दौरान पूर्वोत्तर और सिक्किम में फल एवं सब्जी प्रसंस्करण परियोजनाओं के लिए 5.98 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई।

सेल्युलर ऑपरेटर

2255. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 अक्तूबर, 2000 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में "सेल्युलर ऑपरेटरज आलाऊड टु कंस्ट्रक्ट स्ट्रक्चरज ऑन रूफ टाप्स" शीर्षक में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त समाचार में मामले के किन तथ्यों पर प्रकाश डाला गया है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने दिल्ली नगर निगम को ऐसी अनुमति देने की स्वीकृति प्रदान की है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो आपरेटरों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हाँ।

(ख) प्रौद्योगिकी संबंधी आवश्यकताओं पर विचार करते हुए, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने सेल्युलर मोबाइल फोन सर्विस के लिए छतों पर अस्थायी स्ट्रक्चर्स संस्थापित करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। तथापि वाणिज्यिक कार्यकलाप होने के कारण आवासीय क्षेत्र में इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

(ग) इस संबंध में संचार मंत्रालय द्वारा न तो कोई अनुमति दी गई है और न ही दिए जाने की आवश्यकता है।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

कृषि विकास संबंधी विश्व बैंक की रिपोर्ट

2256. श्री अरुण कुमार:
श्री मंजय लाल:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कृषि विकास संबंधी विश्व बैंक रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं; और

(ख) इसमें दिए गए सुझावों के संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपद यासो नाईक) : (क) कृषि मंत्रालय विश्व बैंक की कृषि विकास संबंधी किसी रिपोर्ट से वाकिफ नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

ऐलकोहल निर्माण कम्पनियों द्वारा मृदा और जल प्रदूषण

2257. श्री रामशकल:
श्री राम मोहन गाइडे:
श्री शिवाजी माने:
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय के आदेशों के बावजूद पश्चिम उत्तर प्रदेश में कई ऐलकोहल निर्माण कम्पनियाँ अपने कारखाने से निकलने वाले जहरीले रासायनिक पदार्थों को भूमिगत जमा कर रही हैं और उन्हें खुले में छोड़ रही हैं जिसके कारण मृदा और भूमिगत जल में प्रदूषण बढ़ रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने राज्य सरकार से ऐसी कम्पनियों का पता लगाने का निर्देश दिया है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या केन्द्र सरकार को इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार से कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग सुरक्षा बल

2258. श्री प्रभुनाथ सिंहः क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिनांक 10 अक्तूबर, 2000 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित समाचार के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों पर आपराधिक गतिविधियाँ दिन-प्रतिदिन बढ़ रही हैं;

(ख) यदि हाँ, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष राष्ट्रीय राजमार्गों पर कितनी घटनाएँ घटित हुई;

(ग) क्या सरकार का विचार सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के सीधे नियंत्रणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग सुरक्षा बल गठित करने का है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) राष्ट्रीय राजमार्ग प्रयोक्ताओं की सुरक्षा चिकित्सा रहने की व्यवस्था आदि को ध्यान में रखते हुए उन्हें उपलब्ध कराई जा रही अन्य सुविधाओं का ब्यौरा क्या है और इन सुविधाओं का कितना विस्तार किया जाएगा?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) और (ख) कानून व्यवस्था राज्य का विषय है और ऐसी घटनाओं की सूचना इस मंत्रालय को नहीं दी जाती है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) राष्ट्रीय राजमार्ग गश्त स्कीम के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों पर मौके पर तत्काल चिकित्सीय राहत उपलब्ध कराने के लिए एम्बुलेंसों की खरीद हेतु और दुर्घटनाओं में शामिल वाहनों को हटाने के लिए क्रेनों की खरीद हेतु मंत्रालय द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इस समय केवल राष्ट्रीय राजमार्ग प्रयोक्ताओं के लाभ के लिए चिकित्सा आवास की कोई सुविधा नहीं है।

मैच फिक्सिंग के संबंध में केन्द्रीय जाँच ब्यूरो की रिपोर्ट लीक होना

2259. श्री कीर्ति झा आजादः क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या क्रिकेट मैच फिक्सिंग के संबंध में केन्द्रीय जाँच ब्यूरो की रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करने से पहले लीक हो गई थी; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार का विचार इस रिपोर्ट को लीक करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करने का है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन् राधाकृष्णन्) : (क) केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सी.बी.आई.) से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करने से पहले लीक नहीं हुई थी। सरकार द्वारा रिपोर्ट सार्वजनिक कर देने के बाद ही, इसे सी.बी.आई. की इन्टरनेट साइट पर दिखाया गया था। सी.बी.आई. ने यह भी सूचित किया है कि क्रिकेट मैच फिक्सिंग तथा संबंधित कदाचारों की सी.बी.आई. जाँच एक खुली जाँच थी तथा इसकी रिपोर्ट कोई वर्गीकृत दस्तावेज नहीं थी।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

जूसों में कृत्रिम रंग

2260. श्री रवि प्रकाश वर्माः क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीलबंद जूस के डिब्बों में कृत्रिम रंग की मात्रा अनुमत्य सीमा से अधिक है;

(ख) यदि हाँ, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष बाजार में कितने नमूने एकत्र किए गए और उनमें से कितने नमूनों में सकारात्मक परिणाम सामने आए; और

(ग) सरकार द्वारा उनका उत्पादन रोकने के लिए विनिर्माताओं के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई?

कृषि मंत्रालय के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्री टीएच. धाओबा सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

टेहरी पन-बिजली परियोजना का पुनः मूल्यांकन

2261. श्री वाई.वी. रावः क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार गंगा नदी पर टेहरी पन-बिजली परियोजना का कोई वैज्ञानिक पुनः मूल्यांकन करने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कुछेक वर्गों द्वारा इसके निर्माण के प्रति विरोध करने के क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से गंगा जल के स्व-शुद्धीकरण गुण एवं इस पर टिहरी बाँध तथा जल विद्युत परियोजना के प्रभाव का अध्ययन करने का अनुरोध किया गया है।

[हिन्दी]

"पेट्रो वाहनों के कारण प्रदूषण"

2262. श्रीमती रेनु कुमारी:
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:
श्री तरुण गोगोई:
श्री सुन्दर लाल तिवारी:

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 17 अक्तूबर, 2000 के दैनिक 'हिन्दुस्तान' (हिन्दी संस्करण) में प्रकाशित समाचार के अनुसार दिल्ली जैसे शहरों में पेट्रोल से चलने वाले वाहनों के कारण विश्व के पर्यावरण/जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो इसमें प्रकाशित समाचार और तथ्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समस्या के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दिल्ली एवं अन्य महानगरों में वाहनजनित प्रदूषण पर नियंत्रण के उद्देश्य से सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में पूरे देश में 1.4.2000 से विनिर्मित मोटर-वाहनों के लिए यूरो-I मानकों के समान इंडिया-2000 मानक के रूप में ज्ञात कड़े व्यापक उत्सर्जन मानक तथा 1.4.2000 से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में, 1.1.2000 से मुम्बई में तथा 1.7.2000 से चेन्नई व कलकत्ता में चार पहियों वाले निजी (गैर-वाणिज्यिक) वाहनों के पंजीकरण के लिए यूरो-II के समान भारत स्टेज-II के रूप में ज्ञात और अधिक कड़े व्यापक उत्सर्जन मानक, 1.4.1999 से पूरे देश में 2-स्ट्रोक इंजन ऑयल के विनिर्देश अधिसूचित किया जाना, ऑटोमोबाइल प्रौद्योगिकी के उन्नयन के अनुरूप उन्नत ईंधन गुणवत्ता की आपूर्ति, पूरे देश भर में सीसारहित पेट्रोल की आपूर्ति और स्वच्छ ईंधन को अंगीकार करना शामिल है।

कृषि विज्ञान केन्द्रों के लिए योजना आयोग को प्रस्ताव

2263. श्री रामदास आठवले: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय कृषि अनुसंधान परिषद ने देश के विभिन्न राज्यों में कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने के लिए योजना आयोग को नए प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. देवेन्द्र प्रधान) : (क) और (ख) जी हाँ। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 66 कृषि विज्ञान केन्द्रों को खोलने के लिए योजना आयोग को एक नया प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) यह अतिरिक्त संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

विवरण

विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में प्रस्तावित कृषि विज्ञान केन्द्रों की संख्या

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	कृषि विज्ञान केन्द्रों की संख्या
आंध्र प्रदेश	1
अरूणाचल प्रदेश	4
असम	6
बिहार	6
दादर तथा नागर हवेली	1
हरियाणा	7
हिमाचल प्रदेश	1
जम्मू व कश्मीर	4
मध्य प्रदेश	8
महाराष्ट्र	3
मणिपुर	2
मेघालय	5
मिजोरम	1
नागालैंड	2
उड़ीसा	3
सिक्किम	3
तमिलनाडु	2
त्रिपुरा	2
उत्तर प्रदेश	5
कुल	66

केन्द्र द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं का बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों पर प्रभाव

2264. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवलीः क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केन्द्र द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं के माध्यम से सुनियोजित विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों पर कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है;

(ख) यदि हाँ, तो राष्ट्र की बरबादी को रोकने के लिए इन क्षेत्रों हेतु कोई उपयुक्त योजना तैयार न कर पाने के लिए आयोजकों के पीछे कौन व्यक्ति हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार उन क्षेत्रों के लिए सामान्य नियोजन प्रक्रियाओं के बदले में कोई विशेष कार्यक्रम शुरू करने का है;

(घ) यदि हाँ, तो सरकार के विचाराधीन क्या विधि और कार्य योजना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपद यासो नाईक) : (क) से (ङ) बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, अतः सभी प्रकार की बाढ़-से-बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की सम्पूर्ण रक्षा कर पाना न तो व्यावहारिक रूप से सम्भव है और न ही आर्थिक रूप से व्यवहार्य। संरचनात्मक तथा गैर-संरचनात्मक दोनों प्रकार के उपायों को शामिल करके बाढ़ से समुचित रक्षा करना बाढ़ प्रबंध के तहत अपनायी जाने वाली रणनीति है।

बाढ़ नियंत्रण/प्रबंध प्रथमतः राज्य सरकार का कार्य है। केन्द्रीय सरकार योजना आयोग के माध्यम से राज्यों को वार्षिक योजना के अन्तर्गत बाढ़ नियंत्रण उपायों के लिए धनराशि उपलब्ध कराती है। इसके अलावा कुछ विशेष प्राथमिकता वाले कार्यों को शुरू करने के लिए केन्द्रीय सरकार सीमावर्ती राज्यों तथा उत्तर-पूर्व स्थित राज्यों को विशेष सहायता देती है। केन्द्रीय सरकार 157 बाढ़ चेतावनी केन्द्रों जिनका रखरखाव व प्रचालन केन्द्रीय जल आयोग करता है, के माध्यम से प्रमुख अंतर्राज्यीय नदियों के लिए बाढ़ चेतावनी सेवाएँ प्रदान करती है।

[अनुवाद]

मैच फिक्सिंग के संबंध में किंग कमीशन की यात्रा

2265. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ाः क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या दक्षिण अफ्रीका में मैच फिक्सिंग घोटाले की जाँच कर रहे किंग कमीशन के दो सदस्यीय दल ने हाल ही में भारत की यात्रा की थी; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा और प्रयोजन क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन्): (क) जी, हाँ।

(ख) दक्षिण अफ्रीका के किंग जाँच आयोग के दो सदस्यीय दल में शामिल सुश्री शमीला बटोही, मुख्य अभियोजक तथा कैप्टन ज्योफ एडवर्ड, जो आयोग से जुड़े हैं, ने 17-22 सितम्बर, 2000 तक दिल्ली का दौरा किया था। यहाँ अपने प्रवास के दौरान, उस दल ने कथित मैच-फिक्सिंग मामले की जाँच कर रहे दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से बातचीत की थी।

अरूणाचल प्रदेश में बाढ़ें

2266. श्री गुनीपाटी रामैयाः क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या अरूणाचल प्रदेश में आई अचानक बाढ़ के कारण कई लोगों की जानें गईं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या बाढ़ आने का कारण संभवतः सीमापार से कुछ हरकत थी;

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने भविष्य में इन घटनाओं को रोकने के लिए चीन सरकार के साथ यह मामला उठाया है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपद यासो नाईक) : (क) राज्य सरकार ने सूचना दी है कि जून, 2000 में अचानक आई बाढ़ (फ्लैश फ्लड) से 26 लोगों की मृत्यु हो गई।

(ख) से (घ) इस मामले को चीनी पक्ष के साथ उठाया गया। उनका कहना था कि उनके इलाके में यारलुंग सांगपो (ब्रह्मपुत्र) नदी पर कोई बाँध नहीं है तथा भारतीय इलाके में हुई यह घटना 'केवल प्राकृतिक कारणों' से हुई है।

[हिन्दी]

रोहतांग दर्रा में सुरंग का निर्माण

2267. श्री महेश्वर सिंहः क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा के सुरंग निर्माण कार्य में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान सुरंग के निर्माण के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ग) क्या सुरंग का निर्माण कार्य शुरू हो गया है;

(घ) यदि हाँ, तो इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है और इसे पूरा करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसका निर्माण कार्य कब तक शुरू किए जाने की संभावना है और सुरंग के निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने में किन समस्याओं का सामना किया जा रहा है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खंडूडी) : (क) रोहतांग दर्रे में सुरंग के प्रस्तावित संरेखण के लिए भूवैज्ञानिक जाँच अभी पूरी हुई है।

(ख) शून्य।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) इस समय सुरंग के निर्माण के लिए कोई निश्चित समय अवधि बता पाना संभव नहीं है।

गेहूँ का उत्पादन और समर्थन मूल्य

2268. श्रीमती जस कौर मीणा: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2000-2001 के दौरान देश में राज्य-वार गेहूँ का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा गेहूँ का कितना समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया;

(ग) क्या विभिन्न राज्यों में किसानों को अपना गेहूँ समर्थन मूल्य से भी कम मूल्य पर बेचना पड़ा; और

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपद यासो नाईक) : (क) वर्ष 1999-2000 के दौरान गेहूँ उत्पादन के अग्रिम अनुमानों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) सरकार ने गेहूँ की 1999-2000 की फसल, जो 2000-01 मौसम में बेची जाएगी, का न्यूनतम समर्थन मूल्य 580 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है।

(ग) और (घ) सरकार की मूल्य सहायता स्कीम के अन्तर्गत गेहूँ से संबंधित खरीद प्रचालन भारतीय खाद्य निगम द्वारा राज्य सरकारों एवं इसके अभिकरणों के सहयोग से किया जाता है। इस प्रयोजनार्थ भारतीय खाद्य निगम द्वारा राज्य सरकारों की सलाह से प्रत्येक विपणन मौसम की शुरूआत से काफी पहले पर्याप्त संख्या में खरीद केन्द्र खोले जाते हैं। भारतीय खाद्य निगम एवं राज्य सरकारों के अभिकरणों द्वारा समस्त गेहूँ खरीद लिया जाता है बशर्ते वह एक समान विनिर्दिष्टियों के अनुरूप है। विवशता में औने-पौने दामों पर बेचने संबंधी सभी शिकायतों पर भारतीय खाद्य निगम एवं राज्य सरकारों द्वारा तुरंत कार्रवाई की जाती है। खरीद अभिकरणों द्वारा अच्छी औसत गुणवत्ता मानदंडों से कम स्तर के गेहूँ की खरीद नहीं की जाती और किसान इसे प्रचलित दरों पर खुले बाजार में बेच देते हैं।

विवरण

(हजार मीटरी टन)

राज्य	गेहूँ
आंध्र प्रदेश	6
असम	86
बिहार	4367
गुजरात	925
हरियाणा	9642
हिमाचल प्रदेश	481
जम्मू व कश्मीर	365
कर्नाटक	176
केरल	–
मध्य प्रदेश	8458
महाराष्ट्र	1287
उड़ीसा	8
पंजाब	15852
राजस्थान	6732
तमिलनाडु	–
उत्तर प्रदेश	25000
पश्चिम बंगाल	796
अन्य	65
सम्पूर्ण भारत	74246

मोटे अक्षरों में दिए गए रेखांकित आँकड़े अन्तिम अनुमान हैं।

मोटे अक्षरों में दिए गए आँकड़े संशोधित अग्रिम अनुमान हैं।

[अनुवाद]

फलों और सब्जियों के लिए भंडारण सुविधाएँ

2269. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भंडारण, परिवहन और विपणन की पर्याप्त सुविधाएँ न होने के कारण प्रतिवर्ष औसतन कुल कितनी मात्रा में फल और सब्जियाँ खराब होती हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान फलों और सब्जियों को खराब होने से बचाने के लिए सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है और इस हेतु राज्य-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए;

(ग) क्या सरकार का विचार फल और सब्जी प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने का है ताकि ग्रामीण रोजगार को प्रोत्साहन मिले; और

(घ) यदि हाँ, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपद यासो नाईक) : (क) नौवीं योजना के लिए फसलोपरांत प्रबंधन, विपणन तथा निर्यात संबंधी उप-कार्यदल की रिपोर्ट के अनुसार, फसलोपरांत विभिन्न फसलों में विभिन्न चरणों में हानियों का अंतर 8 से 37 प्रतिशत के बीच आँका गया है।

(ख) से (घ) कृषि मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, फसलोपरांत प्रबंध ढाँचे को सुदृढ़ बनाने के लिए निम्नलिखित स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है:

(i) शीत भंडारों/बागवानी उत्पाद हेतु भंडारों के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए पूँजी निवेश राजसहायता स्कीम; तथा

(ii) बागवानी उत्पादों के उत्पादन व फसलोपरांत प्रबंधन के माध्यम से वाणिज्यिक बागवानी का विकास।

फलों तथा सब्जियों प्रसंस्करण उद्योगों सहित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग भी बड़ी संख्या में प्लान स्कीमें प्रचलित करता है।

स्कीमें माँग आधारित हैं और राज्य-वार कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं।

दमन और दीव में खेती के अयोग्य भूमि

2270. श्री दह्याभाई वल्लभभाई पटेल: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान दमन और दीव में खेती के अयोग्य और ऊँची-नीची भूमि के कुल कितने क्षेत्र को खेती योग्य बनाया गया; और

(ख) इसके परिणामस्वरूप खाद्यान्न उत्पादन में कितनी वृद्धि दर्ज हुई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपद यासो नाईक) : (क) दमन और दीव प्रशासन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, खेती के अयोग्य और ऊँची-नीची भूमि का कोई क्षेत्र गत तीन वर्षों के दौरान खेती योग्य नहीं बनाया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन योजना

2271. श्री दिनशा पटेल: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गुजरात में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन योजना के संबंध में काफी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हाँ, तो गत एक वर्ष की ऐसी शिकायतों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) जी, हाँ। गुजरात राज्य में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोंस (वीपीटी) के कार्य न करने के बारे में पिछले एक वर्ष के दौरान 1351 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। अब इन शिकायतों पर ध्यान दिया गया है। नवम्बर, 2000 के माह में 274 वी.पी.टी. खराब होने की सूचना मिली थी।

(ग) राज्य के सभी गौण स्विचन क्षेत्रों (एसएसए) में प्राथमिकता के आधार पर वी.पी.टी. शिकायतों पर ध्यान देने एवं उनके कार्य-निष्पादन की मॉनीटरिंग करने के लिए अनुरक्षण दल बनाए गए हैं।

[हिन्दी]

राजस्थान में डाकघर/उपडाकघर

2272. श्री श्रीचन्द कृपलानी: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में कितने डाकघर और उपडाकघर खोले गए;

(ख) किन-किन स्थानों पर डाकघरों और उपडाकघरों का उन्नयन किया जाएगा;

(ग) राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में साबा और बोहेरा में किन-किन उपडाकघरों का उन्नयन करके डाकघर बनाया जाना है; और

(घ) चालू वित्त वर्ष के दौरान चित्तौड़गढ़ में कितने डाकघर और उपडाकघर खोले जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में कुल 87 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर एवं 3 विभागीय उपडाकघर खोले गए हैं।

(ख) किसी डाकघर का दर्जा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) विभाग द्वारा निर्धारित वित्तीय मानदंडों के आधार पर साबा एवं बोहेरा अतिरिक्त विभागीय उपडाकघरों के उन्नयन औचित्यसम्मत नहीं पाये गए हैं।

(घ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान चित्तौड़गढ़ जिले में 2 नए अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों के खोलने का प्रस्ताव है। विभागीय मानदंडों की पूर्ति होने तथा वित्त मंत्रालय से अपेक्षित पदों की मंजूरी मिलने पर नए डाकघरों का खोलना निर्भर करता है।

[अनुवाद]

"आप्टिकल फाइबर केबल"

2273. श्री बीर सिंह महतो: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पश्चिम बंगाल में कितने 'ऑप्टिकल फाइबर केबल' की आवश्यकता है और इसकी वर्तमान आपूर्ति कितनी है;

(ख) क्या राज्य में 'ऑप्टिकल फाइबर केबल' की माँग और आपूर्ति के बीच काफी अंतर है; और

(ग) यदि हाँ, तो 'केबल' की आपूर्ति शीघ्र बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) 2000-2001 के दौरान पश्चिम बंगाल में अपेक्षित ऑप्टिकल फाइबर केबल की मात्रा 2040 कि.मी. है और अब तक 538 कि.मी. मात्रा प्राप्त हुई है।

(ख) 12 फाइबर और 24 फाइबर केबलों के प्रति वैंडर्स द्वारा टेंडरशुदा कीमतों को मंजूर न करने के कारण ऑप्टिकल फाइबर केबल की शेष मात्रा की आपूर्ति में देर हुई है।

(ग) शेष मात्रा के प्रापण के लिए एक अल्प सूचना सीमित निविदा पुनः माँगी गई है जिसे शीघ्र ही अंतिम रूप दिया जाएगा।

[हिन्दी]

खाद्यान्नों का चारे के रूप में प्रयोग

2274. श्री विजय कुमार खंडेलवाल: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में दूध, गोश्त और अंडों की माँग और उत्पादन में बढ़ोत्तरी हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप खाद्यान्नों का चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस हेतु कितनी मात्रा में खाद्यान्नों का प्रयोग किया गया?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. देवेन्द्र प्रधान) : (क) और (ख) जनसंख्या में वृद्धि होने के फलस्वरूप देश में दूध, मीट और अंडों की माँग बढ़ रही है। वर्षों से इन मदों के उत्पादन में वृद्धि हो रही है। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

दूध, अंडा और मीट का उत्पादन : 1980-81 से 1999-2000

वर्ष	दूध (मिलियन टन)	अंडा (मिलियन संख्या)	मीट (000 टन)
1	2	3	4
1980-81	31.6	10060	798
1981-82	34.3	10876	849
1982-83	35.8	11454	866
1983-84	38.8	12792	1010
1984-85	41.5	14252	1007
1985-86	44.0	16128	1106
1986-87	46.1	17310	1261
1987-88	46.7	17795	1610
1988-89	48.4	18980	2974
1989-90	51.4	20204	3596

1	2	3	4
1990-91	53.9	21101	3710
1991-92	55.7	21983	3800
1992-93	58.0	22929	3950
1993-94	60.6	24167	4051
1994-95	63.8	25975	4259
1995-96	66.2	27198	4319
1996-97	69.1	27496	4421
1997-98 (अनंतिम)	70.8	28567	4448
1998-99 (अनंतिम)	74.7	30150	4464
1999-2000 (प्रत्याशित)	78.1	31500	4475

[अनुवाद]

'वीएसएटी' के लिए लाइसेंस शुल्क

2275. श्री चन्द्र विजय सिंह: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस समय भारत में 'वीएसएटी' का लाइसेंस शुल्क विश्व में सबसे अधिक है; और

(ख) यदि हाँ, तो लाइसेंस शुल्क को कम करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) सरकार के पास, ऐसी कोई जानकारी नहीं है जिससे यह पता चल सके कि भारत में बहुत छोटे अपरचर टर्मिनलों (वीएसएटी) का मौजूदा लाइसेंस शुल्क, विश्व में सर्वाधिक है। तथापि, सरकार ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) से वी.एस.ए.टी. के लाइसेंस शुल्क के संबंध में सिफारिशें देने का अनुरोध किया था। टीआरएआई ने वीएसएटी के लाइसेंस शुल्क के संबंध में अपनी सिफारिशें दी हैं जो इस प्रकार हैं:

बेसिक रेट बीयरर सेवा अर्थात् 64 के.बी.पी.एस. के लिए प्रति वी.एस.ए.टी. लाइसेंस शुल्क:

1 से 500 वीएसएटी 30 लाख रु. प्रति वर्ष की न्यूनतम धनराशि के साथ प्रति वीएसएटी प्रति वर्ष 20,000 रु.

501 से 1000 वीएसएटी-100 लाख रु. प्रति वर्ष की न्यूनतम धनराशि के साथ प्रति वीएसएटी प्रति वर्ष 15,000 रु.

1000 वीएसएटी से अधिक-150 लाख रु. प्रति वर्ष की न्यूनतम धनराशि के साथ 10,000 रु. प्रति वी.एस.ए.टी. प्रति वर्ष।

30 लाख रु. की धनराशि, जिसे न्यूनतम लाइसेंस शुल्क के रूप में निर्धारित किया गया है, में प्रवेश शुल्क भी शामिल है।

टी.आर.ए.आई. द्वारा संस्तुत उपर्युक्त लाइसेंस शुल्क, प्रति वी.एस.ए.टी. प्रति वर्ष 50,000 रु. के मौजूदा लाइसेंस शुल्क से काफी कम है। सरकार को इस मामले में निर्णय लेना है।

डाक विभाग में रिक्त पद

2276. श्री राम मोहन गाड्डे: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आन्ध्र प्रदेश में डाक विभाग में कितने पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) उक्त रिक्त पद कब तक भर लिए जाएंगे;

(ग) इस समय राज्य में कितने डाकघर कार्य कर रहे हैं;

(घ) अन्य दक्षिणी राज्यों की तुलना में आन्ध्र प्रदेश में व्यक्ति और डाकघर का अनुपात क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार 2000-2001 के दौरान राज्य में नए डाकघर खोलने का है;

(च) यदि हाँ, तो स्थानवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) आन्ध्र प्रदेश में डाक विभाग में रिक्त पड़े पद निम्नलिखित के अनुसार हैं:

समूह-क	–	6
समूह-ग	–	843
समूह-घ	–	104

(ख) समूह 'क' एवं 'ख' में पदोन्नतिपरक पद विभागीय पदोन्नति समिति एवं विभागीय परीक्षाओं के माध्यम से भरे जाएँगे। किन्तु, समूह 'ग' एवं 'घ' संवर्गों की सीधी भर्ती रिक्तियाँ, भर्ती पर लगे मौजूदा प्रतिबंध को हटाकर भरी जा सकती हैं।

(ग) आन्ध्र प्रदेश में इस समय काम कर रहे डाकघरों की संख्या 16,192 है।

(घ) आन्ध्र प्रदेश में प्रति डाकघर सेवित औसत जनसंख्या 4,097 है और दक्षिणी राज्यों में प्रति डाकघर सेवित औसत जनसंख्या 5,299 है।

(ङ) जी हाँ।

(च) वर्ष 2000-2001 में आन्ध्र प्रदेश में 15 नए शाखा डाकघर एवं 2 नए उपडाकघर खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नए डाकघरों का खोलना, विभागीय मानदंडों की पूर्ति होने तथा वित्त मंत्रालय से अपेक्षित पदों की मंजूरी मिलने पर निर्भर करता है।

(छ) उपर्युक्त (च) में दिए गए उत्तर को ध्यान में रखकर प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

गाँवों में पत्र-पेटिकाएँ

2277. श्री मोहन रावले: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्यों में 300 या इससे अधिक जनसंख्या वाले सभी गाँवों में प्राथमिकता के आधार पर पत्र-पेटिकाएँ उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हाँ, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) 300 और इससे अधिक की जनसंख्या वाले गाँवों में पत्र-पेटियाँ संस्थापित की जाती हैं।

(ख) उन गाँवों, जिनमें पत्र-पेटियाँ हैं, का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	सर्किल	लेटर-बॉक्स सहित गाँवों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	26944
2.	असम	15681
3.	बिहार	31980
4.	दिल्ली	199
5.	गुजरात	17658
	दादर एवं नागर हवेली	71
	दमन एवं दीव	25
6.	हरियाणा	6759
7.	हिमाचल प्रदेश	6222
8.	जम्मू एवं कश्मीर	2995
9.	कर्नाटक	19161
10.	केरल	1452
	लक्षद्वीप	10
	माहे (पांडिचेरी)	1
11.	मध्य प्रदेश	45307
12.	महाराष्ट्र	29870
	गोवा	360
13.	उत्तर पूर्व	
	अरूणाचल प्रदेश	601
	मणिपुर	1619
	मेघालय	1531
	मिजोरम	649
	नागालैंड	687
	त्रिपुरा	2625
14.	उड़ीसा	20952
15.	पंजाब	10638
	चंडीगढ़	24
16.	राजस्थान	22768
17.	तमिलनाडु	15516
	पांडिचेरी	233
18.	उत्तर प्रदेश	89231
19.	पश्चिम बंगाल	33525
	अंडमान एंड निकोबार द्वीप	190
	सिक्किम	270
	कुल	405754

[अनुवाद]

बंगलौर में टेलीफोन कनेक्शन

2278. श्री आर.एस. जाखप्पा: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय बंगलौर में टेलीफोन कनेक्शन के लिए कितने व्यक्ति प्रतीक्षारत हैं;

(ख) जनवरी, 2000 से अब तक इस शहर में कितने नए टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं; और

(ग) प्रतीक्षा सूची को कब तक निपटा लिया जाएगा?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) 21.11.2000 की स्थिति के अनुसार बंगलौर शहर में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षारत व्यक्तियों की संख्या 29,420 है।

(ख) उक्त शहर में जनवरी, 2000 से 21.11.2000 तक 97,421 नए कनेक्शन प्रदान किए गए हैं।

(ग) मार्च, 2001 तक प्रतीक्षा सूची को निपटा दिए जाने की संभावना है।

"समेकित वानिकी विकास परियोजना"

2279. श्री भूपेन्द्रसिंह सोलंकी: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात में 'समेकित वानिकी विकास परियोजना' नामक वानिकी परियोजना क्रियान्वित की जा रही है;

(ख) यदि हाँ, तो इसे कब आरम्भ किया गया और इसके पूरा होने के लिए क्या समयावधि रखी गई है;

(ग) परियोजना हेतु प्राप्त विदेशी सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस परियोजना हेतु कितना क्षेत्र निर्धारित किया गया है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) जी, हाँ।

(ख) यह परियोजना मार्च, 1996 में आरम्भ की गई थी और इसके पूरा होने की समयावधि मार्च, 2000 रखी गई है।

(ग) जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बैंक (जे.बी.आई.सी.) ने इस परियोजना के लिए 15760 मिलियन येन ऋण प्रदान करने की सहमति दी है।

(घ) इस परियोजना के अंतर्गत 2.31 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर वनीकरण करने का विचार है।

स्टरलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड

2280. श्री समर चौधरी:
श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन:
श्री वसुदेव आचार्य:
श्री भीम दाहाल:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिनांक 4 नवंबर, 2000 के 'टाइम्स ऑफ इंडिया' में प्रकाशित समाचार के अनुसार दूरसंचार विभाग ने स्टरलाइट इंडस्ट्रीज लि. को भविष्य में अपने विभाग की निविदाओं में भाग लेने के अवसर न देने हेतु काली सूची में डालने के लिए विधि और न्याय मंत्रालय की राय माँगी है;

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ग) उन कंपानेयों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने केबलों के लिए अपनी निविदाएँ प्रस्तुत की हैं;

(घ) क्या सरकार ने ठेके देने के बारे में कोई निर्णय लिया है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

(ग) केबलों के लिए निविदा बोलियाँ प्रस्तुत कर चुकी कंपनियों के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(घ) जी, हाँ।

(ङ) ब्यौरे संलग्न विवरण-II पर दिए गए हैं।

विवरण-I

उन विक्रेताओं के ब्यौरे जिन्होंने 2000-2001 के लिए पी.आई.जे.एफ. भूमिगत केबल निविदा में भाग लिया

क्र.सं.	विक्रेता का नाम
1.	मै. ए.आर.एम. लि., हैदराबाद
2.	मै. बिरला इरिक्सन ऑप्टिकल लि., रीवा
3.	मै. भाग्यनगर मेटेल्स लि., हैदराबाद
4.	मै. सी.एम.आई. लि., फरीदाबाद
5.	मै. कान्टीनेंटल टेलीपावर इंडस्ट्रीज लि., नई दिल्ली
6.	मै. कन्सेप्टा केबल्स लि., रायबरेली
7.	मै. डेल्टन केबल्स लि., नई दिल्ली
8.	मै. इलकाय टेलीलिंक लि., फरीदाबाद
9.	मै. फिनोलक्स केबल्स लि., पुणे
10.	मै. गुजरात टेलीफोन केबल्स लि., अहमदाबाद
11.	मै. जी.टी.सी.एल. मोबाइल कम टेक्नोलॉजी लि., अहमदाबाद
12.	मै. गुजरात आप्टीकल केबल्स लि., अहमदाबाद
13.	मै. जी.आर. केबल्स लि., हैदराबाद

क्र.सं.	विक्रेता का नाम
14.	मै. गोलकुंडा इंजीनियरिंग इंटरप्राइजेज लि., हैदराबाद
15.	मै. हरियाणा टेलीकॉम लि., रोहतक
16.	मै. हिन्दुस्तान केबल्स लि., कलकत्ता
17.	मै. एम.पी. टेलीलिंक लि., ग्वालियर
18.	मै. मरीन केबल्स एंड वायर्स लि., अहमदाबाद
19.	मै. निक्को कारपोरेशन लि., कलकत्ता
20.	मै. आप्टेल टेलीकम्यूनिकेशंस लि., भोपाल
	मै. पायकेब केबल्स लि., दमन
22.	मै. पारामाउन्ट कम्यूनिकेशंस लि., नई दिल्ली
23.	मै. पारामाउंट वायर्स एंड केबल्स लि., अलवर
24.	मै. आर.पी.जी. केबल्स लि., मैसूर
25.	मै. आर.एच.पी. केबल्स लि., अहमदाबाद
26.	मै. सुराना टेलीकॉम लि., हैदराबाद
27.	मै. स्टरलाइट इंडस्ट्रीज (आई) लि., मुंबई
28.	मै. स्टरलाइट टेलीलिंक लि., डी.एंडएन.एच.
29.	मै. तमिलनाडु टेलीकम्यूनिकेशंस लि., चेन्नई
30.	मै. टेलीफोन केबल्स लि., चंडीगढ़
31.	मै. ट्रेको केबल्स कंपनी लि., केरल
32.	मै. ऊषा बेल्ट्रान लि., राँची
33.	मै. यू.एम. केबल्स लि., सिलवासा
34.	मै. यूनिवर्सल केबल्स लि., सतना
35.	मै. यू.पी. टेलीलिंक लि., गाजियाबाद
36.	मै. यूनीफ्लैक्स केबल्स लि., मुंबई
37.	मै. विन्ध्याटेलीलिंक्स लि., रीवा

विवरण-II

बोलीदाताओं को आबंटित पीआईजेएफ भूमिगत केबल (लाख किलोमीटर में) की मात्रा के ब्यौरे

क्र.सं.	विक्रेता का नाम	आबंटित मात्रा (लाख कि.मी. में)
1.	मै. ए.आर.एम. लि., हैदराबाद	16.439
2.	मै. बिरला इरिक्सन मेटेल्स ऑप्टिकल लि., रीवा	13.688
3.	मै. भाग्यनगर मेटेल्स लि., हैदराबाद	13.307
4.	मै. सी.एम.आई. लि., फरीदाबाद	5.919
5.	मै. कान्टीबेंटल टेलीपॉवर इंडस्ट्रीज लि., नई दिल्ली	3.900
6.	मै. कन्सेप्टा केबल्स लि., रायबरेली	10.370
7.	मै. डेल्टन केबल्स लि., नई दिल्ली	8.660
8.	मै. इलकाय टेलीलिंक लि., फरीदाबाद	2.035
9.	मै. फिनोलक्स केबल्स लि., पुणे	36.709
10.	मै. गुजरात टेलीफोन केबल्स लि., अहमदाबाद	7.073
11.	मै. गुजरात आप्टीकल केबल्स लि., अहमदाबाद	1.310
12.	मै. जी.आर. केबल्स लि., हैदराबाद	7.011
13.	मै. एम.पी. टेलीलिंक लि., ग्वालियर	12.260
14.	मै. मेरीन केबल्स एंड वायर्स लि., अहमदाबाद	3.184
15.	मै. निक्को कारपोरेशन लि., कलकत्ता	16.449
16.	मै. पोलीकेब केबल्स लि., दमन	3.288
17.	मै. पारामाउन्ट कम्यूनिकेशंस लि., नई दिल्ली	13.229
18.	मै. पारामाउंट वायर्स एंड केबल्स लि., अलवर	2.314
19.	मै. आर.पी.जी. केबल्स लि., मैसूर	22.500
20.	मै. आर.एच.पी. केबल्स लि., अहमदाबाद	16.551
21.	मै. सुराना टेलीकॉम लि., हैदराबाद	5.736
22.	मै. स्टरलाइट इंडस्ट्रीज (आई) लि., मुंबई	28.292
23.	मै. स्टरलाइट टेलीलिंक लि., डी.एंडएन.एच.	9.198
24.	मै. तमिलनाडु टेलीकम्यूनिकेशंस लि., चेन्नई	8.500
25.	मै. टेलीफोन केबल्स लि., चंडीगढ़	9.540
26.	मै. ट्रेको केबल्स कंपनी लि., केरल	8.750
27.	मै. ऊषा बेल्ट्रान लि., राँची	13.636
28.	मै. यू.एम. केबल्स लि., सिलवासा	7.155
29.	मै. यूनिवर्सल केबल्स लि., सतना	5.106
30.	मै. यू.पी. टेलीलिंक लि., गाजियाबाद	2.067
31.	मै. यूनीफ्लैक्स केबल्स लि., मुंबई	13.348
32.	मै. विन्ध्याटेलीलिंक्स लि., रीवा	27.646

[हिन्दी]

इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन एक्सचेंज

2281. श्री राम सिंह कस्वां:
श्रीमती जस कौर मीणा:
श्री वाई.जी. महाजन:
श्री राजो सिंह:
श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पुराने टेलीफोन एक्सचेंजों को इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन एक्सचेंजों में बदलने के कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं;

(ख) यदि हाँ, तो राज्यवार, विशेषकर बिहार के संदर्भ में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन प्रस्तावों को कब तक कार्यान्वित किया जाएगा;

(घ) प्रत्येक राज्य में इस समय कितने इलेक्ट्रॉनिक और गैर-इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन एक्सचेंज कार्यरत हैं;

(ङ) क्या सरकार ने वर्ष 2000-2001 और नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पुराने टेलीफोन एक्सचेंजों को इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों में बदलने हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(च) यदि हाँ, तो राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार, विशेषकर बिहार और महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र के संदर्भ में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस पर कितना खर्च आएगा?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (ग) इस समय देश में सभी टेलीफोन एक्सचेंज इलेक्ट्रॉनिक हैं।

(घ) 31.10.2000 के अनुसार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) से (छ) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

31.10.2000 के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन एक्सचेंजों का राज्यवार विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	स्थिति
1.	आंध्र प्रदेश	2491
2.	असम	437
3.	बिहार	1128
4.	गुजरात	2337
5.	हरियाणा	882
6.	हिमाचल प्रदेश	727
7.	जम्मू एवं कश्मीर	289
8.	कर्नाटक	2377
9.	केरल	931
10.	मध्य प्रदेश	2972
11.	महाराष्ट्र	3898
12.	उत्तर-पूर्व	339
13.	उड़ीसा	887
14.	पंजाब	1204
15.	राजस्थान	1982
16.	तमिलनाडु	1788
17.	उत्तर प्रदेश	2897
18.	पश्चिम बंगाल	1179
19.	दिल्ली	193
	जोड़	28938

टिप्पणी : गुजरात राज्य में दादर दिव, दमन और नगर हवेली (संघ शासित क्षेत्र) शामिल हैं।
केरल राज्य में लक्षद्वीप (संघ शासित क्षेत्र) शामिल हैं।
महाराष्ट्र राज्य में गोवा और मुंबई शामिल हैं।
उत्तर-पूर्व दूरसंचार सर्किल में अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा राज्य शामिल हैं।
पंजाब राज्य में चंडीगढ़ (संघ शासित) क्षेत्र शामिल है।
तमिलनाडु राज्य में चेन्नई और पांडिचेरी (संघ शासित क्षेत्र) शामिल हैं।
पश्चिम बंगाल राज्य में कलकत्ता और सिक्किम, अंडमान निकोबार शामिल हैं।
बिहार राज्य में झारखंड राज्य शामिल है।
मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ राज्य शामिल है।
उत्तर प्रदेश राज्य में उत्तरांचल राज्य शामिल है।

[अनुवाद]

सार्वजनिक सूचना केंद्र

2282. डॉ. वी. सरोजा: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सार्वजनिक टेलीफोन केंद्रों को सार्वजनिक सूचना केंद्रों में बदलने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त केंद्र कब तक उपलब्ध हो जाएंगे?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हाँ।

(ख) एन.टी.पी., 1999 में, जहाँ कहीं भी औचित्य हो, सार्वजनिक टेलीफोनों को पब्लिक टेलिइन्फो सैंटर (पीटीआईसी) में परिवर्तित करने की परिकल्पना की गई है जिसमें आई.एस.डी.एन. सेवाएँ, रिमोट डाटाबेस एक्सेस, सरकारी और सामुदायिक सूचना प्रणाली, आदि जैसी मल्टी-मीडिया क्षमता होगी। क्षेत्रीय इकाइयों को यह अनुदेश दे दिए गए हैं कि जहाँ कहीं भी व्यवहार्य हो वहाँ मौजूदा विभागीय पी.सी.ओ./डी.टी.ओ./सी.टी.ओ. और टेलीकॉम सैंटरों का उन्नयन पी.टी.आई.सी. के रूप में करना शुरू कर दिया जाए तथा साथ ही पी.टी.आई.सी. के रूप में उन्नयन करने के लिए निजी एस.टी.डी./आई.एस.डी./पी.सी.ओ. को अग्रता प्रदान करते हुए, अपेक्षित दूरसंचार संसाधन प्रदान किए जाएँ।

(ग) पी.सी.ओ. को पब्लिक टेलि-इन्फो सैंटरों में बदलना एक सतत् प्रक्रिया है और इस कार्य को अग्रता प्रदान करते हुए अपेक्षित दूरसंचार संसाधन प्रदान करके प्रोत्साहित किया जा रहा है। तथापि, सरकार ने यह निर्णय किया है कि देश में 31.3.2001 तक सभी ब्लॉक मुख्यालयों में इंटरनेट ढाबे स्थापित करने के कार्य को प्रोत्साहित किया जाए। इन इंटरनेट ढाबों के लिए, ग्रामीण ब्लॉक मुख्यालयों में 'फ्री इंटरनेट एक्सेस' की अनुमति दी गई जबकि शहरी ब्लॉक मुख्यालयों के लिए प्रति वर्ष 1500 घंटे की 'फ्री इंटरनेट एक्सेस' की अनुमति दी गई है।

"उड़ीसा में चाँदी की ढलाई के कारखाने"

2283. श्री अनादि साहू: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा के कटक शहर में बड़े पैमाने पर चाँदी की ढलाई के कारखाने चल रहे हैं;

(ख) यदि हाँ तो, क्या इन ढलाई के कारखानों और कार्यशालाओं से निवासियों को खतरा रहता है; और

(ग) यदि हाँ, तो शोधन प्रक्रिया के आधुनिकीकरण और प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

एनएचपीसी की वित्तीय सहायता

2284. श्री तूफानी सरोज:
श्री चन्द्रकांत खैरे:
श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन (एनएचपीसी) ने अगले 15 वर्षों में उत्पादन क्षमता में 30,000 मेगावाट की वृद्धि करने हेतु सरकार से 45,000 करोड़ रु. की माँग की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ग) भारत सरकार ने जल विद्युत शक्यता का तीव्रता से दोहन करने के उद्देश्य से अगस्त, 1998 में जल विद्युत विकास संबंधी एक नीति की घोषणा की थी। नीति की घोषणा के पश्चात् 5 जल विद्युत परियोजनाओं के संबंध में निवेश अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। यह परियोजनाएँ हैं तुरियल (60 मे.वा.), मिजोरम चमेरा चरण-2 (300 मे.वा.), हिमाचल प्रदेश, तीस्ता चरण-5 (510 मे.वा.), सिक्किम, लोक तक अनुप्रवाह (90 मे.वा.), मणिपुर और कोटेश्वर (400 मे.वा.) उत्तर प्रदेश। इसके अतिरिक्त सरकार ने हिमाचल प्रदेश में पार्बती बेसिन (2051 मे.वा.) के विकास को भी अनुमोदित कर दिया है। एनटीपीसी ने भी कोल बाँध परियोजना (800 मे.वा.) के क्रियान्वयन के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ एक करार किया है।

निधियों की कमी के कारण बंद पड़ी कई परियोजनाओं को पूरा करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने टीएचडीसी द्वारा मनेरी, भीली-2 (304 मे.वा.) तथा एनएचपीसी द्वारा लखवर-व्यासी (420 मे.वा.) के संयुक्त उपक्रमों के द्वारा पूरा किए जाने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। एनएचपीसी द्वारा ओंकारेश्वर परियोजना (520 मे.वा.) और इन्दिरा सागर परियोजना (1000 मे.वा.) को संयुक्त रूप से क्रियान्वित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के साथ भी एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

सरकार ने 2007-2012 की समयावधि के दौरान तथा उसके पश्चात् 25000 मे.वा. से अधिक की जल विद्युत शक्यता जोड़ने के लिए एक अग्रिम कार्य योजना तैयार की है और तदनुसार नई जल विद्युत कार्य-स्थलों की जाँच एवं सर्वेक्षण की प्रक्रिया को तीव्र करने के लिए कदम उठाए हैं ताकि उन परियोजनाओं का शेल्फ तैयार किया जाए जिन्हें क्रियान्वयन हेतु आरंभ किया जा सके।

1975 में गठित राष्ट्रीय जल विद्युत निगम (एनएचपीसी) भारत में जल विद्युत विकास हेतु सबसे बड़ा संगठन है। एनएचपीसी ने अभी तक आठ (8) जल विद्युत परियोजनाओं को पूरा किया है जिनकी कुल अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता 2175 मे.वा. है। वे इस समय 1570 मे.वा. की क्षमता वाली 6 जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण कर रहे हैं।

एनएचपीसी हिमाचल प्रदेश में पार्बती बेसिन (2051 मे.वा.) और अरूणाचल प्रदेश में सियांग और सुबनसिरी बेसिनों (20700 मे.वा.) में परियोजनाओं के संबंध में सर्वेक्षण और जाँच भी कर रहा है। उन्होंने जम्मू एवं कश्मीर में 7 नई जल विद्युत परियोजनाओं (2798 मे.वा.) और पश्चिम बंगाल की तीस्ता निम्न बाँध परियोजना जो कुल मिलाकर 232 मे.वा. की है, को क्रियान्वयन हेतु सौंपा गया है। इन परियोजनाओं को वाणिज्यिक व्यवहार्यता स्थापित करने, सभी आवश्यक स्वीकृतियाँ प्राप्त होने, आवश्यक वित्त पोषण सुनिश्चित होने तथा विद्युत के भावी खरीदारों के अभिज्ञात तथा निर्धारित होने के पश्चात् चरणों में क्रियान्वित किया जाएगा। कर्नाटक सरकार और तमिलनाडु सरकार भी कावेरी विद्युत परियोजना (1150 मे.वा.) के सर्वेक्षण एवं जाँच के लिए एनएचपीसी को अनुमति प्रदान करने के लिए सहमत हो गई है।

[अनुवाद]

"चेन्नई में क्षेत्रीय कार्यालय"

2285. श्री तिरूनावकरसू: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार चेन्नई में एक वन्यजीव क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ख) चेन्नई में वन्यजीव क्षेत्रीय कार्यालय पहले से विद्यमान है। इस कार्यालय का अध्यक्ष एक क्षेत्रीय उप-निदेशक होता है जिसकी सहायता वन्यजीव निरीक्षकों द्वारा की जाती है।

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम.टी.एन.एल.) की सेल्यूलर टेलीफोन सेवा

2286. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम.टी.एन.एल.) ने सभी राज्यों में सेल्यूलर टेलीफोन सेवा शुरू करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो एम.टी.एन.एल. द्वारा देश के बड़े शहरों में कब तक सेल्यूलर सेवा प्रदान कर दिए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, नहीं। एम.टी.एन.एल. की योजना केवल दिल्ली और मुंबई में जी.एस.एम. प्रौद्योगिकी आधारित सेल्यूलर टेलीफोन सेवा शुरू करने की है।

(ख) दिल्ली और मुंबई में इस वित्त वर्ष की समाप्ति से पूर्व सेवाएँ शुरू करने की योजना है।

एस.डी.सी.ए. टेलीफोन सेवा

2287. श्री भर्तृहरि महताब:
श्री जगदम्बी प्रसाद यादव:

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में उड़ीसा और बिहार में, अलग-अलग जिला-वार कितने 'शार्ट डिस्टेंस चार्जीग एरियाज' (एस.डी.सी.ए.) टेलीफोन एक्सचेंज काम कर रहे हैं;

(ख) क्या ये एक्सचेंज उन राज्यों में विशेषकर उड़ीसा के कटक जिले और बिहार के गोड्डा, दुमका और देवघर जिले में सही तरीके से काम कर रहे हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) इस समय उड़ीसा और बिहार में क्रमशः 120 और 180 कम दूरी प्रभारण क्षेत्र (एस.डी.सी.ए.) टेलीफोन एक्सचेंज काम कर रहे हैं। उड़ीसा और बिहार के एस.डी.सी.ए. एक्सचेंजों की संख्या के जिलावार ब्यौरे संलग्न विवरण-I और II में दिए गए हैं।

(ख) दोनों राज्यों में ये एक्सचेंज विशेषतया उड़ीसा के जिला कटक और बिहार के जिला गुड्डा, दुमका और देवघर में सामान्यतया संतोषप्रद ढंग से काम कर रहे हैं।

(ग) उपर्युक्त भाग 'ख' को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

उड़ीसा दूरसंचार सर्किल

क्र.सं.	राजस्व जिले का नाम	एस.डी.सी.ए. एक्सचेंज की संख्या
1.	कटक	3
2.	जगतसिंहपुर	2
3.	केन्द्रपारा	2
4.	जाजपुर	3
5.	बेलासोर	3
6.	भद्रक	2
7.	पुरी	2

क्र.सं.	राजस्व जिले का नाम	एस.डी.सी.ए. एक्सचेंज की संख्या
8.	खुर्धा	3
9.	नयागढ़	2
10.	मयूरभंज	7
11.	फुलबनी	7
12.	बौध	3
13.	कोरापुर	6
14.	नवरंगपुर	4
15.	मलकानगिरी	4
16.	रायगढ़	5
	कालाहान्डी	6
18.	नवपाड़ा	3
19.	सुन्दरगढ़	6
20.	बोलनगिरी	4
21.	सोनपुर	3
22.	देवगढ़	2
23.	सम्बलपुर	6
24.	झारसुगुदा	2
25.	बारगढ़	5
26.	जेनकनाल	4
27.	अंगुल	5
28.	क्योंझर	5
29.	गंजम	8
30.	गाजापट्टी	3
	कुल	120

विवरण-II

बिहार दूरसंचार सर्किल

क्र.सं.	राजस्व जिले का नाम	एस.डी.सी.ए. एक्सचेंजों की संख्या
1.	आरा	2
2.	बक्सर	2
3.	भागलपुर	3
4.	बंका	3
5.	छपरा	4
6.	गोपालगंज	3
7.	सिवान	3
8.	पलामू	7
9.	गरवा	4
10.	डालटनगंज	2
11.	दरभंगा	3
12.	मधुबनी	5
13.	समस्तीपुर	3
14.	धनबाद	2
15.	बोकारो	3
16.	दुमका	5
17.	देवगढ़	2
18.	पाकुर	2
19.	गोड्डा	2
20.	साहेबगंज	2
21.	गया	3
22.	जहानाबाद	3
23.	औरंगाबाद	4
24.	नवादा	3
25.	हजारीबाग	8
26.	गिरिडीह	5
27.	चतरा	2

क्र.सं.	राजस्व जिले का नाम	एस.डी.सी.ए. एक्सचेंजों की संख्या
28.	कोडरमा	2
29.	हाजीपुर	3
30.	सिंहभूमि (पूर्व)	3
31.	सिंहभूमि (पश्चिम)	9
32.	कटिहार	3
33.	अररिया	3
34.	किशनगंज	2
35.	पुर्णिया	3
36.	खगरिया	2
37.	बेगूसराय	2
38.	मुंगेर	2
39.	जमुई	4
40.	लखीसराय	1
41.	शेखपुरा	1
42.	मोतिहारी	6
43.	बेतिया	4
44.	मुजफ्फरपुर	2
45.	सीतामढ़ी	2
46.	शिओहर	1
47.	पटना	4
48.	नालन्दा	2
49.	राँची	4
50.	खुंटी	7
51.	लोहारदग्गा	3
52.	गुमला	2
53.	सहरसा	2
54.	मधेपुरा	2
55.	सुपावल	3
56.	सासाराम	1
57.	भभुआ	3
58.	रोहतास	2
	कुल	180

[हिन्दी]

एन.टी.पी.सी. द्वारा राज्यों को विद्युत की आपूर्ति

2288. श्री रामानन्द सिंह: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) द्वारा वर्ष 1999-2000 और 31 अक्तूबर, 2000 तक मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और राजस्थान में अलग-अलग कितने मेगावाट विद्युत की आपूर्ति की गई;

(ख) उक्त राज्यों द्वारा अपने-अपने संसाधनों के प्रति वर्ष कितने मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया गया; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा उक्त राज्यों में विद्युत उत्पादन सुधारने के लिए क्या कार्य योजना बनाई गई है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) 1999-2000 के दौरान और अक्तूबर, 2000 तक मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा तथा राजस्थान को एनटीपीसी द्वारा आपूर्त विद्युत का परिमाण निम्नानुसार है:

राज्य	के दौरान आपूर्ति की गई विद्युत (मि.यू. में)		क्षेत्र में एनटीपीसी केन्द्रों द्वारा निश्चित आबंटन (मे.वा.)
	1999-2000	अप्रैल से अक्तूबर, 2000	
मध्य प्रदेश	12453.00	6619.60	1618.2
उत्तर प्रदेश	15567.97	9047.68	2399.0
बिहार	44667.30	2672.50	899.0
उड़ीसा	2864.20	2119.00	632.0
राजस्थान	8376.00	4227.80	811.0

(*स्रोत : एनटीपीसी) एमयू = मिलियन यूनिट

(ख) अवधि के दौरान अपने निजी संसाधनों से विद्युत उत्पादन के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

राज्य	1999-2000		2000-01 (अक्तूबर, 2000 तक)	
	मि.यू.	उपलब्ध मे.वा.	मि.यू.	उपलब्ध मे.वा.
मध्य प्रदेश	22614	2582	12863	2504
उत्तर प्रदेश	24368	2782	15069	2934
बिहार	3622	413	20613	401
उड़ीसा	4543	519	3021	588
राजस्थान	2179	1048	5237	1020

(स्रोत : केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण)

(ग) इन राज्यों में विद्युत उत्पादन में सुधार के लिए उठाए गए विभिन्न कदम ये हैं:

(i) पुराने ताप विद्युत यूनिटों का नवीकरण एवं आधुनिकीकरण।

(ii) हाल ही में चालू की गई यूनिटों का शीघ्र स्थरीकरण।

(iii) के.वि.प्रा. द्वारा प्रचालन तथा रख-रखाव की मॉनीटरिंग और समग्र प्रशिक्षण नीतियों के जरिए ओ एंड एम पद्धतियों में सुधार को सुनिश्चित करना।

(iv) ओ एंड एम कार्मिकों को अभिप्रेरित करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र ताप विद्युत केन्द्रों को उत्पादकता पुरस्कार के लिए विद्युत मंत्रालय की प्रोत्साहन स्कीम।

(v) विशेषज्ञों तथा कार्यक्रम क्रियान्वयन के साथ अन्य ताप विद्युत केन्द्रों में पहले ही किए गए परीक्षणों के आधार पर चयनित ताप विद्युत केन्द्रों पर ऊर्जा ऑडिट की स्कीम ताकि ऊष्मा दर को सुधारा जा सके, आनुषंगिक विद्युत खपत और ईंधन तेल खपत में कमी आदि।

(vi) के.वि.प्रा./पीएफसी के संयुक्त दल द्वारा अभिज्ञात विद्युत केन्द्रों के ओ एंड एम में सुधार के लिए पावर फाइनेंस कार्पोरेशन द्वारा ऋणों का वितरण।

[अनुवाद]

टेलीफोन कनेक्शन के लिए प्रतीक्षा सूची

2289. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्करः
श्री रामशेठ ठाकुरः
श्री ए.पी. अब्दुल्लाकुट्टीः
श्री रमेश चेन्नितलाः

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में 31 अक्तूबर, 2000 तक विभिन्न राज्यों में टेलीफोन कनेक्शन के लिए राज्य-वार कितने व्यक्ति प्रतीक्षा सूची में हैं;

(ख) क्या बकाया मामले निपटाने के लिए कोई विशेष प्रयास किए गए हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में विशेषकर केरल में प्रतीक्षा सूची वाले सभी व्यक्तियों को कब तक टेलीफोन कनेक्शन प्रदान कर दिए जाने का विचार है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) संलग्न विवरण के अनुसार।

(ख) और (ग) दूरसंचार विभाग की नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) में 31.3.2002 तक केरल सहित देश में प्रतीक्षारत सभी व्यक्तियों को टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने की परिकल्पना की गई है जिसमें निजी क्षेत्र भी विभाग के प्रयासों में सहयोग देने के लिए भागीदारी करेगा।

विवरण

31.10.2000 की स्थिति के अनुसार श्रेणीवार प्रतीक्षा सूची के राज्यवार ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य का नाम	ओ.आई.टी.	गैर-ओ.आई.टी.	कुल
1.	आन्ध्र प्रदेश	9	454722	454731
2.	असम	0	27086	27086
3.	बिहार	8	141791	141799
4.	गुजरात	1	230471	230472
5.	हरियाणा	6	91933	91939
6.	हिमाचल प्रदेश	4	42577	42581
7.	जम्मू व कश्मीर	75	30414	30489
8.	कर्नाटक	405	313589	313994
9.	केरल	6243	776932	783175
10.	मध्य प्रदेश	0	43035	43035
11.	महाराष्ट्र	68	440391	440459
12.	उत्तर पूर्व	18	30158	30176
13.	उड़ीसा	1	41687	41688
14.	पंजाब	261	202603	202864
15.	राजस्थान	38	124312	124350
16.	तमिलनाडु	43	560479	560522
17.	उत्तर प्रदेश	11	266344	266355
18.	पश्चिम बंगाल	42	199948	199990
19.	दिल्ली	24	59944	59968
	कुल	7257	4078416	4085673

टिप्पणीः गुजरात राज्य जिसमें दादर दिव, दमन और नगर हवेली (संघ शासित क्षेत्र) शामिल हैं।

केरल राज्य जिसमें लक्षद्वीप (संघ शासित क्षेत्र) शामिल है।

महाराष्ट्र राज्य जिसमें गोवा और मुम्बई शामिल हैं।

उत्तर-पूर्व दूरसंचार सर्किल जिसमें अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा राज्य शामिल हैं।

पंजाब राज्य जिसमें चंडीगढ़ (संघ शासित क्षेत्र) शामिल है।

तमिलनाडु राज्य जिसमें चेन्नई और पांडिचेरी (संघ शासित क्षेत्र) शामिल हैं।

पश्चिम बंगाल राज्य जिसमें कलकत्ता और सिक्किम, अंडमान निकोबार राज्य शामिल हैं।

बिहार राज्य जिसमें झारखंड राज्य शामिल है।

मध्य प्रदेश जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य शामिल है।

उत्तर प्रदेश राज्य जिसमें उत्तरांचल राज्य शामिल है।

टेलीफोन एक्सचेंज भवन का निर्माण

2290. चौधरी तेजवीर सिंह: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्तमान समय में राज्यवार कितने टेलीफोन एक्सचेंज किराए के भवनों में चल रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार इस उद्देश्य हेतु विभागीय भवन के निर्माण का है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) संलग्न विवरण-I में दिए गए ब्यौरों के अनुसार।

(ख) जी, हाँ।

(ग) संलग्न विवरण-II में दिए गए ब्यौरों के अनुसार।

(घ) विभाग ने टेलीफोन एक्सचेंजों के लिए भूमि अधिग्रहण करने और विभागीय भवन का निर्माण करने की योजना बनाई है। तथापि, उपयुक्त भूमि की अनुपलब्धता और विभाग को इसके अन्तरण में विलम्ब प्रमुख बाधाएँ हैं।

विवरण-I

किराए के भवनों में कार्यरत टेलीफोन एक्सचेंज

क्रम सं.	राज्यों के नाम	किराए के भवनों में एक्सचेंज
1.	अंडमान-निकोबार	24
2.	आंध्र प्रदेश	1899
3.	अरूणाचल प्रदेश	62
4.	असम	393
5.	बिहार	610
6.	गुजरात	1672
7.	हरियाणा	773
8.	हिमाचल प्रदेश	668
9.	झारखंड	238
10.	जम्मू-कश्मीर	216
11.	कर्नाटक	1947
12.	केरल	583
13.	मध्य प्रदेश	2834
14.	मुम्बई सहित महाराष्ट्र	3269
15.	मणिपुर	22
16.	मेघालय	32
17.	मिजोरम	30
18.	नागालैंड	13
19.	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	11
20.	उड़ीसा	609
21.	पंजाब	1002
22.	राजस्थान	1741
23.	सिक्किम	32
24.	तमिलनाडु	1277
25.	त्रिपुरा	30
26.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	1390
27.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	863
28.	कलकत्ता सहित पश्चिम बंगाल	892
	जोड़	23132

विवरण-II

विभागीय एक्सचेंज भवन जिनका निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है

क्र.सं.	राज्यों के नाम	जिन विभागीय भवनों का निर्माण किया जा रहा है अथवा निर्माण करने का प्रस्ताव है
1	2	3
1.	अंडमान-निकोबार	4
2.	आंध्र प्रदेश	189
3.	अरूणाचल प्रदेश	16
4.	असम	50
5.	बिहार	31
6.	गुजरात	1990
7.	हरियाणा	49
8.	हिमाचल प्रदेश	32

1	2	3
9.	झारखंड	27
10.	जम्मू-कश्मीर	6
11.	कर्नाटक	409
12.	केरल	73
13.	मध्य प्रदेश	238
14.	मुम्बई सहित महाराष्ट्र	1160
15.	मणिपुर	4
16.	मेघालय	6
17.	मिजोरम	9
18.	नागालैंड	3
19.	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	32
20.	उड़ीसा	25
21.	पंजाब	67
22.	राजस्थान	116
23.	सिक्किम	0
24.	तमिलनाडु	82
25.	त्रिपुरा	9
26.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	51
27.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	25
28.	कलकत्ता सहित पश्चिम बंगाल	36
	जोड़	4739

[हिन्दी]

लाहारदगा में ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंज

2291. प्रो. दुखा भगत: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान समय में बिहार के लाहारदगा क्षेत्र में कितने ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंज कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या इस क्षेत्र में ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या आवश्यकता से कम है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) वर्तमान समय में इस क्षेत्र में टेलीफोन कनेक्शन हेतु कितने व्यक्ति प्रतीक्षा सूची में हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं और प्रतीक्षा सूची को कब तक निपटा दिए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) इस समय बिहार के लाहारदगा क्षेत्र में 16 ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंजें कार्यरत हैं।

(ख) और (ग) इस समय, वर्तमान माँग के लिए लाहारदगा क्षेत्र में एक्सचेंजों की पर्याप्त संख्या है। तथापि, वर्ष 2000-2001 के दौरान लाहारदगा एक्सचेंज के विस्तार और रामपुर तथा कैरो के लिए नए एक्सचेंजों की योजना है।

(घ) इस समय, इस क्षेत्र में 69 व्यक्ति टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा-सूची में दर्ज हैं।

(ङ) विकासात्मक कार्य किए जा रहे हैं और जनवरी 2001 तक प्रतीक्षा सूची समाप्त होने की संभावना है।

मूल्य आधारित बिक्री केन्द्र

2292. श्री निखिल कुमार चौधरी: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार के कई जिलों में केन्द्र समर्थित मूल्य आधारित बिक्री केन्द्र खोले गए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) मुख्य खाद्य उत्पादक क्षेत्र और अनुमंडल का मुख्यालय होने के बावजूद कटिहार जिले में उक्त बिक्री केन्द्र न खोले जाने के क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपद यासो नाईक) : (क) जी, हाँ।

(ख) चालू खरीफ मौसम 2000-01 के दौरान, भारतीय खाद्य निगम ने बिहार के विभिन्न जिलों में 30 खरीद केन्द्र खोले हैं जबकि धान की खरीद के लिए पिछले खरीफ विपणन मौसम में 1999-2000 के दौरान 12 केन्द्र खोले गए थे। भा.खा.नि. के अलावा, राज्य सरकार भी विगत बड़ी संख्या में खरीद केन्द्र खोलती रही है जो धान की खरीद के लिए ग्रामीण कृषि प्राथमिक समितियों द्वारा प्रचालित किए जाते हैं।

(ग) ये खरीद केन्द्र भारतीय खाद्य निगम द्वारा राज्य सरकारों के परामर्श से खोले जाते हैं।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र हेतु विद्युत के लिए तरलीकृत ईंधन का आबंटन

2293. श्री अशोक ना. मोहोल: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र राज्य के लिए सिर्फ 950 मेगावाट क्षमता वाले तरलीकृत ईंधन का आबंटन किया है जो कि अन्य राज्यों की आबंटित क्षमता से बहुत कम है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को राज्य सरकार से तरलीकृत ईंधन की आबंटन क्षमता को बढ़ाकर 18103 मेगावाट करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हाँ, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) विद्युत के उत्पादन के लिए मुख्य ईंधन के रूप में कुछ तरल ईंधनों के प्रयोग की अनुमति देने वाली तरल ईंधन नीति की घोषणा नवम्बर, 1995 में की गई थी। ऐसा कुछ तरल ईंधन आधारित विद्युत उत्पादन क्षमता के निर्माण की अत्यंत आवश्यकता को देखते हुए किया गया था जिसमें अन्य ताप विद्युत परियोजनाओं इत्यादि की तुलना में, जिनकी निर्माण अवधि लम्बी होती है, तत्कालिक विद्युत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए शीघ्र ही आरंभ किया जा सकता है। तथापि, चूँकि राज्य सरकारों द्वारा माँगा गया तरल ईंधन का आबंटन विद्युत उत्पादन के लिए इन ईंधनों का प्रयोग करने की स्थिर क्षमता से काफी अधिक था इसलिए देश के लिए इस सीमा को 12000 मे.वा. करने का एक निर्णय दिसम्बर, 1996 में लिया गया जो तरल ईंधन पर आधारित हो सकता है, इस क्षमता को नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक राज्यों द्वारा वहन की जाने वाली कमियों के विद्यमान तथा संभावित स्तरों के आधार पर विभिन्न राज्यों के मध्य वितरित किया गया। महाराष्ट्र राज्य को तरल ईंधन के आधार पर 950 मे.वा. का आबंटन दिया गया। यह आबंटन कुछ अन्य राज्यों को दिए गए आबंटन से कम है जबकि यह कुछ राज्यों जैसे हरियाणा, केरल, पंजाब और तमिलनाडु को दिए गए आबंटन से अधिक है।

(ग) महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने राज्य को दिए गए 950 मे.वा. के आबंटन के अलावा महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन क्षेत्र में 1200 मे.वा. की कुल क्षमता वाली 7 मध्यम आकार की विद्युत परियोजनाओं को तरल ईंधन के आबंटन हेतु अनुरोध करते हुए 17.6.1997 को प्रधान मंत्री को लिखा था। इस पत्र में, अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लिखित किया गया था कि नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक महाराष्ट्र राज्य में संभावित अधिष्ठापित क्षमता लगभग 18103 मे.वा. तक बढ़ाने का महाराष्ट्र सरकार का कोई अनुरोध नहीं था।

(घ) उपरोक्त उल्लिखित 7 परियोजनाओं को अतिरिक्त ईंधन लिंकेज दिए जाने के महाराष्ट्र सरकार के अनुरोध पर विचार किया गया जिसके पश्चात् राज्य सरकार को सूचित किया गया कि आबंटित क्षमता के पश्चात् इन सिफारिशों को पूरा करना संभव नहीं होगा। इस बीच जुलाई, 1998 में घोषित तरल ईंधन नीति में कुछ संशोधनों के जरिए 12000 मे.वा. की सीमा को केवल नाफ्था के लिए रखा गया। साथ ही, नाफ्था की विश्व व्यापी कीमतों में अत्यधिक वृद्धि को देखते हुए, नई विद्युत परियोजना को आबंटन हेतु इसे अब व्यवहार्य और किफायती नहीं समझा जाता है।

मध्य प्रदेश में बलुआ पत्थर का खनन

2294. डॉ. मन्दा जगन्नाथ: क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश के शिवपुरी और अन्य जिलों के वन क्षेत्रों में उच्चतम न्यायालय के इस संबंध में निर्णय का उल्लंघन कर बड़े पैमाने पर अवैध बलुआ पत्थर का खनन जारी है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का इस खतरे को रोकने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगाराव गायकवाड़ पाटील): (क) और (ख) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम (एम.एम.डी.आर. एक्ट), 1957 की धारा 3 की उपधारा (ई.) तथा एम.एम.डी.आर. एक्ट की उपधारा 15 के तहत, बालू-पत्थर (सेंडस्टोन) को गौण खनिज के रूप में परिभाषित किया गया है। राज्य सरकारों को खनिज रियायतें देने तथा गौण खनिजों के विनियमन के बारे में नियम बनाने के पूरे अधिकार प्राप्त हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि उसने यह सुनिश्चित करने के लिए कि वन क्षेत्र में कोई अवैध खनन कार्य न हो, सभी जिलाधीशों तथा मंडलीय वन अधिकारियों को समस्त खनन क्षेत्रों में संयुक्त निरीक्षण करने हेतु निर्देश जारी किए हैं। जिलाधीशों तथा मंडलीय वन अधिकारियों द्वारा राज्य सरकार को संयुक्त रूप से प्रस्तुत प्रमाण-पत्र के अनुसार मध्य प्रदेश के शिवपुरी तथा अन्य जिलों के वन क्षेत्रों में कोई अवैध खनन गतिविधियाँ नहीं चल रही हैं।

(ग) अवैध खनन को नियंत्रित करना राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है। भारत सरकार ने इस संदर्भ में राज्य सरकारों की स्थिति सुदृढ़ करने के लिए खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 को दिसम्बर, 1999 में संशोधित कर अवैध खनन रोकने तथा खनिजों की ढुलाई और भंडारण के बारे में राज्य सरकारों को शक्तियाँ प्रत्यायोजित करने के लिए अधिनियम में धारा 23 (ग) को जोड़ दिया है।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-58 को चार लेनों वाला करना

2295. श्री रघुनाथ झा: क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली से हरिद्वार/देहरादून तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-58 पर भारी यातायात होता है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या राष्ट्रीय राजमार्ग के दो लेन वाला होने के कारण कई दुर्घटनाएँ होती हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इसे वहाँ चौड़े विभाजक सहित चार लेनों वाला बनाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खंडूडी) : (क) जी हाँ।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 58 की चौड़ाई गाजियाबाद (17.65 कि.मी.) से मेरठ (52.50 कि.मी.) तक चार लेन की है। मेरठ (52.50 कि.मी.) से ऋषिकेश (228.0 कि.मी.) तक इसकी चौड़ाई दो लेन और ऋषिकेश से आगे बद्रीनाथ (525 कि.मी.) तक इस सड़क की चौड़ाई एक लेन की है।

(ग) राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 58 के मेरठ-हरिद्वार खंड में चार लेन बनाने के लिए साध्यतः अध्ययन/विस्तृत इंजीनियरी तैयार करने हेतु मंत्रालय की वार्षिक योजना 2000-2001 में 65.00 लाख रु. का प्रावधान किया गया है।

[हिन्दी]

जनजातीय क्षेत्रों में पशुपालन के विकास हेतु प्रौद्योगिकी मिशन

2296. श्री कांतिलाल भूरिया: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार जनजातीय क्षेत्रों में पशुपालन के विकास के लिए एक प्रौद्योगिकी मिशन शुरू करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो राज्य में विशाल पिछड़ा जनजातीय क्षेत्र और मवेशियों की संख्या के मद्देनजर मध्य प्रदेश के किन-किन जिलों को इस कार्यक्रम में शामिल किया गया है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इन कार्यक्रमों की प्रशासनिक स्वीकृति और तत्संबंधी धनराशि का आबंटन कब तक कर दिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) पशुपालन और डेयरी विभाग पशुपालन क्षेत्र के विकास के लिए राज्यों के प्रयासों को पूरा करने के उद्देश्य से बहुत-सी केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएँ चला रहा है। मध्य प्रदेश राज्य भागीदारी द्वारा ऐसी योजनाओं से लाभ उठा सकेगा। सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में किसानों के घर द्वार तक गुणवत्ता प्रजनन आदानों को पहुँचाने के उद्देश्य से सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन परियोजना को मंजूरी प्रदान की है। मध्य प्रदेश राज्य इस कार्यक्रम में जो 100 प्रतिशत अनुदान सहायता प्रदान करता है तथा किसानों के लाभ के लिए राज्य में गोपशु और भैंस के अनुवांशिक संवर्धन को पूरा करता है, भाग ले सकेगा। नई मंजूर की गई योजना के लिए प्रशासनिक मंजूरी राज्य सरकार को पहले ही जारी की जा चुकी है।

[अनुवाद]

फलों और सब्जियों की कीमतों में वृद्धि

2297. श्री अमर राय प्रधान: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि से परिवहन प्रभार में बढ़ोत्तरी के कारण फलों और सब्जियों की कीमतें भी प्रभावित हुई हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इसका कितना प्रभाव पड़ा है; और

(ग) सरकार ने भविष्य में ऐसी मूल्य वृद्धि की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपद यासो नाईक) : (क) और (ख) देश में फलों और सब्जियों के मूल्यों में वृद्धि की कोई सूचना नहीं है। हाल के महीनों में मूल्यों में सामान्यतया गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई है। इस प्रकार, पेट्रोलियम उत्पादों में मूल्य वृद्धि का फलों और सब्जियों पर प्रभाव पड़ने का कोई प्रमाण नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

टेलीफोन एक्सचेंज

2298. श्री बृजलाल खाबरी:
श्रीमती जस कौर मीणा:
श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश के जालौन और राजस्थान और महाराष्ट्र के क्रमशः सवाई माधोपुर और करौली जिलों में कितने टेलीफोन एक्सचेंजों की स्वीकृति दी गई है;

(ख) देश में, विशेषकर उक्त जिलों और राज्यों में उनमें से कितने टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए गए हैं;

(ग) शेष टेलीफोन एक्सचेंजों को कब तक स्थापित कर दिए जाने की संभावना है; और

(घ) इस उद्देश्य हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) पिछले तीन वर्षों (अर्थात् 1997-98, 1998-99 और 1999-2000) के दौरान देश में 5045 टेलीफोन एक्सचेंजों की योजना है और इसमें से उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में 15 एक्सचेंज, राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में 6 एक्सचेंज, करौली जिले में 6 एक्सचेंज तथा महाराष्ट्र में 720 एक्सचेंज संस्थापित करने की योजना है।

(ख) उक्त अवधि के दौरान देश में 5529 टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए गए थे जिनमें से क्रमशः उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में 15, राजस्थान के सवाई माधोपुर एवं करौली जिले में 6-6 एक्सचेंज तथा महाराष्ट्र में 809 टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए गए थे।

(ग) एमटीएनएल दिल्ली को छोड़कर देश में एक्सचेंज खोलने के समग्र लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं और एमटीएनएल दिल्ली में केवल 11 एक्सचेंज चालू नहीं किए जा सके तथा चालू वित्त वर्ष के दौरान इनको चालू किए जाने की संभावना है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश के टेलीफोन एक्सचेंजों के लिए आबंटित निधि 27593.63 करोड़ रु. थी (बीएसएनएल-24,643.53 रु. तथा एमटीएनएल-2950.10 रु.) जिसमें उत्तर प्रदेश के लिए 2639.46 करोड़ रु., राजस्थान के लिए 1142.36 करोड़ रु. तथा महाराष्ट्र के लिए 2511.18 रु. भी शामिल हैं।

कृषि कार्यक्रमों के लिए आर्थिक पैकेज

2299. **श्री ब्रह्मानन्द मंडल:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को बिहार से विशेष कृषि कार्यक्रम के लिए आर्थिक पैकेज से संबंधित कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपद यासो नाईक) : (क) और (ख) जी, नहीं। इस विभाग को बिहार से विशेष कृषि कार्यक्रम हेतु आर्थिक पैकेज के संबंध में कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

"दामोदर नदी में प्रदूषण"

2300. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में नदियों विशेषकर बिहार की दामोदर नदी में प्रदूषण की समीक्षा की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ख) जी, हाँ। दामोदर नदी को राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम में शामिल किया गया है। आठ शहरों अर्थात् बोकारो कारगली, चिरकुंडा, दुगधा, झरिया, गमगढ़, सिन्द्री, सुदामदिह और तेलुमोचू में 10.22 करोड़ रुपए की राशि से प्रदूषण उपशमन स्कीमें अनुमोदित की गई हैं।

(ग) 19.97 लाख रुपए की राशि से अब तक तीन परियोजना प्रस्ताव मंजूर किए गए हैं तथा राज्य सरकार को 13.31 लाख रुपए का केन्द्रीय अनुदान दे दिया गया है।

"वन भूमि पर आवास निर्माण"

2301. **श्री प्रह्लाद सिंह पटेल:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विकास और पुनर्वास के लिए देश में मध्य प्रदेश के वामपंथी उग्रवाद (नक्सलाइट्स) से ग्रस्त क्षेत्रों और वनांचल क्षेत्र के अन्य भागों की वन भूमि पर आवास निर्माण की अनुमति देने का है;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्य-योजना बनाई गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (ग) संसद द्वारा बनाए गए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उद्देश्य वन और इससे संबंधित मामलों अथवा सहायक या प्रासंगिक मामलों में संरक्षण प्रदान करना है। अधिनियम के अनुसार वन भूमि का वनेतर प्रयोजनों के लिए विचलन जिसमें राज्य सरकार या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा किया जाने वाला आवास निर्माण शामिल है केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना निषेध है।

केन्द्र सरकारी नीति के रूप में और वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के दिशा-निर्देशों के पैरा 4.5 के अनुसार रिहायशी अथवा गृह निर्माण जैसे गैर-स्थल विशिष्ट उद्देश्यों के लिए वन भूमि के विचलन के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं करती। परन्तु स्कूलों, अस्पतालों/डिस्पैंसरियों, सामुदायिक हालों, सहकारी समितियों, पंचायतों, सरकार के छोटे ग्रामीण औद्योगिक

शैडों आदि जो उस क्षेत्र के लोगों के लाभ के लिए हैं वहाँ वन भूमि के विचलन की अनुमति दी जाती है। जहाँ ऐसी परियोजनाओं के लिए वनेतर भूमि उपलब्ध नहीं होती वहाँ वन क्षेत्रों से विस्थापित हुए परिवारों/व्यक्तियों का पुनर्वास किया जाता है।

[अनुवाद]

"तितलियों की तस्करी"

2302. श्रीमती निवेदिता माने: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में तितलियों की तस्करी के मामले में कोई जाँच करवाई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालु) : (क) से (ग) तक में वन्यजीव सुरक्षा कर्मियों ने तितलियों के अवैध व्यापार के संबंध में अनेक जब्तियाँ की हैं। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972/सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के प्रावधानों के अनुसार अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

विवरण

तितलियों की जब्तियों के महत्वपूर्ण मामलों का ब्यौरा

क्र.सं.	वर्ष	जब्त की गई मदें	स्थान	मात्रा	मामले भेजे गए
1.	1992	तितलियाँ	कलकत्ता	155	सीमा शुल्क अधिनिर्णय के लिए
2.	1994	तितलियाँ और कीट	दिल्ली	14800	मामला विदेश मंत्रालय को दे दिया गया है।
3.	1995	तितलियाँ	कलकत्ता	197	सीमा शुल्क अधिनिर्णय के लिए
4.	1995	तितलियाँ	कलकत्ता	70	सीमा शुल्क अधिनिर्णय के लिए
5.	1996	तितलियाँ	कलकत्ता	112	सीमा शुल्क अधिनिर्णय के लिए
6.	1996	तितलियाँ	कलकत्ता	57	सीमा शुल्क अधिनिर्णय के लिए
7.	1996	तितलियाँ और भृंग	दार्जिलिंग	3100	वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत एक महीने की साधारण जेल और 2000/- रु. जुर्माने की सजा दी गई।
8.	1996	तितलियाँ	कलकत्ता	52	सीमा शुल्क अधिनिर्णय के लिए
9.	1996	तितलियाँ	कलकत्ता	128	सीमा शुल्क अधिनिर्णय के लिए
10.	1996	बटरफ्लाइज़ प्लाक	गुवाहाटी/ कलकत्ता	42	गुवाहाटी उच्च न्यायालय (शिलांग बैंच में लंबित है।)
11.	1996	बटरफ्लाई ऐक्ट्रे	कलकत्ता	1	-वही-
12.	1996	बटरफ्लाई मैट	कलकत्ता	1	-वही-
13.	1998	तितली	कलकत्ता	7	-वही-
14.	1999	तितली	कलकत्ता	1.970 कि.ग्रा.	सीमा शुल्क अधिनिर्णय के लिए

खनिजों पर रॉयल्टी

2303. **श्री जी.जे. जावीया:**
कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली:
श्री प्रभात सामन्तराय:

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्यों द्वारा विभिन्न खनिजों पर रॉयल्टी दरों के संशोधन की मांगें बढ़ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों द्वारा विभिन्न मंचों/अभ्यावेदनों के जरिए इस संबंध में की गई मांगों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई; और

(घ) खनिजों पर नई रॉयल्टी दरों की घोषणा कब तक कर दी जाएगी?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगाराव गायकवाड़ पाटील): (क) से (घ) केन्द्र सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (एम.एम.डी.आर. एक्ट) की धारा 9(3) के तहत, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना जारी करके अधिनियम की दूसरी अनुसूची को संशोधित कर सकती है ताकि अधिसूचना में निर्धारित किसी तारीख से किसी खनिज के बारे में देय रायल्टी की दर को बढ़ाया या घटाया जा सके बशर्ते, केन्द्र सरकार किसी खनिज के बारे में रायल्टी की दर तीन वर्ष की अवधि में एक से अधिक बार नहीं बढ़ाएगी।

केन्द्र सरकार ने प्रमुख खनिजों (कोयला तथा लिग्नाइट को छोड़कर) की रायल्टी दरों में 11.4.1997 को संशोधन किया था। रायल्टी की दरें बढ़ाने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। केन्द्र सरकार ने 5.10.1998 को खान मंत्रालय के तत्कालीन अपर सचिव की अध्यक्षता में एक अध्ययन दल गठित किया था जिसमें भारतीय खान ब्यूरो, चुनिंदा राज्य सरकारों, इस्पात मंत्रालय तथा भारतीय खनिज उद्योग संघ (फिमि) शामिल थे। अध्ययन दल ने एक प्रश्नावली की मार्फत सभी राज्य सरकारों से सुझाव तथा सिफारिशें भी प्राप्त कीं। अध्ययन दल की सिफारिशों के आधार पर प्रमुख खनिजों (कोयला, लिग्नाइट तथा भराव हेतु बालू को छोड़कर) की रॉयल्टी दरें, हाल ही में, अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 713 (ई.) दिनांक 12.9.2000 द्वारा संशोधित तथा अधिसूचित की गई हैं।

राज्यों को फसल बीमा का हिस्सा

2304. **श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार राज्यों को फसल बीमा का हिस्सा समय से दे रही है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य को दी गई राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपद यासो नाईक) : (क) और (ख) सरकार द्वारा फसल बीमा के अन्तर्गत, राज्यों को निधियां निर्मुक्त नहीं की जातीं। केन्द्र सरकार कार्यान्वयक अभिकरण को निधियां निर्मुक्त करती है ताकि क्षतिपूर्ति दावों आदि में भारत सरकार के अंश को पूरा किया जा सके।

(ग) वर्ष 2000-2001 के दौरान कार्यान्वयक अभिकरण द्वारा भुगतान किए गए दावों की राज्य-वार राशि संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्र. सं.	मौसम	राज्य	भुगतान किए गए दावे	भारत सरकार का हिस्सा
1.	खरीफ 1996	आंध्र प्रदेश	17.82	11.88
2.	खरीफ 1997	आंध्र प्रदेश	61.46	40.97
3.		महाराष्ट्र	1315.87	877.25
4.	रबी 1997-98	बिहार	2.12	1.41
5.		कर्नाटक	15.89	10.59
6.	खरीफ 1998	अ. व नि.द्वीप	0.91	0.61
7.		बिहार	236.17	157.45
8.		गुजरात	232.11	154.74
9.		मध्य प्रदेश	2045.57	1363.71
10.		महाराष्ट्र	0.12	0.08
11.	रबी 1998-99	आंध्र प्रदेश	164.62	109.75
12.		महाराष्ट्र	0.92	0.61
13.		उड़ीसा	282.52	188.35
14.		पश्चिम बंगाल	89.41	59.61
15.	खरीफ 1999	आंध्र प्रदेश	6173.32	4115.55
16.		अ. व. नि. द्वीप	0.29	0.20
17.		असम	0.11	0.07
18.		बिहार	88.21	58.81
19.		गुजरात	27307.35	18204.90
20.		कर्नाटक	963.07	642.05
21.		केरल	37.44	24.96
22.		मध्य प्रदेश	426.25	284.16
23.		महाराष्ट्र	587.65	391.57
24.		उड़ीसा	6654.24	4486.16
25.		पांडिचेरी	0.41	0.27
26.		तमिलनाडु	1.91	1.27
27.		पश्चिम बंगाल	249.22	166.15
28.	ई.सी.आई.एस. रबी 1997-98	कर्नाटक	799.82	639.85
		कुल	47754.50	31942.98

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में टेलीफोन सेवाओं का विकास

2305. श्री पदमसेन चौधरी: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश में टेलीफोन सेवाओं/टेलीफोन एक्सचेंजों के विकास का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को राज्यों में टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराने के दौरान उपभोक्ताओं को परेशान किए जाने से संबंधित शिकायतें मिली हैं;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान और आज तक तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 2000-2001 के लिए टेलीफोन एक्सचेंजों की विकास योजना का ब्यौरा निम्नानुसार है :–

(i)	एक्सचेंज क्षमता (लाइनों की संख्या)	–	495800
(ii)	डी ई एल (सीधी एक्सचेंज लाइनें)	–	456500

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त भाग (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पी.सी.ओ. के आबंटन में अनियमितताएं

2306. डा. रामकृष्ण कुसमरिया: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को 1999-2000 और आज की तिथि तक देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक टेलीफोन बूथों के आबंटन में भ्रष्टाचार तथा अनियमितताएं बरतने से संबंधित शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

"वन्यजीव सुरक्षा बल"

2307. श्री बसुदेव आचार्य: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अभ्यारण्यों और चिड़ियाघरों में बाघ जैसी संकटापन्न प्रजातियों की सुरक्षा हेतु वन्यजीव सुरक्षा बल गठित करने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो यह बल कब से अपना काम करना शुरू कर देगा;

(ग) क्या ऐसी संकटापन्न प्रजातियों को बचाने हेतु सरकार की कोई अन्य वैकल्पिक योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) जी, नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

(ग) और (घ) बाघ परियोजना स्कीम के अन्तर्गत राज्य सरकारों को विद्रोह या उग्रवाद द्वारा प्रभावित बाघ रिजर्वों में क्षेत्र विशिष्ट प्रहार बल की तैनाती के लिए 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई है।

विशेषज्ञ बल की तैनाती के लिए 1999-2000 के दौरान 43.00 लाख रुपए तथा 2000-2001 के दौरान 107.22 लाख रुपए की राशि मंजूर की गई है।

"वन्यजीव संपदा का संरक्षण"

2308. प्रो. ए.के. प्रेमाजम:
श्री बसुदेव आचार्य:

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय ने वन्यजीव संपदा की सुरक्षा करने में अपनी असफलता को स्वीकार किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस असफलता के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान की है; और

(घ) यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (घ) मंत्रालय द्वारा वन्यजीव के प्रभावी संरक्षण में कुछ बाधाएं अभिज्ञात की गई हैं। देश से बाहर विभिन्न वन्यजीव उत्पादों के लिए उच्च मूल्य मिलने के कारण वन्यजीवों की विभिन्न प्रजातियों के अवैध व्यापार और

चोरी-छिपे शिकार करने की घटनाओं में वृद्धि हुई है। वन्यजीवों से संबंधित अपराधों में लिप्त अनेक अपराधियों को पकड़ा गया है। प्रवर्तन तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए ठोस उपाय भी किए गए हैं। इन उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:

1. वन्य प्राणियों की उनके प्राकृतिक वास स्थलों में दीर्घावधिक सुनिश्चित करने की दृष्टि से, केन्द्र द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं अर्थात् हाथी परियोजना, राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों का विकास, बाघ परियोजना, संरक्षित क्षेत्र के इर्द-गिर्द पारिविकास के अंतर्गत राज्यों को वित्तीय, तकनीकी और वैज्ञानिक सहायता प्रदान करना।

2. वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत वन्य जीवों के शिकार और वाणिज्यिक शोषण के विरुद्ध कानूनी संरक्षण प्रदान करना।

3. वन्यजीवों के चोरी-छिपे शिकार करने और अवैध व्यापार पर नियंत्रण करने के लिए सचिव (पर्यावरण एवं वन), भारत सरकार की अध्यक्षता में विशेष समन्वय और प्रवर्तन समिति गठित किया जाना। विभिन्न राज्यों में ऐसी ही समितियां राज्य स्तर और जिला स्तर पर स्थापित की गई हैं।

4. वन्यजीव अपराधों के संबंध में अपराधियों को पकड़ने और उन पर मुकद्दमा चलाने के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को प्राधिकृत किया जाना।

5. अर्द्ध-सैनिक बलों और राज्य कांसटेबुलरी से ले कर गठित सशस्त्र टुकड़ियों और स्ट्राइक फोर्स को शामिल करके राज्य सरकारों को इन्फ्रास्ट्रक्चर सुदृढ़ करने में सहायता देना।

6. सुरक्षा उपायों की प्रभावी मानीटरी करने के लिए राज्य सरकार के साथ समय-समय पर बैठकें की गई।

7. वन्यजीवों और उनके व्युत्पन्नों की तस्करी रोकने की दृष्टि से देश के अधिकांश प्रमुख निर्यात केन्द्रों पर वन्यजीव संरक्षण संबंधी क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए गए हैं।

निजी क्षेत्र द्वारा एल्यूमिनियम संयंत्र की स्थापना

2309. श्री ए. नरेन्द्र: क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों में राज्य-वार कौन-कौन से एल्यूमिनियम संयंत्र हैं और उनके उत्पादन का दायरा कितना है;

(ख) प्रत्येक राज्य में एल्यूमिनियम के कुल कितने भंडार हैं;

(ग) क्या किसी निजी कंपनी ने आंध्र प्रदेश में एल्यूमिनियम संयंत्र स्थापित करने की पेशकश की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन संबंध में क्या कार्यवाही की गई?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगाराव गायकवाड़ पाटील): (क) देश में राज्य-वार निजी और सरकारी क्षेत्र में एल्यूमिनियम संयंत्रों के नाम और उनके उत्पादन का दायरा नीचे दिया गया है:

कंपनी का नाम	राज्य	मिक्स प्रोडक्ट दायरा
सरकारी क्षेत्र		
नालको	उड़ीसा	एल्यूमिनियम इंगोट्स, वायर रोड्स, बिलैट्स, सोस, स्ट्रिप्स
बालको	छत्तीसगढ़	एल्यूमिनियम इंगोट, रोल्ड प्रोडेक्ट्स, प्रोपर्जी रॉड, एकसट्रूजन फॉयल्स, कोल्ड रॉल्ड शीट्स
निजी क्षेत्र		
हिन्डालको	उत्तर प्रदेश	एल्यूमिनियम, रोल्ड प्रोडेक्ट्स, वायर रॉड, एक्सट्रूसन्स, फॉयलूस
इंडाल	उड़ीसा और केरल	इंगोट, प्रोपर्जी और कंडक्टर रॉड
मालको	तमिलनाडु	एल्यूमिनियम

(ख) एल्यूमिनियम निक्षेपों के रूप में नहीं पाया जाता। बाक्साइट को एल्यूमिना में परिवर्तित किया जाता है। इसके पश्चात् इलैक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया द्वारा एल्यूमिना से एल्यूमिनियम का उत्पादन किया जाता है।

(ग) एल्यूमिनियम उद्योग को अनिवार्य लाइसेंसिंग के प्रावधान से छूट दी गई है। यदि कोई कंपनी/उद्यमी देश में, कहीं भी एल्यूमिनियम संयंत्र की स्थापना करना चाहता है तो उसे मात्र एक औद्योगेक उद्यमी ज्ञापन (आई. ई. एम.) फाइल करना होगा। भारत सरकार को पिछले पांच वर्षों में आंध्र प्रदेश में किसी एल्यूमिनियम संयंत्र की स्थापना के लिए कोई आई.ई.एम. प्राप्त नहीं हुआ।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए धनराशि

2310. श्री गिरधारी लाल भार्गव: क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग किन-किन राज्यों से होकर गुजरते हैं और उनकी राज्य-वार लम्बाई कितनी है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत और उनकी देखरेख के लिए धन उपलब्ध कराती है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार राजस्थान को नए राजमार्गों के निर्माण हेतु और पुरानों की मरम्मत व देखरेख करने के लिए और अधिक धनराशि उपलब्ध कराने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खंडूडी) : (क) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) जी हां।

(ग) वर्ष 2000-2001 के दौरान राजस्थान राज्य को नए राष्ट्रीय राजमार्गों सहित राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए 120.61 करोड़ रु. और अनुरक्षण के लिए 43.07 करोड़ रु. की राशि आंवटित की गई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की सूची

क्रम सं.	राज्य का नाम	राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	कुल लम्बाई (कि.मी.) में
1.	आंध्र प्रदेश	4, 5, 7, 9, 16, 18, 43, 63, 202, 205, 214, 219	4038
2.	अरूणाचल प्रदेश	52, 52क और 153	392
3.	असम	31, 31ख, 31ग, 36, 37, 37क, 38, 39, 44, 51, 52, 52क, 52ख, 53, 54, 61, 62, 151, 152, 153 और 154	2836
4.	बिहार और झारखंड	2, 6, 19, 23, 28, 28क, 30, 30क, 31, 32, 33, 57, 77, 78, 80, 81, 82, 85, 84, 85, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 और 75 का विस्तार	4915
5.	चंडीगढ़	21	24
6.	दिल्ली	1, 2, 8, 10, 24	72
7.	गोवा	4क, 17, 17क और 17ख	269
8.	गुजरात	एन ई-1, 6-विस्तार, 8, 8क, 8ख, 8घ, 8ङ, 14, 15 और 59	2461
9.	हरियाणा	1, 2, 8, 10, 21क, 22, 65, 71, 71क, 72 और 73	1361
10.	हिमाचल प्रदेश	1क, 20, 21, 21क, 22, 70, 72 और 88	1188
11.	जम्मू एवं कश्मीर	1क, 1ख, 1ग, और 13 का विस्तार	823
12.	कर्नाटक	4, 4क, 7, 9, 13, 48, 63, 206, 207, 209, 212 और 218	3570
13.	केरल	17, 47, 47क, 49, 208, 212, 213 और 220	1440
14.	मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़	3, 6, 7, 12, 16, 25, 26, 27, 43, 59, 69, 75, 76, 78, 79, 86, 200, 59क, 86 का विस्तार, 216, 12क, 217, 92 और 75 का विस्तार	6417
15.	महाराष्ट्र	3, 4, 4ख, 6, 7, 8, 9, 13, 16, 17, 50, 59, 204 और 211	3626
16.	मणिपुर	39, 53 और 150	954
17.	मेघालय	40, 44, 51 और 62	717
18.	मिजोरम	44क, 54, 54क, 54ख, 150 और 154	927
19.	नागालैंड	36, 39, 61 और 150	369
20.	उड़ीसा	5, 5क, 6, 23, 42, 43, 60, 200, 201, 203, 215 और 217	3301
21.	पांडिचेरी	45क और 66	53
22.	पंजाब	1, 1क, 10, 15, 20, 21, 22, 64, 70, 70, 71 और 95	1553
23.	राजस्थान	3, 8, 11, 11क, 12, 14, 15, 65, 76, 79, 89 और 90	4481
24.	सिक्किम	31क	62
25.	तमिलनाडु	4, 5, 7, 7क, 45, 45क, 45ख, 46, 47, 49, 66, 67, 68, 205, 207, 208, 209, 210, 219, 220	5758
26.	त्रिपुरा	44 और 44क	400
27.	उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल	2, 2क, 3, 7, 11, 19, 24, 24क, 25, 25क, 26, 27, 28, 29, 56, 56क, 56ख, 58, 72, 73, 74, 75, 76, 86, 87, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 75 का विस्तार	5779
28.	पश्चिम बंगाल	2, 6, 31, 31क, 31ग, 32, 34, 35, 41, 55, 60, 80, 81	1951
		जोड़	57,737

"उत्तर प्रदेश में वन विकास परियोजना"

2311. योगी आदित्यनाथः क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार से राज्य वन विकास परियोजना की स्थापना हेतु कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए या उठाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने नीतिगत और संस्थागत ढांचे को सुदृढ़ बनाने, राज्य में वनोत्पाद की मांग को युक्तिसंगत बनाने, उत्तर प्रदेश राज्य के मैदानी वन क्षेत्र के बाहर वन/वृक्षावरण के विस्तार हेतु कृषि वानिकी, वर्तमान संसाधनों की सुरक्षा और उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक वनों की उत्पादकता में सुधार लाने हेतु 28 अगस्त, 2000 को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। प्रस्तावों की जांच की गई और चूंकि ये प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र में तैयार नहीं किए गए थे इसलिए इन्हें राज्य सरकार के पास इस अनुरोध के साथ वापस कर दिया गया कि वे इन कन्सेप्ट पेपर्स को निर्धारित प्रपत्र में तैयार करें।

[अनुवाद]

स्थानीय कालें

2312. डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेयः क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन उपभोक्ताओं की कितनी लंबी दूरी तक की कॉलों को स्थानीय कॉल माना जाता है;

(ख) क्या शहरी क्षेत्रों के टेलीफोन उपभोक्ताओं हेतु मानदंड ग्रामीण क्षेत्रों से अलग हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस असमानता को समाप्त करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) उपर्युक्त भाग (ख) को देखते हुए लागू नहीं होता।

विवरण

सामान्यतः स्थानीय कालों (एसटीडी कोड के बिना) की अनुमति निम्न स्थितियों में दी जाती है :

(i) कम दूरी प्रभारण क्षेत्र के भीतर;

(ii) जब दो कम दूरी प्रभारण क्षेत्र (एसडीसीए) सन्निकट हों;

(iii) जब उसी अथवा सन्निकट लंबी दूरी प्रभारण क्षेत्रों में पड़ने वाले दो कम दूरी प्रभारण क्षेत्रों में दो कम दूरी प्रभारण केन्द्रों के बीच की अरीय दूरी 50 कि.मी. तक हो।

(iv) जब दो दूरस्थ लम्बी दूरी प्रभारण क्षेत्रों के दो लम्बी दूरी प्रभारण केन्द्रों (एलडीसीसी) के बीच की अरीय दूरी 50 कि.मी. तक हो।

उपर्युक्त श्रेणी (i) तथा (ii) के तहत स्थानीय कालों की अनुमति संबंधित दूरी को ध्यान में रखे बिना दी जाती है।

डाक कर्मचारियों की हड़ताल

2313. श्री जी.एम. बनातवालाः
श्री रामशेठ ठाकुरः
श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरीः

क्या संचार मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे किः

(क) क्या डाक कर्मियों में असंतोष बढ़ रहा है तथा साथ में उनके आन्दोलन का खतरा भी उत्पन्न हो गया है;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य मांगों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन मांगों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या विभाग का पिछली हड़ताल/आंदोलन के बाद डाक कर्मियों के साथ कोई समझौता हुआ था;

(ङ) यदि हां, तो उस समझौते का ब्यौरा क्या है;

(च) उक्त समझौते के संबंध में क्या कार्यवाही की गई; और

(छ) इस मामले को सुलझाने और डाक कर्मियों के आंदोलन को टालने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी नहीं। तथापि, कुछ डाक यूनियनों ने 5.12.2000 से हड़ताल का नोटिस दिया है।

(ख) यूनियन की मांगें हैं:

1. अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों के लिए न्यायमूर्ति चरणजीत सिंह तलवार समिति की, विशेषकर स्टेटस और पेंशन देने के संबंध में, सकारात्मक सिफारिशों को कार्यान्वित करना।

2. निम्नलिखित के संबंध में, 18.12.98 को जिन स्वीकृत प्रस्तावों पर हस्ताक्षर किए गए उन्हें कार्यान्वित करना:

(i) ग्रुप "डी" का प्रवेश के समय/टीबीओपी/बीसीआर स्तरों पर वेतनमान बढ़ाना।

(ii) 1.1.96 से पोस्टमैन/मेलगार्ड के बढ़ाए गए वेतनमानों तथा टीबीओपी/बीसीआर स्तर पर बढ़ाए गए वेतनमानों को लागू करना।

(iii) हैड मेल पियन का वेतनमान बढ़ाना।

(iv) टीबीओपी/बीसीआर/एचएसजी-1 स्तरों पर डाक सहायक/छंटाई सहायक के लिए उन्नत वेतनमान।

(v) डाक लेखा कर्मचारियों के लिए उन्नत वेतनमान।

(vi) ड्राइवरों/कर्मशाला कर्मचारियों/डाकघर एवं आरएमएस लेखाकारों के लिए अतिरिक्त वेतनवृद्धियां।

(vii) स्टेनोग्राफरों का वेतनमान बढ़ाना।

(viii) नैमित्तिक मजदूरों से संबंधित मामले।

3. लिपिकीय संवर्ग में 10 प्रतिशत बीसीआर पदों का एचएसजी-1 में उन्नयन तथा डाक विभाग में सभी संवर्गों अर्थात् पोस्टमैन/मेलगार्ड, ग्रुप "डी" आदि में एचएसजी-1 के पदों के ऐसे ही प्रतिशत का प्रावधान।

4. डाक विभाग में, सभी संवर्गों में सभी खाली पदों को भरना।

(ग) सरकार सभी यूनियनों से सम्पर्क बनाए हुए है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) सरकार सभी यूनियनों के साथ सीधे और मुख्य श्रम आयुक्त के माध्यम से सम्पर्क बनाए हुए है।

[हिन्दी]

मदर डेयरी के बिक्री केन्द्रों पर फलों और सब्जियों की बिक्री

2314. डा. बलिराम: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई दिल्ली क्षेत्र में मदर डेयरी के फल और सब्जी बिक्री केन्द्रों पर घटिया गुणवत्ता वाले फल और सब्जियां ऊंचे दामों पर बेची जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन बिक्री केन्द्रों पर सस्ते और अच्छी गुणवत्ता वाले फल और सब्जियां उपलब्ध कराए जाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) फल और सब्जी केन्द्रों के जरिए बेचे जाने के लिए फल और सब्जी केन्द्र मुख्यतया कृषक संगठनों से फल और सब्जियां खरीदते हैं। उत्पाद के लिए फल और सब्जियों के गुणवत्ता मानदंड रखे गए हैं और फल तथा सब्जी केन्द्रों के जरिए प्रतियोगी मूल्यों पर बेचे जाते हैं।

[अनुवाद]

दिल्ली विद्युत बोर्ड में घाटा

2315. श्री विजय गोयल: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विद्युत बोर्ड को लगातार भारी घाटा उठाना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष दिल्ली विद्युत बोर्ड को कितना घाटा हुआ; और

(ग) उक्त घाटे को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए या उठाने का विचार है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयंवती मेहता) : (क) और (ख) दिल्ली विद्युत बोर्ड (डीवीबी), जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के प्रशासनिक एवं वित्तीय नियंत्रणाधीन है, ने सूचित किया है कि बोर्ड को पिछले वर्षों से हानि हो रही है और पिछले तीन वर्षों में डीवीबी को हुई हानि 1997-98 के दौरान 536.31 करोड़ रुपये, 1998-99 के दौरान 1038.95 करोड़ रुपये (अनंतिम) एवं 1999-2000 के दौरान 1103.40 करोड़ रुपये (अंनतिम) थी।

(ग) दिल्ली विद्युत बोर्ड ने सूचित किया है कि उन्होंने पारेषण एवं वितरण हानियों को कम करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पारेषण एवं वितरण प्रणाली का संवर्धन, शंट कैपेसिटर की स्थापना, दोषपूर्ण मीटरों का प्रतिस्थापन बिलिंग एवं एकत्रीकरण प्रक्रिया में सुधार, वाणिज्यिक नीतियों का उदारीकरण एवं "ऑन दि स्पॉट बिजली कनैक्शन" की मंजूरी के लिए अनधिकृत कॉलोनियों में कैम्पों का आयोजन ताकि विद्युत की चोरी रोकी जा सके एवं विद्युत उपभोक्ताओं को मुख्य धारा में शामिल किया जा सके। इसके अलावा डीवीबी का प्रवर्तन/वितरण विभाग चोरी की समस्या को रोकने के लिए चोरी प्रभावित क्षेत्रों में छापा भी मारता है।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर चार लेन बनाना

2316. श्री प्रभात सामन्तरायः
डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणीः

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बालासोर से जगतपुर और भुवनेश्वर से बरहामपुर तक के राष्ट्रीय राजमार्ग पर चार लेन बनाने के किसी प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की अनुमानित लागत सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त परियोजना के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है;

(घ) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर रहने वाले खुर्दा और बालूगांव के प्रभावित लोगों को मुआवजा दे दिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खंडूडी) : (क) से (ग) जी हां। लगभग 365 कि. मी. की कुल लम्बाई में से भुवनेश्वर और जगतपुर के बीच 28 कि. मी. की लम्बाई में कार्य पूरा होने वाला है और जगतपुर और चंडीखोल के बीच 33 कि. मी. की लम्बाई में कार्य प्रगति पर है। शेष खंड तैयारी और ठेका सौंपने के विभिन्न चरणों में हैं। लगभग 1,650 करोड़ रु. की लागत वाली इन परियोजनाओं को दिसम्बर, 2003 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

(घ) से (च) भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाएगा।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में दूरसंचार सेवाओं के विकास हेतु धनराशि

2317. श्री उत्तमराव पाटीलः
श्री अनंत गुढेः

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र में दूरसंचार और इंटरनेट सेवाओं के विकास हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ख) क्या विकास संबंधी कार्य महाराष्ट्र टेलीकॉम सर्किल द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार पूरा हो गया है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान और आज की तिथि तक इस कार्य हेतु कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान और आज की तिथि तक राज्य में विशेषकर यावतमाल और अमरावती जिलों के प्रत्येक टेलीफोन एक्सचेंज में कितने नए टेलीफोन कनैक्शन जारी किए गए?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र दूरसंचार तथा इंटरनेट सेवाओं के विकास के लिए आबंटित निधियां निम्नानुसार हैं :

क्रम सं.	वर्ष	आबंटित निधियां (करोड़ रु. में)
1.	1997-98	834.29
2.	1998-99	893.65
3.	1999-2000	1236.92
4.	2000-2001	1570.83 (बजट प्राक्कलन)

(ख) जी, हां। सीधी एक्सचेंज लाइनों के संबंध में नियत तथा प्राप्त किए गए लक्ष्यों का विस्तृत ब्यौरा इस प्रकार है:

क्रम सं.	वर्ष	नियत लक्ष्य	प्राप्त लक्ष्य
1.	1997-98	225000	287966
2.	1998-99	300000	343348
3.	1999-2000	395000	456890

(ग) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र में दूरसंचार तथा इंटरनेट सेवाओं के विकास पर व्यय की गई राशि इस प्रकार है:

क्रम सं.	वर्ष	व्यय की गई राशि (करोड़ रु. में)
1.	1997-98	846.63
2.	1998-99	865.52
3.	1999-2000	1236.75
4.	2000-01	537.01 (सितंबर, 2000 तक)

(घ) महाराष्ट्र में गत वर्षों में दिए गए टेलीफोन कनेक्शनों का विवरण उपर्युक्त (ख) पर दिया गया है। यवतमाल तथा अमरावती जिलों में गत तीन वर्षों में तथा आज तक की स्थिति के अनुसार दिए गए कनेक्शनों की एक्सचेंज-वार सूची क्रमशः संलग्न विवरण I तथा II में दी गई है।

विवरण-I

महाराष्ट्र दूरसंचार सर्किल (यवतमाल)

एसडीई एक्सचेंज	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01 (30.10.2000 के अनुसार)
डीआरएस डिगरास	235	181	225	87
डीआरएस कलगांव	0	0	20	23
डीआरएस सखारा	19	14	38	5
डीआरएस वसंत नगर	5	6	3	2
डीआरएस जोड़	259	201	266	113
डीडब्ल्यूए बोरेगांव	7	2	2	3
डीडब्ल्यूए बोरेख	24	60	20	16
डीडब्ल्यूए दारवा	130	119	139	135
डीडब्ल्यूए लोही	40	34	48	2
डीडब्ल्यूए मंगलादेवी	-	-	-	64
डीडब्ल्यूए मनिकावाड़ा	-	77	71	34
डीडब्ल्यूए नरपारसोपथ	92	126	43	138
डीडब्ल्यूए उत्तर वघोया	12	28	2	7
डीडब्ल्यूए वाटफली	-	-	40	9
जोड़	305	446	325	276
पीडीएच गटांजी	55	23	149	162
पीडीएच करांजी	18	10	4	-
पीडीएच काजरी	2	9	26	10
पीडीएच मोहडा	16	2	34	11
पीडीएच पंडार कवाड़ा	246	125	42	1
पीडीएच परवा	-	-	40	29
पीएचडी पतनबोर	64	10	31	23
पीएचडी रूंजा	1	1	1	8
पीएचडी शिरोली	-	-	-	26
पीएचडी उमारी	-	55	42	11
पीएचडी जोड़	402	233	329	255
डब्ल्यूएएनआई भलार	-	127	125	39
डब्ल्यूएएनआई कयार	9	2	4	2
एसडीई-1 लेहरा	40	63	19	57
एसडीई-1 यवतमाल	689	179	1959	704
जोड़	729	242	1978	761
एसडीई-II अलाबाजार	3	3	81	20
एसडीई-II आजनखेड़	7	2	3	1
एसडीई-II आनी	129	207	179	57
एसडीई-II भवुलगांव	40	28	14	65
एसडीई-II औरेगांव	0	0	0	32
एसडीई-II आभा	2	59	21	2
एसडीई-II ओंगार खारडा	0	0	68	12
एसडीई-II खारफाल	0	2	0	0
एसडीई-II केवाड़ी	0	0	33	22
एसडीई-II कवाला	6	39	18	37
एसडीई-II बड़मोहा	0	71	12	16
एसडीई-II कलाम्ब	55	14	153	46
एसडीई-II लोठा	1	9	25	8
एसडीई-II वासिना	0	0	24	2
एसडीई-II महागांव कस्बा	0	0	0	65
एसडीई-II रालेगांव	1	178	80	51
एसडीई-II रामनगर	1	4	33	3
एसडीई-II रूई	0	0	59	12
एसडीई-II सरूल	0	0	0	17
एसडीई-II सावर	0	0	46	10
एसडीई-II सावरगढ़	0	0	23	5
एसडीई-II सावेरगांव	0	0	50	18
एसडीई-II सावली सडोबा	0	0	65	27
एसडीई-II तिवासा	2	0	0	0
एसडीई-II वड़ोनाबाजार	0	0	0	29
	247	616	987	557
डब्ल्यूएनआई मारेगांव	68	12	4	11
डब्ल्यूएनआई मकुटबान	17	10	8	-
डब्ल्यूएनआई मंगोली	- -	-	-	85
डब्ल्यूएनआई नीजई	68	38	33	5

एसडीई एक्सचेंज	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01 (30.10.2000 के अनुसार)
डब्ल्यूएनआई राजूर	25	6	38	16
डब्ल्यूएनआई सिंदौला	0	80	3	0
डब्ल्यूएनआई वानी	167	114	496	329
यूकेडी ब्राह्मणगांव	20	19	5	1
यूकेडी घनाकी	43	90	49	10
यूकेडी फूलसावांगी	6	15	7	5
यूकेडी हवारा	1	3	-	3
यूकेडी महागांव	34	26	19	2
यूकेडी मुलावा	9	18	18	11
यूकेडी उमरखेड़	219	166	141	70
यूकेडी विदुल	18	39	21	3
यूकेडी जोड़	332	370	260	99
पीएचडी जामबाजार	31	20	25	5
पीएचडी काली	5	16	11	13
पीएचडी पेढ़ी	-	-	9	3
पीएचडी पुसाद	186	813	470	350
पीएचडी संवाल पिम्परी	5	4	18	7
पीएचडी जोड़	227	853	524	78
कुल जोड़	2855	3279	5028	2700

विवरण-II

जिला-अमरावती

पिछले तीन वर्ष व 2000-2001 में रिलीज किए गए टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या

क्र.सं. एक्सचेंज	1997-98	1998-99	1999-2000	31.10.2000 की स्थिति के अनुसार
1. अमरावती आरएलयू	1159	879	794	179
2. अमरावती ई-10बी	1836	3003	2825	1162
3. अमरावती मैक्स1/ओसीबी				
4. अचेतपुर कैम्प	-27	387	526	273
5. अचलपुर सिटी	102	29	204	115
6. अडगांव	0	1	33	0
7. अम्बाड़ा	6	11	4	5
8. अंजनगांव बाड़ी	3	4	2	3
9. अंजनगांव सुरजी	73	143	176	58
10. अंजनसिंह	1	0	43	13
11. असदपुर	15	2	76	2
12. आसागांव (डीएमजी)	0	25	28	2
13. आसागांव पुर्ने	0	-1	24	-9
14. आस्थी	8	7	52	9
15. आसरा	0	0	56	5
16. बन्देरा	30	194	153	-25
17. भटकुली	23	13	6	9
18. बोड़ापुर	0	0	105	15
19. बेनोडा	4	3	59	14
20. बेलोरा (हवाई अड्डा)	0	0	18	66
21. बेलोरा (सीएचबी)	19	18	10	2
22. ब्राहमणवाड़ा थाडी	35	21	32	-3
23. चण्डूर बाजार	76	61	185	0
24. चिखलदारा	34	49	55	10
25. चिंचोली बीके	18	22	49	1
26. चण्डूर रेलवे	1	54	64	165
27. दरयापुर	130	233	19	-11
28. धगा	16	0	42	11
29. धनोरा गुरव	64	8	40	17
30. धनोरा रजना	0	0	93	14
31. धमानगांव रेलवे	6	11	93	26
32. धमानगांव गाधी	0	29	70	-1
33. धर्नी	115	146	27	48
34. देवगांव	1	2	1	0
35. धूलघाट	4	24	2	0
36. गदेगांव	43	3	2	0
37. गनोजा देवी	12	9	15	0
38. घोड़ेगांव कविथा	18	-1	5	4
39 घुखेड़	26	1	0	-1
जोड़	3851	5390	5988	2178

क्र.सं.	एक्सचेंज	1997-98	1998-99	1999-2000	31.10.2000 की स्थिति के अनुसार
40.	गुरूकुंक मोजरी	12	27	19	0
41.	घाटियाडकी	7	9	5	(-) 8
42.	हिवारखेड	0	10	14	10
43.	इटकी	31	8	48	(-) 2
44.	जल्काजगताप	24	5	3	1
45.	ज्वाला शाहपुर	5	13	64	(-) 4
46.	कपुस्तालिन	7	15	5	(-) 2
47.	कसबेगवान	0	30	18	3
48.	ककडी	13	5	37	(-) 3
49.	करसगांव	11	(-) 4	86	26
50.	कवलीवसाद	11	9	3	1
51.	खरतालेगांव	1	5	47	(-) 1
52.	खेड	10	6	15	12
53.	खोलापुर	68	3	4	(-) 6
54.	कोकरदा	41	31	3	20
55.	कुरहा	10	17	5	12
56.	खलार	0	0	65	1
57.	लोनी (वरूड)	15	4	4	(-) 3
58.	लोनीतकली	(-) 4	5	92	(-) 2
59.	मलकापुर	0	19	6	1
60.	मनगरूलचावला	22	5	19	9
61.	मंगरूलदस्तागीर	49	6	1	0
62.	मंगरूलपेथ	38	(-) 3	(-) 1	0
63.	मालडि	31	2	5	1
64.	मोरशी	236	129	130	5
65.	मलखेड़	7	9	0	0
66.	नंदगांव पेठ	15	(-) 3	37	3
67.	नंदगांव केएच	0	79	74	34
68.	नान्डेडा बी के	0	8	(-) 6	1
69.	नारडोडा	0	34	54	18
70.	नरपीगलाई	36	11	23	15
71.	निपी	1	3	18	6
72.	निभोर बोडाखा	1	16	2	3
73.	पापर वघोन	42	3	37	10
74.	पलास खेड	0	0	63	3
75.	पारसपुर	19	11	11	(-) 3
76.	पथरोट	30	16	18	16
77.	पुरनानगर	0	0	74	53
78.	पदपुसला	5	(-) 1	65	2
79.	पुनारा	1	(-) 2	7	0
80.	पिम्पलोड	0	0	58	1
81.	राजुरवाडी	4	5	6	0
82.	रामतीर्थ	4	5	(-) 9	(-) 2
83.	रिघपुर	0	10	5	1
84.	रासेगांव	6	(-) 1	59	2
85.	राजौरी	40	13	6	2
86.	सतेगांव	42	13	45	(-) 1
87.	साहूर	41	21	22	10
88.	शेंदूरजनाघाट	63	46	20	39
89.	शिराला	11	(-) 4	4	10
90.	श्रासगांव	15	28	68	16
91.	सोनोरी	24	38	9	14
92.	सिंधी बीके	62	2	33	0
93.	सुपालवाडा	16	14	4	5
94.	थलोरी	0	0	58	2
95.	टिओसा	70	30	57	33
96.	तेलगांव दशासर	2	0	19	13
97.	तेलगांव मोहना	0	39	9	0
98.	विरूल रंघे	0	0	42	15
99.	वालगांव	20	1	34	16
100.	वारखेड	0	0	32	8
101.	वारूद	9	235	289	21
102.	वरहा	0	0	18	22
103.	वाडनर गंगै	2	6	3	(-) 3

क्र.सं. एक्सचेंज	1997-98	1998-99	1999-2000	31.10.2000 की स्थिति के अनुसार
104. वधोनारामनाथ	(-) 4	0	6	7
105. यवालीशाहीद	76	10	27	25
106. येवदा	43	16	11	7
	5192	6455	8088	2673

[अनुवाद]

बी.टी. कपास के बीज

2318. श्री एच.जी. रामुलु: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कर्नाटक में बी.टी. कपास के बीजों का खेत में परीक्षण किए जाने की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो कुल कितने हेक्टेअर खेतों में परीक्षण किए जाने की संभावना है;

(ग) इस कार्य हेतु कर्नाटक के किन जिलों को चुना गया है;

(घ) क्या उक्त परीक्षण केवल एक ही मौसम में किया जाना है; और

(ङ) यदि हां, तो खेतों में ऐसे परीक्षण किए जाने के क्या लाभ हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपद यासो नाईक) : (क) से (ग) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अन्तर्गत अनुवांशिक इंजीनियरी अनुमोदन समिति ने कर्नाटक के बेल्लारी, दावणगेरे, कोप्पल, धारवाड तथा रायचूर जिले के 2.46 हेक्टेयर क्षेत्र में बी.टी. कॉटन का क्षेत्रीय परीक्षण करने के लिए अनुमति प्रदान की थी।

(घ) और (ङ) भारतीय कपास की वर्ण संकर किस्मों में लेपीडोप्टेरॉन कीटों के नियंत्रण में बी.टी. ट्रेट की क्षमता तथा सस्य विज्ञान संबंधी फायदों, जिन्हें 1989-99 तथा 1999-2000 के दौरान छोटे पैमाने पर किए गए क्षेत्रीय परीक्षण के दौरान देखा गया था, के पुनर्मूल्यांकन के लिए एक मौसम तक बहु केन्द्रीय क्षेत्रीय परीक्षण तथा प्रतिकृति क्षेत्रीय परीक्षण किए जा रहे हैं।

सेल्युलर टेलीफोन सेवाएं

2319. श्री मंजय लाल:
श्री अरुण कुमार:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बिहार में नक्सलवाद से प्रभावित जिलों में सेल्युलर टेलीफोन सेवाएं उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य के ऐसे जिलों में यह सुविधा लोगों को कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (ग) बिहार दूरसंचार सर्किल (झारखण्ड राज्य सहित बिहार राज्य का समीपवर्ती क्षेत्र) में सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा के प्रचालन के लिए दो निजी ऑपरेटरों, नामतः मैसर्स कोशिका टेलीकॉम लि. (प्रभावी तारीख 23.08.1996) और मैसर्स रिलायंस टेलीकॉम लि. (प्रभावी तारीख 12.12.1995) को लाइसेंस प्रदान किए गए थे। बिहार दूरसंचार सर्किल में मैसर्स कोशिका का लाइसेंस बाद में समाप्त कर दिया गया था।

निजी सेल्युलर ऑपरेटरों को स्वीकृत लाइसेंस करार के अनुसार जिला मुख्यालयों का कम से कम 10 प्रतिशत पहले वर्ष में कवर किया जायेगा और जिला मुख्यालयों का 50 प्रतिशत लाइसेंस की प्रभावी तारीख के तीन वर्ष के अन्दर कवर किया जायेगा। लाइसेंसधारकों को जिला मुख्यालयों के बदले में जिले के किसी अन्य नगर/कस्बे को कवर करने की अनुमति भी प्राप्त है। कवर किये जाने वाले जिला मुख्यालयों/नगरों का विकल्प और 50 प्रतिशत जिला मुख्यालयों/नगरों से आगे का विस्तार लाइसेंसधारक कंपनियों द्वारा उनके व्यवसाय के निर्णय के आधार पर स्वीकार्य होगा। स्वीकृत लाइसेंसों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों को अनिवार्य रूप से कवर करना अपेक्षित नहीं है। बिहार दूरसंचार सर्किल में मौजूदा निजी सेल्युलर ऑपरेटर द्वारा नौ शहर कवर किए गए हैं, जैसा कि सेल्युलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इण्डिया (सीओएआई) द्वारा सूचित किया गया है। इन शहरों के नाम पटना, राँची, धनबाद, जमशेदपुर, झरिया, हाजीपुर, दानापुर, चास और मुजफ्फरपुर हैं।

भारत संचार निगम लि. (बी.एस.एन.एल.) को भी बिहार दूरसंचार सर्किल में सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा के प्रचालन के लिए लाइसेंस प्रदान किए गए थे। बी.एस.एन.एल. ने शुरू में प्रायोगिक (पायलट) परियोजना के रूप में सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा आठ शहरों नामतः पटना, बिहारशरीफ, हाजीपुर, बाढ़, आरा, राजगीर, सासाराम और झबुआ में शुरू करने का प्रस्ताव किया है। बीएसएनएल द्वारा वर्ष 2001 के दौरान शुरू करने की संभावना है। सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा बिहार के अन्य शहरों/नगरों में शुरू करने संबंधी मामला भी चल रहा है।

[हिन्दी]

बिहार में नवीनगर परियोजना का क्रियान्वयन

2320. मोहम्मद शहाबुद्दीन: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को बाढ़ परियोजना की तरह नवीनगर परियोजना के कार्य को राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा कराने के संबंध में बिहार सरकार से कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो अभी तक इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) इस परियोजना के कब तक शुरू हो जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयंवती मेहता) : (क) से (ग) बिहार के औरंगाबाद में नवीनगर ताप विद्युत परियोजना (2×500 मे. वा.) को आरम्भ में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा विश्व बैंक सहायता के जरिए क्रियान्वयन का विचार किया गया था। तदनुसार इस पर एक परियोजना रिपोर्ट सितम्बर, 1998 में तकनीकी आर्थिक स्वीकृति हेतु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को भेजी गई, हालांकि राज्य सरकार के पास निधियों के अभाव की वजह से परियोजना का क्रियान्वयन शुरू नहीं किया जा सका।

भारत सरकार की "वृहद् विद्युत परियोजना नीति" के अनुसरण में बिहार के औरंगाबाद के नवीनगर परियोजना को वृहद् विद्युत परियोजना के रूप में निजी क्षेत्र में क्रियान्वित करने हेतु फरवरी, 1996 में अभिज्ञात किया गया, पर अर्हता हेतु अनुरोध के लिए निजी क्षेत्र की प्रतिक्रिया उत्साहजनक नहीं थी।

हालांकि 10वीं एवं 11वीं योजना के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र में क्षमता अभिवृद्धि करने की जरूरत के मद्देनजर इस परियोजना को विकास हेतु संभावित परियोजनाओं में से एक माना गया है। तदनुसार एनटीपीसी को सलाह दी गई है कि उक्त परियोजना द्वारा तैयार की जाने वाली बिजली की व्यावहारिकता एवं विपणन क्षमता का मूल्यांकन करने के पश्चात् आरम्भिक कार्य शुरू कर दें।

एनटीपीसी ने उत्तरी/पश्चिमी क्षेत्रों के सभी लाभार्थी राज्यों से अनुरोध किया कि वे इस परियोजना से अपनी बिजली की जरूरत सम्बन्धी सूचना भेजें। हालांकि, उन से इस सम्बन्ध में कोई सकारात्मक उत्तर नहीं मिला है। इस के मद्देनजर इस समय विचाराधीन परियोजना के क्रियान्वयन के लिए समय सीमा बता पाना संभव नहीं है।

[अनुवाद]

आई.ए.आर.आई. द्वारा जारी धान की किस्में

2321. श्री विक्रम केशरी देव: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान आई.ए.आर.आई. द्वारा जारी की गई धान की नई किस्मों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उड़ीसा के विभिन्न जिलों हेतु पहचान की गई किस्मों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उड़ीसा के किसानों को धान की ये किस्में जारी कर दी गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन्हें किस मूल्य पर जारी किया जाना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. देवेन्द्र प्रधान) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित एक चावल की किस्म नामत: पीएनआर-519 को पिछले दो वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल की स्टेट वेराइटल रिलीज कमेटी द्वारा जारी कर दिया गया है।

(ख) और (ग) पिछले दो वर्षों के दौरान उड़ीसा की विभिन्न कृषि पारिस्थितिकी में किसानों द्वारा सामान्यत: उगाये जाने के लिए जारी की गई चावल की किस्मों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) चावल की किस्मों का मूल्य बीज निगम/अभिकरणों एवं किस्म-किस्म में अन्तर के आधार पर निश्चित किया जाता है।

विवरण

उड़ीसा राज्य के लिए उड़ीसा 1999-2000 में केन्द्रीय अभिकरण तथा उड़ीसा वेराइटी रिलीज कमेटी द्वारा जारी की गई किस्में

	नाम	जारी करने का वर्ष	अनुशंसित पारिस्थितिक-प्रणालियां
1.	सी एस आर 13	1999	लवणीय-क्षारीय
2.	सी एस आर 27	1999	लवणीय-क्षारीय
3.	उदयगिरी	1999	सिंचित, मध्यम
4.	पूजा	1999	बारानी उथली निम्न भूमियां
5.	इन्द्रावती	1999	बारानी उथली निम्न भूमियां
6.	महानन्दी	1999	बारानी उथली निम्न भूमियां
7.	प्राची	1999	बारनी उथली निम्न भूमियां
8.	पी ए 103 (6201)	2000	सिंचित, मध्यम

सिडनी ओलम्पिक खेलों के लिए भारतीय खिलाड़ियों की फिटनेस

2322. श्री रामजीवन सिंह:
श्री रामचन्द्र पासवान:

क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सिडनी ओलम्पिक, 2000 खेलों में भाग लेने वाले टेनिस टीम के सदस्य और कुछ अन्य खिलाड़ी तथाकथित रूप से खेलने के लिए फिट नहीं थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) किन परिस्थितियों के तहत भारतीय दल में इन्हें शामिल करने पर विचार किया गया?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन्) : (क) से (ग) एक एथलीट अर्थात् सुश्री सुनीता रानी जो देश की सर्वोत्कृष्ट मध्यम दूरी की धाविका हैं, दुर्भाग्यवश घायल हो गई थीं और डाक्टरों की सिफारिशों पर उनको इस आशा से ओलम्पिक्स के पूर्व कुछ दिनों के लिए प्रशिक्षण लेने की अनुमति दी गई थी कि वह अपनी दौड़ से पहले स्वस्थ हो सकती हैं। इस प्रकार, उनको ओलम्पिक्स के लिए टीम में शामिल कर लिया गया। वह अत्यधिक प्रतिभाशाली हैं और उनसे आगामी एफ्रो-एशियाई खेल, 2001, एशियाई खेल, 2002 तथा ओलम्पिक खेल, 2004 में पदक जीतने की आशा है। उन्हें सिडनी इस दृष्टि से भेजा गया था कि यद्यपि वह भाग लेने में समर्थ नहीं हैं, फिर भी वह सर्वोत्कृष्ट एथलीटों का प्रदर्शन देखते हुए भविष्य के लिए अधिक अनुभव प्राप्त कर सकेंगी।

डाक विभाग को घाटा

2323. श्री शीशराम सिंह रवि: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों से डाक विभाग में घाटा बढ़ा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान डाक विभाग को कुल कितना घाटा हुआ; और

(घ) डाक विभाग का कामकाज दुरुस्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/प्रस्तावित हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी हां।

(ख) मुख्यतया निम्नलिखित कारकों के कारण बढ़ते हुए घाटे की प्रवृत्ति रही है :

(i) नवासी प्रतिशत व्यय प्रतिबद्ध देयताएं जैसे वेतन, पेंशन आदि के मद में होता है;

(ii) विभिन्न सेवाओं के लिए डाक दरों में संशोधन, प्रचालनों की लागत में होती जा रही लगातार वृद्धि के अनुरूप नहीं हुआ है;

(iii) 5वें वेतन आयोग एवं अतिरिक्त विभागीय एजेंटों के लिए न्यायमूर्ति तलवार समिति द्वारा अनुशंसित संशोधित वेतनमानों का कार्यान्वयन।

(iv) डाक परियात में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं।

(ग) डाक विभाग हानि नहीं सह रहा है किन्तु घाटे में है। गत तीन वर्षों के दौरान डाक विभाग का घाटा निम्नलिखित के अनुसार है :

1997-98	993.43 करोड़ रु.
1998-99	1590.97 करोड़ रु.
1999-00	1595.82 करोड़ रु.

(घ) विभाग के लिए और अधिक राजस्व अर्जित करने के संगठित प्रयास किए गए हैं। परंपरागत सेवाओं के अलावा कारपोरेट सेक्टरों आदि को ग्राहकों के अनुरूप बनाकर (i) कतिपय सेवाओं के संदर्भ में समय-समय पर डाक-शुल्क में संशोधन (ii) स्पीड पोस्ट नेटवर्क का विस्तार (iii) बधाई डाक (iv) डाटा आधारित डाक (v) मीडिया पोस्ट आदि जैसी लाभकारी सेवाएं/कार्यकलाप शुरू करने/इनकी संभावनाओं का पता लगाने के लिए व्यवसाय विकास निदेशालय नामक एक नये विंग का गठन किया गया है।

साथ ही, (i) कड़े किफायती उपाय लागू करने (ii) वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित बजटीय सीलिंग के भीतर व्यय सीमित करने (iii) विभाग द्वारा शुरू की गई नई सेवाओं के लिए मैनपावर का विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के लिए उचित व्यय-नियंत्रण पर भी विशेष बल दिया जाता है।

कृषि भूमि को उपजाऊ बनाया जाना

2324. श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेषत: तमिलनाडु में कृषि भूमि के काफी बड़े क्षेत्रफल को उपजाऊ बनाया जाना शेष है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार ने प्रतिवर्ष राज्य-वार कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपद यासो नाईक) : (क) और (ख) देश में बोया गया निवल क्षेत्र 142.82 मिलियन हैक्टेयर है जिसमें से 5.48 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र तमिलनाडु में है। देश में कुल परती भूमि 23.22 मिलियन हैक्टेयर है जबकि तमिलनाडु में ऐसी भूमि 2.25 मिलियन हैक्टेयर है। अवक्रमित कृषि योग्य भूमि का विकास विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत किया जा रहा है ताकि इसे खेती योग्य बनाया जा सके।

(ग) केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं यथा वर्षासिंचित क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना, नदी घाटी परियोजनाओं और बाढ़ प्रवण नदियों के ग्रवण क्षेत्रों में अवक्रमित भूमियों की उत्पादकता बढ़ाने हेतु मृदा

संरक्षण, क्षारीय मृदा का सुधार और झूम खेती वाले क्षेत्रों में पनधारा विकास परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं ताकि कृषि और बायो-मास उत्पादन बढ़ाने के लिए अवक्रमित भूमि की उत्पादकता बढ़ाई जा सके। पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्मुक्त राज्यवार वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	राज्य	निर्मुक्त की गई केन्द्रीय सहायता		
		97-98	98-99	99-2000
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	13.86	15.51	16.65
2.	अरूणाचल प्रदेश	2.10	1.81	1.27
3.	असम	1.45	1.70	1.20
4.	बिहार	0.98	1.25	—
5.	गुजरात	9.66	24.33	24.80
6.	हरियाणा	1.80	4.65	2.45
7.	हिमाचल प्रदेश	7.70	10.68	7.62
8.	जम्मू व कश्मीर	5.66	6.37	6.65
9.	कर्नाटक	30.50	31.15	38.65
10.	केरल	5.00	15.02	3.90
11.	मध्य प्रदेश	30.28	40.13	47.50
12.	महाराष्ट्र	33.20	43.60	15.00
13.	मणिपुर	6.05	2.65	4.60
14.	मेघालय	1.20	3.60	4.10
15.	मिजोरम	5.25	11.40	8.66
16.	नागालैंड	4.60	10.00	9.00
17.	उड़ीसा	13.00	6.62	5.00
18.	पंजाब	2.42	3.21	1.23
19.	राजस्थान	41.98	55.59	51.30
20.	सिक्किम	0.90	1.50	2.00
21.	तमिलनाडु	15.00	22.30	20.75
22.	त्रिपुरा	2.61	4.80	5.51
23.	उत्तर प्रदेश	32.55	41.84	35.75
24.	पश्चिम बंगाल	1.10	6.20	7.50
25.	गोवा	-	0.08	0.03
26.	अ. और नि. द्वीप समूह	0.25	0.65	0.34
27.	चण्डीगढ़	-	-	-
28.	दादर नागर हवेली	0.01	0.01	-
	कुल	269.11	366.65	321.46

विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार

2325. मोहम्मद अनवारूल हकः
श्रीमती कान्ति सिंहः
श्री सुकदेव पासवानः

क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय/एशियाई खेलों/ओलंपिक खेलों की स्पर्धाओं के विजेता खिलाड़ियों को नकद या अन्य पुरस्कार दिए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या मापदण्ड अपनाए जाते हैं या अपनाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकारों हेतु कोई दिशानिर्देश तैयार किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन्) : (क) जी, नहीं।

(ख) अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के विजेताओं को प्रति वर्ष विशेष पुरस्कार दिए जाते हैं। यह एक सतत प्रक्रिया है। पुरस्कारों की दरें निम्न प्रकार हैं:

(लाख रुपये में)

प्रतियोगिता का नाम	स्वर्ण	रजत	कांस्य
ओलंपिक्स तथा सरकारी विश्व चैंपियनशिप	15	9	6
एशियाई खेल और राष्ट्रमंडल खेल	5	3	2
सरकारी एशियाई चैंपियनशिप तथा सरकारी राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप	1.50	1	0.75

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) चूंकि "खेल" राज्य का विषय है, अतः भारत सरकार इस बारे में राज्य सरकारों द्वारा अपनाए जाने वाले किसी भी मार्गदर्शी सिद्धांत को तैयार नहीं करती है।

मृत डाक कर्मचारियों के आश्रितों को रोजगार

2326. श्री कोलूर बसवनागौडः क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कर्नाटक में मृत डाक कर्मचारियों के आश्रितों से रोजगार हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए; और

(ख) इन्हें रोजगार देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) वर्ष 1999 एवं 2000 के दौरान कर्नाटक में मृतक डाक कर्मचारियों के आश्रितों से नौकरी के लिए 147 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) इस अवधि के दौरान 90 ऐसे आवेदकों को नौकरी देने के लिए अनुमोदित कर दिया गया। शेष आवेदकों को नौकरी देने संबंधी प्रस्ताव नहीं दिए जा सके।

[हिन्दी]

बिहार और उत्तर प्रदेश में जल विद्युत परियोजना

2327. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादवः
डॉ. बलिरामः
मोहम्मद अनवारूल हकः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में विशेषकर बिहार और उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में छोटे, मंझोले और बड़े जलाशय हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन सभी जलाशयों से विद्युत उत्पादन किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी परियोजना-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को प्रत्येक राज्य में इन जलाशयों में जल विद्युत संयंत्रों की स्थापना हेतु कोई प्रस्ताव मिला है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा बिजली की कमी को पूरा करने हेतु इन जलाशयों में छोटे, मझोले और बड़े जल विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (छ) देश में पेयजल, सिंचाई, औद्योगिक उपयोग, बाढ़ नियंत्रण एवं नौवहन आदि की जरूरत को पूरा करने के लिए अनेक लघु, मध्यम एवं बृहद् जलाशय हैं। केन्द्रीय जल आयोग द्वारा दिसम्बर, 94 में प्रकाशित बृहद् बांधों के राष्ट्रीय रजिस्टर के अनुसार देश में निर्माणाधीन बृहद बांधों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। वर्तमान में देश में ऐसे 82 जलाशय हैं, जिनसे विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। इन स्कीमों का परियोजना-वार एवं राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

जल विद्युत परियोजनाएं स्थलाकृति, जल एवं भू-वैज्ञानिक स्थितियों के आधार पर स्थल/विशिष्ट होती हैं एवं इनकी आयोजना जलाशय स्कीमों के आयोजना चरण में इनकी तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता के मद्देनज़र किया जाता है।

उपर्युक्त तथ्य के मद्देनज़र जलाशयों की शक्यता का दोहन जल विद्युत उत्पादन में करने हेतु ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जिनके जरिए उन संभावित स्थलों को अभिज्ञात किया जा सके, जो मौजूदा जलाशयों पर आर्थिक रूप से व्यावहारिक हो एवं उन्हें विकसित किया जा सके।

विवरण-I

वृहत बांध (निर्मित)

क्रम सं.	राज्य का नाम	बड़े बांधों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	153
2.	असम	2
3.	बिहार	61
4.	गुजरात	466
5.	गोवा	5
6.	हिमाचल प्रदेश	4
7.	जम्मू एवं कश्मीर	7
8.	कर्नाटक	188
9.	केरल	138
10.	मध्य प्रदेश	946
11.	महाराष्ट्र	1229
12.	मणिपुर	2
13.	मेघालय	6

क्रम सं.	राज्य का नाम	बड़े बांधों की संख्या
14.	उड़ीसा	131
15.	पंजाब	1
16.	राजस्थान	122
17.	तमिलनाडु	84
18.	त्रिपुरा	1
19.	उत्तर प्रदेश	123
20.	प. बंगाल	22
	जोड़	3596

विवरण-II

संग्रहण प्रकार की जल विद्युत स्कीमें जो कि प्रचालन में हैं (अधिष्ठापित क्षमता 3 मे. वा. से ऊपर)

(1.11.2000 के अनुसार)

क्र. सं.	राज्य/उत्पादक कम्पनी	हाइड्रो स्कीम	यूनिटों की सं. × क्षमता	क्षमता (मे.वा.)
1	2	3	4	5
	बी. बी. एम. बी.			
1.	पंजाब	भाखड़ा (एल)	5 × 108	540
	पंजाब	भाखड़ा (आर)	5 × 132	660
2.	पंजाब	पोंग	6 × 60	360
	एनएचपीसी			
3.	हिमाचल प्रदेश	चमेरा चरण-I	3 × 180	540
4.	जम्मू व कश्मीर	उड़ी	4 × 120	480
5.	मणिपुर	लोकतक	3 × 35	105
	डीवीसी			
6.	पश्चिम बंगाल	मैथॉन	3 × 20	60
7.	पश्चिम बंगाल	तिलैया	2 × 2	4
	नीपको			
8.	असम	खांडोंग	2 × 25	50
9.	असम	कोपिली	2 × 50	100
10.	असम	कोपिली विस्तार	2 × 50	100
11.	नागालैंड	दोथांग	3 × 25	75
	पंजाब			
12.		रंजीत सागर	4 × 150	600
1	2	3	4	5
	राजस्थान			
13.		आ. पी. सागर	4 × 43	172
14.		जे. सागर	3 × 33	99
	उत्तर प्रदेश			
15.		रिहन्द	6 × 50	300
16.		रामगंगा	3 × 66	298
	गुजरात			
17.		उकई	4 × 75	300
	मध्य प्रदेश			
18.		गांधी सागर	5 × 23	115
19.		बारगी	2 × 45	90
20.		पेंच	2 × 80	160
21.		बाणसागर टॉस	2 × 105	210
22.		बीरसिंहपुर		20
23.		हसदेव बांगो	3 × 40	120
24.		राजघाट		45
	महाराष्ट्र			
25.		कोयना-1 व 2	4 × 65+4×75	560
26.		कोयना-3	4 × 80	320
27.		तिल्लारी	1 × 60	60
28.		दूधगंगा	2 × 12	24
29.		कोयना चरण-4	4 × 250	1000
30.		भीरा	6 × 22	132
31.		भिवपुरी	6 × 12	72
32.		खोपोली	6 × 12	72
	आंध्र प्रदेश			
33.		मचकुंड	3×17+3×21.25	114.75
34.		अपर सिलेरू	2 × 60	120
35.		लोअर सिलेरू	4 × 115	460
36.		टी. बी. बांध	4 × 9	36
37.		हम्पी	4 × 9	36
38.		श्रीसेलम	7 × 110	770

1	2	3	4	5
कर्नाटक				
39.		तारावती	10 × 89.1	891
40.		लिंगनमक्की	2 × 27.5	55
41.		कालीनदी	6 × 135	810
42.		सुपा डीपीएच	2 × 50	100
43.		वराही	2 × 115	230
44.		काली नदी चरण-2 (कदरा)	3 × 50	150
45.		काली नदी चरण-2 (कोडासल्ली)	3 × 40	120
46.		जोग	4 × 12+4×18	120
	केरल			
47.		इडुक्की	6 × 130	780
48.		सबरी गिरि	6 × 50	300
49.		कुटिपाडी	3 × 25	75
50.		शोलायार	3 × 18	54
51.		पन्नियार	2 × 15	30
52.		इदामलयार	2 × 37.5	75
	तमिलनाडु			
53.		कुंडा	3 × 20	60
54.		कुंडा-2	5 × 35	175
55.		कुंडा-3	3 × 60	180
56.		कुंडा-4	2 × 50	100
57.		कुंडा-5	2 × 20	40
58.		मेत्तूर बांध	4 × 10	40
59.		मेत्तूर टनल	4 × 50	200
60.		पेरियार	4 × 35	140
61.		कोडायार	1 × 60	60
62.		कोडायार-2	1 × 40	40
63.		शोलायार-1	2 × 35	70
64.		शोलायार-2	1 × 20	20
65.		पाइकारा	3 × 6.65 + 2×14+2 × 11	69.95
66.		अलियार	1 × 60	60
67.		सुरूलियार	1 × 35	35
68.		सेरवलर	1 × 20	20
69.		वईगई बांध	2 × 3	6
70.		सततनूर बांध	1 × 7.5	7.5
71.		पार्सन्स वैली	1 × 30	30
	बिहार			
72.		सुबर्णरेखा	1 × 65	65
73.		सुबर्णरेखा-2	1 × 65	65
	उड़ीसा			
74.		हीराकुड-1	5 × 37.5+2×24	235.5
75.		बालीमेला	6 × 60	360
76.		रेंगाली	5 × 50	250
77.		अपर कोलाब	4 × 80	320
78.		अपर इन्द्रावती	3 × 150	450
	सिक्किम मेघालय			
79.		उमियम चरण-1	2 × 9 + 2 × 9	36
80.		उमियम चरण-2	2 × 9	18
81.		उमियम उमतरू चरण-4	2 × 30	60
	त्रिपुरा			
82.		गुमटी	3 × 5	15
		कुल अखिल भारत		12715.95 मे. वा.

[अनुवाद]

केरल में इंटरनेट सुविधा

2328. श्री ए.पी. अब्दुल्लाकुट्टी: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल के सभी जिलों में इंटरनेट नोड चालू कर दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या अपेक्षित बैंडविड्थ उपलब्ध नहीं होने के कारण ग्राहक आसानी से इसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं/ प्रस्तावित हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां। केरल के सभी जिलों में इंटरनेट नोड चालू कर दिए गए हैं।

(ख) जी, नहीं। पर्याप्त बैंडविड्थ उपलब्ध हैं।

(ग) उपर्युक्त को देखते हुए लागू नहीं होता।

मध्य प्रदेश में रिन्यूअल एण्ड इम्प्रूवमेंट राइडिंग क्वालिटी प्रोग्राम

2329. श्रीमती जयश्री बैनर्जी: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 2001-2002 के दौरान मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों हेतु रिन्यूअल एण्ड इम्प्रूवमेंट राइडिंग क्वालिटी प्रोग्राम लागू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कार्यक्रम के विचाराधीन राजमार्गों का ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खंडूडी) : (क) से (ग) जी हां। प्रारंभ की जाने वाली परियोजनाओं और राजमार्गों की संख्या का निर्णय वर्ष 2001-2002 के लिए बजटीय प्रावधान उपलब्ध हो जाने के बाद किया जाएगा।

भारतीय खेलों के प्रदर्शन में सुधार

2330. श्री जे.एस. बराड़ : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की खेल नीति बुरी तरह असफल हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) आगामी एशियाई खेलों को ध्यान में रखते हुए भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन्) : (क) और (ख) पुरानी नीति असफल नहीं हुई है। तथापि, चूंकि यह 1984 में बनाई गई थी, अतः खेलों के क्षेत्र में परिवर्तन हुए हैं। अब आवश्यकताएं बढ़ी हैं जिनसे पुरानी नीति में संशोधन करना अपेक्षित है जिससे कि नई नीति उभरती हुई आवश्यकताओं को पूरा कर सके।

(ग) सरकार ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(1) विभिन्न खेल-विधाओं के लिए दीर्घकालिक विकास योजनाएं तैयार करना।

(2) राष्ट्रीय टीमों के लिए नियमित प्रशिक्षण शिविर आयोजित करना।

(3) जब कभी राष्ट्रीय खेल परिसंघ द्वारा अनुरोध किया गया और भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा सिफारिश की गई, विदेशी प्रशिक्षकों और सहायक कार्मिकों की व्यवस्था करना।

(4) प्राथमिकता और सामान्य श्रेणी/खेल विधाओं में राष्ट्रीय टीमों के लिए विदेशों में खेलने के अवसर प्रदान करना।

केरल में कृषि का विकास

2331. श्री वी.एस. शिवकुमार: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष के दौरान केरल के कृषि विकास में तेजी से गिरावट आई है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपद यासो नाईक) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

"बाघों का संरक्षण"

2332. श्री विजय हान्दिक: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में बाघ परियोजना की योजना, प्राथमिकता और रणनीति पुनः तैयार करने का आकलन करने के लिए इसके कार्यनिष्पादन की स्थिति की समीक्षा की है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार बाघ संरक्षण की मौजूदा स्थिति के बरक्स बाघ परियोजना की स्थिति पर श्वेत पत्र जारी करने का है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) बाघ परियोजना के कार्यों का निष्पादन बाघ परियोजना संचालन समिति द्वारा किया जाता है जिसके अध्यक्ष पर्यावरण एवं वन मंत्री हैं। संचालन समिति की 8.5.2000 को हुई पिछली बैठक में संचालन समिति के सदस्यों द्वारा बाघ परियोजना के समस्याग्रस्त क्षेत्रों के मूल्यांकन का निर्णय लिया था।

(ख) जी, नहीं।

सुधार करने के

कास योजनाएं

विर आयोजित

प किया गया
ी गई, विदेशी
करना।

ों में राष्ट्रीय
ान करना।

ईक) : (क)

: (क) बाघ
समिति द्वारा
वालन समिति
सदस्यों द्वारा
य लिया था।

[हिन्दी]

बिहार में कृषि विज्ञान केन्द्र

2333. श्री ब्रजमोहन रामः क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार के पलामू जिले हेतु स्वीकृत किए गए कृषि विज्ञान केन्द्रों के कब तक चालू हो जाने की संभावना है;

(ख) क्या सरकार ने बिहार के गढ़वा जिले में भी ऐसे केन्द्र स्थापित करने की कोई योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान) : (क) पलामू जिले में एक कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने की मंजूरी अभी नहीं दी गई है।

(ख) और (ग) फिलहाल बिहार के गढ़वा जिले में एक कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

एन.ई.ई.पी.सी. की उत्पादन क्षमता

2334. श्री वैकोः क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मार्च, 2001 के अंत तक नॉर्थ-ईस्ट इलेक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन एन.ई.ई.पी.सी. की अधिष्ठापित क्षमता कितनी हो जाएगी;

(ख) एन.ई.ई.पी.सी. की अनुमानित विद्युत खपत कितनी होगी और इसके पास कितनी अतिरिक्त विद्युत होगी;

(ग) एन.ई.ई.पी.सी. द्वारा इस अतिरिक्त विद्युत की बिक्री किस प्रकार किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार का विचार पूर्वोत्तर ग्रिड को सीधे बंगाल ग्रिड (ईस्टर्न ग्रिड) से या अन्य किसी ग्रिड द्वारा दक्षिणी ग्रिड से जोड़ने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या एन.ई.ई.पी.सी. को बांग्लादेश के जरिए दक्षिणी ग्रिड से जोड़ने का कोई प्रस्ताव है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या इस संबंध में कोई बातचीत हुई है; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी पारेषण लागत क्या होगी?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) नीपको की विद्युत परियोजनाओं की संस्थापित क्षमता 31.3.2001 की स्थितिनुसार 700 मे. वा. है (थर्मल 375 मे. वा. तथा हाइडल 325 मे. वा.)।

(ख) नीपको 2906 मिलियन यूनिटों पर विद्युत उपलब्धता का अनुमान लगाया है, जबकि उत्तर-पूर्वी राज्यों में अनुमानित बिजली खपत 2450 मिलियन यूनिट है, इस प्रकार 456 मिलियन यूनिट विद्युत अधिशेष है जो व्यस्ततमकाल में लगभग 50 मेगावाट तथा सामान्य अवधि में 100 मे. वा. के बराबर है।

(ग) नीपको ने पूर्वोत्तर राज्यों की जरूरतों को पूरा करने के बाद मई, 2000 से पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड को विद्युत की बिक्री का प्रबंध किया है (50 मे. वा. व्यस्ततम कालीन अवधि में एवं 20 मे. वा. गैर-व्यस्ततम कालीन अवधि में)।

(घ) और (ङ) पूर्वोत्तर क्षेत्र पश्चिमी क्षेत्र ग्रिड से 400 केवी लाइनों एवं अन्य एसी लिंक जिनकी क्षमता 1000 मेगावाट से भी ज्यादा है, के जरिए अन्तः संयोजित है। पूर्वी ग्रिड का दक्षिणी क्षेत्र ग्रिड में पुनः अन्तः संयोजन 500 मेगावाट क्षमता वाले एचवीडीसी लिंक के जरिए है। इस प्रकार पूर्वोत्तर क्षेत्र दक्षिणी क्षेत्र ग्रिड से पूर्वी क्षेत्रीय ग्रिड के जरिए जुड़ी हुई है। पूर्वी क्षेत्र एवं दक्षिणी क्षेत्र के बीच पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं दक्षिणी क्षेत्र के अन्तःसंयोजन की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से अतिरिक्त अन्तः संयोजन स्थापित करने की भी योजना है।

(च) से (झ) बांग्लादेश सरकार के साथ पूर्वोत्तर क्षेत्रीय ग्रिडों एवं बांग्लादेश के बीच अन्तः संयोजन एक तरफ, दूसरी तरफ बांग्लादेश एवं पूर्वी ग्रिड में अन्तः संयोजन उपलब्ध कराने सम्बन्धी प्रस्ताव पर प्रारम्भिक वार्ता की गई है ताकि दोनों देशों के बीच ऊर्जा विनिमय के जरिए अन्तः देशीय सहयोग को प्रोत्साहित किया जा सके।

पूर्वोत्तर क्षेत्र की चालू परियोजनाएं

2335. श्री होलखोमांग हौकिपः क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सेन्ट्रल पावर प्रोजेक्ट स्कीम से वित्त पोषित पूर्वोत्तर के विशेषतः मणिपुर राज्य में चल रही परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन परियोजनाओं की परियोजना-वार अनुमानित लागत, स्वीकृत राशि और अब तक जारी की गई राशि का योजना-वार ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्वीकृत एवं निर्माणाधीन केन्द्रीय विद्युत क्षेत्र परियोजनाओं के बारे में अनुमानित लागत, स्वीकृत एवं जारी की गई राशि के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त 1999-2000 में नई स्कीमों नामतः अरूणाचल प्रदेश में कामेंग (600 मे. वा.) एवं मिजोरम में तुईवई (210 मे. वा.) के संबंध में अवसंरचनात्मक कार्यों को पूरा करने के लिए नॉर्थ-ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन (नीपको) को

15 करोड़ रुपये जारी किए गए। नीपको द्वारा मणिपुर में तिपाईमुख जल विद्युत परियोजना (1500 मे. वा.) को भी क्रियान्वित किया जाना प्रस्तावित है बशर्ते कि मणिपुर राज्य सरकार समझौते पर हस्ताक्षर करे।

पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. दो स्कीमों, नामतः (i) अगरतला पारेषण प्रणाली एवं (ii) पूर्वोत्तर भार प्रेषण एवं सम्प्रेषण स्कीम का क्रियान्वयन कर रहा है ताकि उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में बिजली की समग्र स्थिति में सुधार हो सके। इन दोनों स्कीमों पर अनुमानित लागत क्रमशः 22.17 करोड़ रुपये एवं 167.93 करोड़ रुपये है।

राज्य क्षेत्र परियोजनाओं नामतः भारी ईंधन विद्युत परियोजना (36 मे. वा.), मणिपुर एवं रोकिया विस्तार चरण-I (21 मे. वा.), त्रिपुरा के लिए स्थायी केन्द्रीय संसाधन से क्रमशः 122.49 करोड़ रुपये एवं 5 करोड़ रुपये की सहायता भी दी गई है।

विवरण

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में मंजूर एवं निर्माणाधीन केन्द्रीय क्षेत्र विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा

(करोड़ रु. में)

क्रम सं.	परियोजना का नाम अधिष्ठापित क्षमता सहित	राज्य जहां स्थित है	कार्यान्वित एजेंसी	अनुमोदित लागत	अद्यतन अनुमानित लागत	31.10.2000 को जारी की गई राशि
1.	रंगानदी एचईपी** (405 मे. वा.)	अरूणाचल प्रदेश	नीपको	774.12	1446.09	1130.19
2.	दोयांग एचईपी** (75 मे. वा.) (जुलाई 2000 से चालू की गई)	नागालैंड	नीपको	384.75	758.70	717.85
3.	कोपली एचईपी चरण-II (25 मे. वा.)	असम	नीपको	76.09	76.09	45.86
4.	तुरईल एचईपी (60 मे. वा.)	मिजोरम	नीपको	368.72	448.19	99.03
5.	लोकतक डाउनस्ट्रीम (90 मे. वा.)	मणिपुर	एनएचपीसी	578.62	578.62	20.62

**पूर्वोत्तर काउन्सिल गृह मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि।

जल विद्युत परियोजनाओं को निजी कम्पनियों को सौंपा जाना

2336. श्री जयभद्र सिंह: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जल विद्युत परियोजनाओं को निजी कम्पनियों को सौंपने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन कंपनियों ने विद्युत उत्पादन के लिए परियोजना-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किए हैं;

(घ) इन परियोजनाओं को कब तक सौंपे जाने की संभावना है; और

(ङ) इन परियोजनाओं की लागत और प्रति इकाई विद्युत उत्पादन लागत कितनी होगी?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ङ) भारत सरकार द्वारा 1991 में घोषित नीति घरेलू और विदेशी दोनों निजी विकासकर्ताओं को संबंधित राज्य सरकारों के अनुमोदन से ताप विद्युत और जल विद्युत दोनों क्षेत्रों में उत्पादन केन्द्रों की स्थापना में भाग लेने की अनुमति देती है। विभिन्न राज्यों में निजी क्षेत्र में जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु उन स्कीमों का ब्यौरा, जिन्हें केन्द्रीय विद्युत

प्राधिकरण की तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	परियोजना प्रवर्तक का नाम/राज्य	क्षमता (मे. वा.)	अनुमानित संपूर्ण लागत	अनुमानित चालू होने का कार्यक्रम
1.	बास्पा चारण-2 एचईपी, मै. जयप्रकाश हाइड्रो पावर लि., हिमाचल प्रदेश	3 × 100	949.23 करोड़ रु.	यूनिट-1 2002 शेष 10वीं योजना में
2.	मलाना एचईपी, मै. मलाना पावर कंपनी लि., हिमाचल प्रदेश	2 × 43	341.911 करोड़ रु.	मार्च, 2002 9वीं योजना में लाभ
3.	विष्णुप्रयाग एईपी, मै. जयप्रकाश पावर वेंचर लि., उत्तर प्रदेश	4 × 100	107.35 मिलियन अमरीकी डॉलर + 1233.57 करोड़ रु. (1 अमरीकी डॉलर = 35.50 रुपये)	यूनिट-1 वित्तीय समापन से 59 माह अंतिम यूनिटः वित्तीय समापन से 60 माह 10वीं योजना से लाभ
4.	श्रीनगर एचईपी, मै. डंकन्स नार्थ हाइड्रो पावर कं. लि., उत्तर प्रदेश	4 × 82.5	95.04 मिलियन अमरीकी डॉलर + 1299.89 करोड़ रु. (1 अमरीकी डॉलर = 42 रुपये)	यूनिट-1 जून, 2005 अंतिम यूनिट सितंबर, 2005 10वीं योजना में लाभ
5.	महेश्वर एचईपी, मै. श्री महेश्वर हाइडल पावर कार्पोरेशन लि., मध्य प्रदेश	10 × 40	213.29 मिलियन अमरीकी डॉलर + 812,09 करोड़ रु. (1 अमरीकी डॉलर = 35.50 रुपये)	यूनिट-1 वित्तीय समापन से 46 माह यूनिट-10 वित्तीय समापन से 55 माह 10वीं योजना में लाभ

उपरोक्त परियोजनाओं से विद्युत की वास्तविक बिक्री दर सम्पूर्ण लागत (के.वि.प्रा. द्वारा अनुमोदित) तथा प्रवर्तक और संबंधित राज्य बिजली बोर्ड के मध्य हुए विद्युत क्रय करार की शर्तों एवं निबंधन पर निर्भर करेगी।

उपरोक्त के अलावा निजी क्षेत्र में जल विद्युत परियोजनाओं के स्थापना के लिए के.वि.प्रा. की सिद्धांत रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है तथा इन परियोजनाओं के प्रवर्तकों द्वारा तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान किए जाने हेतु पूर्ण विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है:

क्र.सं.	परियोजना का नाम/प्रवर्तक/राज्य	क्षमता (मे. वा.)
1.	अलाइन दुहंगन एचईपी, मै. राजस्थान स्पिनिंग एवं वीविंग मिल, हिमाचल प्रदेश	192
2.	करछाम वांग्चू एचईपी, मै. जयप्रकाश इंडस्ट्रीज लि., हिमाचल प्रदेश	1000
3.	धामवाडी सुंडा एचईपी, मै. धामवाडी पावर कं., हिमाचल प्रदेश	70
4.	अपर कृष्णा एचईपी, मै. चामुंडी पावर कार्पोरेशन लि., कर्नाटक	1107

तिलहनों की खेती

2337. डा. सी. कृष्णनः क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) फिलहाल फसल-वार कुल कितने क्षेत्रफल में तिलहनों की खेती होती है;

(ख) क्या पिछले आंकड़ों की तुलना में तिलहनों की खेती कम क्षेत्रफल में हो रही है;

(ग) यदि हां, तो इनके विशिष्ट आंकड़े क्या हैं और इससे किन-किन फसलों पर प्रभाव पड़ा है और ये फसलें फिलहाल कौन-कौन से राज्यों में उगाई जाती हैं और इसके क्या कारण हैं;

(घ) प्रत्येक राज्य में फिलहाल कितने क्षेत्रफल में नारियल की खेती हो रही है और क्या बाजार में नारियल, कोपरा के मूल्यों में गिरावट आई है और क्या इससे भविष्य में नारियल की खेती के विस्तार पर प्रभाव पड़ेगा;

(ङ) फिलहाल राज्य-वार कितने क्षेत्रफल में पॉम-आयल की खेती हो रही है और पहले कितना उत्पादन होता था;

(च) ऑयल-फ्रूट पर फिलहाल प्रति टन कितनी राजसहायता दी जाती है, इसका मौजूदा बाजार मूल्य क्या है और इस संबंध में मिल मालिकों की क्या राय है;

(छ) क्या फिलहाल भारत खाद्य तेलों का सबसे बड़ा आयातक है; और

(ज) यदि हां, तो इससे हमारी कृषि अर्थव्यवस्था और नारियल सहित तिलहन उत्पादन पर कितना प्रभाव पड़ने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपद यासो नाईक) : (क) तिलहनों की खेती के अंतर्गत फसलवार कुल वर्तमान क्षेत्र का ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ख) तिलहनों का अब तक का सर्वाधिक क्षेत्र और उत्पादन वर्ष 1998-99 के दौरान था और उसके बाद से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और हरियाणा जैसे प्रमुख तिलहन उत्पादक राज्यों में मौसम की असामान्य परिस्थितियों और गंभीर सूखे की स्थितियों के कारण तिलहनों के अंतर्गत क्षेत्र घट-बढ़ रहा है।

(ग) सूखे की स्थिति के कारण 1999-2000 के दौरान प्रभावित होने वाली प्रमुख फसलें मूंगफली, तोरिया-सरसों, सूरजमुखी और सोयाबीन थीं जिनमें 1998-99 के क्षेत्र की तुलना में क्षेत्र कम था अर्थात् गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और हरियाणा जैसे प्रमुख तिलहन उत्पादक राज्यों में मूंगफली में लगभग 6.19 लाख हैक्टेयर, तोरिया-सरसों में 4.91 लाख हैक्टेयर, सूरजमुखी में 4.72 लाख हैक्टेयर और सोयाबीन में 2.86 लाख हैक्टेयर क्षेत्र था।

(घ) नारियल की खेती के अंतर्गत वर्तमान राज्यवार क्षेत्र का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है। वर्ष 1998-99 और 1999-2000 के दौरान नारियल और खोपरा की मजबूरी में बिक्री की सूचनाएं मिली हैं। चूंकि भारत सरकार ने आयातित तेल पर सीमाशुल्क में वृद्धि की है, नारियल की खेती के विस्तार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(ङ) आयल पाम रोपण के अतर्गत राज्यवार वर्तमान क्षेत्र और गत 3 वर्षों के दौरान आयल पाम का उत्पादन संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(च) आयल पाम उद्यमी आयल पाम के ताजे फलों के गुच्छे 2300 रुपए प्रति मीटरी टन के मूल्य पर खरीद रहे हैं। जो उत्पादन की लागत है। मण्डी हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत, नैफेड आयल पाम के ताजे फलों के गुच्छों की खरीद 2750 रुपए प्रति मीटरी टन पर कर रहा है और किसानों को इस मूल्य का भुगतान किया जा रहा है ताकि उनके हितों की रक्षा की जा सके और आयल पाम प्रसंस्करण करने वालों से 2300 रुपए प्रति मीटरी टन की वसूली की जा रही है जिससे होने वाली 450 रुपए प्रति मीटरी टन की हानि को केन्द्र और राज्य द्वारा 50:50 के आधार पर आयल पाम के ताजे फलों के गुच्छों पर राजसहायता के रूप में वहन किया जा रहा है।

(छ) और (ज) देश में खाद्य तेल की घरेलू मांग को पूरा करने के लिए तिलहन उत्पादन अपर्याप्त है। इसलिए घरेलू मांग को पूरा करने के लिए खाद्य तेल का आयात करना जरूरी है। खाद्य तेल के आयात की नीति के उदारीकरण और इसे खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन रखने के कारण खाद्य तेल का भारी मात्रा में आयात हुआ जो स्वदेशी खाद्य तेल की तुलना में सस्ता है। सस्ते खाद्य तेल के आयात से तिलहन उत्पादक प्रभावित हो रहे हैं। स्वदेशी उद्योग की सुरक्षा और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर निम्न मूल्यों के प्रभाव को नगण्य करने की दृष्टि से सरकार ने 21.11.2000 से सभी कच्चे और परिष्कृत खाद्य तेलों पर आयात शुल्क में 10-30% की वृद्धि की है। तिलहन कृषकों के हितों की रक्षा की दृष्टि से नैफेड, न्यूनमत समर्थन मूल्यों पर मूल्य समर्थन प्रचालनों के लिए केन्द्रीय शीर्ष अभिकरण होने के नाते जब भी तिलहनों के मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम हो जाते हैं, खरीद कार्य करता है।

विवरण-I

तिलहनों की खेती के अंतर्गत फसलवार कुल वर्तमान क्षेत्र

(हजार हैक्टेयर में)

क्र.सं.	फसल	1999-2000 के दौरान क्षेत्र
1.	मूंगफली	6952.0
2.	अरन्ड	795.0
3.	रामतिल बीज	512.0
4.	तिल	1612.0
5.	तोरिया और सरसों	6106.0
6.	अलसी	781.0
7.	सूरजमुखी	1532.0
8.	कुसुम	507.0
9.	सोयाबीन	6023.0
10.	सभी तिलहन	24820.0

विवरण-II

नारियल की खेती के अंतर्गत राज्यवार वर्तमान क्षेत्र

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	क्षेत्र (हजार हैक्टेयर में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	98.2
2.	असम*	19.7
3.	गोवा	24.9
4.	कर्नाटक	287.8
5.	केरल	1078.2

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	क्षेत्र (हजार हैक्टेयर में)
6.	महाराष्ट्र*	15.1
7.	उड़ीसा	54.5
8.	तमिलनाडु*	266.5
9.	त्रिपुरा	9.1
10.	पश्चिम बंगाल	24.6
11.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	24.7
12.	लक्षद्वीप*	2.8
13.	पाण्डिचेरी	2.1
	आखिल भारत	1908.2

* आंकड़े 1997-98 वर्ष के हैं।

टिप्पणी : ऊपर उल्लिखित नहीं किए गए अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में नारियल पर्याप्त मात्रा में नहीं उगाया जाता।

विवरण-III

पाम आयल के अन्तर्गत कवर किया गया वर्तमान क्षेत्र

क्र.सं.	राज्य का नाम	(निवल क्षेत्र)
1.	आन्ध्र प्रदेश	24,128
2.	कर्नाटक	5,339
3.	तमिलनाडु	4,202
4.	गुजरात	233
5.	उड़ीसा	1,484
6.	गोवा	684
7.	त्रिपुरा	98
8.	असम	-
9.	पश्चिम बंगाल	-
10.	केरल	3,665
11.	महाराष्ट्र*	1,000
12.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	1,593
	कुल	42,436

कच्चे पाम आयल का उत्पादन

आयल पाम बागान का अधिक भाग परिपक्वता अवधि में है।

हाल ही के वर्षों में पाम आयल का अनुमानित उत्पादन निम्नानुसार है:

वर्ष	मात्रा मीटरी टन
1997-98	11509
1998-99	27830
1999-2000	27600

कर्मचारियों की कमी

2338. श्री अनंत गुदेः क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरसंचार विभाग (डीओटी) में ग्रेड-दो तथा कनिष्ठ ग्रेड कर्मचारियों की कोई कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप टेलीफोन सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो उनकी संख्या बढ़ाने तथा उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाये गए/उठाये जा रहे हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) दूरसंचार विभाग में ग्रेड-II और कनिष्ठ ग्रेड कर्मचारी के रूप में वर्गीकृत कोई भी कर्मचारी नहीं हैं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान

2339. श्री ए. कृष्णास्वामीः क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान, श्रीपेरम्बदूर, तमिलनाडु को विकसित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संस्थान को कितनी राशि आवंटित की गई; और

(घ) सरकार द्वारा इस संस्थान में युवक शिक्षा तथा रोजगार प्रशिक्षण के विकास हेतु क्या कदम उठाये गए?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन्) : (क) से (घ) राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1975 का 27वां 1993 की क्रम सं. 67ए के अंतर्गत श्रीपेरम्बदूर में स्थापित किया गया है। यह अभी अपनी प्रारम्भिक अवस्था में है तथा यह युवाओं से संबंधित सभी कार्यक्रमों के लिए एक शीर्षस्थ निकाय है और यह प्रशिक्षण, प्रलेखन, अनुसंधान तथा युवा गतिविधियों के मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार है। संस्थान द्वारा कवर किया गया क्षेत्र लगभग 40 एकड़ है तथा निर्माण कार्य धीरे-धीरे पूरा किया जा रहा है। संस्थान को अब तक लगभग 18 करोड़ रु. की निधियां जारी की जा चुकी हैं।

हरियाणा में धान उत्पादकों के लिए पैकेज

2340. श्री किशन सिंह सांगवान: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हरियाणा के धान उत्पादकों के लिए कोई पैकेज जारी किया है;

(ख) इस उद्देश्य के लिए कितनी सहायता दी गई;

(ग) ऐसी सहायता देने तथा लाभार्थियों की पहचान करने हेतु क्या मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं; और

(घ) जरूरतमंदों को सहायता सुनिश्चित करने और सहायता का दुरुपयोग न होने देने के लिए क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपद यासो नाईक) : (क) और (ख) जी, हां। अनाज फसलों (चावल और गेहूं) का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए, एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम कार्यान्वित किया गया है जिसके माध्यम से किसानों को प्रोत्साहन मुहैया कराए गए। इस संबंध में राज्य को अधिक लचीलापन प्रदान करने की दृष्टि से अक्तूबर, 2000 से कृषि के वृहत प्रबंधन की प्रणाली आरम्भ की गई है। फसल-कटाई पश्चात् की रियायतों का जहां तक संबंध है, खाद्य मंत्रालय ने हरियाणा में धान उत्पादकों के लिए निम्नलिखित रियायतें घोषित की हैं:

(i) धान के विनिर्देशनों में समरूप (एफ.ए.क्यू.) विनिर्दिष्टताओं के अंतर्गत निर्धारित 3% की अधिकतम सीमा के स्थान पर 8% की अधिकतम सीमा तक क्षतिग्रस्त बदरंग अंकुरित और घुन लगे हुए दानों के लिए छूट दी गई है।

(ii) उपर्युक्त विनिर्दिष्टताओं के अंतर्गत आने वाले धान की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाएगी।

(iii) ऐसे धान की कस्टम मिलिंग के लिए आउट-टर्न अनुपात कच्चे चावल के लिए 64% और सेला (पारबौएल्ड) चावल के लिए 65% होगी।

(iv) राज्य सरकारों का यह दायित्व होगा कि वे वर्तमान खरीफ विपणन मौसम के भीतर ही समरूप विनिर्दिष्टयों का कड़ाई से अनुपालन करते हुए धान की मिलिंग कराएं और चावल की डिलीवरी करें।

(ग) उपर्युक्त रियायतें केन्द्रीय दल की रिपोर्ट के आधार पर घोषित की गई हैं जिसने हरियाणा के प्रभावित राज्यों का दौरा किया, नमूने एकत्रित किए और उन्हें प्रयोगशाला में विश्लेषित कराया।

(घ) वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से वित्तीय पैकेज की संस्वीकृति प्राप्त होने पर राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त सुरक्षा उपाय करेगी कि वित्तीय सहायता, स्कीम के अनुसार किसानों तक पहुंचे।

विभागीय टेलीफोन बूथ

2341. श्री चिंतामन वनगा: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिल्ली और महाराष्ट्र में स्थानीय काल, एस. टी. डी., आई. एस. डी., इंटरनेट और फैक्स सुविधाएं प्रदान करने वाले विभागीय टेलीफोन बूथ स्थापित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो उनके कार्य-समय तथा प्रत्येक सुविधा के लिए उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान किए जाने वाले शुल्क सहित उनका स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त बूथों की स्थापना हेतु निर्धारित मानदण्ड क्या हैं;

(घ) क्या सरकार का चालू और अगले वित्त-वर्ष के दौरान इन राज्यों के और क्षेत्रों में इन सुविधाओं के विस्तार का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो स्थान-वार उनका ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विद्युत क्षेत्र में भारत-अमरीका सहयोग

2342. श्री जी.एस. बसवराज:
श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:
श्री त्रिलोचन कानूनगो:
श्री दिनशा पटेल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अक्तूबर, 2000 के दौरान एक अमेरिकी व्यापार शिष्टमंडल ने भारत का दौरा किया था और भारत के साथ विद्युत परियोजनाओं में सहयोग की तीव्र इच्छा व्यक्त की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस उद्देश्य के लिए अमेरिका के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अमेरिका की सहायता से भारत में स्थापित की जाने वाली मुख्य विद्युत परियोजनाएं कौन-कौन सी हैं; और

(घ) इस उद्देश्य के लिए कौन-कौन से राज्यों का चयन किया गया है और उक्त समझौते के अंतर्गत कुल कितनी मात्रा में विद्युत उत्पन्न किये जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयंवती मेहता) : (क) से (घ) अमेरिका के किसी अधिकारिक व्यापार शिष्टमंडल ने भारत में विद्युत परियोजनाओं के क्षेत्र में सहयोग हेतु अक्तूबर, 2000 में विद्युत मंत्रालय का दौरा नहीं किया है।

तथापि भारतीय प्रधान मंत्री के सितम्बर, 2000 की अमरीका यात्रा के दौरान निम्नलिखित समझौता ज्ञापन/आशय पत्रों पर हस्ताक्षर किए गए:

(i) दोनों देशों में मौजूदा एवं प्रदर्शी ऊर्जा विराम पर विचार-विमर्श सूचना विनिमय एवं ऊर्जा मांग तथा आपूर्ति पूर्वानुमानों का मूल्यांकन सुगम बनाना, ऊर्जा एवं सम्बंधित पर्यावरणीय नीतियों पर विचार विनिमय, ऊर्जा तकनीक समेत पुनः प्राप्ति योग्य ऊर्जा पर सूचना विनिमय की समीक्षा आदि। समझौता ज्ञापन में ऊर्जा सम्बंधी एक उप-मंत्रालयी कार्यकारी दल भी गठित करने की संकल्पना है।

(ii) स्वच्छ कोयला तकनीक के लिए आशय पत्र।

(iii) विद्युत क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए आशय पत्र।

(iv) पावर ट्रेडिंग कारपोरेशन द्वारा हिरमा एवं इन्नौर परियोजनाओं के विकास के लिए अमरीकन कम्पनियों के साथ संयुक्त विकास समझौतों पर हस्ताक्षर किया गया।

महानगर टेलीफोन निगम लि. की लेखा परीक्षा रिपोर्ट

2343. श्री रामशेठ ठाकुरः
श्री अशोक ना. मोहोलः

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के सांविधिक लेखा परीक्षकों ने वर्ष 1999-2000 के कम्पनी के खातों की लेखा-परीक्षा के दौरान कई कमियां पायीं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त कमियों के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के प्रबंधन द्वारा क्या कार्यवाही की गई/की जा रही है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) पूर्व वर्षों की तरह ही, वर्ष 1999-2000 के लिए खातों को अंतिम रूप देते समय सांविधिक लेखा-परीक्षकों ने कतिपय अभ्युक्तियाँ की थीं। कुछ मामलों में, एमटीएनएल वही लेखा-पद्धति अपना रहा है, जो कि दूरसंचार विभाग ने अपनाई है। लेकिन यह कम्पनी अधिनियम, 1965 और इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्ट्रेन्ट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखांकन मानक के अनुरूप नहीं है। सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा यह अंतर बताया गया है। कुछ अन्य मामलों में, एमटीएनएल अपने निदेशक-मंडल द्वारा अनुमोदित स्वयं अपनी लेखांकन-नीति का पालन कर रहा है, जो कि कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों से भिन्न है। इसके बारे में भी लेखा-परीक्षकों ने सूचित किया है। लेखा-परीक्षकों की अन्य अभ्युक्तियों के संदर्भ में कार्रवाई की जा रही है।

(ख) वर्ष 1999-2000 के लिए लेखा-परीक्षकों द्वारा बताई गई अर्हताओं का ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ग) लेखा-परीक्षकों की अर्हताओं को निदेशक-मंडल के समक्ष रखा गया है तथा निदेशक-मंडल द्वारा अर्हताओं के संबंध में की गई कार्रवाई विवरण-II में संलग्न निदेशकों की रिपोर्ट के अनुशेष में दर्शाई गई है। कंपनी की एक लेखा-परीक्षा समिति है, जिसमें कंपनी के तीन अंशकालिक निदेशक शामिल हैं। लेखा-परीक्षा समिति लेखा परीक्षा अर्हताओं में सुधार के लिए प्रबंधकवर्ग द्वारा की गई कार्रवाई की निगरानी कर रही है। खातों का अनुरक्षण एमटीएनएल में प्रबंधकवर्ग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार किया जा रहा है। किसी भी अधिकारी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। तथापि, लेखांकन पद्धति में शुद्धियां की जा रही हैं और भविष्य में लेखा-परीक्षा की अपेक्षाओं के अनुकूल लेखांकन पद्धति को बदला जाएगा।

विवरण-I

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के सदस्यों को

हमने महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के 31 मार्च, 2000 तक के संलग्न तुलन-पत्र (बैलेंस शीट) तथा उसके साथ लगे उस दिन समाप्त हो रहे वर्ष के लाभ-हानि लेखे की लेखा परीक्षा की है व हमारी रिपोर्ट नीचे दिये अनुसार है।

1. कम्पनी की दिल्ली व मुम्बई यूनिटों के लेखे भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा परीक्षित किये गये हैं। शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट व अन्य स्पष्टीकरण हमें भिजवा दिये गये हैं। लेखाओं के संबंध में अपना मत निर्धारित करने में उन पर उपयुक्त ध्यान दिया गया है।

2. हमने वह सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिये हैं जिन्हें कि हमने अपने लेखा परीक्षा के उद्देश्य से आवश्यक समझा।

3. जहाँ तक हमारे बहियों के निरीक्षण से विदित होता है कम्पनी द्वारा नियमानुसार लेखा बहियाँ रखी गई हैं केवल निम्नलिखित मदों को छोड़कर जिनका संदर्भ महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के पैरा 1.1 में दिया गया है व जो लगातार कम्पनी अधिनियम, 1956 के सैक्शन 209 की अपेक्षानुसार प्रोद्भवन के आधार पर न ली जाकर नकदी के आधार पर ली जा रही हैं।

ए. कर्मचारियों को दिये गए ऋणों एवं अग्रिमों पर तथा सरकार व स्थानीय प्राधिकारियों के पास जमा प्रतिभूति जमाओं पर ब्याज। सरकारी नियमों के अनुसार कर्मचारियों को दिये ऋणों/अग्रिमों के लिये ब्याज मूल राशि वसूल करने के बाद लिया जाता है।

बी. बर्चुअल कॉलिंग कार्डों (पूर्वदत्त कार्ड)

सी. जब वसूली अनिश्चित हो तो ब्याज की आय/निर्णीत हरजाने

4. तुलन-पत्र तथा लाभ-हानि लेखा, जिनके विषय में इस रिपोर्ट में विचार किया गया है, लेखा बहियों से मिलते हैं।

हमारे मत में तुलन-पत्र तथा लाभ-हानि लेखा, जिन्हें इस रिपोर्ट में देखा गया है कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 211 की उप धारा 3 सी में संदर्भित लेखा मानकों के अनुरूप हैं। केवल कम्पनी द्वारा अचल परिसम्पत्तियों के संबंध में अपनाई गई लेखा नीतियां एवं प्रक्रियायें, जैसा कि पैरा 6 (ii) में बताया गया है, अचल परिसम्पत्तियों के लेखा मानक (ए एस) 10 के अनुसरण में नहीं हैं।

आवश्यक डाटा के अभाव में हम इस परिवर्तन के प्रभाव को आकलित करने में असमर्थ हैं। कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 211 (3बी) के अनुसार अपेक्षित रूप में निगम ने इस परिवर्तन के प्रभाव को आकलित नहीं किया है तथा इस परिवर्तन के कारणों को भी स्पष्ट नहीं किया है।

6. (i) कम्पनी द्वारा प्राप्त की गई कानूनी सलाह के आधार पर प्रबंधक वर्ग ने उपलब्ध कराई गई मूलभूत दूरसंचार सेवाओं पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 आई ए के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने का दावा करने का निर्णय लिया है। यह लाभ कम्पनी द्वारा अर्जित कुल प्रचालन लाभ पर लिया गया है। इस प्रकार चालू वर्ष के लिये कर के दायित्व के लिये प्रावधान धारा 80 आई ए के अन्तर्गत लिये गये लाभ को ध्यान में रख कर किया गया है जिसके परिणामस्वरूप कर का प्रावधान न्यूनतम वैकल्पिक कर (आयकर अधिनियम 1961 की धारा 115 जे ए के अन्तर्गत) के आधार पर किया गया है। इसके साथ ही प्रबंधक वर्ग ने कम्पनी की पिछले दो वर्षों अर्थात् गणना वर्ष 1997-98 तथा 1998-99 की आयकर विवरणियों में भी संशोधन कर दिया है तथा आयकर के दायित्व का इन वर्षों के लिये फिर से हिसाब लगाया है। किन्तु फिर भी कम्पनी ने कर के लिये पिछले दो वर्षों में किये गये कुल 7442.80 मिलियन रु. के अधिक प्रावधान को पुनरांकित नहीं किया है।

कम्पनी द्वारा धारा 80 आई ए के अन्तर्गत लिये गये आयकर लाभ के आय प्राधिकारियों द्वारा अस्वीकृत कर दिये जाने की स्थिति में वर्ष के लिये लाभ तथा 31 मार्च, 2000 को कम्पनी की आरक्षित निधियाँ 3339.09 मिलियन रु. से कम हो जायेगी। आयकर प्राधिकारियों द्वारा दावा स्वीकार कर लेने की स्थिति में वर्ष के लिये लाभ तथा 31 मार्च, 2000 को कम्पनी की आरक्षित निधियाँ 7442.80 मिलियन रु. से बढ़ जायेंगी।

6. (ii) नीचे बताई जा रही कार्य प्रणालियाँ एवं प्रक्रियायें जिनका कम्पनी द्वारा अचल परिसम्पत्तियों के संबंध में पालन किया जा रहा है हमारे मत में वह भारत के इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टैंट्स द्वारा अचल परिसम्पत्तियों के लिये बताये गये लेखा मानक (ए एस) 10 के अनुसरण में नहीं है।

(ए) जारी की गई सामग्री तथा स्टोर की लागत को बाद में स्टोरों तथा सामग्री के विभिन्न परियोजनाओं/उद्देश्यों के बीच किये गये स्थानान्तरण का समायोजन किये बिना ही परियोजना या राजस्व कार्य, जिसके लिये वह प्रारम्भिक रूप में जारी किया गया था, पर प्रभारित कर दिया जाता है।

(बी) उपरि लागत का दूरसंचार विभाग द्वारा बताये अनुसार पूंजी व्ययों के प्रतिशत के रूप में विनिधान किया जाता है न कि प्रत्यक्ष रूप में विनिर्धारित की जा सकने वाली लागत के रूप में।

(सी) कई मामलों में विद्यमान अचल परिसम्पत्ति की प्रतिस्थापन लागत को, हटाई गई परिसम्पत्ति की सावधि लागत तथा पुनरांकित मूल्य के लिये अचल परिसम्पत्ति ब्लॉक में किसी प्रकार का समायोजन किये बिना ही पंजीकृत कर दिया गया है।

संबंधित डाटा के अभाव में इन कार्य प्रणालियों और प्रक्रियाओं का लेखाओं पर प्रभाव निश्चित नहीं किया जा सकता है। प्रबंधक वर्ग के मतानुसार इस प्रकार के प्रभाव के महत्वपूर्ण होने की संभावना नहीं है।

(iii) (ए) दूरसंचार विभाग के चालू खातों पर वसूल की जाने वाली राशि (5862.64 मिलियन रु.) तथा दूरसंचार विभाग की चालू खातों पर देय राशि (4862.99 मिलियन रु.) अर्थात् नेट वसूली योग्य राशि 1000.25 मिलियन रु. मिलान, पुष्टीकरण व उसके उपरान्त समायोजन के अधीन है।

(बी) निगम के दूरसंचार विभाग के साथ के एक लेखे में 31.3.1997 तक की अवधि के लिये कुछ अन्तर का पता लगा है। पता लगाये गये इस अन्तर में बॉण्डों की छठी सिरीज की वापस अदायगी के लिये प्राप्तियों के रूप में दिखाये गये ब्याज को प्रत्यावर्तित करके पूर्व अवधि समायोजन

के रूप में दिखाया गया है। फिर भी कुछ अन्तरों का प्रभाव लेखाओं में नहीं दिया गया है क्योंकि उनके संबंध में अन्तिम स्पष्टीकरण एवं दोनों पक्षों की स्वीकृति अभी शेष है। साथ ही निगम और दूरसंचार विभाग के बीच 31.3.1997 के बाद की अवधि में हुये क्रय विक्रय व्यवहार का मिलान भी अभी किया जाना है।

(सी) कम्पनी द्वारा अपनाई जा रही नीति के अनुसार दूरसंचार विभाग के प्रतिनियुक्ति पर आये स्टाफ को दी जाने वाली पैंशन के लिये अंशदान तदर्थ आधार पर वेतनमान के अधिकतम स्तर के 14 प्रतिशत की दर से किया जा रहा है। यह दूरसंचार विभाग द्वारा पुष्टि किये जाने के अधीन है।

उपर्युक्त का लेखाओं पर अंतिम प्रभाव क्या होगा वह इस समय निश्चित नहीं किया जा सकता।

(iv) 31 मार्च की भंडार सूची उप भंडारों को जारी की गई सामग्री तथा वर्ष के अन्त तक अप्रयुक्त रही, सामग्री के मूल्य को ध्यान में रखे बिना बनाई गई है। अतः अप्रयुक्त स्टॉकों की मात्रा व संबंधित मूल्य निश्चित नहीं किया जा सकता।

(v) उपभोक्ता जमा लेखाओं की 11232.61 मिलियन रु. की शेष राशि व उस पर 48.69 मिलियन रु. का प्रोद्भूत/देय ब्याज तथा 8997.66 मिलियन रु. के विविध देनदार संबंधित गौण रिकार्डों से समायोजन के अधीन हैं। साथ ही उपभोक्ताओं से प्राप्त 1010.98 मिलियन रु. की प्राप्तियाँ संबंधित देनदारों के साथ मिलान न हो पाने के कारण लम्बित हैं।

(vi) निम्नलिखित के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया है–

(ए) कम्पनी के पास निहित/कम्पनी द्वारा अधिग्रहित भूमि एवं बिल्डिंगों के रजिस्ट्रेशन पर देय होने वाली स्टैंप ड्यूटी के लिए प्रावधान नहीं किया गया है – राशि अनिश्चित। भूमि (लीज़ होल्ड सहित) तथा बिल्डिंगों (कुल लागत 5952.68 मिलियन रु.) का कम्पनी के नाम में रजिस्ट्रेशन/विधिक रूप से निहितीकरण पूरा न हो पाने के कारण उनके हक विलेख उपलब्ध नहीं है।

(बी) कुछ लीज़ होल्ड सम्पत्तियों के संबंध में देय लीज़ किराये के लिये, जहाँ कि बढ़े किराये को अनंतिम रूप नहीं दिया जा सका है - राशि अनिर्धारित।

(सी) इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से प्राप्ति योग्य 4.34 मिलियन रु. व निर्णीत हर्जानों के लिय देय 0.28 मिलियन रु. कई वर्षों के अदत्त पड़े हैं।

(डी) आई टी आई लिमिटेड के सामग्री प्राप्त न होने, मॉडवेट राहत व वापिस की गई सामग्री आदि के लिये प्राप्ति योग्य 34.09 मिलियन रु. कई वर्षों के अदत्त पड़े हैं।

(ई) कुल 4.49 मिलियन के पूंजी अग्रिम जो कि मुम्बई यूनिट में भूमि और बिल्डिंग के अभिग्रहण के लिय दिये गये।

(एफ) 97.72 मिलियन रु. के निर्णीत हर्जाने दूरसंचार विभाग से प्राप्त एक निर्देश के अनुसार आई टी आई लिमिटेड को लौटाए जाने हैं, निगम के निदेशक मंडल का अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण अभी लम्बित हैं।

(जी) पूर्व वर्षों में आपूर्ति किये गये सामान के लिये कुल 55.35 मिलियन रु. के दूरसंचार विभाग के कुछ यूनिटों से प्राप्ति योग्य दावे। दावा इन यूनिटों द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है तथा इसकी वसूली की निश्चितता का अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

(एच) दूरसंचार विभाग के प्रतिनियुक्ति पर माने गये कर्मचारियों के लिये ग्रेच्युटी और छुट्टी नकदीकरण।

(आई) हम टेलीफोन निदेशिकाओं के प्रकाशकों के साथ चल रहे विवाद से संबंधित उनके दावों और प्रतिदावों के संबंध में (देखें लेखा संबंधी टिप्पणियों का नोट 4.1) तथा उसके लेखाओं पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में संगत दस्तावेजों के हमारे अवलोकन के लिये उपलब्ध न कराये जाने के कारण, टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

(जे) ऋणों की देयता यदि कोई है तो वह स्माल स्केल व एन्सिलियरी इन्डस्ट्रियल अन्डरटेकिंग एक्ट, 1993 के अनुसार लम्बित भुगतान पर देय ब्याज की शर्तों के अनुसार देय होगी जिसे निगम द्वारा अभी निर्धारित नहीं किया गया है।

यदि उपर्युक्त मदों के संबंध में पैरा (ए), (बी), (एच), (आई) तथा (जे) को छोड़कर जहाँ कि प्रभाव निश्चित नहीं किया जा सकता है, प्रावधान किया जाता है तो वर्ष के लिये लाभ तथा आरक्षित निधियाँ 195.99 मिलियन रु. से कम हो जाएंगी।

(vii) विधिक विवाद का निपटान विचारधीन होने के कारण हम छठी सिरीज के 1699.47 मिलियन रु. के बॉण्डों को रद्द किये जाने के विषय में तथा उस पर आने वाली ब्याज तथा अन्य देयताओं का प्रावधान न किये जाने के संबंध में कोई मत देने में असमर्थ हैं। इनका लेखाओं पर पड़ने वाला प्रभाव अभी निश्चित नहीं किया जा सकता।

(viii) दिल्ली यूनिट के संबंध में वर्ष के दौरान अचल सम्पत्ति के रूप में पूंजीकृत की गई राशि में 2847 मिलियन रु. की वह राशि भी सम्मिलित है जिसके व्यय के लिये आंतरिक संस्वीकृतियाँ अभी लम्बित हैं।

इसका समन्वित प्रभाव वर्ष के परिणामों तथा कम्पनी की जमाओं पर यद्यपि अभी निश्चित नहीं किया जा सकता है किन्तु यह संभवतः महत्वपूर्ण हो सकता है।

7. कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम 1956 के अनुच्छेद VI के अन्तर्गत किये जाने वाले प्रत्येक मद के आगे दिये गर्य संदर्भ अनुसार, प्रकटीकरण नहीं किये हैं–

(ए) भंडारों एवं अतिरिक्त पुर्जों का उपयोग (भाग II का पैरा 3 (एक्स) (ए))

(बी) आयातित तथा देशी सामान तथा अतिरिक्त पुर्जों का उपयोग तथा सारे उपयोग में लाये गये सामान में उसका अनुपात (भाग-II का पैरा नम्बर 4 डी (सी))

(सी) लघु उद्योग उपक्रमों को देय बकाया राशियों तथा उनके संबंध में विवरण (भाग-I)

8. हमारे मत में तथा हमें दी गई सूचनाओं और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा हमें उपलब्ध कराये गये विस्तृत विवरणों के आधार पर कथित लेखे उनके साथ दी गई टिप्पणियों के साथ ऊपर दिये गये पैरा 3 तथा 7 के अधीन रहते हुये कम्पनी अधिनियम 1956 द्वारा अपेक्षित रूप में सूचना देते हैं और साथ ही हमारे पैराग्राफ 6 (I) से (III) तक की टिप्पणियों को छोड़कर निम्नलिखित के संबंध में वास्तविक एवं उपयुक्त स्वरूप दिखाते हैं:

(ए) तुलन-पत्र के संबंध में 31 मार्च, 2000 की स्थिति अनुसार कम्पनी के कार्यों की स्थिति।

(बी) लाभ एवं हानि लेखे के संबंध में उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिये लाभ का हिसाब।

9. कम्पनी अधिनियम के सैक्शन 227 (4ए) के संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी विनिर्माण एवं अन्य कम्पनी (लेखा परीक्षा) आदेश 1988 की अपेक्षानुसार हम परिशिष्ट में उक्त आदेश के पैराग्राफ 4 तथा 5 में विनिर्दिष्ट मामलों के संबंध में एक विवरण संलग्न कर रहे हैं।

एन. एम. राय जी एण्ड कं.
चार्टर्ड एकाउन्टैंट्स के लिये

स्थान : नई दिल्ली (जे.एम. गाँधी)
दिनांक : पार्टनर

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का परिशिष्ट
(हमारी इसी तिथि की रिपोर्ट के पैरा 9 में संदर्भित)

हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, लेखा परीक्षा की सामान्य प्रक्रिया में जांची गई बहियों एवं रिकॉर्डों के अनुसार, शाखा लेखा परीक्षकों से प्राप्त रिपोर्टों के तथा अपने ज्ञान व विश्वास के आधार पर हम रिपोर्ट देते हैं कि

1. कम्पनी द्वारा रखे गये अचल परिसम्पत्तियों के रिकार्ड कई परिसम्पत्तियों के विषय में निर्धारित विवरण नहीं देते हैं। साथ ही मुम्बई यूनिट के संदर्भ में रिकार्डों को कई वर्षों के लिये अद्यतन बनाये जाने की आवश्यकता है। वर्ष के दौरान परिसम्पत्तियों की प्रबंधक वर्ग द्वारा प्रत्यक्ष रूप में जांच नहीं की गई। अतः जाँच पर पाई गई विसंगतियों के संबंध में टिप्पणी करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

2. वर्ष के दौरान किसी भी अचल परिसम्पत्ति का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया।

3. स्टोरों तथा अतिरिक्त पुर्जों आदि की प्रत्यक्ष जाँच प्रबंधक वर्ग द्वारा मुम्बई यूनिट में पर्याप्त अंतराल में वर्ष के दौरान व दिल्ली यूनिट के संबंध में वर्ष के अन्त में की गई। हमारे मत में दिल्ली यूनिट के भंडारों की प्रत्यक्ष जाँच और अधिक बार की जानी चाहिये।

4. हमारे मत में प्रबंधक वर्ग द्वारा अपनाई जा रही स्टॉकों की प्रत्यक्ष जाँच की प्रक्रिया न्यायसंगत है व कम्पनी के आकार तथा कार्य की प्रकृति के संदर्भ में पर्याप्त है।

5. वर्ष के दौरान बही रिकार्डों और स्टॉक की प्रत्यक्ष जाँच में पाये गये अन्तर महत्वपूर्ण हैं तथा उनको न्यायसंगत रूप में लेखा बहियों में लिया गया है।

6. खाता बन्दी के समय का स्टॉकों का मूल्यांकन सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों तथा पिछले वर्षों में अपनाये गये आधारों के अनुसार न्याय युक्त एवं ठीक है केवल उप भंडारों पर पड़ी हुई सामग्री का मूल्यांकन नहीं किया गया है।

7. कम्पनी अधिनियम 1956 के सेक्शन 301 के अन्तर्गत तैयार किये गये रजिस्टर में दी गई किसी कम्पनी, फर्म या अन्य पार्टियों से कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 370 (1-बी) के अन्तर्गत दी गई परिभाषा के अनुसार इसी प्रबंध के अधीन किसी कम्पनी से कम्पनी ने कोई सुरक्षित अथवा असुरक्षित ऋण न लिया है, न ही दिया है।

8. वे पार्टियाँ, जिनको कम्पनी द्वारा ऋण के रूप में पेशगियाँ दी गई हैं, सामान्य रूप से मूलधन का निर्धारित किये अनुसार वापस भुगतान कर रही हैं और साथ ही सामान्य रूप से लागू ब्याज के भुगतान में भी नियमित हैं केवल विभागीय कैंटीन तथा एक अन्य पार्टी को दिये गए ऋण को छोड़कर जहाँ कि मूलधन तथा लागू ब्याज वसूल नहीं हुआ। विभागीय कैंटीनों को गए दिये ब्याज रहित ऋण उस पर देय ब्याज के संबंध में भी ऋण की वसूली नहीं हुई है। प्रबंधक वर्ग ने इस प्रकार के ऋणों व उन पर जहां देय हो वहां ब्याज की वसूली के लिये कानूनी व अन्य कार्रवाई की है। कर्मचारियों को दिये ऋणों के लिये ऐसे ऋणों की शर्तों के अनुसार ब्याज की वसूली मूलधन वसूल करने के बाद की जाती है। ऐसे कर्मचारियों के संबंध में जोकि ऋण लेने के समय दूरसंचार विभाग से प्रतिनियुक्ति पर आकर काम कर रहे थे और अब प्रतिनियुक्ति पर नहीं है, इस प्रकार के ऋणों पर निगम द्वारा ब्याज वसूल नहीं किया गया है।

9. भंडारों, मशीनरी के भागों सहित सामग्री, प्लांट तथा मशीनरी उपस्कर तथा अन्य परिसम्पत्तियों, आदि के संबंध में आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है और राजस्व की बिलिंग पर आंतरिक नियंत्रण को तथा संबंधित मिलान कार्य को भी सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है जिससे कि वह कम्पनी के आकार एवं कार्य की प्रकृति के अनुरूप हो सके।

कम्पनी ने किसी कम्पनी, फर्म अथवा अन्य पार्टियों से, जोकि कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के अन्तर्गत रखे जाने वाले रजिस्टर में सम्मिलित की गई हैं, सामग्री की कोई ऐसी खरीद नहीं की है जो वर्ष के दौरान प्रत्येक पार्टी के लिये कुल 50000 रु. या उससे अधिक हो उन कम्पनियों, फर्मों या अन्य पार्टियों, जो कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के अन्तर्गत रखे जाने वाले रजिस्टर में सम्मिलित की गई है, की सेवाओं की बिक्री के संबंध में, जो वर्ष के दौरान प्रत्येक पार्टी के लिये कुल 50000 रु. या उससे अधिक की हो, किये गये सौदे उन सेवाओं में प्रचलित बाजार दर पर किये गये।

कम्पनी की उपयोग में न आ सकने वाले/क्षतिग्रस्त भंडारों व अतिरिक्त पुर्जों व सामग्रियों के निर्धारण की एक प्रणाली है। उपयोग में न आ सकने वाले/क्षतिग्रस्त भंडारों व अतिरिक्त पुर्जो, सामग्रियों आदि के निपटान पर होने वाले संभावित नुकसान के लिये लेखाओं में प्रावधान कर दिया गया है।

वर्ष के दौरान कम्पनी ने जनता से कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 58 ए तथा कम्पनी (जमा राशि स्वीकृत) नियम 1975 के अर्थों में कोई जमा धनराशि स्वीकार नहीं की है।

कम्पनी सेवा उपलब्ध कराने के कार्यों में लगे होने के कारण उप उत्पाद अथवा बड़ी मात्रा में बेकार सामान नहीं छोड़ती है। हमारे मत में बेकार सामान की बिक्री और निपटान के संबंध में उपयुक्त रिकार्ड रखे गये हैं।

कम्पनी की आंतरिक लेखा परीक्षा, विशेष रूप से कार्यक्षेत्र तक यह इसके कार्यों के संचालन को देखने, रिपोर्टों की आवृत्ति तथा आंतरिक लेखा परीक्षा के संबंध में की गई अनुवर्ती कार्रवाई से संबंधित है। इसको कम्पनी के आकार व कार्य की प्रकृति के अनुरूप बनाने के लिये पर्याप्त सुदृढ़ बनाये जाने की आवश्यकता है।

जैसा कि बताया गया है केन्द्र सरकार द्वारा कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 209 (1) (डी) के अधीन कम्पनी द्वारा लागत अभिलेखों के रखरखाव के लिये व्यवस्था नहीं की गई है।

कम्पनी उचित प्राधिकारियों के पास भविष्य निधि की देय राशि को नियमित रूप से जमा कराती रही है। केवल उन कर्मचारियों को छोड़कर जोकि दूरसंचार विभाग से निगम की सेवा में विलयित कर लिये गये हैं, जिनके मामले में भविष्य निधि की राशि उपयुक्त प्राधिकारियों के पास जमा कराने में देर हुई। तुलन पत्र की तिथि के दिन के अनुसार भविष्य निधि की कुल 214.23 मिलियन रु. की राशि जमा कराने के लिये शेष थी। यह बाद में उपयुक्त प्राधिकारियों के पास जमा करा दी गई है। जैसा कि हमें बताया गया है कम्पनी पर कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

17. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार तुलन-पत्र की तिथि के दिन ऐसी कोई बकाया राशि नहीं थी जो निर्विवादित आयकर, सम्पत्ति कर, बिक्री कर, सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्क के लिये भुगतान करने की तारीख से छः महीने से भी अधिक से देय हो।

18. हमारे द्वारा की गई लेखा बहियों की जाँच के आधार पर तथा हमें दी गई सूचनाओं और स्पष्टीकरणों के अनुसार हमने ठेके के करार-नामे के अन्तर्गत या नियमित कार्य व्यवहार के अनुसार देय व्ययों के अतिरिक्त कोई ऐसा व्यक्तिगत व्यय नहीं देखा जिसे लाभ-हानि के लेखे में ले लिया गया हो।

19. घाटा प्रदान करने वाली (रुग्ण) औद्योगिक कम्पनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1985 की धारा 3 की उपधारा 1 की धारा(ओं) के अर्थ के अन्तर्गत यह कम्पनी घाटा प्रदान करने वाली (रुग्ण) औद्योगिक कम्पनी नहीं है।

20. (ए) कम्पनी में मुख्य भंडार पर प्राप्तियाँ तथा जारी की गई सामग्रियों को रिकार्ड करने की उपयुक्त प्रणाली है जोकि उसके आकार एवं कार्य व्यापार के अनुरूप है यद्यपि उप भंडारों पर सामग्री प्राप्त करने एवं उसको जारी करने का रिकार्ड रखने की प्रणाली प्रारम्भ करने की आवश्यकता है। सामग्री के अन्तः परियोजना व अन्तः उद्देश्य स्थानान्तरण की प्रणाली को भी सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। स्वीकृत लागत व परियोजना तथा अन्य पूंजीगत प्रकृति के कार्यों पर आये वास्तविक व्यय के अन्तर के कारण को उपयुक्त रूप से निश्चित नहीं किया जा सका।

(बी) दी गई सेवाओं की प्रकृति और बिल बनाने के आधार को ध्यान में रखते हुए संबंधित कार्य के लिये प्रयुक्त श्रम घंटे आबंटित करने की प्रणाली को बनाना आवश्यक नहीं समझा गया है।

(सी) विभिन्न कार्यों के लिये सामग्री एवं भंडार आबंटन को नियंत्रित करने एवं प्राधिकृत करने की प्रणाली को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है जिससे कि यह कम्पनी के आकार, स्वरूप व उसके कार्यों के अनुरूप बन सके। हमारे मत में कम्पनी सेवाओं के लिये श्रम एवं भंडार आबंटन की उपयुक्त प्रणाली प्रारम्भ करने की आवश्यकता है।

एन.एम. राय जी एण्ड कं.
चार्टर्ड अकाउन्टैंट्स के लिये

(जे.एम. गाँधी)
पार्टनर

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 17 जुलाई, 2000

विवरण-II

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुशेष

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट से संबंधित प्रबंधकों के उत्तर

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में बताये गये प्रतिबंधों/शर्तों के संबंध में जानकारी/स्पष्टीकरण निम्न प्रकार हैं :–

ऑडिट पैरा	उत्तर
6. (ii) नीचे बताई जा रही कार्य प्रणालियाँ एवं प्रक्रियायें जिनका कम्पनी द्वारा अचल परिसम्पत्तियों के संबंध में पालन किया जा रहा है, हमारे मत में वह भारत के इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टैंट्स द्वारा अचल परिसम्पत्तियों के लिये बताये गये लेखा मानक (ए एस) 10 के अनुसरण में नहीं है।	स्थायी परिसम्पत्तियों के हिसाब के संबंध में एमटीएनएल दूरसं विभाग/सरकार की प्रक्रिया अपना रहा है, जोकि इंस्टीट्यूटस ऑफ चा अकाउँटैंट द्वारा विहित मानकों से भिन्न है। कम्पनी मामले की पुन कर रही है। पुनरीक्षा के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।
(ए) जारी की गई सामग्री तथा स्टोर की लागत को बाद में स्टोरों तथा सामग्री के विभिन्न परियोजनाओं/उद्देश्यों के बीच किये गये स्थानान्तरण का समायोजन किये बिना ही परियोजना या राजस्व कार्य, जिसके लिये वह प्रारम्भिक रूप में जारी किया गया था, पर प्रभारित कर दिया जाता है।	
(बी) उपरि लागत का दूरसंचार विभाग द्वारा बताये अनुसार पूंजी व्ययों के प्रतिशत के रूप में विनिधान किया जाता है न कि प्रत्यक्ष रूप में विनिर्धारित की जा सकने वाली लागत के रूप में।	
(सी) कई मामलों में विद्यमान अचल परिसम्पत्ति की प्रतिस्थापन लागत को, हटाई गई परिसम्पत्ति की संबंधित लागत तथा पुनरांकित मूल्य के लिये अचल परिसम्पत्ति ब्लॉक में किसी प्रकार का समायोजन किये बिना ही पूंजीकृत कर दिया गया है।	
6(iii) (ए) दूरसंचार विभाग से चालू खातों पर वसूल की जाने वाली राशि (5862.64 मिलियन रू.) तथा दूरसंचार विभाग को चालू खातों पर देय राशि (4862.39 मिलियन रु.) अर्थात् नेट वसूली योग्य राशि 1000.25 मिलियन रु. मिलान, पुष्टीकरण व उसके उपरान्त समायोजन के अधीन है।	दूरसंचार विभाग और एमटीएनएल के मध्य इस वर्ष के 31.3.2000 तक की अवधि के लेखाओं के समाधान का कार्य चल रहा है। इस समाधान के परिणामस्वरूप आवश्यक प्रविष्ट, यदि कोई हुई तो, पुष्टीकरण के बाद पास कर दी जायेगी।
(डी) निगम के दूरसंचार विभाग के साथ के एक लेखे में 31.3.1997 तक की अवधि के लिये कुछ अन्तर का पता लगा है। पता लगाये गये इस अन्तर में बॉण्डों की छठी सिरीज की वापस अदायगी के लिये प्राप्तियों के रूप में दिखाये गये ब्याज को प्रत्यावर्तित करके पूर्व अवधि समायोजन के रूप में दिखाया गया है। फिर भी कुछ अन्तरों का प्रभाव लेखाओं में नहीं दिया गया है क्योंकि उनके संबंध में अन्तिम स्पष्टीकरण एवं दोनों पक्षों की स्वीकृति अभी शेष है साथ ही निगम और दूरसंचार विभाग के बीच 31.3.1997 के बाद की अवधि में हुये क्रय विक्रय व्यवहार का मिलान भी अभी किया जाना है।	
6. (iv) 31 मार्च की भंडार सूची उप स्टोरों को जारी की गई सामग्री तथा वर्ष के अन्त तक अप्रयुक्त रही, सामग्री के मूल्य को	इसकी पुनरीक्षा की जा रही है।

ऑडिट पैरा	उत्तर
ध्यान में रखे बिना बनाई गई है। अतः अप्रयुक्त स्टॉकों की मात्रा व संबंधित मूल्य निश्चित नहीं किया जा सकता।	
6. (v) उपभोक्ता जाम लेखाओं की 11232.61 मिलियन रु. की शेष राशि व उस पर 48.69 मिलियन रु. का प्रोद्भूत/देय ब्याज तथा 6887.66 मिलियन रु. के विविध देनदार संबंधित गौण रिकार्डों से समायोजन के अधीन हैं। साथ ही उपभोक्ताओं से प्राप्त 1010.98 मिलियन रु. की प्राप्तियाँ संबंधित देनदारों के साथ मिलान न हो पाने के कारण लम्बित हैं।	दोनों यूनिटों को कहा गया है कि वे विविध देनदारों के नियंत्रक लेखा एवं सहायक रिकार्डों का समाधान करें। यह एक सतत प्रक्रिया है।
6. (vi) निम्नलिखित के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है–	
(ए) कम्पनी के पास निहित/कम्पनी द्वारा अधिग्रहित भूमि एवं बिल्डिंगों के रजिस्ट्रेशन पर देय होने वाली स्टैंप ड्यूटी के लिए प्रावधान नहीं किया गया है – राशि अनिश्चित। भूमि (लीज़ होल्ड सहित) तथा बिल्डिंगों (कुल लागत 5952.68 मिलियन रु.) का कम्पनी के नाम में रजिस्ट्रेशन/विधिक रूप से निहितीकरण पूरा न हो पाने के कारण उनके हक विलेख उपलब्ध नहीं है।	इस संबंध में दूरसंचार विभाग के साथ कार्रवाई की जा रही है।
(बी) कुछ लीज़ होल्ड सम्पत्तियों के संबंध में देय लीज़ किराये के लिये, जहां कि बढ़े किराये को अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका है – राशि अनिर्धारित।	प्रबंधक वर्ग को लगता है कि इस मामले में कोई प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है।
(सी) इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से प्राप्ति योग्य 4.34 मिलियन रु. व निर्णीत हर्जानों के लिये देय 0.28 मिलियन रु. कई वर्षों से अदत्त पड़े हैं।	मामला माध्यस्थम के अधीन होने के कारण प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है।
(डी) आईटीआई लिमिटेड से सामग्री प्राप्त न होने, मॉडवेट राहत व वापिस की गई सामग्री आदि के लिये प्राप्ति योग्य 34.09 मिलियन रु. कई वर्षों से अदत्त पड़े हैं।	प्रबंधक वर्ग मामले की पुनरीक्षा कर रहा है। वर्ष 2000-2001 में मामले का निपटान कर दिया जायेगा।
(ई) कुल 4.49 मिलियन रु. के पूंजी अग्रिम जो कि मुम्बई यूनिट में भूमि और बिल्डिंग के अभिग्रहण के लिये दिये गये।	यह भूमि अभिग्रहण के लिये दिया गया अग्रिम है इस मामले पर कार्रवाई की जा रही है।
(एफ) निगम के निदेशक मंडल का अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण दूरसंचार विभाग से प्राप्त एक निर्देश के अनुसार आईटीआई लिमिटेड को वापिस लौटाये जाने हैं 97.72 मिलियन रु. के निर्णीत हर्जाने।	प्रबंधक वर्ग मामले की पुनरीक्षा कर रहा है।
(जी) पूर्व वर्षों में आपूर्ति किये गये सामान के लिये कुल 55.35 मिलियन रु. के दूरसंचार विभाग के कुछ यूनिटों से प्राप्ति योग्य दावे। दावा इन यूनिटों द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है तथा इसकी वसूली की निश्चितता का अनुमान नहीं लगाया जा सकता।	दावों का दूरसंचार विभाग के साथ निपटान किया जा रहा है।

ऑडिट पैरा	उत्तर
6. (vii) दिल्ली यूनिट के संबंध में वर्ष के दौरान अचल सम्पत्ति के रूप में पूंजीकृत की गई राशि में 2847 मिलियन रू. की वह राशि भी सम्मिलित है जिसके व्यय के लिये आंतरिक संस्वीकृतियाँ अभी लम्बित हैं।	एक कार्यदल का गठन किया जा रहा है जोकि इस प्रकार की स्वीकृत न की गई परियोजनाओं के संबंध में उचित कार्रवाई करने के लिये विस्तृत जांच करेगा। स्वीकृति लिये बिना कोई योजना शुरू न की जाये इसके लिए प्रक्रियाओं को सशक्त बनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।
- लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में उनके पैरा 3 में दी गई टिप्पणियों के लिये, जोकि महत्वपूर्ण लेखा विधि नीतियों के पैरा 1.1 पर कुछ आयों के नकद आधार पर हिसाब में लेने के विषय में है, कम्पनी उनके संबंध में बराबर कार्रवाई कर रही है व इस तथ्य का लेखा परीक्षा रिपोर्ट में भी उल्लेख है। फिर भी चालू वर्ष में इस नीति की पुनरीक्षा की जायेगी तथा कार्य रूप में लागू करना संभव होने पर उसमें उपयुक्त संशोधन किये जायेंगे।	
- लेखा परीक्षा की टिप्पणी के पैरा 6 (I). (VI). (एच), (आई), (जे) और (VII) के संबंध में लेखाओं की टिप्पणी वाले भाग में पर्याप्त खुलासा किया गया है इसलिए पुनः स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।	
7. कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम 1956 के अनुच्छेद VI के अन्तर्गत किये जाने वाले प्रत्येक मद के आगे दिये गये संदर्भ अनुसार, प्रकटीकरण नहीं किये हैं–	उचित खुलासे हेतु इसकी पुनरीक्षा की जा रही है।
(ए) भंडारों एवं अतिरिक्त पुर्जों का उपयोग (भाग-II का पैरा सं. 3 (एक्स) (ए))	
(बी) आयातित तथा देशी सामान तथा अतिरिक्त पुर्जों का उपयोग तथा सारे उपयोग में लाये गये सामान में उसका अनुपात (भाग-II का पैरा नम्बर 4 डी (सी))	
(सी) लघु उद्योग उपक्रमों को देय बकाया राशियों तथा उनके संबंध में विवरण (भाग-I)	

फसलों की हानि के लिए केरल को अंतरिम राहत

2344. श्री रमेश चेन्नितला: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को प्राकृतिक आपदाओं के कारण कृषि फार्म को हुई हानि का सामना करने के लिए राज्य सरकारों विशेष रूप से केरल से अंतरिम राहत के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने राज्यों में बाढ़ के कारण हुई हानि का आकलन करने हेतु दल तैनात किया है; और

(घ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बाढ़ राहत तथा सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के लिए कितनी राशि स्वीकृत हुई है और अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुए?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपद यासो नाईक) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल तथा पश्चिम बंगाल सरकार ने बाढ़ से हुई क्षति/नुकसान का ब्यौरा देते हुए केन्द्रीय सहायता हेतु एक ज्ञापन भेजा था, जबकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा राजस्थान ने सूखे के कारण हुई क्षति/नुकसान, जिसमें अन्य बातों के अलावा फसलों को हुई क्षति भी शामिल है, का ब्यौरा देते हुए केन्द्रीय सहायता हेतु एक ज्ञापन भेजा था।

(ग) आंध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक तथा पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय दल भेजे गए थे।

(घ) प्राकृतिक आपदाएं आने पर राहत उपाय करना प्रथमतः संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। भारत सरकार केवल राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करती है। राहत का वितरण करना एवं मौके पर राहत कार्य चलाना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। बाढ़ तथा सूखे सहित प्राकृतिक आपदाएं आने पर राहत उपाय करने के लिए वर्ष 1995 से 2000 तथा 2000-2001 के दौरान आपदा राहत कोष से केन्द्रीय अंश के तौर पर जारी धनराशि का राज्यवार ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है। भूमि संसाधन विभाग के अनुसार 13 राज्यों में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जा रहा है जिसके अंतर्गत 1997-98 के दौरान 90.75 करोड़ रुपये, 1998-99 के दौरान 73.00 करोड़ रुपये, 1999-2000 के दौरान 94.99 करोड़ रुपये तथा 2000-2001 के दौरान 30.11.2000 तक 85.68 करोड़ रुपये निर्मुक्त किए गए हैं। उक्त विभाग के अनुसार 1995-2000 के दौरान 8335 पनघारा परियोजनाएं मंजूर की गई और पनघारा विकास के अंतर्गत अनुमानित क्षेत्र 24.38 लाख हैक्टेयर है। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम में केरल शामिल नहीं है।

विवरण

वर्ष 1995-2000 तथा 2000-2001 के दौरान आपदा राहत कोष के केन्द्रीय अंश के तौर पर जारी राज्यवार धनराशि

क्र.सं.	राज्य	आपदा राहत कोष के केन्द्रीय अंश के तौर पर जारी धनराशि	
		1995-2000	2000-2001
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	49033	14854.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	2779	439.82
3.	असम	19746	1566.47
4.	बिहार	19388	—
5.	गोवा	423	46.50
6.	गुजरात	55117	13113.51
7.	हरियाणा	9893	1568.64
8.	हिमाचल प्रदेश	10641	843.90
9.	जम्मू व कश्मीर	7780	1309.00
10.	कर्नाटक	16523	2796.50
11.	केरल	21874	1734.39
12.	मध्य प्रदेश	20167	3197.94
13.	महाराष्ट्र	25450	—
14.	मणिपुर	925	156.00
15.	मेघालय	1101	175.50
16.	मिजोरम	500	111.50
17.	नागालैंड	671	53.08
18.	उड़ीसा	19351	4105.00
19.	पंजाब	21380	1695.39
20.	राजस्थान	70689	16818.45
21.	सिक्किम	1859	294.66
22.	तमिलनाडु	23433	3849.00
23.	त्रिपुरा	1775	140.83
24.	उत्तर प्रदेश	49400	3918.35
25.	पश्चिम बंगाल	20263	7583.00
	कुल	470161	80371.43

"दिल्ली में पेड़ों की अवैध कटाई"

2345. डा. विजय कुमार मल्होत्राः क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले छः महीनों के दौरान दिल्ली में पेड़ों की अवैध कटाई के कितने मामले प्रकाश में आए हैं;

(ख) कितने लोगों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए;

(ग) क्या भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने वाले लोग दिल्ली के रिज-क्षेत्र को समाप्त कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा पेड़ों की अवैध कटाई को रोकने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ख) दिल्ली सरकार द्वारा यथा सूचित 1 मई, 2000 से 31 अक्तूबर, 2000 तक की अवधि के दौरान दिल्ली में अवैध रूप से वृक्षों की कटाई से संबंधित 36 मामलों की सूचना प्राप्त हुई थी। वृक्षों की अवैध कटाई करने के लिए 58 व्यक्तियों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए थे जिनमें से 7 व्यक्तियों पर आरक्षित हरित पट्टी क्षेत्र के संबंध में तथा शेष 51 व्यक्तियों पर अन्य क्षेत्रों के संबंध में दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 के तहत मामले दर्ज किए गए।

(ग) और (घ) दिल्ली सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, रिज आरक्षित वन के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी किसी भी एजेंसी द्वारा इस तरह के किसी भी मामले की सूचना नहीं दी गई है। रिज क्षेत्र के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी एजेंसियां रिज आरक्षित वन क्षेत्रों में लगे वृक्षों की सुरक्षा करने के लिए काफी सतर्क रहती हैं।

छोटे ट्रैक्टर उत्पादक इकाइयां

2346. श्री पी.एस. गढ़वी : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में छोटे ट्रैक्टर (10 हार्सपावर) उत्पादक इकाइयों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या सरकार को जानकारी है कि ऐसे ट्रैक्टर कृषकों के लिए बहुत उपयोगी हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार को देश में छोटे ट्रैक्टर उत्पादक इकाइयों के संबंध में फोटो टाइप प्रमाण-पत्र की छूट देने के लिए गुजरात सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का इन इकाइयों को कुछ अन्य रियायत देने का प्रस्ताव है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खंडूडी) : (क) संगठित क्षेत्र में 10 हार्सपावर के मिनी ट्रैक्टरों का निर्माण नहीं किया जा रहा है।

(ख) किसानों के लिए छोटे ट्रैक्टर उपयोगी हो सकते हैं यदि उनमें अपेक्षित उपकरण खींचने और कृषि कार्यों को कारगर ढंग से करने की शक्ति हो।

(ग) जी हां।

(घ) से (छ) यह प्रस्ताव केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 126 के उपबंधों के अंतर्गत मिनी कृषि ट्रैक्टरों को पंजीकरण से छूट देने के लिए है ताकि मिनी ट्रैक्टर निर्माता प्रोटो टाइप अनुमोदन प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सकें। इस प्रस्ताव के संबंध में देश की प्राधिकृत जांच एजेंसियों से टिप्पणियां/तकनीकी औचित्य मांगे गए थे। प्राधिकृत जांच एजेंसियों ने सूचित किया है कि मिनी ट्रैक्टरों सहित सड़क पर आने वाले किसी भी वाहन को न्यूनतम सुरक्षा मानदंड पूरे करने होते हैं नहीं तो वह सड़क प्रयोक्ताओं की सुरक्षा के लिए खतरनाक हो सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए किसी ऐसी श्रेणी को केन्द्रीय मोटरयान नियमावली के नियम 126 के अंतर्गत प्रोटो टाइप प्रमाणन की आवश्यकता से छूट देना विवेकपूर्ण नहीं होगा।

[हिन्दी]

बिहार में युवक विकास केन्द्र

2347. श्री दिनेश चन्द्र यादव: क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1994-95 के दौरान प्रत्येक 10 गांवों के लिए एक युवक विकास केन्द्र स्थापित करने की नई योजना प्रारम्भ की थी;

(ख) यदि हां, तो बिहार में, विशेष रूप से सहरसा तथा मधेपुरा जिलों में अभी तक कितने युवक विकास केन्द्र स्थापित किए गए; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन केन्द्रों को चलाने तथा इनके रख-रखाव के लिए केन्द्र-वार कितनी राशि खर्च की गई?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन्) : (क) जी, हां। युवक विकास केन्द्र स्थापित करने की योजना 1994-95 के दौरान प्रारम्भ की गई थी।

(ख) बिहार में 21 युवक विकास केन्द्र स्थापित किए गए हैं; तथापि, सहरसा और मधेपुरा जिलों में कोई भी युवा विकास केन्द्र स्थापित नहीं किया गया है।

(ग) भारत सरकार ने युवक विकास केन्द्र स्थापित करने के लिए 30,000/- रु. की राशि एकबारगी अनुदान के रूप में स्वीकृत की है। इन केन्द्रों को रखरखाव के लिए कोई अनुदान नहीं दिया जाता है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना

2348. श्री शिवाजी माने:
श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार:
श्री एस. वी. वी. एस. मूर्ति:
श्री राम मोहन गाड्डे:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का नई कृषि नीति लागू करने के लिए राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की समीक्षा करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारों ने इस संबंध में सुझाव भेजे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा इन सुझावों पर कब तक विचार किया जाएगा?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपद यासो नाईक) : (क) और (ख) जी हां। स्कीम के प्रावधानों के अनुसार, राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम की इसके कार्यान्वयन के एक वर्ष पश्चात् समीक्षा किया जाना अपेक्षित है। इस संबंध में बारहमासी फसलों को शामिल करने, वित्तीय दायित्वों को शेयर करने, कारपस निधि बीमा यूनिट क्षेत्र, बीमित राशि और मौसमीय परिस्थिति आदि जैसे कुछ मुद्दों पर विचार करने के लिए 14.9.2000 को नई दिल्ली में कृषि राज्य मंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाया गया था।

(ग) और (घ) जी, हां। कुछ राज्यों ने समीक्षा हेतु निम्नलिखित महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं:

- भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच जोखिम का शेयर अनुपात 2 : 1 का होना चाहिए
- बारहमासी फसलों को शामिल करना
- कारपस निधि के गठन की पुनः जांच की जाए
- प्रशासनिक व्यय तथा बैंक अधिभार भारत सरकार द्वारा वहन किये जाने चाहिएं
- राजसहायता प्राप्त प्रीमियम के लाभ को छोटे तथा सीमान्त किसानों तक पहुंचाने की आखिरी व्यवस्था पर पुनः विचार करने की आवश्यकता आदि।

(ङ) स्कीम में संशोधनों के लिए राज्यों द्वारा दिए गए सुझावों पर 14.9.2000 को हुए सम्मेलन में विचार किया गया तथा स्कीम की समीक्षा के एक प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

शीत गृहों की स्थापना हेतु अनुदान

2349. श्री गंता श्रीनिवास रावः क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का शीत गृहों की स्थापना हेतु अनुदान की वर्तमान राशि में बढ़ोत्तरी करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार शीत गृहों की स्थापना की प्रक्रिया को सरल बनाने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपद यासो नाईक) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

नारियल किसानों की सुरक्षा

2350. श्री पी. राजेन्द्रनः क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने यह गौर किया है कि पामोलीन के आयात से कोपरा तथा नारियल के मूल्य प्रभावित हुए हैं और क्या केरल के नारियल किसानों की सुरक्षा हेतु कोई कदम उठाये गए है;

(ख) कोपरा के खरीद मूल्य बढ़ाने हेतु उठाये गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस वर्ष जनवरी से अक्तूबर, 2000 तक नैफेड द्वारा कितने कोपरा की खरीद की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपद यासो नाईक) : (क) इस वर्ष खोपरे/नारियल के मूल्य विभिन्न कारणों से गत वर्ष की तुलना में कम हैं। किसानों के हितों की रक्षार्थ किए गए उपायों में भारती राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नैफेड) द्वारा मण्डी हस्तेक्षप एवं कुछ खाद्य तेलों पर आयात शुल्क में वृद्धि शामिल है।

(ख) न्यूनतम समर्थन मूल्य/खरीद मूल्य का निर्णय कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशों, राज्य सरकारों एव केन्द्रीय मंत्रालयों आदि के विचारों के आधार पर किया जाता है। वर्ष 2000 के लिए खोपरे के न्यूनतम समर्थन मूल्य/खरीद मूल्य की घोषणा अप्रैल, 2000 में की गई थी। वर्ष 2001 के लिए खोपरे के न्यूनतम समर्थन मूल्य/खरीद मूल्य की घोषणा भी शीघ्र ही की जाएगी, क्योंकि इस बारे में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की रिपोर्ट पहले ही प्राप्त हो चुकी है और इसे राज्य सरकारों आदि को उनकी टिप्पणी हेतु परिचालित कर दिया गया है।

(ग) भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नैफेड) ने मूल्य सहायता स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में 1,29,336 मीटरी टन खोपरे की खरीद की है:

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	खरीद (मी. टन)
केरल	63,591
तमिलनाडु	53,600
लक्षद्वीप	2,004
आंध्र प्रदेश	8,567
अंडमान निकोबार द्वीप समूह	1,574
कुल	1,29,336

राष्ट्रीय पुनर्निर्माण कोर योजना

2351. श्री पवन कुमार बंसलः क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय पुनर्निर्माण कोर (एनआरसी) योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो इसके लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;

(ग) संचालन समिति की संरचना क्या है;

(घ) क्या राष्ट्रीय पुनर्निर्माण कोर (एन.आर.सी.) के अंतर्गत स्वयंसेवकों व जिला परियोजना अधिकारियों की भर्ती के नियम बनाए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इनकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन्) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय पुनर्निर्माण वाहिनी का प्राथमिक लक्ष्य और उद्देश्य राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए युवाओं को अवसर प्रदान करना है। समुदाय के लिए और समुदाय के साथ काम करने, वास्तविक जीवन की समस्याओं को समझने तथा इन समस्याओं को हल करने में उनके कौशल और ज्ञान का उपयोग करने से उनके अनुभव में वृद्धि होगी जो उन्हें बाद के जीवन की चुनौतियों के लिए तैयार करेगा।

प्रस्तावित राष्ट्रीय पुनर्निर्माण वाहिनी योजना युवाओं को उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि, अभिरुचि और रुचि के अनुसार सृजनात्मक तथा रचनात्मक कार्यों के लिए अवसर प्रदान करती है। यह योजना व्यक्ति-निर्माण और राष्ट्र-निर्माण के दो उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए तैयार की गई है।

(ग) संचालन समिति की संरचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) स्वयंसेवकों और परियोजना अधिकारियों की भर्ती की प्रक्रिया अभी निश्चित नहीं की गई है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

राष्ट्रीय पुनर्निर्माण वाहिनी योजना के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन

1.	राज्य मंत्री (युवक कार्य और खेल) भारत सरकार, अध्यक्ष	1
2.	प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता, उपाध्यक्ष	1
3.	सचिव, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारत सरकार	1
4.	राज्य मंत्री, भारत सरकार - ग्रामीण विकास राज्य मंत्री, भारत सरकार - शहरी विकास राज्य मंत्री, भारत सरकार - सामाजिक न्याय और अधिकारिता	3
5.	राज्य सरकारों के प्रभारी युवा कार्य राज्य मंत्री (बारी-बारी से प्रत्येक क्षेत्र से एक व्यक्ति)	6
6.	महिला एवं बाल विकास, शिक्षा, गैर-परंपरागत ऊर्जा, पर्यावरण और वन, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले, कृषि और सहकारिता, जल संसाधन, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, श्रम विभाग, भारत सरकार के सचिव	10
7.	उपाध्यक्ष, नेहरू युवा केन्द्र संगठन	1
8.	महानिदेशक, नेहरू युवा केन्द्र संगठन सदस्य-सचिव	1
9.	संसद सदस्य लोक सभा - 3 राज्य सभा - 1	3
10.	युवा प्रतिनिधि (एक महिला सहित)	5
11.	गैर-सरकारी संगठन के प्रतिनिधि (एक महिला सहित)	5
12.	स्थायी आमंत्रित व्यक्ति अवैतनिक सलाहाकार एन.आर.सी. (राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति का सदस्य)	1

मृदा, उर्वरक तथा बीजों का परीक्षण

2352. श्री उत्तमराव ढिकले: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का मृदा परीक्षण तथा उर्वरकों और बीजों के गुणवत्ता परीक्षण करने का और नकली उत्पादों की आपूर्ति पर रोक लगाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपद यासो नाईक) : (क) से (ग) देश में किसानों को मृदा परीक्षण सुविधा विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में कार्यरत 514 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। इन प्रयोगशालाओं की क्षमता प्रति वर्ष 6.4 मिलियन मृदा नमूनों का विश्लेषण करने की है। इसके अलावा मौजूदा 273 मृदा परीक्षण प्रयोशालाओं के सुदृढ़ीकरण एवं 16 और प्रयोगशालाओं की स्थापना, जिनका कार्य प्रगति पर है, से कुल क्षमता बढ़कर 8 मिलियन नमूने प्रति वर्ष हो जाएगी।

मिलावटी आदानों की आपूर्ति को रोकने के लिए देश के विभिन्न भागों में 66 उर्वरक परीक्षण प्रयोगशालाएं कार्यरत हैं, जिनकी प्रति वर्ष उर्वरकों के 1.2 लाख नमूनों के विश्लेषण करने की क्षमता है। बीजों के

प्रमाणीकरण एवं गुणवत्ता जांच के लिए 101 बीज परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। इसी प्रकार 47 राज्य कीटनाशी प्रयोगशालाएं, जिनकी विश्लेषण क्षमता 55600 नमूने प्रति वर्ष है, कीटनाशियों/ कृमिनाशियों की गुणवत्ता की जांच में मदद करती हैं।

"पक्षी विहारों का संरक्षण"

2353. श्री प्रियरंजन दासमुंशी: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार कुल कितने पक्षी विहार हैं;

(ख) क्या राज्य सरकारों के सहयोग से पक्षी विहारों को प्रदूषण से बचाने तथा अन्य विपत्तियों से बचाने हेतु कोई विशेष उपाय किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार को उत्तर दीनाजपुर के रायगंज (कुलिक) पक्षी विहार से संबंधित पश्चिम बंगाल के जन-प्रतिनिधियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) पक्षियों के संरक्षण के लिए मुख्यतः संचालित अभयारण्यों की सूची संलग्न विवरण में है।

(ख) पक्षियों और उनके आवासों को विभिन्न खतरों से बचाने में राज्य सरकारों को सक्षम बनाने के लिए, केन्द्र सरकार द्वारा इन अभयारण्यों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

(ग) इस संबंध में कोई विशेष अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुए।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	पक्षी विहारों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	5
2.	अरूणाचल प्रदेश	1
3.	असम	–
4.	बिहार	4
5.	छत्तीसगढ़	–
6.	गोवा	1
7.	गुजरात	4
8.	हरियाणा	1
9.	हिमाचल प्रदेश	3
10.	जम्मू व कश्मीर	3
11.	झारखण्ड	1
12.	कर्नाटक	6
13.	केरल	–
14.	मध्य प्रदेश	2
15.	महाराष्ट्र	1
16.	मणिपुर	–
17.	मेघालय	–
18.	मिजोरम	–
19.	नागालैंड	–
20.	उड़ीसा	1
21.	पंजाब	1
22.	राजस्थान	1
23.	सिक्किम	–
24.	तमिलनाडु	5
25.	त्रिपुरा	–
26.	उत्तरांचल	–
27.	उत्तर प्रदेश	10
28.	पश्चिम बंगाल	5
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	–
30.	चंडीगढ़	–
31.	दमन और दियु	–
32.	लक्षद्वीप	–
33.	पांडिचेरी	–
34.	दिल्ली	–

[हिन्दी]

बिहार में बिजली की भारी कमी

2354. श्रीमती रेनु कुमारी : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या झारखण्ड क्षेत्र को 63 प्रतिशत विद्युत क्षमता के अंतरण से शेष बिहार में बिजली की भारी कमी होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो शेष बिहार में विद्युत समस्या के समाधान हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है;

(ग) क्या सरकार का विचार बरौनी और मुजफ्फरपुर में ताप विद्युत केन्द्रों का उन्नयन और पुनरुद्धार करने और बिहार में नवीन नगर में विद्युत केन्द्र स्थापित करने और अन्यत्र लघु जल विद्युत परियोजनाएं आरम्भ करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) इस समय बिहार और झारखण्ड क्षेत्र दोनों में ही विद्युत की आपूर्ति के लिए बिहार राज्य विद्युत बोर्ड ही एकमात्र एजेंसी है। सामान्यतः बिहार पूर्वी ग्रिड से अतिरिक्त विद्युत का आहरण करके अपनी मांग की पूर्ति करता है। हालांकि संयुक्त बिहार राज्य की कुल क्षमता की लगभग 70% अधिष्ठापित क्षमता वाले राज्य क्षेत्र के उत्पादन विद्युत केन्द्र झारखण्ड राज्य में स्थित हैं, फिर भी शेष बिहार की कमी को पूर्वी क्षेत्र क्षेत्रीय क्षेत्र उत्पादन केन्द्रों से अतिरिक्त आवंटन/आहरण करके पूर्ति की जा सकती है। पूर्वी क्षेत्र के पास कुल मिलाकर, झारखण्ड और बिहार जिसके संघटक राज्य हैं पर्याप्त विद्युत है तथा यह बिहार राज्य सहित क्षेत्र के कमी वाले राज्यों को आपूर्ति करने के लिए उपलब्ध है। राज्य में विद्युत की कमी का मुख्य कारण राज्य की पारेषण एवं वितरण प्रणाली का अपर्याप्त होना तथा केन्द्रीय क्षेत्र से अतिरिक्त विद्युत हेतु भुगतान करने की राज्य की अक्षमता है।

(ग) से (ङ) बरौनी और मुजफ्फरपुर ताप विद्युत केन्द्रों के संबंध में नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्यक्रम को पहले ही शुरू किया जा चुका है और यह प्रगति पर है। बिहार में औरंगाबाद में नवीनगर ताप विद्युत परियोजना (2 × 500 मे. वा.) पहले बिहार राज्य बिजली बोर्ड से जुड़ी हुई थी। तदुपरान्त, इस परियोजना को मेगा विद्युत परियोजना नीति के अंतर्गत अभिज्ञात किया गया था। चूंकि कोई भी निजी विकासकर्त्ता इस परियोजना के विकास के लिए आगे नहीं आया, इसलिए राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) को इस परियोजना की तकनीकी और वाणिज्यिक व्यवहार्यता पर विचार-विमर्श करने की सलाह दी गई है।

गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय बिहार में 4 छोटी जल विद्युत परियोजनाओं की सहायता कर रहा है। इसके अतिरिक्त, एमएनईएस 48 लघु विद्युत परियोजना कार्यस्थलों के विस्तृत सर्वेक्षण एवं जांच तथा दस परियोजनाओं हेतु डीपीआर को तैयार किए जाने को भी सहायता प्रदान कर रहा है।

[अनुवाद]

महानगरों में डाकघर

2355. श्री रामजी मांझी: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महानगरों में कार्यरत डाकघर खराब हालत में हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इनकी हालत/"आउटलुक" में सुधार लाने हेतु क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या निजी ऑपरेटरों की तुलना में डाक-विभाग का राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय डाक संबंधी कार्य कम होता जा रहा है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) जी नहीं। 8वीं पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ से ही विभाग द्वारा अपनी सेवाओं को आधुनिक बनाने के लिए किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप महानगरों में कार्यरत डाकघर अधिकांशतया अच्छी हालत में हैं। इस संबंध में शुरू की गई कार्रवाई के कार्यक्रम में स्वच्छ और मैत्रीपूर्ण वातावरण में एक ही खिड़की (सिंगल विन्डो) पर तीव्र और दोषमुक्त सेवा प्रदान करने के विचार से कम्प्यूटर आधारित काउंटर मशीनें संस्थापित करना शामिल है। कार्य-स्थल को सुसज्जित करने में सुधार लाने के लिए भी प्रयत्न किए गए हैं। लगभग 1500 विभागीय डाकघरों को आधुनिकीकृत किया गया है जिनमें अधिकांश महानगरों में स्थित हैं।

(ग) और (घ) जी नहीं। डाक विभाग का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मेलिंग व्यवसाय घट नहीं रहा है जैसाकि गत तीन वर्षों के आंकड़ों से स्पष्ट है :

1. स्पीड पोस्ट वस्तुएं

वर्ष	परियात (लाख में)	राजस्व (करोड़ रुपये में)
1997-98	141.4	77.95
1998-99	195.95	91.36
1999-2000	312.64	126.17

2. निपटाई गई कुल डाक

वर्ष	निपटाई गई कुल डाक (करोड़ में)
1997-98	1574.93
1998-99	1576.64
1999-2000	1578.15

3. जहां तक अंतर्राष्ट्रीय डाक का संबंध है, कुरियर मुख्य रूप से एक्सप्रेस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। इस क्षेत्र में विभाग त्वरित डाक सेवा (ईएमएस) पर कार्य कर रहा है। 1996 से 1999 तक की अवधि के दौरान, जावक ईएमएस परियात में 58% की बढ़ोत्तरी हुई है। 1996 से 1998 तक की अवधि के लिए विदेश पत्र डाक के मामले में और जावक डाक परियात में 13% की बढ़ोत्तरी हुई है। विदेश पार्सलों के मामले में

1997-98 से 1999-2000 तक की अवधि के लिए जावक डाक परियात में 0.17% की मार्जिनल बढ़ोत्तरी हुई है। कुरियर मुख्य रूप से एक असंगठित बाजार में कार्य कर रहे हैं। विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सेवाओं के डाक परियात से संबंधित आंकड़े और कुरियरों के संबंधित आंकड़े तुलना करने के प्रयोजनार्थ उपलब्ध नहीं हैं।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग-65 को स्वीकृति

2356. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान के जोधपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं.-65 को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है;

(ख) यदि हाँ, तो किस तिथि को स्वीकृति प्रदान की गई थी;

(ग) क्या यह राष्ट्रीय राजमार्ग जोधपुर नगर से होकर गुजरता है;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मण्डोर से झलमाण्ड क्रासिंग क्षेत्र में जहां से यह राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, भारी वाहनों के प्रवेश पर जोधपुर जिला प्रशासन ने रोक लगा रखी है;

(ङ) क्या इस राष्ट्रीय राजमार्ग को बाई-पास से होकर ले जाने का प्रस्ताव है;

(च) यदि हाँ, तो उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) जी हाँ।

(ख) दिनांक 6 जनवरी, 1999 की अधिसूचना।

(ग) जी हाँ।

(घ) माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देश पर 29.11.2000 से जोधपुर शहर में ट्रकों के सुबह 7 बजे से रात 10 बजे के बीच प्रवेश करने पर रोक लगा दी गई है।

(ङ) राष्ट्रीय राजमार्ग-65 के सुधार के लिए साध्यता अध्ययन शुरू करने का प्रस्ताव है जिसमें इस पहलू की जांच की जाएगी।

(च) कार्य पूर्ति की संभावित तारीख अभी बता पाना संभव नहीं है।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

"उल्लुओं को मारना"

2357. श्री तूफानी सरोज: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उल्लुओं की विरल प्रजाति लुप्त होने के कगार पर है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या दशहरा और दीपावली त्यौहारों के अवसरों पर तांत्रिकों द्वारा बड़ी संख्या में उल्लुओं को मारा जाता है; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा उल्लुओं की प्रजाति के संरक्षण हेतु क्या कदम उठाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ख) सर्वेक्षणों से यह ज्ञात हुआ है कि फारेस्ट स्पॉटेड आलेट्स (ब्लीविटी आलेट्स) प्रजाति को अत्यधिक खतरा है। इनकी संख्या में आई गिरावट का प्रमुख कारण उनके वास स्थलों का विखंडन और विनाश होना है।

(ग) इस तरह की छिटपुट घटनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता।

(घ) इस प्रजाति की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) फारेस्ट स्पॉटेड आलेट्स को वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-1 में शामिल किया गया है और इस तरह उसे उच्चतम स्तर की सुरक्षा प्रदान की गई है। इस प्रजाति के शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया है।

(ii) वन्य वनस्पति और प्राणिजात के संरक्षण के लिए देश के भौगोलिक क्षेत्र के 4.6 प्रतिशत क्षेत्र को शामिल करके 566 वन्यजीव संरक्षित क्षेत्रों का एक नेटवर्क बनाया गया है जिससे उल्लुओं (आलेट्स) के वासस्थलों की सुरक्षा करने में मदद मिली है।

(iii) सुरक्षित क्षेत्रों के विकास और उनके प्रबंधन के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता दी जाती है। वन्यजीवों के अवैध शिकार और व्यापार को रोकने के लिए वन्यजीव प्राधिकारियों द्वारा छापे मारे जाते हैं।

(iv) वन्यजीवों और उनके व्युत्पन्नों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार साइटस (कन्वेंशन ऑन इन्टरनेशनल ट्रेड इन एनडेंजर्ड स्पीसिज) के प्रावधानों के अंतर्गत विनियमित किया गया है। वन्यजीवों तथा उनके शरीर के अंगों व उत्पादों का निर्यात करना निर्यात-आयात नीति के अंतर्गत प्रतिबंधित है।

(v) वन्यजीव उत्पादों की तस्करी को रोकने के लिए देश के प्रमुख निर्यात केन्द्रों पर वन्यजीव संरक्षण हेतु क्षेत्रीय और उपक्षेत्रीय कार्यालय खोले गए हैं।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में बागवानी हेतु मिशन परियोजना

2358. श्री पी.आर. किन्डिया: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में बागवानी मिशन परियोजना को स्वीकृति प्रदान करने और इसे क्रियान्वित करने हेतु कोई कार्य योजना तैयार की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आज की तारीख में इस पर राज्यवार और योजनावार कितना खर्च आया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपद यासो नाईक) : (क) से (ग) सरकार ने सिक्किम सहित उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में बागवानी विकास प्रौद्योगिकी मिशन तैयार किया है। अभी इस परियोजना का अनुमोदन नहीं किया गया है। हालांकि वर्ष 2000-2001 के लिए चालू वार्षिक योजना में 50 करोड़ रु. आबंटित किये जा चुके हैं।

अभी तक कोई व्यय नहीं किया गया है।

आंध्र प्रदेश के किसानों से धान और मक्के की खरीद

2359. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने विभिन्न केन्द्र प्रायोजित कृषि योजनाओं के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य को कितनी केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपद यासो नोईक) : (क) और (ख) जी हाँ। वर्ष 2000-2001 के दौरान आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार ने बृहत प्रबन्ध प्रणाली के अन्तर्गत शामिल की जाने वाली विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में 50 करोड़ रुपये की राशि का प्रस्ताव किया है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने इस वर्ष के सूखे से हुए फसल नुकसान का सामना करने के लिए तिलहन उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत 5.11 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की मांग की है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान कृषि के विकास के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार को निम्नलिखित राशियां निर्मुक्त की गईं:

वर्ष	लाख रु.
1997-98	7725.48
1998-99	7540.81
1999-2000	8217.88

उड़ीसा के जनजातीय क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां

2360. श्री अनन्त नायक: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उड़ीसा के जनजातीय क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां नहीं हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का नौवीं योजना के दौरान इस राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां लगाने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हाँ, तो इस संबंध में राज्य सरकार से क्या प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्री टीएच. चाओबा सिंह) : (क) और (ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है जैसे कच्चे माल की प्रसंस्करण योग्य किस्मों की उपलब्धता, उनकी उत्पादकता, प्रसंस्कृत खाद्य की मांग, उत्पादन की लागत और कीमत आदि।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग स्वयं किसी यूनिट की स्थापना नहीं करता। विभाग की योजना स्कीमों के तहत प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र के विकास के लिए निजी उद्योगों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, गैर-सरकारी संगठनों और अनुसंधान एवं विकास संस्थानों आदि को आसान शर्तों पर ऋण तथा सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है। दुर्गम क्षेत्रों जिसमें एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना क्षेत्र शामिल हैं, को अधिक मात्रा में सहायता दी जाती है।

(ग) इस संबंध में चालू वर्ष में राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास के लिए संशोधन

2361. श्री आर.एस. पाटिल: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास के लिए विभिन्न खाद्य अधिनियमों में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे कौन-कौन से अधिनियम हैं जिनके निरस्त किए जाने की अथवा किसी एकीकृत अधिनियम में विलय किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार का विचार उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने का भी है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्री टीएच. चाओबा सिंह) : (क) से (ङ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग ने राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण नीति बनाने के संदर्भ में क्षेत्रीय जानकारी प्राप्त करने हेतु कलकत्ता, मुम्बई, बंगलौर और लखनऊ में चार क्षेत्रीय सेमिनारों का आयोजन किया। इन सेमिनारों में यह आम राय थी कि खाद्य प्रसंस्करण के बारे में राष्ट्रीय नीति बनाने के अलावा एक उपयुक्त विकासोन्मुखी विधान बनाने पर भी विचार किया जाए क्योंकि वर्तमान कानून इस क्षेत्र के विकास में बाधक हैं। तदनुसार खाद्य मानकों समेत विकास की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए प्रसंस्कृत खाद्य विकास अधिनियम बनाने की दिशा में एक दृष्टिकोण पत्र तैयार किया गया है और इसकी प्रतियां केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों, राज्य सरकारों, उद्योग संघों, अनुसंधान और विकास संगठनों तथा विशेषज्ञों को भेजी गई हैं।

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना

2362. श्री सुरेश रामराव जाधवः
डॉ. जसवंतसिंह यादवः

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार उन किसानों को जिनको ऋण नहीं दिया गया है एक ही योजना के अंतर्गत लाने हेतु राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का विस्तार करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपद यासो नाईक) : (क) और (ख) सरकार द्वारा रबी 1999-2000 मौसम से प्रारम्भ की गई राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम में पहले ही सभी किसानों (ऋणी और गैर-ऋणी दोनों) को, उनकी भू-जोतों के आकार को आधार बनाये बिना, कवर कर लिया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सोयाबीन प्रसंस्करण उद्योग

2363. श्री पी.आर. खुंटेः क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सोयाबीन प्रसंस्करण उद्योग अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू बाजारों में सोयाबीन निर्मित खली के मूल्यों में गिरावट के कारण मंदी के दौर से गुजर रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या कुछ प्रसंस्करण संयंत्र बंद हो गए हैं;

(ग) यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) को भेजे गए सोयाबीन प्रसंस्करण संयंत्रों से संबंधित मामलों की अद्यतन स्थिति क्या है; और

(ङ) इन पर बोर्ड द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्री टीएच. चाओबा सिंह) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विद्युत उत्पादन पर खर्च

2364. श्री जय प्रकाशः क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) इस समय विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण प्रणाली स्थापित करने पर प्रति मेगावाट कितना खर्च आता है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस समय प्रति मेगावाट पर आने वाले खर्च पर निवेश कम करने का है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) वर्तमान में विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं पारेषण प्रणाली की प्रति मेगावाट संस्थापना का व्यय नीचे दिया गया हैः

(i) उत्पादन परियोजनाएंः

ताप विद्युत परियोजनाएंः किसी ताप विद्युत परियोजना को स्थापित करने की लागत संयंत्र के प्रकार, ईंधन के प्रकार, यूनिट-वार वित्त पोषण नमूना एवं स्रोत, उपस्कर स्रोत, आपूर्ति का क्षेत्र, ढांचागत सुविधाएं एवं विदेशी विनिमय दर आदि पर निर्भर करता है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा हाल में तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्राप्त ताप विद्युत संयंत्रों की लागत भाप विद्युत संयंत्रों के मामले में 4.05 करोड़ रुपये प्रति मे.वा. से 5.41 करोड़ रुपये प्रति मे.वा. है। संयुक्त साइकिल गैस विद्युत संयंत्र के मामले में लागत 2.7 करोड़ रुपये से 3.63 करोड़ रुपये प्रति मे.वा. है।

जल विद्युत परियोजनाएंः जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना लागत प्रकार विशिष्ट होती है और इससे सम्बद्ध विकास कार्यों के स्थान एवं स्वरूप के आधार पर बदलती रहती है। जल विद्युत केन्द्रों की लागत क्षेत्र, स्थान एवं प्रकार के आधार पर हाल में स्वीकृत परियोजनाओं के लिए जल विद्युत संयंत्रों के 4 करोड़ प्रति मे.वा. से 6.5 करोड़ प्रति मे.वा. होता है।

(ii) पारेषण परियोजनाएं:

पारेषण प्रणाली की स्थापना में प्रति मे.वा. व्यय विद्युत उत्पादन केन्द्र से भार केन्द्र की दूरी पर निर्भर करते हुए विभिन्न परियोजनाओं में अलग-अलग होती है। भार केन्द्रों से अपेक्षाकृत नजदीक के विद्युत उत्पादन केन्द्र के लिए पारेषण प्रणाली का व्यय क्षेत्र आदि के आधार पर 30 लाख रुपये प्रति मे.वा. से 60 लाख रुपये प्रति मे.वा. होती है। भार केन्द्रों से 800 कि.मी. की दूरी पर स्थित विद्युत उत्पादन केन्द्रों के मामले में व्यय 120 लाख से 160 लाख रुपये प्रति मे.वा. हो सकता है। सम्बद्ध पारेषण प्रणाली का व्यय मौजूदा मूल्य स्तर पर औसतन 80 लाख रुपये प्रति मे.वा. तक होता है।

(iii) वितरण प्रणाली:

विद्युत वितरण राज्य विद्युत यूटिलिटियों के अधिकार क्षेत्र में आता है। विद्युत मंत्रालय द्वारा गठित विद्युत परराज्याध्यक्ष समिति (1980) की रिपोर्ट के अनुसार विद्युत उत्पादन पारेषण, वितरण एवं ग्रामीण विद्युतीकरण पर व्यय के निवेश अनुपात का सामान्य नियम 4 : 2 : 1 : 1 होना चाहिए।

(ख) और (ग) सरकार द्वारा प्रति मेगावाट व्यय पर निवेश को कम करने के लिए उठाए गए कदम नीचे बताए गए हैं:

1. ईंधन के प्रकार या जल संयंत्र के प्रकार के चयन के लिए न्यूनतम लागत विकल्प अध्ययन किए जाते हैं जिससे उपभोक्ताओं को उचित दरों पर विद्युत उपलब्ध हो सकेगी।

2. पारेषण प्रणाली में निवेश आवश्यकता को कम करने के लिए पारेषण नेटवर्क विस्तार योजना तैयार की जा रही है ताकि क्षेत्रीय एवं अखिल भारतीय दोनों आधार पर इष्टतम नेटवर्क विकसित किया जा सके। इस प्रयास का उद्देश्य दीर्घकालिक प्रदर्शी योजना पर आधारित मौजूदा नेटवर्क का अधिकतम उपयोग करना है।

"बिहार में पर्यावरण संरक्षण"

2365. श्री राजो सिंह: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) पर्यावरण संरक्षण योजना के अंतर्गत अब तक राज्यवार कितनी धनराशि जारी की गई;

(ग) क्या सरकार का विचार बिहार में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाने का है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालु) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पर्यावरण की सुरक्षा करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

- औद्योगिक इकाइयों के लिए परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक और उत्सर्जन मानक अधिसूचित किए गए हैं।

- अत्यधिक प्रदूषण पैदा करने वाली औद्योगिक इकाइयों तथा थर्मल पावर संयंत्रों से उत्पन्न उत्सर्जनों की नियमित रूप से मानीटरिंग की जाती है और दोषी इकाइयों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है।

- आटोमोबाइल्स से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु कठोर उत्सर्जन मानक, प्रमुख शहरों में सीसा रहित पेट्रोल की आपूर्ति, कैटालिटिक कनवर्टर्स लगाना और कम सल्फरयुक्त ईंधन की शुरूआत करना।

- देश के विभिन्न जिलों में पर्यावरणीय तथ्यों पर आधारित उद्योगों के स्थल निर्धारण के लिए जोनिंग एटलस तैयार करने का काम शुरू किया गया है।

- वाहन प्रदूषण में कमी लाने के लिए उत्सर्जन मानक और ईंधन गुणवत्ता मानक अधिसूचित किए गए हैं।

- निर्माताओं द्वारा जारी विज्ञापनों में इस बात का उल्लेख करना जरूरी कर दिया गया है कि उनके उत्पादित वाहन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार निर्धारित उत्सर्जन मानकों को पूरा करते हैं।

- पिटहैड से 1000 कि.मी. से अधिक की दूरी पर स्थित बिजली संयंत्रों (कोयला आधारित) के लिए कम मात्रा में राख उत्पन्न करने वाला कोयला (34 प्रतिशत से अधिक नहीं) इस्तेमाल करना 1.6.2001 से आवश्यक कर दिया गया है। संवेदनशील क्षेत्रों में स्थित बिजली संयंत्रों के लिए भी कम मात्रा में राख उत्पन्न करने वाले कोयले का इस्तेमाल करना आवश्यक कर दिया गया है चाहे पिटहैड से उनकी दूरी कुछ भी हो।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ) जी नहीं। बिहार राज्य सरकार ने जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अनुसार पहले ही बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्थापित किया है।

[अनुवाद]

एमटीएनएल सेवा का विस्तार

2366. श्री टी. गोविन्दन: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत अन्य क्षेत्रों को शामिल करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कब तक अंतिम रूप से निर्णय लिए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) ऊपर भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

असम में विद्युतीकरण से वंचित गांव

2367. श्री एम.के. सुब्बा : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य राज्यों में ऐसे कितने गांव हैं जो विद्युतीकरण से वंचित हैं और इन गांवों की आबादी कितनी है;

(ख) इन गांवों के विद्युतीकरण के लिए बनी योजना, इस पर आने वाली लागत, इन प्रयोजनार्थ मंजूर की गई केन्द्रीय सहायता और अपेक्षित धनराशि का ब्यौरा क्या है: और

(ग) अन्य राज्यों के गांवों की अपेक्षा असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य राज्यों में राज्यवार ऐसे कितने प्रतिशत गांव हैं, जो विद्युतीकरण से वंचित हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) असम के गांवों सहित उत्तर-पूर्वी राज्यों के विद्युतीकृत और गैर-विद्युतीकरण गांवों का ब्यौरा निम्नवत है:

क्र. सं.	राज्य	कुल आवासीय गांव (1991 की जनगणना)	विद्युतीकृत गांव	गैर-विद्युतीकृत गांव	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6
1.	अरूणाचल प्रदेश	3649	2171	1478	जुलाई, 2000 तक हुई प्रगति
2.	असम	24685	19019	5666	नवंबर, 2000 तक हुई प्रगति
3.	मणिपुर	2182	2001	181	सितंबर, 2000 तक हुई प्रगति
4.	मेघालय	5484	2510	2974	अप्रैल, 2000 तक हुई प्रगति
5.	मिजोरम	698	691	7	सितंबर, 2000 तक हुई प्रगति
6.	नागालैंड	1216	1196	20	अगस्त, 2000 तक हुई प्रगति
7.	त्रिपुरा	855	810	45	सितंबर, 2000 तक हुई प्रगति

(ख) राज्यों में ग्रामीण विद्युतीकरण की योजनाएं राज्य बिजली बोर्डों द्वारा संबंधित राज्य सरकार के निर्देशों और नीति के आधार पर क्रियान्वित की जाती हैं। तथापि, प्रधान मंत्री द्वारा उत्तर-पूर्वी राज्यों और सिक्किम के सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु घोषित कार्य-सूची की अनुपालना में योजना आयोग ने 159 आदिवासी गांवों के विद्युतीकरण के लिए 25.05 करोड़ रुपये तथा 2000-01 के दौरान कभी समाप्त न होने वाले संसाधनों के केन्द्रीय पूल में से उत्तर-पूर्वी राज्यों और सिक्किम हेतु उप-पारेषण और वितरण के सशक्तिकरण से संबंधित निर्माणाधीन परियोजनाओं के लिए 52 करोड़ रुपये का आवंटन अनुमोदित किया है। यह सामान्य केन्द्रीय सहायता के एक हिस्से के रूप में राज्यों को ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम (एमएनपी) के अंतर्गत सीधे प्रदान की जा रही निधियों के अतिरिक्त है।

(ग) असम और उत्तर-पूर्वी राज्यों सहित देश में विद्युतीकृत/गैर-विद्युतीकृत गांवों के प्रतिशत का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

गैर-विद्युतकृत एवं गैर-विद्युतीकृत गांवों की प्रतिशत के संबंध में 30.9.2000 तक प्रदर्शित विवरण

क्र.सं.	राज्य	कुल बसे हुए गांव (1991 की जनगणना)	कुल उपलब्धि सितंबर, 2000 तक	गैर-विद्युतीकृत गांवों की सं.	गैर-विद्युतीकृत गांवों का %	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	26586	26565(*)	शून्य	शून्य	सितंबर, 2000 तक प्रगति
2.	अरूणाचल प्रदेश	3649	2171(ङ)	1478	40.5	जुलाई, 2000 तक प्रगति
3.	असम	24685	19019$$(ख)	5666	23.0	नवंबर, 2000 तक प्रगति
4.	बिहार	67513	47890(घ)	19623	29.1	मई, 2000 तक प्रगति

1	2	3	4	5	6	7
5.	गोवा	360	360(@)	शून्य	शून्य	सितंबर, 2000 तक प्रगति
6.	गुजरात	18028	17940(*)	शून्य	शून्य	सितंबर, 2000 तक प्रगति
7.	हरियाणा	6759	6759	शून्य	शून्य	सितंबर, 2000 तक प्रगति
8.	हिमाचल प्रदेश	16997	16854(+)	143	0.8	सितंबर, 2000 तक प्रगति
9.	जम्मू एवं कश्मीर	6477	6315($$क)	162	2.5	मार्च, 1998 तक प्रगति
10.	कर्नाटक	27066	26694(+)	85	0.3	सितंबर, 2000 तक प्रगति
11.	केरल	1384	1384	शून्य	शून्य	सितंबर, 2000 तक प्रगति
12.	मध्य प्रदेश	71526	68346	31880	4.4	सितंबर, 2000 तक प्रगति
13.	महाराष्ट्र	40412	40412@	शून्य	शून्य	सितंबर, 2000 तक प्रगति
14.	मणिपुर	2182	2001	181	8.3	सितंबर, 2000 तक प्रगति
15.	मेघालय	5484	2510@	2974	54.2	अप्रैल, 2000 तक प्रगति
16.	मिजोरम	698	691	7	1	30.9.2000 तक प्रगति
17.	नागालैंड	1216	1196(च)	20	1.6	अगस्त, 2000 तक प्रगति
18.	उड़ीसा	46989	35232	11757	25	सितंबर, 2000 तक प्रगति
19.	पंजाब	12428	12428	शून्य	शून्य	सितंबर, 2000 तक प्रगति
20.	राजस्थान	37889	35490	2399	6.3	सितंबर, 2000 तक प्रगति
21.	सिक्किम	447	405(#)	शून्य	शून्य	सितंबर, 2000 तक प्रगति
22.	तमिलनाडु	15822	15822	शून्य	शून्य	सितंबर, 2000 तक प्रगति
23.	त्रिपुरा	885	810	45	5.3	सितंबर, 2000 तक प्रगति
24.	उत्तर प्रदेश	112803	89273	23530	20.9	सितंबर, 2000 तक प्रगति
25.	प. बंगाल	37910	29559(च)	8351	22	अगस्त, 2000 तक प्रगति
	जोड़ (राज्य)	586165	506126	79601	13.6	शेष गांव विद्युतीकरण के लिए अव्यवहार्य
	जोड़ (संघ शासित)	1093	1090(*)	1090	शून्य	शेष गांव विद्युतीकरण के लिए अव्यवहार्य
	जोड़ (अखिल भारत)	587216	587216	79601	13.6	शेष गांव विद्युतीकरण के लिए अव्यवहार्य

(*) पूर्ण विद्युतीकरण। विद्युतीकरण के लिए शेष व्यवहारिकता में नहीं है।

(#) अनन्तिम 42 वन गांवों का विद्युतीकरण नहीं किया गया।

(@) 1991 की जनगणना के अनुसार अनन्तिम की पूर्ति शेष है।

(+) 1981 की जनगणना के अनुसार विद्युतीकरण शत प्रतिशत पूर्ण हो गया है।

($$) 1981 की जनगणना के अनुसार एक उपलब्धि।

($) 1971 की जनगणना के अनुसार एक उपलब्धि, 1991 की जनगणना सम्पन्न नहीं हुई।

(क) 31.3.1998 तक

(ख) 30.11.1999 तक

(ग) 30.4.2000 तक

(घ) 31.5.2000 तक

(ङ) 31.7.2000 तक

(च) 31.8.2000 तक

"वाहनों से प्रदूषण"

2368. श्री राशिद अलवी: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 11 नवंबर, 2000 के "द टाइम्स ऑफ इंडिया" में "देल्हाइटिज, ब्रेस अप फॉर मोर स्मोग" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सीपीसीबी और अन्य बोर्डों से मिले झूठे आश्वासनों के बावजूद वाहनों से निकलने वाला धुआं, जो मानव स्वास्थ्य विशेषकर बच्चों व महिलाओं के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, जारी है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार हवा की गुणवत्ता के मामले में डब्ल्यू.एच.ओ. के मानदंड को लागू करने का है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) सरकार को "देल्हाइटिज, ब्रेस अप फॉर मोर स्मोग" शीर्षक से दिनांक 7 नवम्बर, 2000 के "टाइम्स ऑफ इंडिया" में छपी खबर की जानकारी है।

(ख) और (ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल में ग्रानेड की खानें

2369. श्री सुनील खां: क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल के बांकुर जिले में ग्रानेड के खनन के लिए कोई सर्वेक्षण कराया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यहां इसका कितना भंडार पाए जाने के संकेत हैं?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंग राव गायकवाड़ पाटील): (क) और (ख) ग्रानेड न तो रॉक है न ही खनिज। इसलिए, प्रश्न ही नहीं उठता।

ब्रीडिंग स्टॉक का आयात

2370. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश देश में अंडों और ब्राइलरों का सबसे बड़ा उत्पादक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ब्रीडिंग स्टॉक के आयात की अनुमति दी है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इस आयात से हमारे देश में एवियन ल्यूकोसिस "जे" वाइट्स जैसे रोगों का प्रवेश हो चुका है;

(च) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ब्रीडिंग स्टॉक के आयात के कारण नये रोगों के फैलने और लघु कृषकों के हितों को ध्यान में रखते हुए मुर्गी पालन के क्षेत्र में ब्रीडिंग स्टॉक के पेरेन्ट स्तर पर आयात पर प्रतिबन्ध लगाने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी, हां।

(ख) 1999-2000 में प्रमुख चार अग्रणी राज्यों का प्रत्याशित अंडा उत्पादन बिलियन में इस प्रकार है :

1. आंध्र प्रदेश	5.92
2. तमिलनाडु	3.47
3. पंजाब	3.14
4. महाराष्ट्र	3.05

इसी प्रकार, भारतीय कुक्कुट उद्योग ईयर बुक 1994 के अनुसार प्रमुख चार अग्रणी राज्यों का ब्रॉयलर उत्पादन मिलियन में इस प्रकार है:

1. आंध्र प्रदेश	49
2. महाराष्ट्र	47
3. पंजाब	24
4. तमिलनाडु	21

(ग) जी, हां।

(घ) किसानों की आय को अधिकतम करने के लिए उन्हें बहु विकल्प के कुक्कुट के उत्तम स्टॉक उपलब्ध कराना।

(ङ) जी, नहीं।

(च) और (छ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कृषि उत्पादों का भंडारण

2371. श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग का कृषि उत्पादों का निःशुल्क भंडारण करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस बात पर विचार किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपद यासो नाईक): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

(घ) इस समय, सार्वजनिक क्षेत्र में भारतीय खाद्य निगम, केन्द्रीय वेयरहाउसिंग निगम तथा 16 राज्य वेयरहाउसिंग निगम, नामक तीन अभिकरण व्यापक स्तरीय भंडारण/वेयरहाउसिंग सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। भारतीय खाद्य निगम की उपलब्ध क्षमता मुख्यतः खाद्यान्न भंडारण के लिए इस्तेमाल की जाती है, तथा केन्द्रीय वेयरहाउसिंग निगम तथा राज्य वेयरहाउसिंग निगमों की भंडारण क्षमता कृषि उत्पादों, बीजों, खादों, उर्वरकों, कृषि उपकरणों आदि के भंडारण में उपयोग की जाती है। इसके अतिरिक्त, सहकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों द्वारा भी भंडारण सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

[अनुवाद]

खाद्यान्नों में वृद्धि

2372. श्री चन्द्रकांत खैरे: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में खाद्यान्नों में कितनी वृद्धि हुई;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान खाद्यान्नों में वृद्धि की तुलना में जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान अच्छी वर्षा के बावजूद खाद्यान्नों की वृद्धि में काफी कमी आई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपद यासो नाईक) : (क) खाद्यान्न उत्पादन की वृद्धि दर दर्शाने वाला राज्यवार विवरण संलग्न है।

(ख) से (घ) योजना आयोग द्वारा गठित जनसंख्या प्रक्षेपण संबंधी तकनीकी दल के अनुसार वर्ष 1997 से 1999 के दौरान जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर 1.65% प्रति वर्ष आंकी गई है, जबकि वर्ष 1996-97 से 1998-99 के दौरान खाद्यान्न उत्पादन की औसत वार्षिक वृद्धि दर 4.17% प्रति वर्ष आंकी गई है। देश में खाद्यान्न की वृद्धि दर में सामान्यतः वृद्धि होती रहती है, हालांकि मौसम परिस्थितियों के कारण इसमें उतार-चढ़ाव भी आते हैं।

(ङ) और (च) विभिन्न फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता तथा इस प्रकार वृद्धि दर बढ़ाने हेतु सरकार ने विभिन्न कदम उठाये हैं। इनमें अन्य बातों के अलावा चावल/गेहूं/मोटा अनाज आधारित फसल क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना एवं बीज मिनिकिट स्कीम का कार्यान्वयन शामिल है। इन कार्यक्रमों/परियोजनाओं के अंतर्गत किसानों को अधिक पैदावार देने वाली बीजों की किस्मों के प्रयोग, समेकित कीट प्रबंध के अनुप्रयोग, छोटी सिंचाई सहित वैज्ञानिक जल प्रबंध के प्रचार-प्रसार तथा उन्नत कृषि उपस्करों के लिए प्रोत्साहन दिए जाते हैं। इसके अलावा प्रौद्योगिकी के कारगर अंतरण हेतु किसानों तथा खेतिहर मजदूरों के प्रशिक्षण सहित किसानों की जोतों पर प्रदर्शन आयोजित किए जाते हैं।

विवरण

खाद्यान्न उत्पादन की राज्यवार वृद्धि दर

राज्य	वृद्धि दर (प्रतिशत में)		
	1996-97	1997-98	1998-99
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	17.2	-20.9	33.0
अरूणाचल प्रदेश	1.1	1.9	-10.4
असम	-0.8	1.3	04.0
बिहार	11.3	2.3	-8.4
गोवा	17.1	-0.9	3.7
गुजरात	26.9	9.6	-2.5
हरियाणा	12.9	0.9	6.8
हिमाचल प्रदेश	-5.4	11.9	3.4
जम्मू व कश्मीर	-9.6	6.7	6.8
कर्नाटक	6.6	12.7	24.0

1	2	3	4
केरल	-12.5	-6.4	-13.3
मध्य प्रदेश	7.8	-10.9	14.0
महाराष्ट्र	25.8	-33.8	32.0
मणिपुर	15.3	-6.6	7.5
मेघालय	24.8	4.7	-0.2
मिजोरम	8.2	-02	4.6
नागालैंड	-11.1	11.6	18.6
उड़ीसा	-29.0	37.4	-12.5
पंजाब	8.8	1.9	8.3
राजस्थान	34.0	9.6	-7.9
सिक्किम	-0.3	2.6	12.0
तमिलनाडु	8.2	16.9	25.1
त्रिपुरा	166.6	1.6	8.0
उत्तर प्रदेश	10.5	1.9	3.5
पश्चिम बंगाल	6.8	4.3	0.1
अ.नि. द्वीप समूह	0.6	-7.3	-15.8
दा.न. हवेली	-15.4	24.0	-28.1
दमन और दीव	0.0	0.0	0.0
दिल्ली	-75.0	23.2	8.1
पांडिचेरी	-5.6	-15.8	-10.7
अखिल भारत	10.5	-3.6	5.8

नाबार्ड और विश्व बैंक की निगरानी प्रणाली

2373. श्री राजेन गोहेन: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) असम सरकार को नाबार्ड और विश्व बैंक द्वारा दिये गये ऋणों की निगरानी प्रणाली क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को इस प्रकार के ऋणों के उपयोग से संबंधित कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने उपरोक्त ऋणों के एक भाग का उपयोग करके असम में चावल के अतिरिक्त उत्पादन का विपणन करते हेतु कोई विपणन प्रतिष्ठान स्थापित करने का प्रस्ताव किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपद यासो नाईक) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

चावल के वर्गीकरण का निर्धारण

2374. श्री विनोद खन्ना: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चावल के वर्गीकरण के निर्धारण के लिए क्या वैज्ञानिक मानदंड निर्धारित किया गया है;

(ख) चावल के वर्गीकरण को प्रति वर्ष बदलने के पीछे क्या तर्क है; और

(ग) पंजाब सरकार द्वारा संशोधन की मांग को स्वीकार न किये जाने के क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपद यासो नाईक) : (क) और (ख) चावल सहित खाद्यान्न की खरीद संबंधी गुणवत्ता मानदण्ड (एकसमान विनिर्दिष्टियां) प्रतिवर्ष विपणन मौसम के पूर्व निर्धारित कर लिए जाते हैं ताकि अनाज खरीद अभिकरण उन्हें एकसमान रूप से अपना सकें। इस संबंध में सभी राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों एवं भारतीय खाद्य निगम की टिप्पणियां प्राप्त की जाती हैं और इन टिप्पणियों, मौसम तथा फसल स्थिति, समग्र उपलब्धता, आपूर्ति एवं मांग की स्थिति, खाद्य अपमिश्रण रोकथाम अधिनियम, 1954 से संबंधित मानकों तथा विभिन्न फसलों की गुणवत्ता को ध्यान में रखकर विनिर्दिष्टियों का निरूपण किया जाता है। इस प्रकार निरूपित विनिर्दिष्टियों को राज्य सरकारों, भारतीय खाद्य निगम तथा अन्य खरीद अभिकरणों को उन्हें अपनाने हेतु भिजवा दिया जाता है। इन मानकों को कानूनी रूप देने के लिए राज्य सरकारें इन्हें लेवी आदेश, मूल्य मूल्य नियंत्रण आदेश आदि जैसी भी स्थिति है, द्वारा अधिसूचित करती हैं। इन मानकों में बाहरी वस्तुओं, टूट, क्षतिग्रस्त/अल्प क्षतिग्रस्तता, बदरंग होने, मिट्टीयुक्त होने, लाल अनाज, भूसी रहित अनाज, नमी की उपस्थिति आदि विभिन्न अपवर्तनों की सीमा निर्धारित की जाती है। केन्द्रीय पूल के लिए निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद करते समय सभी अभिकरणों द्वारा उक्त मानकों का पूर्ण अनुपालन किया जाता है।

(ग) सेला चावल की विनिर्दिष्टियों एवं नमी के संबंध में पंजाब सरकार की मांग सरकार ने स्वीकार कर ली है। चावल उपभोक्ताओं के हित को देखते हुए अन्य अपवर्तनों जैसे क्षतिग्रस्त/थोड़े क्षतिग्रस्त दानों, बदरंग दानों, छोटे तथा टूटे दानों आदि से संबंधित मांगें स्वीकार नहीं की जा सकीं क्योंकि इससे चावल पकाने की गुणवत्ता तथा बिक्री प्रभावित होती है।

तिलहन और तेल विकास कोष

2375. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने तिलहन और तेल विकास कोष के अन्तर्गत कोई धनराशि आबंटित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या तिलहनों की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए आयातित तेल से अर्जित आयात शुल्क की धनराशि के कुछ भाग का उपयोग करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि नहीं, तो घरेलू आधिक्य और सस्ते आयात की विशाल मात्रा की स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या तरीका अपनाया जाना है;

(घ) क्या इस समस्या का हल ढूंढने के लिए कोई अध्ययन कराया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपद यासो नाईक) : (क) दरअसल, तिलहन एवं तेल विकास कोष के नाम से अलग से कोई कोष नहीं है। बहरहाल, देश में तिलहन विकास के लिए केन्द्रीय प्रायोजित तिलहन विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए नौवीं पंचवर्षीय योजना की सम्पूर्ण अवधि के लिए 585 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं।

(ख) खाद्य तेलों के आयात शुल्क के अंश का उपयोग देश में तिलहन उत्पादकता बढ़ाने के लिए करने के बारे में इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) खाद्य तेलों की घरेलू मांग की पूर्ति की दृष्टि से देश में तिलहन उत्पादन कम है, अतः घरेलू मांग की पूर्ति के लिए खाद्य तेल के आयात की आवश्यकता है। खाद्य तेल के आयात की उदार नीति तथा इसे खुले सामान्य लाइसेन्स के अन्तर्गत रखने के कारण खाद्य तेलों की बड़ी मात्रा का आयात किया जाता है, जो स्वदेशी खाद्य तेलों से सस्ता पड़ता है। सस्ते खाद्य तेलों का आयात तिलहन उत्पादकों को प्रभावित कर रहा है। किसानों के हितों की रक्षार्थ एवं अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में गिरावट के प्रभाव को सन्तुलित करने के लिए सरकार ने 21.11.2000 से सभी कच्चे तथा परिष्कृत खाद्य तेलों पर आयात शुल्क में 10-30% की वृद्धि की है।

(घ) और (ङ) ऊपर भाग (ग) में उल्लिखित उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

खाद्य प्रसंस्करण के स्तर में वृद्धि

2376. श्री भीम दाहाल: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस दशक के अंत तक खाद्य प्रसंस्करण के स्तर को दो प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत तक करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस उद्देश्य के लिए कितने निवेश की आवश्यकता है; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप किस सीमा तक रोजगार के अवसरों का सृजन होने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्री टीएच. चाओबा सिंह) : (क) से (घ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग ने राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण नीति बनाने के लिए कार्यवाही आरंभ की है और इस प्रयोजनार्थ एक नीति का मसौदा तैयार किया गया है। अनुमान है कि खाद्य प्रसंस्करण 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने के लिए 1,40,000 करोड़ रुपये के निवेश की आवश्यकता होगी। अनुमान है कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में 1000 करोड़ रुपये के निवेश से करीब 54,000 रोजगार के अवसर पैदा होते हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय लंबी दूरी का टेलीफोन शुरू किया जाना

2377. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी का टेलीफोन शुरू करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस मामले में क्या कदम उठाए गये हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) निजी क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी की टेलीफोन प्रणाली (आईएसडी) 1.4.2002 से प्रारंभ की जाएगी। सरकार ने टीआरएआई के परामर्श से अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी की टेलीफोन प्रणाली को आरंभ करने के लिए शर्तों को अन्तिम रूप देने की कार्रवाई शुरू कर दी है।

विश्व ऊर्जा परिषद् का सम्मेलन

2378. श्री रामचन्द्र बैंदा: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में विश्व ऊर्जा परिषद् की असेम्बली की हाल ही में कोई बैठक हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में चर्चा किए गए मुद्दों और लिए गए निर्णयों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह बैठक ऊर्जा क्षेत्र में भारत के लिए कितनी सहायक सिद्ध होगी?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) जी हां। विश्व ऊर्जा परिषद की कार्यकारिणी असेम्बली की बैठक 22 एवं 23 नवम्बर, 2000 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी।

(ख) विश्व ऊर्जा परिषद की कार्यकारिणी असेम्बली में कार्य-सूची पर विचार-विमर्श किया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उनके विभिन्न कार्यकारिणी समितियों एवं अध्ययन समितियों के कार्यों की समीक्षा भी शामिल थी जिसके आधार पर वर्ष 2001 के लिए विश्व ऊर्जा परिषद की कार्य योजना तैयार की जा सके एवं कार्यकारिणी परिषद के खाली होने वाले पदों के लिए पदाधिकारी चुने जा सकें। "विकासशील देशों में ऊर्जा का मूल्य-निर्धारण" पर भी एक संगोष्ठी आयोजित की गई जिसमें विकासशील देशों में ऊर्जा मूल्य-निर्धारण को प्रभावित करने वाले घटकों पर विचार किया गया। कार्यकारिणी असेम्बली के पूर्व "विद्युत उत्पादन संयंत्रों का कार्यनिष्पादन" पर एक कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें विश्व भर के विशेषज्ञों ने भारतीय विद्युत केन्द्रों के कार्य प्रबन्धकों के साथ सर्वोत्तम कार्य संबंधी अपने अनुभव बांटे।

(ग) 24 नवम्बर, 2000 को "भारतीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश के अवसर" विषय पर भारत ऊर्जा दिवस भी आयोजित किया गया जिसमें विदेशी शिष्टमडंल एवं पूरे विश्व के विश्व ऊर्जा परिषद के प्रमुख सदस्य तथा प्रसिद्ध ऊर्जा एवं वित्त विशेषज्ञ उपस्थित थे। शिष्टमंडलों को भारत सरकार की वर्तमान नीतियों से अवगत कराया गया ताकि ऊर्जा क्षेत्र में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित किया जा सके। आशा है कि इन विचार-विमर्शों के फलस्वरूप भारतीय विद्युत क्षेत्र में विदेशी निवेशक ज्यादा से ज्यादा आकर्षित होंगे।

"यमुना नदी में अशोधित जल-मल व्ययन"

2379. डा. रमेश चंद तोमरः
श्री रामदास आठवलेः
श्रीमती श्यामा सिंहः
श्री निखिल कुमार चौधरीः

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 18 सितम्बर, 2000 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में "1393 मि. लिटर्स ऑफ सिवेज इज फ्लशड इंटू यमुना डेली" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार यमुना में अशोधित जल-मल व्ययन के अनियंत्रित प्रवाह को रोकने के लिए दिल्ली सरकार को निर्देश देने का है;

(घ) यदि हाँ, तो क्या उनके मंत्रालय और यू.एन.डी.पी. ने देश में दिल्ली और कानपुर को सबसे अधिक प्रदूषित शहर पाया है; और

(ङ) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इन शहरों में प्रदूषण समस्याओं का समाधान करने के लिए क्या ठोस कदम उठाये गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) जी, हाँ। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और शहरी विकास मंत्रालय के केन्द्रीय जन स्वास्थ्य और पर्यावरणीय इंजीनियरिंग संगठन द्वारा अक्तूबर, 2000 में की गए संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार प्रतिदिन लगभग 1300 मिलियन लीटर अनुपचारित सीवेज यमुना नदी में निस्तारित किया जाता है।

(ख) और (ग) यमुना प्रदूषण निवारण की एक स्कीम, जो यमुना कार्य योजना के नाम से जानी जाती है, को सरकार द्वारा अप्रैल 1993 में अनुमोदित किया गया था। कार्य योजना की मौजूदा अनुमोदित लागत 509.54 करोड़ रुपये है। इस योजना के अंतर्गत 21 शहरों में कार्य शुरू किया गया है जिसमें दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश के 8 शहर और हरियाणा के 12 शहर शामिल हैं। योजना में सीवेज का अवरोधन एवं दिशा परिवर्तन, सीवेज शोधन संयंत्र, अल्प लागत शौचालय, शवदाहगृह और नदी तटाग्र विकास जैसे कार्य शामिल हैं। इस योजना पर अभी तक 446.04 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। यमुना कार्य योजना का दिल्ली घटक छोटा है जिसमें 10 मि.ली. प्रतिदिन क्षमता वाले दो सीवेज शोधन संयंत्र और विद्युत शवदाहगृह के कार्य शामिल हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार यमुना के प्रदूषण निवारण कार्यक्रम के मुख्य भाग का कार्यान्वयन अपनी निजी योजना निधियों से कर रही है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत इससे जुड़े कार्यों के साथ 14 अतिरिक्त सीवेज शोधन संयंत्रों का निर्माण किया जाना है। इनमें से 9 शोधन संयंत्र पहले ही पूरे हो चुके हैं और अन्य 5 मार्च, 2003 तक पूरे हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार को 21 औद्योगिक क्षेत्रों से होने वाले औद्योगिक बहिस्राव के शोधन के लिए 15 सामूहिक बहिस्राव शोधन संयंत्रों का भी निर्माण करना है। इस परियोजना का कार्यान्वयन चल रहा है और यह दिसम्बर, 2002 तक पूरी हो जाएगी।

(घ) और (ङ) भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से एक शहरी सेवाएँ पर्यावरण रेटिंग प्रणाली परियोजना शुरू की है जो टाटा एनर्जी अनुसंधान संस्थान द्वारा निष्पादन की जा रही है। इस परियोजना का उद्देश्य मूल्यांकन फ्रेमवर्क तैयार करके उसे लागू करना है। इससे दिल्ली और कानपुर के म्युनिसिपल निकायों की सेवा की गुणता, सततता और संबन्धित मापदण्डों के निष्पादन का मूल्यांकन हो सकेगा और उनके कार्यों में पारदर्शिता व जिम्मेदारी को प्रोत्साहित किया जा सकेगा। इस कार्यक्रम से अपशिष्ट प्रबंधन और जल आपूर्ति सेवाओं के मूल्यांकन के लिए व्यापक, पारदर्शी और भागीदारी रेटिंग पद्धति विकसित होगी। यह परियोजना 1.10.1999 को शुरू की गई थी और यह 30.9.2001 को पूरी हो जाएगी।

[हिन्दी]

प्याज के मूल्यों में गिरावट

2380. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधीः क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या प्याज के मूल्यों में भारी गिरावट आई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार संकट की इस घड़ी में प्याज उगाने वाले कृषकों को सहायता प्रदान करने का है; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपद यासो नाईक) : (क) और (ख) प्याज के दामों में पिछले कुछ महीनों तक कमी के बाद अक्तूबर, 2000 से वृद्धि दर्ज की गयी है और यह रुख अभी भी बना हुआ है। दिनांक 11.11.2000 को प्याज का थोक मूल्य सूचकांक 128.5 था जो पिछले सप्ताह की तुलना में 20.9% तथा पिछले माह की तुलना में 30.5% वृद्धि दर्शाता है।

(ग) और (घ) चालू वित्तीय वर्ष 2000-01 के दौरान भारत सरकार ने अप्रैल, 2000 से भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नैफेड) तथा राज्य द्वारा नामित अभिकरणों के माध्यम से नवम्बर, 2000 तक प्याज के निर्यात हेतु 2.5 लाख मीटरी टन का कोटा जारी किया है। इसमें से लगभग 2.0 मीटरी टन प्याज का निर्यात किया जा चुका है।

ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण व्यवस्था

2381. श्री राम टहल चौधरी: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण व्यवस्था की पिछली समीक्षा कब की गयी थी; और

(ख) इस समीक्षा के आधार पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) ग्रामीण क्षेत्रों में डाक वितरण की प्रतिवर्ष समीक्षा की जाती है। सितम्बर, 2000 में अंतिम बार समीक्षा की गई।

(ख) (i) उन मेल मार्गों, जिन पर विलंब होने का पता लगता है, पर परीक्षण पत्रों एवं परीक्षण कार्डों को डाक में भेजकर गहन जाँच-पड़ताल की जाती है और सुधारात्मक कदम उठाए जाते हैं।

(ii) ग्रामीण क्षेत्रों में, जहाँ भी संभव हो सके, मेल मार्गों का यांत्रिकीकरण किया जा रहा है।

(iii) डाक ढोने वाले वाहकों–रेलवे एवं सड़क परिवहन प्राधिकारियों के साथ बैठकें आयोजित कर मेल पारेषण में तेजी लाई जाती है।

[अनुवाद]

सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा

2382. श्री पी.डी. एलानगोवन:
प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवाएँ प्रदान करने वाली गैर-सरकारी सेल्यूलर टेलीफोन कंपनियों की संख्या में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हाँ।

(ख) नई दूरसंचार नीति, 1999 (एनटीपी-99) और मौजूदा लाइसेंसधारकों को पेश किए गए माइग्रेशन पैकेज की शर्तों के अनुसार देश के सभी सेवा क्षेत्रों में सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा के लिए चतुर्थ ऑपरेटर को प्रवेश देने का प्रस्ताव है। इस मामले में टीआरएआई की सिफारिश माँगी गई थी। टीआरएआई ने 1800 मेगा हर्ट्ज बैण्ड में चतुर्थ ऑपरेटर को प्रवेश देने के लिए दूरसंचार विभाग के प्रस्ताव का समर्थन किया है।

पुराने और अप्रचलित टेलीफोन उपकरणों का बदला जाना

2383. श्री त्रिलोचन कानूनगो:
श्री प्रभात सामन्तराय:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश भर में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों और उड़ीसा के चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में पुराने और अप्रचलित टेलीफोन उपकरणों को बदलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई निश्चित तिथि निर्धारित की है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा टेलीफोन उपभोक्ताओं की समस्या को कम करने के उद्देश्य से पुराने टेलीफोन उपकरणों को बदलने के कार्य को तीव्र करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (घ) दोष मुक्त सेवा सुनिश्चित करने के लिए, आवश्यकता के अनुसार टेलीफोन प्रतिस्थापित किए जा रहे हैं। उड़ीसा के चक्रवात (साइक्लोन) प्रभावित क्षेत्रों में पहले ही प्राथमिकता के आधार पर टेलीफोन प्रतिस्थापित किए गए हैं।

(ङ) टेलीफोन उपकरण की सेवा की औसत मियाद दस वर्षों से घटाकर पाँच वर्ष कर दी गयी है। इससे पाँच वर्ष पुराने ऐसे टेलीफोनों को अप्रयुक्त घोषित कर दिया जाएगा जो संतोषजनक ढंग से काम नहीं कर रहे होंगे।

[हिन्दी]

"दिल्ली में प्रदूषण मुक्त पर्यावरण"

2384. श्री शिवराज सिंह चौहान:
श्री जयभान सिंह पवैया:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रदूषण मुक्त पर्यावरण को बढ़ावा देने के लक्ष्य वाले कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए दिल्ली सरकार को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस पर कितना धन वास्तव में खर्च किया गया;

(ग) कितनी धनराशि अप्रयुक्त पड़ी है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) उक्त अवधि के दौरान किए गए कार्यों का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को इस धनराशि के उपयोग में की गई अनियमितताओं/कदाचार से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(च) यदि हाँ, तो दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

आय-अर्जन के साधन के रूप में कृषि

2385. श्री जोरासिंह मान:
श्री रामजी लाल सुमन:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आय-अर्जन के साधन के रूप में कृषि भारतीय और अमरीकी किसानों के लिए भिन्न है;

(ख) यदि हाँ, तो भारतीय किसानों के लिए कृषि एक घाटे का व्यवसाय है जबकि अमरीकी किसानों के लिए यह एक लाभप्रद व्यवसाय है;

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) अमरीका की गेहूँ उत्पादन-दर की तुलना में, भारत में यह दर कितनी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपद यासो नाईक) : (क) से (ग) भारत में मुख्य फसलों की खेती की लागत का अध्ययन करने संबंधी व्यापक स्कीम के तहत लागत और की गई वसूली के आँकड़े दर्शाते हैं कि भारतीय कृषि मुख्यतः लाभप्रद व्यवसाय है। हालांकि, अमरीकी कृषि के तुलनात्मक लाभप्रदता आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) भारत के प्रमुख गेहूँ उत्पादक राज्यों और अमरीका में गेहूँ की खेती की लागत के अनुमान नीचे सारणी में दिए गए हैं:

सारणी

अमरीका और भारत के प्रमुख गेहूँ उत्पादक राज्यों में गेहूँ की खेती की लागत दर्शाने वाला विवरण

(इकाई : रु./हेक्टे.)

देश	राज्य	वर्ष	खेती की लागत (लागत सी 2)
भारत	पंजाब	1997-98	17333.89
	हरियाणा	1997-98	17081.60
	मध्य प्रदेश	1997-98	9365.52
	उत्तर प्रदेश	1997-98	13343.91
	राजस्थान	1997-98	14266.69
अमरीका		1998	17886.00*

*किफायती लागत

स्रोत : (i) अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय तथा (ii) डोने की कृषि रिपोर्ट, खंड-62 सं. 41-5

दमन और दीव में कृषि विज्ञान केन्द्र

2386. श्री दह्याभाई वल्लभभाई पटेल: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार किसानों को आधुनिकतम प्रौद्योगिकी प्रदान करने के लिए दमन और दीव (सं. रा. क्षेत्र) में कृषि विज्ञान केन्द्रों को स्थापित करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस उद्देश्य के लिए कितना धन निश्चित किया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान) : (क) इस समय दमन तथा दीव (संघ राज्य क्षेत्र) में कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

उत्तर प्रदेश में डाकघर

2387. श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान और आज की तिथि तक उत्तर प्रदेश में विशेषकर खेड़ी, लखीमपुर जिलों में खोले गए डाकघरों और तारघरों की जिलावार संख्या क्या है और ये कहाँ-कहाँ खोले गए; और

(ख) वर्ष 2000-2001 के दौरान राज्य में स्थानवार कितने नये डाकघर और तारघर खोले जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) उत्तर प्रदेश के हरेक जिले में गत दो वर्षों के दौरान खोले गए डाकघरों की संख्या एवं अवस्थिति संलग्न विवरण–I में दी गई है। वर्ष 2000-2001 के दौरान उत्तर प्रदेश सर्किल में आज की तारीख तक, गाजियाबाद जिले की वसुन्धरा कालोनी में, एक विभागीय उपडाकघर खोला गया है।

वर्ष 1998-99 में खीरी लखीमपुर जिले के बेलतुवा में एक अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर (ईडीबीओ) खोला गया है। वर्ष 1999-2000 से आज की तारीख तक खीरी लखीमपुर जिले में कोई अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर नहीं खोला गया है।

गत दो वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के हरेक जिले में खोले गए तार घरों की संख्या एवं अवस्थिति संलग्न विवरण–II में दी गई है। गत दो वर्षों के दौरान खीरी लखीमपुर जिले में कोई डाकघर नहीं खोला गया है।

(ख) वर्ष 2000-2001 के दौरान उत्तर प्रदेश में 50 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर (ईडीबीओ) एवं 03 विभागीय उपडाकघर (डीएसओ) खोले जाने का प्रस्ताव है। उनकी अवस्थितियाँ संलग्न विवरण–III में दी गई हैं। डाकघरों का खोलना, निर्धारित मानदंडों की पूर्ति होने एवं वित्त मंत्रालय द्वारा पदों की अपेक्षित संख्या की मंजूरी देने की शर्त पर निर्भर करता है।

दूरसंचार नेटवर्क के विस्तार और एसटीडी तथा फैक्स सुविधाओं के प्रचलन में आने से तार की माँग में लगातार कमी हो रही है। इसलिए, कोई विनिर्दिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। तार की सुविधा माँग एवं औचित्य सम्मतता के आधार पर उपलब्ध कराई जाती है।

विवरण-I

वर्ष 1998-99 के दौरान खोले गए डाकघरों की संख्या एवं अवस्थितियों का जिलावार विवरण

विभागीय उप-डाकघर

क्रम सं.	डाकघरों के नाम	जिला
1.	खंडोली	आगरा
2.	भागीरथीपुरम	टिहरी
3.	कौशाम्बी	गाजियाबाद
अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर		
1.	बरगधर सोहना	बलरामपुर
2.	धोबोलिया	बलरामपुर
3.	कतियाबाहरी	बलरामपुर
4.	खुंडवा	बलरामपुर
5.	मनोहरपुर	बलरामपुर
6.	मानपुर	बलरामपुर
7.	मझगावन	बलरामपुर
8.	पारसरामपुर	बलरामपुर
9.	पारसरामपुर राजेहरा	बलरामपुर
10.	पिपराई जमुनी	बलरामपुर
11.	सुग्गानगर डुमरी	बलरामपुर
12.	त्रिलोकपुर	बलरामपुर
13.	हसनपुर	इलाहाबाद
14.	प्रेमनगर चौराहा	इलाहाबाद
15.	बभानियोन रायपुर	चन्दौली
16.	लालपुर	जौनपुर
17.	आंमी	प्रतापगढ़
18.	अजहरा	प्रतापगढ़
19.	बच्चुआ	प्रतापगढ़
20.	कोतिहा	प्रतापगढ़
21.	रामनगर	प्रतापगढ़
22.	नाड़ेपार सीतामढ़ी	संत रविदास नगर
23.	बाल्टम	अल्मोड़ा

क्रम सं.	डाकघरों के नाम	जिला
24.	चौवोसाली	अल्मोड़ा
25.	नौरा	अल्मोड़ा
26.	कोटाडा	बागेश्वर
27.	पियागा	बरेली
28.	फतेहपुर	बदायूँ
29.	कंडेला	बदायूँ
30.	माणिकपुर कौर	बदायूँ
31.	पालिया पुख्ता	बदायूँ
32.	बहिया महासिंह	हरदोई
33.	बेतुवा	खीरी
34.	लकरहाट	ज्योतिबा फुले नगर
35.	सूपी	नैनीताल
36.	चातामपुर	पीलीभीत
37.	गुप्तारी	पिथोरागढ़
38.	कोटाबारी	शाहजहाँपुर
39.	कुरसन्दा	शाहजहाँपुर
40.	अलेहदादपुर	बिजनौर
41.	मुनावरपुर सैद	बिजनौर
42.	जाल तल्ला	रूद्रप्रयाग
43.	खोड़ागाँव	जी.बी. नगर
44.	भटगाँव	टिहरी
45.	मल्याकोट	टिहरी
46.	मुसाधुंग	टिहरी
47.	कोटावल गाँव	टिहरी
48.	कंडियालगाँव	टिहरी
49.	उनियालगाँव	टिहरी
50.	मवाई कलां	सहारनपुर
51.	जाथोली	मेरठ
52.	दियोरापट्टी	आजमगढ़
53.	सेनपुर	आजमगढ़
54.	अरियासो	मऊ
55.	खंडवा कंवर	बस्ती
56.	अथहारा	कुशीनगर
57.	फारदाहा	कुशीनगर
58.	बंसौली	सिद्धार्थनगर
59.	भुलायपुर	देवरिया
60.	जुंगले अयोध्या प्रसाद	गोरखपुर
61.	असलानापुर	कानपुर (मुफस्सिल)
62.	रूपनगर	कानपुर (मुफस्सिल)
63.	हरदौली	कानपुर (सिटी)
64.	भनौली	बाराबंकी
65.	दारवपुर	बाराबंकी
66.	इतुन्जा	बाराबंकी
67.	जगतपुर	बाराबंकी
68.	महमूदपुर	बाराबंकी
69.	नियोली	बाराबंकी
70.	मनोधरपुर	बाराबंकी
71.	पुरे चन्द्रमान	बाराबंकी
72.	सेमरेन	बाराबंकी
73.	भवंथपुर	फैजाबाद
74.	चुरूवा	रायबरेली
75.	बंजारिया	सीतापुर
76.	भादेबहार	सीतापुर
77.	इटौरी	सीतापुर
78.	मोहम्मदपुर	सीतापुर
79.	गदेरी	सुल्तानपुर
80.	मगरसंद कलां	सुल्तानपुर
81.	पाहरपुर	सुल्तानपुर
82.	सतनपुर	सुल्तानपुर

वर्ष 1999-2000 के दौरान खोले गए डाकघरों की जिलावार संख्या

विभागीय उप-डाकघर

क्रम सं.	डाकघर के नाम	जिला
1.	25 बटालियन पी.ए.सी.	रायबरेली
2.	पुर	बलिया

अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर

क्रम सं.	डाकघर के नाम	जिला
1.	मुत्था	रायबरेली
2.	क्यारक बासौदी	चमोली
3.	कनडोली	देहरादून
4.	भिखारपुर	सुल्तानपुर
5.	मीरापुर गुहिया	कन्नौज
6.	सिरी	उत्तरकाशी
7.	लोहाइडा	बागपत
8.	घनौरा	बाराबंकी
9.	इटोरा	प्रतापगढ़
10.	कंडा कनिखाल	पौड़ी

विवरण–II

गत दो वर्षों के दौरान खोले गए तारघरों की जिलावार संख्या

क्रम सं.	तारघरों के नाम	जिला
1.	महोबा	महोबा
2.	चन्दोली	चन्दोली
3.	औरेय्या	औरेय्या
4.	ज्योतिबाफूलेनगर	अमरोहा
5.	बागपत	बागपत
6.	रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग
7.	ऊधमसिंह नगर	रूद्रपुर
8.	बागेश्वर	बागेश्वर

विवरण–III

क्रम सं.	क्षेत्र का नाम	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों की संख्या
1.	आगरा	2
2.	इलाहाबाद	15
3.	बरेली	7
4.	देहरादून	6
5.	गोरखपुर	13
6.	कानपुर	3
7.	लखनऊ	4
	कुल	50
1.	बिष्णुपुर चन्दोली	(विभागीय उप-डाकघर)

"वन विकास बैंक"

2388. श्री के.पी. सिंह देवः क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वन विकास बैंक स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके उद्देश्य क्या हैं; और

(ग) इसे कब तक स्थापित कर दिये जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) एक वन विकास बैंक का गठन किए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार किया गया था लेकिन इसे व्यावहारिक नहीं पाया गया।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पर्यावरण का विकास"

2389. श्री साहिब सिंहः क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन.सी.आर.) में, अनुमोदित अभिलेखों के अनुसार, भूमि के उपयोग सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के पर्यावरण में सुधार करने के बारे में कोई व्यापक योजनाएं तैयार की हैं;

(ग) यदि हाँ, तो उनकी प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं;

(घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पर्यावरण के विकास/सुधार के लिए कुल कितनी धनराशि की आवश्यकता है;

(ङ) इस परियोजना के लिए किन स्रोतों के जरिए धनराशि जुटाए जाने का प्रस्ताव है;

(च) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के पर्यावरण सम्बन्धी नियोजन, विकास, निर्माण, प्रबंधन और अनुरक्षण की प्रक्रिया में निजी क्षेत्र को शामिल करने और संयुक्त उद्यम लगाने का सरकार का विचार है; और

(छ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली राज्य विद्युत सुधार सम्बन्धी विधेयक

2390. श्रीमती श्यामा सिंह: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 26 अगस्त, 2000 के 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' समाचारपत्र में 'पावर बिल अवेटिंग सेंटर्ड नॉड' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की सरकार ने दिल्ली राज्य विद्युत सुधार सम्बन्धी विधेयक के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त प्रस्ताव को कब तक अनुमोदित कर दिये जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (घ) दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा भारत के राष्ट्रपति से अनुदेश प्राप्त करने के बाद दिल्ली विद्युत सुधार अध्यादेश, 2000 जारी कर दिया गया है। बाद में दिल्ली विद्युत सुधार विधेयक, 2000 दिल्ली विधान सभा में पेश किया गया एवं इसे 23 नवम्बर, 2000 को पारित कर दिया गया है।

कर्नाटक विद्युत परियोजनाओं के लिए सहायता

2391. श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:
श्री जी.एस. बसवराज:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसी वित्तीय संस्था ने कर्नाटक विद्युत परियोजना में निवेश करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हाँ, तो वित्तीय संस्थावार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में आधारभूत सुविधा विकास वित्त निगम और कर्नाटक विद्युत निगम के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(घ) यदि हाँ, तो प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और इन परियोजनाओं से विद्युत का कहाँ तक अतिरिक्त उत्पादन होगा; और

(ङ) इन परियोजनाओं को कब तक पूरा कर लिया जाएगा?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) जी हाँ।

(ख) ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

इन्फ्रा-स्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी	100 करोड़ रुपये
आन्ध्रा बैंक	100 करोड़ रुपये
केनरा बैंक	70 करोड़ रुपये
सिंडिकेट बैंक	50 करोड़ रुपये
आई.सी.आई.सी.आई.	380 करोड़ रुपये (प्रत्याशित)

(ग) जी हाँ।

(घ) वित्तपोषण रायचूर ताप विद्युत केन्द्र की यूनिट संख्या–7 के सम्बन्ध में है जिसकी संस्थापित क्षमता 210 मे.वा. है और वार्षिक उत्पादन 1300 एम.यू. है।

(ङ) इसे फरवरी, 2003 तक पूरा किए जाने की प्रत्याशा है।

विश्व बैंक की सहायता से चल रही विद्युत परियोजनायें

2392. श्री सुशील कुमार शिंदे:
श्रीमती रेणूका चौधरी:
श्री माधवराव सिंधिया:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक के अध्यक्ष ने आंध्र प्रदेश में विद्युत क्षेत्र में सुधारों और गुणवत्ता पर असंतोष व्यक्त किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की देश की विद्युत परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक के ऋण पर लगातार निर्भरता और मांग के सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) सरकार को ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

विदेशी डाकघर

2393. श्री चन्द्र विजय सिंह: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के ऐसे कौन-कौन से शहर हैं, जहां इस समय विदेशी डाकघर काम कर रहे हैं;

(ख) क्या किसी शहर में कोई विदेशी डाकघर खोलने से पूर्व, वहां के विदेशी-मुद्रार्जन को ध्यान में रखा जाता है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या 1500 करोड़ से अधिक वार्षिक विदेशी-मुद्रार्जन करने वाले शहर मुरादाबाद में विदेशी डाकघर खोलने पर विचार किया जा रहा है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) देश में चार विदेशी डाकघर हैं जो कि कलकत्ता, चैन्नई, मुंबई तथा नई दिल्ली में कार्य कर रहे हैं।

(ख) विदेशी डाकघर मूल रूप से विनिमय कार्यालय होता है जहाँ विदेशों में स्थित कार्यालयों के साथ डाक का आदान-प्रदान होता है तथा घरेलू व विदेशों के लिए, पार्सलों सहित मदों की बुकिंग की सुविधा सभी नगरों व शहरों में सामान्य डाकघरों में उपलब्ध है। मुरादाबाद में पर्याप्त डाकघर हैं जहाँ ऐसी मदों की बुकिंग की जा सकती है। विदेशी डाकघर खोलने पर विचार करने का मूल आधार मुख्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा/बंदरगाह का उपलब्ध होना होता है, जहाँ विदशों से आने-जाने के लिए भारी संख्या में डाक प्राप्त/प्रेषित होती है।

(ग) और (घ) ऊपर (ख) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) विदेशी डाकघर ऐसे स्थानों पर खोले जाते हैं जहाँ मुख्य बंदरगाह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हों, जिससे विदेशों में डाक का आदान-प्रदान आसानी से हो सके। मुरादाबाद इस मानदंड को पूरा नहीं करता है।

असिंचित कृषि-भूमि

2394. **श्री राम मोहन गाइडे:**
श्री शिवाजी माने:
श्री रामशेठ ठाकुर:
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:
श्री ए. वेंकटेश नायक:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में, इस समय भी, राज्यवार कितने प्रतिशत भूमि असिंचित पड़ी है;

(ख) क्या अनेक राज्यों में सिंचित कृषि-भूमि का प्रतिशत, राष्ट्रीय स्तर के मुकाबले बहुत कम है;

(ग) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में तथ्य क्या हैं;

(घ) अंतर्देशीय नदी जल-विवादों के कारण, सिंचाई क्षमता का कहां तक उपयोग नहीं हो पा रहा; और

(ङ) इस दिशा में सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपद यासो नाईक) : (क) से (ग) देश में असिंचित पड़ी कृषि भूमि के प्रतिशत का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। अरूणाचल प्रदेश, असम, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, दादरा एवं नगर हवेली एवं दमण तथा दीव में असिंचित कृषि भूमि का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से कम है।

(घ) केन्द्रीय जल आयोग के मूल्यांकन के अनुसार अन्तर्देशीय नदी जल विवाद के कारण देश में लगभग 2609 हजार हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता का उपयोग नहीं हो पा रहा है।

(ङ) अतिरिक्त क्षेत्र को सिंचाई के अन्तर्गत लाने की आवश्यकता को देखते हुए सरकार द्वारा विभिन्न नीतियों तथा कार्यक्रमों का कार्यान्वयन शुरू किया गया/प्रस्तावित है। इनमें राष्ट्रीय जलनीति (1987) में संशोधन, कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम, अतिरिक्त बेसिनों से कम पानी वाले क्षेत्रों में पानी भेजने के लिए राष्ट्रीय सन्दर्श योजना बनाना, जल प्रबंध प्रथाएँ, विभिन्न प्रयोजनों के लिए पानी का कुशलतापूर्वक तथा किफायती उपयोग करना, नवीनतम प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न विधियों के माध्यम से जल संरक्षण पर बल देना तथा विविध उपयोगों हेतु जल प्रबंध में जन सहभागिता सुनिश्चित करना शामिल हैं। इनके अलावा नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) के दौरान निर्धारित सिंचाई विकास सम्बन्धी नीतियों में से एक नीति है सभी चालू परियोजनाएँ, खास तौर से पाँचवीं योजनावधि से पूर्व अथवा पाँचवीं योजनावधि के दौरान शुरू परियोजनाएँ एक समयबद्ध कार्यक्रम के तहत पूर्ण करना ताकि इनमें पहले से किए गए निवेश का लाभ प्राप्त हो सके। इस नीति को ध्यान में रखते हुए चुनिन्दा वृहद तथा मध्यम सिंचाई एवं बहु-उद्देशीय परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करके अतिरिक्त क्षेत्रों को सिंचाई सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँगी। इसके लिए भारत सरकार द्वारा 1996-97 में शुरू त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम को नौवीं योजना के दौरान भी जारी रखा गया है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अन्तर्गत चालू वित्त वर्ष से वित्त पोषण का संशोधित पैटर्न सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए 2:1 (केन्द्र-राज्य) के आधार पर तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में स्थित विशेष श्रेणी के राज्यों, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा सिक्किम जैसे पर्वतीय राज्यों और उड़ीसा के सूखा प्रवण के.बी.के. जिलों के लिए 3:1 अनुपात में, केन्द्रीय ऋण सहायता के रूप में है। चालू वित्तीय वर्ष से विशेष श्रेणी के राज्यों में छोटी सिंचाई स्कीमों (नई तथा चालू दोनों) को भी 3:1 (केन्द्र-राज्य) आधार पर केन्द्रीय ऋण सहायता दी जा रही है।

विवरण

असिंचित क्षेत्र का राज्यवार प्रतिशत

क्रम सं.	राज्य	असिंचित क्षेत्र का प्रतिशत
1.	आन्ध्र प्रदेश	59.44
2.	अरूणाचल प्रदेश	80.54

क्रम सं.	राज्य	असिंचित क्षेत्र का प्रतिशत
3.	असम	76.16
4.	बिहार	50.61
5.	गोवा	83.45
6.	गुजरात	68.31
7.	हरियाणा	23.79
8.	हिमाचल प्रदेश	81.18
9.	जम्मू और कश्मीर	57.30
10.	कर्नाटक	78.09
11.	केरल	84.27
12.	मध्य प्रदेश	67.67
13.	महाराष्ट्र	85.64
14.	मणिपुर	53.57
15.	मेघालय	79.17
16.	मिजोरम	93.58
17.	नागालैण्ड	72.45
18.	उड़ीसा	64.98
19.	पंजाब	7.06
20.	राजस्थान	66.72
21.	सिक्किम	83.16
22.	तमिलनाडु	47.28
23.	त्रिपुरा	87.36
24.	उत्तर प्रदेश	31.34
25.	पश्चिम बंगाल	65.02
26.	चण्डीगढ़	0.00
27.	दादरा और नगर हवेली	82.61
28.	दमन और दीव	75.00
29.	दिल्ली	6.40
30.	पाण्डिचेरी	12.00
	अखिल भारत	61.39

[हिन्दी]

कृषि लागत तथा मूल्य आयोग

2395. श्री मानसिंह पटेल: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खाद्यान्नों की कीमतों का निर्धारण करने में कृषि लागत तथा मूल्य आयोग की क्या भूमिका है;

(ख) क्या यह आयोग संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहा है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार, इस आयोग की सिफारिशों की अनदेखी करती रही है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीपद यासो नाईक) : (क) कृषि उत्पादन बढ़ाने तथा उपभोक्ता को राहत प्रदान करने की आवश्यकता के संदर्भ में कृषि लागत और मूल्य आयोग कृषि नीति तथा मूल्य संरचना पर सतत आधार पर परामर्श प्रदान करता है।

(ख) से (घ) कृषि मूल्य नीति के प्रतिपादन में कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशें सरकार के लिए उपयोगी रही हैं। आमतौर पर सरकार द्वारा कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशें मुख्य कृषि जिलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण के लिए स्वीकार कर ली जाती हैं। तथापि, विशेष परिस्थितियों में सरकार संगत कारणों से कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों में संशोधन कर सकती है।

[अनुवाद]

"पर्यावरण प्रबंधन योजना"

2396. श्री आर.एल. जालप्पा: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने, बंगलौर के निकट देवनहल्ली में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन से सम्बन्धित, एक विस्तृत पर्यावरण-प्रभाव मूल्यांकन (ई.आई.ए.) तथा पर्यावरण प्रबंधन योजना (ई.एम.पी.) को प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि अप्रैल, 1997 में मैसर्स टाटा इन्डस्ट्रीज लिमिटेड ने पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने के लिए एक त्वरित पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट सहित एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया था। इस आवेदन-पत्र को उन्हें मई,

1997 को यह सूचित करते हुए वापस लौटा दिया गया था कि दिनांक 10 अप्रैल, 1997 की राजपत्रित अधिसूचना का.आ. संख्या 318 (इ) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रस्ताव भेजा जाए।

स्थानीय टेलीफोन कॉल दरें

2397. डा. जसवंतसिंह यादव:
श्री सुरेश रामराव जाधव:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन.सी.आर.) के भीतर की जाने वाली टेलीफोन कॉलों पर, स्थानीय टेलीफोन कॉलों की दरें ही लागू करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) टेलीफोन कॉलों पर स्थानीय दरें प्रभावित करने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) 2000-2001 के दौरान, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत किन-किन शहरों को इसका लाभ प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, नहीं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के भीतर आने वाले केवल उन्हीं नगरों/शहरों से टेलीफोन कॉलों का प्रभार (स्थानीय दरों पर) लिया जा रहा है जो प्रभार नीति के अंतर्गत मानदंड को पूरा करते हैं।

(ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के भीतर आने वाले दिल्ली के साथ सीधी डायलिंग सुविधायुक्त शहरों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) जानकारी संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(घ) संलग्न विवरण-II में दी गई मौजूदा नीति राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सभी शहरों में स्थानीय कॉल सुविधा प्रदान नहीं करती है। तथापि, भारत संचार निगम लिमिटेड, दूरसंचार विभाग के सेवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को एक पैकेज बनाने की सलाह दी गई है, जिसके द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के गैर-एस.टी.डी. उपभोक्ता राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के भीतर दिल्ली नेटवर्क में डायलिंग प्राप्त कर सकते हैं।

विवरण-I

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन.सी.आर.) के अंतर्गत आने वाले शहरों/कस्बों के नाम जिनमें दिल्ली/नई दिल्ली से सीधी डायलिंग टेलीफोन सुविधा उपलब्ध है

क्रम सं.	शहर/कस्बे का नाम	दिल्ली/नई दिल्ली में संपर्क के लिए कोड
1	2	3
1.	फरीदाबाद	91
2.	बल्लभगढ़	91
3.	बहादुरगढ़	91
4.	गुड़गाँव	91
5.	कुंडली	91
6.	गाजियाबाद	91
7.	नोएडा	91
8.	लोनी	91
9.	मेरठ	91

विवरण-II

मौजूदा नीति में स्थानीय डायलिंग सुविधा (एस.टी.डी. कोड के बिना) की निम्न स्थितियों में परिकल्पना की गई है:

(i) कम दूरी प्रभारण क्षेत्र के भीतर,

(ii) जब दो कम दूरी प्रभारण क्षेत्र (एस.डी.सी.ए.) सन्निकट हों,

(iii) जब उसी अथवा सन्निकट लंबी दूरी प्रभारण क्षेत्रों में पड़ने वाले दो कम दूरी प्रभारण केन्द्रों के बीच की अरीय दूरी 50 कि.मी. तक हो,

(iv) जब दो दूरस्थ लंबी दूरी प्रभारण क्षेत्रों के दो लंबी दूरी प्रभारण केन्द्रों (एल.डी.सी.) के बीच की अरीय दूरी 50 कि. मी. तक हो।

उपर्युक्त श्रेणी (i) तथा (ii) के तहत स्थानीय कॉलों की अनुमति सम्बन्धित दूरी को ध्यान में रखे बिना दी जाती है।

[हिन्दी]

विद्युत परियोजनाओं द्वारा विद्युत का कम उत्पादन

2398. श्री नवल किशोर राय:
श्री रामजी लाल सुमन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पारेषण लाइनों और उपभोक्ताओं की अनुपलब्धता के कारण देश में चल रही कई विद्युत परियोजनाओं में विद्युत का उत्पाद कम मात्रा में होता है;

(ख) यदि हाँ, तो उन विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनसे 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान, उपरिलिखित कारणों से कम मात्रा में विद्युत का उत्पादन हुआ;

(ग) परियोजनावार विद्युत का उत्पादन कितनी मात्रा में हुआ;

(घ) क्या इन विद्युत परियोजनाओं से विद्युत के पारेषण के लिए सरकार ने कोई नई योजना तैयार की है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ङ) किसी भी विद्युत केन्द्र द्वारा विद्युत उत्पादन में विशेषकर पारेषण लाइनों या उपभोक्ताओं की अनुपलब्धता के कारण किसी भी प्रकार की हानि नहीं हुई है। हालाँकि अल्प प्रणाली मांग के कारण पूर्वी क्षेत्र में विभिन्न विद्युत केन्द्रों के लिए विद्युत उत्पादन के लक्ष्य को सामान्यतः कम रखा जाता है ताकि उच्च फ्रिक्वेन्सी से जुड़ी प्रणाली के प्रचालन में समस्या उत्पन्न न हो।

[अनुवाद]

आई.सी.ए.आर. का विशाखीकरण

2399. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) को चार अलग-अलग संगठनों में विभाजित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) केन्द्रीकृत प्रशासन के कारण, अनुसंधान निष्पादन कहाँ तक प्रभावित हुआ है; और

(घ) क्षेत्रीय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद बनाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को चार अलग-अलग संगठनों में बाँटने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

"पक्षियों तथा पशुओं की मौतें"

2400. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 'पीपुल फार एनिमल्स' नामक एक संगठन ने सर्वेक्षण करके यह बताया है कि मुरैना जिले में पशुओं के लिए चिकित्सा-सहायता लगभग शून्य है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या हाल ही में बड़ी संख्या में पक्षियों की मौतें हुई हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो इन बहुमूल्य पक्षियों का संरक्षण करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचनानुसार मुरैना जिले में कृषीय खेतों में कीटनाशक से उपचारित करके बोए गए बाजरे के बीज खाने से 46 'पीफॉल्स' की मौत हुई है। सामान्यतः प्रकृति की गोद में स्वतन्त्र रूप से रह रहे पशु-पक्षियों के संरक्षण सम्बन्धी विधियों में उनकी अवैध शिकार से सुरक्षा तथा इस प्रकार के वन्य पशु-पक्षियों के वास-स्थलों की सुरक्षा किया जाना शामिल है। मौतों का कारण अस्वाभाविक होने की वजह से खेतों में प्रभावित 'पीफॉल्स' की तुरन्त देखभाल के सम्बन्ध में पशुचिकित्सकों की भी कुछ सीमाएँ होने से इंकार नहीं किया जा सकता।

(ग) राज्य सरकार ने इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(i) फील्ड सर्वेक्षण और जहर खा चुके पक्षियों को समय रहते चिकित्सा सुविधा प्रदान करवाने में पशु-पालन विभाग की सहायता ली जाती है।

(ii) किसानों को बीजाई के तुरन्त बाद बीजों को मिट्टी से ढक देने की सलाह दी गई है।

(iii) किसानों को गेहूँ के बिना उपचारित किए बीज फैलाने की सलाह दी गई है ताकि 'पीफॉल्स' कीटनाशकों से उपचारित बीजों को न खाएँ।

(iv) खेतों में और उनके आस-पास पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।

(v) इस प्रकार की किसी घटना की सूचना देने के सम्बन्ध में जागरूकता उत्पन्न की गई है।

(vi) इस प्रकार की घटनाओं सम्बन्धी सूचना प्रदान करने के लिए संवेदनशील स्थानों पर लोगों की नियुक्ति की गई है।

कटक में सार्वजनिक टेलीफोन-बूथ

2401. श्री भर्तृहरि महताब: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा के कटक जिले में कितने सार्वजनिक टेलीफोन-बूथ काम कर रहे हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान और आज की तारीख तक, उक्त क्षेत्र में सार्वजनिक टेलीफोन-बूथ लगाने से सम्बन्धित कितने आवेदन लंबित पड़े हैं;

(ग) इन सारे आवेदनों का निपटान कब तक कर दिया जाएगा;

(घ) क्या सार्वजनिक टेलीफोन-बूथ प्रचालनकर्त्ता न तो अपना देय शुल्क समय पर भर रहे हैं और न ही ठीक से कार्य कर रहे हैं; और

(ङ) यदि हाँ, तो अब तक जिले का देय शुल्क राशि की समयबद्ध वसूली तथा सार्वजनिक टेलीफोन बूथों के सुचारू कार्यकरण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) उड़ीसा के कटक दूरसंचार जिले में 1250 पी.सी.ओ. काम कर रहे हैं।

(ख) इस समय उक्त दूरसंचार जिले में पी.सी.ओ. की संस्थापना से सम्बन्धित 128 आवेदन लंबित पड़े हैं। वर्ष 1997-98, 1998-99 तथा 1999-2000 के लिए कोई आवेदन लंबित नहीं है।

(ग) तकनीकी व्यवहार्यता तथा आवेदकों द्वारा अन्य शर्तों को पूरा करने पर सभी लंबित आवेदनों के सम्बन्ध में जनवरी 2001 तक उत्तरोत्तर रूप से कार्रवाई कर दी जाएगी।

(घ) पी.सी.ओ. प्रचालक सामान्यतः अपने बकायों का समय पर भुगतान कर रहे हैं तथा उपयुक्त रूप से कार्य कर रहे हैं।

(ङ) उपर्युक्त भाग (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

सार्वजनिक टेलीफोन बूथ

2402. श्री रामानन्द सिंह:
श्री पुन्नू लाल मोहले:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार मध्य प्रदेश में, सार्वजनिक टेलीफोन बूथ लगाने से सम्बन्धित कितने आवेदन लंबित पड़े हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन आवेदनों का निपटान कब तक किया जाएगा;

(घ) मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों में इस समय, कितने तालुका और तहसीलों में सार्वजनिक टेलीफोन बूथ, एस.टी.डी. सुविधायुक्त हैं;

(ङ) दोनों ही राज्यों में कितने तालुका और तहसीलों में उक्त सुविधा उपलब्ध नहीं है; और

(च) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) मध्य प्रदेश दूरसंचार सर्किल में सार्वजनिक टेलीफोन बूथों की संस्थापना से सम्बन्धित 102 आवेदन लंबित हैं।

(ख) आवेदन अधिकांश चालू अवधि के हैं। तथापि, कुछ आवेदन क्षेत्र के तकनीकी रूप से अव्यवहार्य होने के कारण लंबित पड़े हैं।

(ग) मार्च, 2001 तक।

(घ) मध्य प्रदेश की 254 तहसीलों तथा छत्तीसगढ़ की 93 तहसीलों में एस.टी.डी. सुविधायुक्त सार्वजनिक टेलीफोन हैं।

(ङ) मध्य प्रदेश में केवल 2 तहसीलों तथा छत्तीसगढ़ राज्य में 3 तहसीलें।

(च) छत्तीसगढ में शेष सभी तीन तहसीलों में मार्च, 2001 तक एस.टी.डी. सुविधायुक्त सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान कर दिए जाएँगे। मध्य प्रदेश में एक तहसील में मार्च, 2001 तक तथा दूसरी तहसील में 2001-2002 तक एस.टी.डी. युक्त सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान कर दिए जाएँगे।

[हिन्दी]

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के जरिए गाँवों को विद्युत

2403. श्री रामशकल: क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रत्येक गाँव को एक इकाई मानकर, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के जरिए प्रत्येक गाँव को विद्युत की आपूर्ति करने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री एम. कन्नप्पन) : (क) से (ग) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय, विकेन्द्रित तथा साथ ही ग्रिड सम्बद्ध पद्धति में सौर, बायोमास और लघु पनबिजली स्रोतों के माध्यम से विद्युत के उत्पादन और आपूर्ति के लिए योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है। इन योजनाओं में गांवों के लिए विद्युत की आपूर्ति भी शामिल है। इन योजनाओं का कार्यान्वयन राज्य अक्षय ऊर्जा एजेंसियों, राज्य विद्युत बोर्डों, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था और प्रतिष्ठित गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से किया जाता है।

इन योजनाओं के अंतर्गत, सरकार कार्यान्वयन एजेंसियों को संलग्न विवरण में दिए गए ब्यौरों के अनुसार केन्द्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही है।

अब तक देश में कुल 3,14,517 सौर लालटेन, 1,32,552 सौर घरेलू रोशनी प्रणालियाँ, 40,620 सड़क रोशनी प्रणालियाँ, 3469 सौर पंप और लगभग 2 मे.वा. की समग्र क्षमता के लघु प्रकाशवोल्टीय विद्युत संयंत्र लगाए गए हैं। विद्युत उत्पादन और अन्य उद्देश्यों के लिए के लिए देश में 35.5 मे.वा. की समग्र क्षमता वाली कुल 1719 बायोमास गैसीफायर प्रणालियाँ लगाई गई हैं। इस मंत्रालय ने देश में 5-15 कि.वा. क्षमता के 40 सफरी माइक्रो-हाइड्रो सेटों की स्थापना में भी सहायता दी है। ये सेट

विकेन्द्रित पद्धति में व्यक्तिगत गाँवों या ग्राम समूहों को भी बिजली की आपूर्ति कर रहे हैं।

1,000 से भी अधिक गाँव और बस्तियाँ इस प्रकार की प्रणालियों से आरंभिक विद्युतीकरण का लाभ उठा रहे हैं।

विवरण

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के कार्यक्रमों के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता के ब्यौरे।

क्रम सं.	प्रणाली	केन्द्रीय वित्तीय सहायता
1.	सौर लालटेन	1500/-रु. (निर्धारित)
2.	घरेलू रोशनी प्रणाली/सौर घरेलू रोशनी प्रणाली	6,000 रु. या पूर्व-कार्य लागत का 50% जो भी कम हो।
3.	सड़क रोशनी प्रणाली	12,000 रु. या पूर्व-कार्य लागत का 50%, जो भी कम हो।
4.	विद्युत संयंत्र या अन्य प्रणालियाँ	2,00,000 रु./पी.वी. ऐरे क्षमता का कि.वा.पी. या पूर्व-कार्य लागत का 50%, जो भी कम हो।
5.	पी.वी. जल पंपन प्रणालियाँ	अधिकतम 2,50,000 रुपये के अध्यधीन प्रति उपयोग किए गए पी.वी. ऐरे के प्रति वाट पीक 125 रुपये।
6.	विद्युतीकरण के लिए बायोमास गैसीफायर	परियोजना की अवस्थिति की क्षमता पर निर्भर करते हुए कुल परियोजना लागत का 30%-90%।
7.	लघु पनबिजली परियोजनाएँ (1 मे.वा. तक)	परियोजना की अवस्थिति पर निर्भर करते हुए प्रति कि.वा. 30,000—60,000 रुपये तक।

एकीकृत ग्राम-ऊर्जा कार्यक्रम सम्बन्धी अध्ययन

2404. प्रो. दुर्गा भगतः क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एकीकृत ग्राम-ऊर्जा कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं;

(ख) बिहार में इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य में इस कार्यक्रम के द्वारा अपेक्षित परिणाम मिल रहे हैं;

(घ) क्या राज्य में इस कार्यक्रम की प्रगति के सम्बन्ध में सरकार द्वारा एक अध्ययन किया गया है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री एम. कन्नप्पन) : (क) केन्द्रीय प्रायोजित योजना—एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम की मुख्य विशेषता ब्लॉक स्तरीय एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा योजनाओं और परियोजनाओं की तैयारी और कार्यान्वयन करके जीवन निर्वाह और उत्पादक उद्देश्यों के लिए ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऊर्जा स्रोतों के इष्टतम मिश्रण उपलब्ध कराना है। इस कार्यक्रम में केन्द्रीय क्षेत्र और राज्य क्षेत्र के घटक हैं। केन्द्रीय क्षेत्र घटक में, ऊर्जा योजनाएँ और परियोजनाएँ तैयार करने के लिए राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में क्षमता विकास के लिए सहायता शामिल है। राज्य क्षेत्र घटक में, विभिन्न ऊर्जा उपकरणों, विस्तार और अन्य सम्बन्धित क्रियाकलापों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन, प्रदर्शन परियोजनाओं हेतु निधियन सहित एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम योजनाओं और परियोजनाओं का कार्यान्वयन शामिल है। ऊर्जा और ग्रामीण विकास के लिए विभिन्न चालू योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध निधियों और संसाधनों का उपयोग एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम ब्लॉकों में भी किया जाता है।

(ख) बिहार राज्य सरकार वर्तमान में सिर्फ 10 ब्लॉकों में एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रही है।

(ग) इस कार्यक्रम ने एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम की योजनाओं और परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्य योजना क्षेत्र के अंतर्गत किए गए सीमित वित्तीय प्रावधानों की वजह से बिहार राज्य में सामान्यतः वांछित प्रभाव नहीं डाला है। वर्ष 1998-99 से. राज्य नोडल एजेंसी, नामतः बिहार अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (ब्रेडा) को एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम के अंतर्गत पिछले वर्षों में इस राज्य को जारी की गई धनराशि के लिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र और लेखा परीक्षित विवरण के अभाव में केन्द्रीय वित्तीय सहायता मंजूर नहीं की जा सकी।

(घ) जी हाँ।

(ङ) 'एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम का विश्लेषण और क्षमता रणनीति का विकास' नामक एक परियोजना जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.) की सहायता से वर्ष 1999-2000 में बिहार सहित बारह राज्यों में आरंभ की गई थी, ने निम्नलिखित सिफारिशें की हैं:

(i) एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम का विस्तार करने की बजाय इसे संघटित बनाया जाना चाहिए;

(ii) ब्लॉक स्तरीय ऊर्जा योजनाएँ तैयार करने की कार्य प्रणाली में सुधार करना चाहिए और इसे अपनाने और इसका पालन करने के लिए सभी राज्यों में परिचालित करना चाहिए;

(iii) एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम ब्लॉकों में ऊर्जा प्रणालियों और उपकरणों के प्रोत्साहन के लिए राज्य सरकारों को पर्याप्त बजट सहायता उपलब्ध करवानी चाहिए। एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम परियोजनाओं को संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर ब्लॉक के अन्दर ही सघन क्षेत्रों में आरंभ किया जाना चाहिए;

(iv) विस्तार एजेंसियों को, एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सहभागी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करते समय महिलाओं के प्रशिक्षण पर बल दिया जाना चाहिए। जहाँ तक संभव हो, उन्नत चूल्हों और अन्य अक्षय ऊर्जा उपकरणों पर नकद आर्थिक राजसहायता को रोक देना चाहिए;

(v) तकनीकी बैक-अप इकाइयों को सुदृढ़ बनाना चाहिए;

(vi) राज्य और ब्लॉक स्तरीय एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम सैलों के लिए पर्याप्त निधियाँ स्वीकृत करनी चाहिएं और केन्द्र तथा राज्य सरकारों के बीच लागत को 75:25 के अनुपात में बाँटा जाना चाहिए;

(vii) एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम ब्लॉकों में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय के चालू कार्यक्रमों के बीच समन्वयन और आपसी सहयोग की आवश्यकता है; तथा

(viii) एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम की निगरानी को मजबूत बनाया जाना चाहिए।

'बिहार में वन संपदा'

2405. श्री निखिल कुमार चौधरी: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार के कटिहार और जहानाबाद जिलों में वन-संपदा के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) राज्य में वन कटाई को रोकने तथा वानिकी को बढ़ाने के लिए क्या कार्य योजना बनाई गई है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालु) : (क) स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, 1999 के अनुसार बिहार के कटिहार और अविभाजित गया (जहानाबाद सहित) जिलों में वन आवरण की स्थिति निम्नलिखित है:

क्रम सं.	जिला	वन आवरण (वर्ग कि.मी. में)
1.	कटिहार	0
2.	गया	628

(ख) राज्य सरकार ने राज्य में वनों की कटाई को रोकने और वनीकरण को बढ़ाने के उद्देश्य से एक राज्य वानिकी कार्यक्रम तैयार किया है।

[अनुवाद]

नए राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए धनराशि

2406. श्री अशोक ना. मोहोल: क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को नए राजमार्गों के निर्माण और विद्यमान राजमार्गों के रख-रखाव के लिए उपलब्ध कराई गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान विशेष रूप से महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के तहत उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम 'कारीडोर' में 'सुपर हाइवे' के निर्माण का कार्य किसी भारतीय कंपनी को दिया गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) संलग्न विवरण-I के अनुसार।

(ख) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 42 परियोजनाएँ शुरू की हैं जिनमें से एक परियोजना पूरी हो चुकी है। चल रही परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम कॉरिडोरों पर सभी 20 परियोजनाएँ भारतीय कंपनियों को सौंपी गई हैं।

विवरण–I

पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को उपलब्ध कराई गई निधियाँ

(करोड़ रु. में)

वर्ष	निवेश	विदेशी सहायता	अनुरक्षण
1997-1998	290.00	200.00	3.75
1998-1999	101.00	163.17	2.74
1999-2000	1192.00	491.60	40.00
जोड़	1583.00	854.77	46.49

विवरण–II

	परियोजना की संख्या	लंबाई (कि.मी. में)	लागत	लक्ष्य (करोड़ रु. में)
स्वर्णिम चतुर्भुज	13	697	3010	दिसम्बर, 2003
उत्तर-दक्षिण पूर्व-पश्चिम	20	272	639	दिसम्बर, 2002
अन्य	8	216	989	दिसम्बर, 2003
जोड़	41	1185	4838	

महाराष्ट्र में 116 कि.मी. कुल लंबाई और 360 करोड़ रु. लागत की तीन परियोजनाएँ अर्थात् पुणे बाईपास (राष्ट्रीय राजमार्ग–4), काजली-मनौर (57.4 कि.मी.) और नागपुर-आदिलाबाद (राष्ट्रीय राजामार्ग–7) कार्यान्वित की जा रही हैं।

सभी परियोजनाएँ निर्धारित समय के अनुसार प्रगति पर हैं।

बी.बी. टंडन समिति

2407. श्री सुबोध मोहिते : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार खनन क्षेत्र में विभिन्न वित्तीय उपाय करने और खनन कानूनों में परिवर्तन करने पर विचार कर रही है जिससे कि इस क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित किया जा सके;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सम्बन्ध में बी.बी. टंडन समिति के द्वारा की गई प्रमुख सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंग राव गायकवाड़ पाटील): (क) से (घ) खान मंत्रालय ने अप्रैल, 1998 में खनिज क्षेत्र के लिए, कर प्रणाली की जाँच करने तथा खनिज एवं खनिज आधारित उद्योगों के तीव्र विकास में उचित कर-व्यवस्था का सुझाव देने के लिए खान मंत्रालय के अपर सचिव की अध्यक्षता में एक बहु-विषयक समिति (एम.डी.सी.) का गठन किया था। एम.डी.सी. ने जुलाई, 2000 में खान मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और मंत्रालय ने इसकी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। इन सिफारिशों को समुचित कार्रवाई के लिए वित्त मंत्रालय भेज दिया गया है।

पूर्वेक्षण लाइसेंस/खनन पट्टे प्रदान करने/उनके नवीकरण के लिए राज्य सरकारों को शक्तियाँ प्रत्यायोजित करने, प्रक्रियाओं को आर्थिक उदारीकरण के वर्तमान परिदृश्य में और अधिक अनुरूप बनाने के लिए खनिजों के विनियमन एवं विकास को शासित करने वाले मौजूदा कानूनों और प्रक्रियाओं की समीक्षा करने, प्रक्रियाओं की समीक्षा करके खनन रियायतों को शीघ्र प्रदान करने/उनके नवीकरणों का अविलम्ब निपटान करने और अवैध खनन को रोकने के लिए उपाय सुझाने के बारे में, अन्य बातों के साथ-साथ, सिफारिशें देने के लिए खान मंत्रालय के तत्कालीन सचिव श्री बी.बी. टंडन की अध्यक्षता में फरवरी, 1997 में एक समिति गठित की गई थी। समिति ने राज्य सरकारों को शक्तियाँ प्रत्यायोजित करने, प्रक्रियागत सरलीकरण तथा अवैध खनन इत्यादि को रोकने हेतु उपाय सुझाने के लिए व्यापक सिफारिशें की थीं।

बी.बी. टंडन समिति की सिफारिशों के आधार पर, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 में दिसम्बर, 1999 में तथा खनिज रियायत नियमावली, 1960 और खनिज संरक्षण और विकास नियमावली, 1988 में जनवरी, 2000 में संशोधन किए गए हैं।

[हिन्दी]

पशुपालन हेतु प्रस्ताव

2408. श्री कांतिलाल भूरिया: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार के पशुपालन विभाग से सम्बन्धित कई प्रस्ताव वर्ष 1995 से स्वीकृति हेतु लंबित पड़े हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इनके लंबित रहने के कारण क्या हैं; और

(ग) इन प्रस्तावों को केन्द्र सरकार द्वारा कब तक लागू कर दिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान) : (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, मध्य प्रदेश सरकार के पशुपालन विभाग का कोई भी प्रस्ताव भारत सरकार के पास लंबित नहीं है। तथापि, मध्य प्रदेश

राज्य सरकार ने हाल ही में चालू योजनाओं में से एक 'पशु रोगों के नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता' नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत 29 लाख रुपए जारी करने का एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इस प्रस्ताव के लिए धनराशि शीघ्र ही जारी की जाएगी।

/अनुवाद/

मुम्बई दूरसंचार नेटवर्क

2409. श्री किरीट सोमैया: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 25 जुलाई, 2000 को दूरभाष और सेल्यूलर दूरभाषों सहित पूरा मुम्बई दूरसंचार नेटवर्क दो घंटे के लिए ठप्प रहा;

(ख) यदि हाँ, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा किसी जाँच का आदेश दिया गया है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी हाँ, भारी ट्रैफिक के कारण मुम्बई में एम.टी.एन.एल. के कतिपय एक्सचेंजों में कुछ समय के लिए डायल टोन रुक-रुककर और देर से आती रही।

(ख) 25.07.2000 को एक स्थानीय घटना के कारण शहर में हलचल हुई थी और सुबह से ही टेलीफोन ट्रैफिक धीरे-धीरे बढ़ रहा था। प्रातः करीब 11 बजे यह पाया गया था कि मुम्बई नेटवर्क के अन्तर्गत अधिकांश एक्सचेंजों में उपभोक्ताओं द्वारा अत्यधिक कॉल की जा रही हैं (सामान्य से 4-5 गुणा अधिक) और नेटवर्क में कुछेक एक्सचेंज बन्द होने के कगार पर थीं और वे ट्रैफिक का भार नहीं उठा पा रही थीं। जहाँ कहीं अपेक्षित था ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए निवारक कार्रवाई की गई थी ताकि एक्सचेंज बन्द न होने पाए। परिणामस्वरूप इन एक्सचेंजों में उपभोक्ताओं की डायल टोन में विलम्ब हुआ था, यह पाया गया था कि सिओन, शिवाजी पार्क और वरली एक्सचेंजों, जिनमें सात ट्रैफिक सेल्यूलर मोबाइल ऑपरेटरों से जुड़ा हुआ है, में अत्यधिक संकुलन दिखाई दे रहा था जिसके कारण टेलीफोन काल नहीं हो पाई, सभी उपभोक्ताओं के लिए इनकमिंग सुविधा पूरे समय के लिए उपलब्ध थी ट्रैफिक दोपहर बाद तीन बजे सामान्य हो गया था।

(ग) जी हाँ।

(घ) टेलीफोन नेटवर्क में कथित खराबी आने के कारणों का पता लगाने के लिए पाँच वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों की एक जाँच समिति गठित की गई थी। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 31.07.2000 को प्रस्तुत कर दी थी।

समिति के निष्कर्ष:

(i) उस दिन लगभग 10.15 बजे से 13.30 बजे तक काल करने में अचानक असामान्य वृद्धि हो गई थी, इस अत्यधिक ट्रैफिक और स्थानीय टेलीफोन एक्सचेंज में बहुत संकुलन होने के कारण डायल टोन नहीं थी या टेलीफोन उपभोक्ताओं को देर से डायलटोन मिल रही थी।

(ii) अन्य सभी उपस्कर जैसे विद्युत संयंत्र और बैटरियाँ, एम.टी.एन.एल. के जंक्शन नेटवर्क, ट्रंक आटोमैटिक एक्सचेंज इस अवधि के दौरान सामान्य रूप से काम कर रहे थे।

(iii) 25.07.2000 को एम.टी.एन.एल. मुम्बई नेटवर्क के अन्तर्राष्ट्रीय रूप से जाम किए जाने अथवा तोड़फोड़ किए जाने सम्बन्धी कोई साक्ष्य नहीं है।

(ङ) समिति के निष्कर्षों के अनुसार क्षेत्रीय इकाइयों को उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए हिदायतें दी गई हैं। विवरण संलग्न है।

इसके अलावा, चूँकि ऊपर यथा उल्लिखित असामान्य रूप से अत्यधिक ट्रैफिक के कारण प्रभाव नई प्रौद्योगिकी स्विचों की तुलना में ई=10वीं एक्सचेंजों में ज्यादा महसूस किया गया था, अतः यह निर्णय लिया गया है कि महानगरों, जहाँ ट्रैफिक अधिक होता है, से ई=10वीं एक्सचेंजों को चरणबद्ध रूप से हटाने की कार्रवाई की जाये।

ऊपर यथा स्पष्ट उक्त घटना के लिए कोई भी व्यक्ति जिम्मेदार नहीं पाया गया था।

विवरण

दूरसंचार विभाग के दिनाँक 26.09.2000 के पत्र सं. 19-45/99-पी. एच.एम. की प्रति

विषय : 25.07.2000 को मुम्बई में दूरसंचार नेटवर्क के कथित ब्रेकडाइन की जाँच पड़ताल करने के लिए समिति की रिपोर्ट पर अनुवर्ती कार्रवाई।

दिनाँक 25.07.2000 को एम.टी.एन.एल. मुम्बई में दूरसंचार नेटवर्क में ब्रेकडाउन की जाँच करने के लिए एक समिति गठित की गई थी, इस समिति ने अपनी रिपोर्ट, भविष्य में इस तरह की रुकावटों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए विभिन्न सिफारिशों सहित प्रस्तुत की है, ये सिफारिशें निम्नलिखित हैं:

(i) रेटेड ट्रैफिक पैरामीटर:

वी.एच.सी.ए., अलैंग ट्रैफिक जैसे रेटेड ट्रैफिक पैरामीटरों को सम्पूर्ण एक्सचेंज और अलग-अलग रैकों के लिए मुख्य रूप से प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

(ii) आपदा प्रबन्धन पर आवधिक कार्यशालाएँ:

आपदा प्रबन्धन पर आवधिक कार्यशालाएँ स्थानीय स्तर पर कुछ खास प्रौद्योगिकीय स्थान में आयोजित की जानी चाहिएं जहाँ विशिष्ट अनुरक्षण से सम्बन्धित व्यक्ति तैनात हों और कार्य कर रहे हों।

(iii) दूरसंचार सेवाओं के ब्रेकडाउन के दौरान मीडिया/प्रेस रिलीज:

जनता को ब्रॉडकास्ट मीडिया/प्रेस रिलीज के जरिए सूचित करने के लिए तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए।

(iv) रैकों में ट्रैफिक का समान वितरण:

विभिन्न रैकों में ट्रैफिक/लोड के एक समान वितरण के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए।

(v) पी.ए.एक्स. नेटवर्क:

प्रचालन के मुख्य कार्मिकों के लिए पी.ए.एक्स. नेटवर्क स्थापित किया जाना चाहिए यदि पहले स्थापित नहीं किया गया हो।

(vi) एक्सचेंजों की विभिन्न यूनिटों के लोड का समान वितरण:

एक्सचेंजों की विभिन्न इकाइयों के लोड के समान वितरण के लिए कृपया कार्रवाई की जाये।

(vii) आर.एस.यू. की योजना:

जहाँ तक सम्भव हो सम्बन्धित क्षेत्र के एक्सचेंज से क्षेत्र के आर.एस.यू. की योजना बनाई जानी चाहिए और यह सर्कुलेटिंग ट्रैफिक का परिहार करने के लिए दूसरे क्षेत्र के एक्सचेंज से नहीं होने चाहिए।

उपरोक्त सिफारिशों पर कृपया तत्काल कार्रवाई की जाये और अनुपालन रिपोर्ट मूल्यांकन के लिए सलाहकार (प्रचालन)/सदस्य (सेवाएँ) को भेजी जाये। ये सिफारिशें कृपया प्रचालन और इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों के अनुरक्षण में संलग्न सभी अधिकारियों को परिचालित की जाएं।

कृपया इस पत्र की पावती भेजें।

[हिन्दी]

"राष्ट्रीय वानिकी कार्य योजना"

2410. श्री रामदास आठवले: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 अगस्त, 2000 को 'दैनिक जागरण' में 'वानिकी कार्य योजना शुरूआती साल में ही अधर में' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राष्ट्रीय वानिकी कार्य योजना को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान वानिकी कार्य योजना के अन्तर्गत महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों को वर्षवार कितनी धनराशि आवंटित की गई; और

(ङ) उक्त योजना के अन्तर्गत प्राप्त की गई उपलब्धियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) से (ङ) मंत्रालय ने योजना आयोग और राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि वे देश में वानिकी क्षेत्र के आवंटनों में वृद्धि करें। इसके अलावा, राज्य सरकारों से यह भी कहा गया है कि वे राष्ट्रीय वानिकी कार्य योजना को क्रियान्वित करने के लिए बाह्य सहायता प्राप्ति हेतु कन्सैप्ट पेपर्स तैयार करें।

राष्ट्रीय वानिकी कार्य योजना अगले 20 वर्षों की अवधि के लिए एक व्यापक रणनीतिक योजना है जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय वन नीति, 1988 में यथा अधिदेशित देश के वनावरण को 33 प्रतिशत तक के अपेक्षित स्तर तक बढ़ाने का है। यह दस्तावेज 1999 में जारी किया गया और इसे क्रियान्वित करने के लिए अगले 20 वर्षों के लिए 133903 करोड़ रुपये के निवेश का अनुमान रखे गए हैं। मंत्रालय ने इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए बाह्य सहायता प्राप्ति हेतु एक इन्टरनेशनल डोनर्स कॉन्फ्रेंस आयोजित करने का निर्णय किया है।

"अस्पतालों से निकलने वाले अपशिष्ट का निपटान"

2411. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:
श्री रामशेठ ठाकुर:
प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अस्पतालों से निकलने वाले अपशिष्ट के पर्यावरण के अनुकूल तरीके से निपटाए जाने हेतु व्यवस्था करने के लिए सभी चिकित्सा संस्थानों को निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास चिकित्सा संस्थानों का पर्यवेक्षण करने के लिए क्रियाविधि उपलब्ध है;

(ग) क्या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने निगरानी करने और चिकित्सा संस्थानों द्वारा अनुपालन न किए जाने के बारे में सूचित करने हेतु गैर-सरकारी संगठनों से सहायता मांगी है;

(घ) यदि हाँ, तो इस मुद्दे के शत प्रतिशत अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कौन से अन्य कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या गत छह माह के दौरान केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समक्ष उल्लंघन का कोई मामला ध्यान में आया है; और

(च) यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है और उक्त अस्पतालों के विरुद्ध क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अस्पताल से निकलने वाले अपशिष्टों के निपटान के लिए सुविधाएं स्थापित करने हेतु चिकित्सा संस्थानों को कोई निर्देश जारी नहीं किए हैं। तथापि, अध्यक्ष, केन्द्रीय नियंत्रण बोर्ड ने सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और प्रदूषण समितियों, जो कि जैव-चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियमावली, 1998 और इसके अंतर्गत किए गए संशोधन के कार्यान्वयन के लिए निर्धारित प्राधिकारी हैं, को नियमों का अनुपालन न करने वाले अस्पतालों और नर्सिंग होमों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए लिखा है। जैव-चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियमावली, 1998 के नियम 10 के अनुसार बोर्ड को नियमों के प्रावधानों के कार्यान्वयन पर वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना अपेक्षित है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नियमित रूप से प्रगति की मॉनीटरिंग करता है और बोर्ड के अध्यक्ष ने जैव-चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियमावली, 1998 और इसमें किए गए संशोधन के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्य प्रदूषण बोर्डों और प्रदूषण नियंत्रण समितियों को लिखा है।

(ङ) और (च) केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड ने चूककर्ता अस्पतालों/नर्सिंग होमों का अभिनिर्धारण किया है और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और प्रदूषण नियंत्रण समितियों को उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने के लिए लिखा है।

"बिहार में राष्ट्रीय उद्यानों के रख-रखाव"

2412. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार के पलामू जिले में स्थित बेतला राष्ट्रीय उद्यान के रख-रखाव की स्थिति में गिरावट आ रही है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा है;

(ग) क्या वन, वन्य-जीवों और वनस्पति से भरपूर यह उद्यान उजाड़-सा दिख रहा है;

(घ) यदि हाँ, तो क्या सरकार के पास उद्यान के सौंदर्यीकरण और इसके उचित रखरखाव की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (ङ) पलामू राष्ट्रीय उद्यान की परिस्थिति वन्यजीवों के संरक्षण के अनुकूल नहीं है; बाघ रिजर्व उग्रवाद गतिविधियों से प्रभावित है और भारत सरकार द्वारा रिलीज निधियाँ फील्ड में काफी विलम्ब से पहुँचती हैं।

भारत सरकार ने उद्यान के बेहतर प्रबंधन के लिए बाघ परियोजना, पलामू को वित्तीय सहायता दी है। पिछले तीन वर्षों के दौरान रिलीज की गई निधियों का ब्यौरा इस प्रकार है:

1997-98	22.00 लाख रुपये
1998-99	68.28 लाख रुपये
1999-2000	78.91 लाख रुपये

2000-2001 के दौरान, पलामू बाघ रिजर्व के लिए 98.63 लाख रुपये की राशि मंजूर की गई है।

[अनुवाद]

"मरुस्थलीय विस्तार को रोकने हेतु कार्यक्रम"

2413. श्रीमती निवेदिता माने:
श्री पुष्प जैन:

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में मरुस्थलीय विस्तार को रोकने हेतु सरकार ने क्या उपाय किए हैं;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी वित्तीय परिव्यय क्या है;

(ग) क्या बाढ़ के कारण भारी मात्रा में रेत के जमा हो जाने से खेती के लिए स्थायी रूप से बेकार हो गई कृषि भूमि को पुनः खेती योग्य बनाने के लिए मरुस्थलीय विस्तार को रोकने हेतु बनाए गए कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा; और

(घ) यदि हाँ, तो उक्त कार्यक्रम में राज्य के किन-किन कृषि भू-क्षेत्रों को शामिल किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ख) भूमि के अवक्रमण को रोकना और प्रतिवर्तित करना, जो मरुस्थलीकरण से निपटने से जुड़ा हुआ है, भारत सरकार की विभिन्न चालू परियोजनाओं का एक भाग है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय इस समय यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कम्बैट डजर्टिफिकेशन (यू.एन.सी.सी.डी.) के तहत एक राष्ट्रीय कार्यक्रम तैयार करने में लगा है जिसमें देश में मरुस्थलीकरण से निपटने सम्बन्धी परियोजनाओं को विशेषतौर पर शामिल किया जाएगा। भूमि

अवक्रमण के निराकरण सम्बन्धी मुख्य कार्यक्रमों और स्कीमों हेतु वर्ष 2000-2001 का वित्तीय परिव्यय भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए 900 करोड़ रुपये है, कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय के लिए यह 138 करोड़ रुपये है तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के लिए 150.50 करोड़ रुपये है।

(ग) और (घ) देश के 'शुष्क भूमि' क्षेत्रों में केवल उन क्षेत्रों, जिन्हें यू.एन.सी.सी.डी. में मरुस्थलीकरण के निपटने के लिए निर्धारित किया गया है, के सम्बन्ध में प्रस्तावित राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत विचार किया जाएगा।

विद्युत उत्पादन विकास कोष से निजी विद्युत क्षेत्र को ऋण देना

2414. श्री जी.जे. जावीया: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत कुछ वर्षों के दौरान विद्युत उत्पादन से संबद्ध निजी क्षेत्र के बड़े औद्योगिक घरानों को विद्युत उत्पादन विकास कोष से ऋण उपलब्ध कराया गया था; और

(ख) यदि हाँ, तो इन औद्योगिक घरानों के विरुद्ध सितम्बर, 2000 के अंत तक बकाया ऋणों का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयंवती मेहता) : (क) और (ख) विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में विद्युत उत्पादन विकास निधि नामक कोई फण्ड नहीं है। इसके मद्देनजर इस फण्ड से ऋण देने का प्रश्न नहीं उठता।

हैदराबाद में अनियमित दूरभाष सेवा

2415. श्री ए. नरेन्द्र: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हैदराबाद के सभी दूरभाष केन्द्रों में दूरभाष सेवाएँ अनियमित हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) हैदराबाद दूरसंचार जिले के सभी एक्सचेंजों में प्रदान की गई सेवाएँ सामान्यतया संतोषप्रद हैं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विद्युत उत्पादन और आपूर्ति की लागत

2416. श्री गिरधारी लाल भार्गव: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विद्युत का उत्पादन करने वाले राज्यों का ब्यौरा क्या है और इनकी राज्यवार क्षमता क्या है;

(ख) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जिनसे राजस्थान को विद्युत की आपूर्ति की जाती है;

(ग) क्या उत्पादन लागत और पूर्ति की दरों में कोई अंतर है;

(घ) राजस्थान को किन शर्तों पर विद्युत की आपूर्ति की जाती है और क्या राजस्थान के हिस्से के अनुरूप अन्य राज्यों द्वारा विद्युत की आपूर्ति की जा रही है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं और इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) राज्य सरकारों द्वारा कृषि, घरेलू और कारखानों को विद्युत की आपूर्ति किस दर पर की जा रही है; और

(छ) उपभोक्ताओं को आपूर्ति की जा रही विद्युत की दर को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) देश में राज्य-वार और श्रेणी-वार अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) राजस्थान विद्युत की अपनी आवश्यकता की पूर्ति (i) अपने स्वयं के उत्पादन के स्रोतों से, (ii) केन्द्रीय क्षेत्र विद्युत केन्द्रों और संयुक्त क्षेत्र विद्युत परियोजनाओं नामत: बी.बी.एम.बी. और चंबल-सतपुड़ा काम्प्लेक्स के हिस्से से करता है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार द्वारा द्विपक्षीय व्यवस्था के अन्तर्गत क्षेत्र के अन्य संघटकों की अधिशेष विद्युत से विद्युत की प्रगति की जा रही है। इस समय दिल्ली में गैर-व्यवस्ततमकालीन घंटों के दौरान विद्युत की अधिकता है और इसलिए 18.11.2000 से 12.00 घंटों से 17.00 घंटे तक तथा 22.00 से 05.00 घंटों तक गैर-व्यस्ततमकालीन घंटों के दौरान उत्तरी क्षेत्र में केन्द्रीय क्षेत्र केन्द्रों के अनार्वटित कोटे में से 11% के इसके आवंटन के हिस्से की राजस्थान को आपूर्ति की जा रही है। डी.वी.बी. और आर.आर.वी.पी.एन.एल. के मध्य 12.10.2000 को एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं जिसके अन्तर्गत दादरी टी.पी.एस. उत्पादन में 15% से लेकर 50% तक के डी.वी.बी. के हिस्से को (वी.टी.पी.एस. यूनिटों की उपलब्धता के आधार पर) 23.00 बजे से लेकर अगले दिन के 6.00 बजे के लिए राजस्थान को अंतरित किया जा रहा है। यह करार 16 अक्तूबर, 2000 के 23.00 बजे

से लागू हुआ है और यह 15 मार्च, 2001 तक वैध रहेगा। साथ ही पी. एस.ई.बी. द्वारा आर.आर.वी.पी.एन.एल. को विद्युत की बिक्री के लिए पी. एस.ई.बी. और आर.आर.वी.पी.एन.एल. के मध्य एक द्विपक्षीय करार को भी अंतिम रूप दे दिया गया है।

(ग) दिल्ली के हिस्से में से राजस्थान को आपूर्ति की जा रही दादरी एन.सी.टी.पी.एस. की विद्युत लागत, पारेषण प्रभारों के बिना 195 पैसे प्रति यूनिट अर्नतिम है।

(घ) और (ङ) डी.वी.बी. द्वारा राजस्थान को विद्युत आपूर्ति सम्बन्धी विभिन्न नियमों एवं शर्तों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) आर.आर.वी.पी.एन.एल. को आपूर्ति सुनिश्चित आधार पर की जाएगी और दादरी टी.पी.एस. से प्रथम प्रभार आधार पर इसका आकलन किया जाएगा।

(ii) यदि उपर्युक्त अवधि में आर.आर.वी.पी.एन.एल. को विद्युत आपूर्ति करते समय डी.वी.बी. को विद्युत का अभाव हो जाता है, तो डी.वी.बी. को इसे 15%, 25%, 50% हिस्सा, जैसा लागू हो, दादरी टी.पी.एस. से आर.आर.वी.पी.एन.एल. को प्रतिबद्ध हिस्से में से कोई आवंटन नहीं मिलेगा।

(iii) उपर्युक्त प्रबंध को दोनों में से किसी भी पक्ष द्वारा एन.आर.ई.वी. की सूचना देते हुए दूसरे पक्ष को एक सप्ताह की अग्रिम सूचना भेजकर समाप्त किया जा सकता है।

(iv) आर.आर.वी.पी.एन.एल. एवं डी.वी.बी. की घंटे-वार आहरण सूची एन.आर.एल.डी.सी. द्वारा उपर्युक्त प्रबंध के मद्देनजर तैयार किया जाएगा।

(v) उपर्युक्त प्रबंध के अनुसार सभी भुगतान डी.वी.बी. एवं आर.आर.वी.पी.एन.एल. द्वारा एन.आर.ई.बी. द्वारा जारी आर.ई.ए. के आधार पर के.वि.प्रा. को सीधे किया जाएगा।

(vi) इस समझौता ज्ञापन की एक प्रति क्रियान्वयन हेतु एन.आर.एल.डी.सी. को भेजी जाएगी।

(vii) किसी भी विवाद के मामले में सदस्य सचिव एन.आर.ई.बी. का निर्णय दोनों पक्षों के लिए अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

पी.एस.ई.बी. से राजस्थान को विद्युत की आपूर्ति सम्बन्धी नियम एवं शर्तें नीचे दिए गए हैं:

(i) पी.एस.ई.बी. भार शर्तों के अनुसार दिन में लगभग 30 एल.यू. प्रतिदिन, जिसमें व्यस्ततमकालीन घंटे का चार बार विराम होगा।

(ii) एक समय में अधिकतम विद्युत अंतरण 250 मे.वा. से अधिक नहीं होगा।

(iii) विद्युत की निश्चित मात्रा का स्थानांतरण घंटों के आधार पर एक दिन पूर्व में किया जाएगा।

(iv) घंटा-वार दर से अंतरण की जाने वाली विद्युत की सही मात्रा का निर्धारण एक दिन पूर्व कर लिया जाएगा। विद्युत का अंतरण पी.एस.ई.बी. विद्युत उत्पादन यूनिटों से विद्युत उत्पादन में कमी होने की स्थिति में दो घंटे की पूर्व सूचना देते हुए रोका/कम किया/समाप्त किया जा सकता है।

(v) विद्युत अंतरण की दर 240 पैसे प्रति यूनिट होगी।

(vi) मौजूदा विद्युत अंतरण साप्ताहिक अग्रिम भुगतान पर की जाएगी।

(च) कृषि-घरेलू क्षेत्र उद्योग के लिए रा.वि. बोर्ड/यूटिलिटी-वार अनुमानित औसत दर के ब्यौरे संग्लन विवरण–II में दिए गए हैं।

(छ) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 एवं सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा राज्यों में राज्य विद्युत विनियामक आयोग के गठन के साथ राज्य विद्युत विनियामक आयोग राज्यों में विद्युत की वृहद/फुटकर आपूर्ति के लिए टैरिफ का निर्धारण/विनियमन करने के लिए शक्ति प्राप्त है।

विवरण–I

31.03.2000 की स्थितिनुसार अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता (यूटिलिटी) (मे.वा. में)

राज्य/संघीय क्षेत्र	जल विद्युत	ताप विद्युत				न्यूक्लियर	पवन	कुल (मे.वा.)
		भाप	गैस	डीजल	कुल			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
हरियाणा	883.40	892.50	0.00	3.92	896.42	0.00	0.00	1780.82
हिमाचल प्रदेश	299.37	0.00	0.00	0.13	0.13	0.00	0.00	299.50
जम्मू एवं कश्मीर	225.19	0.00	175.00	8.94	183.94	0.00	0.00	409.13
पंजाब	1798.94	2130.00	0.00	0.00	2130.00	0.00	0.00	3928.94

1	2	3	4	5	6	7	8	9
राजस्थान	971.08	1475.00	38.50	0.00	1513.50	0.00	2.00	2486.58
उत्तर प्रदेश	1510.75	4542.00	0.00	0.00	4542.00	0.00	0.00	6052.75
चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00
दिल्ली	0.00	335.00	282.00	0.00	617.00	0.00	0.00	617.00
केन्द्रीय क्षेत्र	2010.00	5400.00	2168.00	0.00	7568.00	1130.00	0.00	10708.00
कुल (उ. क्षेत्र)	7699.23	14774.50	2663.50	14.99	1745.99	1130.00	2.00	26284.22
गुजरात	547.00	4864.00	1635.00	17.48	6516.48	0.00	166.91	7230.39
मध्य प्रदेश	892.91	3437.50	0.00	0.00	3437.50	0.00	22.59	4353.00
महाराष्ट्र	2825.22	7655.00	1832.00	0.00	9487.00	0.00	79.28	12391.50
गोवा	0.05	0.00	48.00	0.00	48.00	0.00	0.11	48.16
दमन एवं दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
दादरा एवं नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
केन्द्रीय क्षेत्र	0.00	4360.00	1292.00	0.00	5652.00	860.00	0.00	6512.00
कुल (प. क्षेत्र)	4265.18	20316.50	4807.00	17.48	25140.98	860.00	268.89	30535.05
आन्ध्र प्रदेश	2671.94	2952.50	542.40	0.00	3494.90	0.00	88.04	6254.88
कर्नाटक	2685.55	1520.00	0.00	127.92	1647.92	0.00	34.22	4367.69
केरल	1752.50	0.00	135.00	228.00	363.00	0.00	2.03	2117.53
तमिलनाडु	1993.20	297.00	130.00	200.00	3300.00	0.00	758.44	6051.64
पांडिचेरी	0.00	0.00	32.50	0.00	32.50	0.00	0.00	32.50
केन्द्रीय क्षेत्र	0.00	4170.00	350.00	0.00	4520.00	690.00	0.00	5210.00
कुल (द. क्षेत्र)	9103.19	11612.50	1189.90	555.92	13358.32	690.00	882.73	24034.24
बिहार	174.90	1813.50	0.00	0.00	1813.50	0.00	0.00	1988.40
उड़ीसा	1571.92	420.00	0.00	0.00	420.00	0.00	1.10	1993.02
प. बंगाल	164.01	4086.38	100.00	22.50	4208.88	0.00	0.00	4372.89
सिक्किम	32.89	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	37.89
केन्द्रीय क्षेत्र	204.00	6547.50	90.00	0.00	6637.50	0.00	0.00	6841.50
कुल (पू. क्षेत्र)	2147.72	12867.38	190.00	27.50	13084.88	0.00	1.10	15233.70
असम	2.00	330.00	269.00	20.69	619.69	0.00	0.00	621.69
मणिपुर	2.60	0.00	0.00	9.41	9.41	0.00	0.00	12.01
मेघालय	186.71	0.00	0.00	2.05	2.05	0.00	0.00	188.76
नागालैंड	3.50	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	5.50
त्रिपुरा	16.01	0.00	64.50	4.85	69.35	0.00	0.00	85.36
अरूणाचल प्रदेश	29.55	0.00	0.00	15.88	15.88	0.00	0.00	54.43
मिजोरम	5.31	0.00	0.00	20.36	20.36	0.00	0.00	25.67
केन्द्रीय क्षेत्र	355.01	0.00	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	730.01
कुल (उ.पू. क्षेत्र)	600.69	330.00	708.50	75.24	1113.74	0.00	0.00	1714.43
अ. एवं नि. दीव	0.00	0.00	0.00	34.05	34.05	0.00	0.00	34.05
लक्षदीप	0.00	0.00	0.00	9.97	9.97	0.00	0.00	9.97
कुल (दीव)	0.00	0.00	0.00	44.02	44.02	0.00	0.00	44.02
अखिल भारत	23816.01	59900.88	9558.90	735.15	70194.93	2680.00	1154.72	97845.66

विवरण–II

क्रम सं.	यूटिलिटी का नाम	से प्रभावी टैरिफ	घरेलू			कृषि			उद्योग			
			2 के.डब्ल्यू. (100 कि.वा. घं./माह)	5 के.डब्ल्यू. (400 कि.वा. घं./माह)	10 के.डब्ल्यू. (200 कि.वा. घं./माह)	5 एच.पी. 15%एल. एफ.(408 कि.वा. घं./माह)	10 एच. पी. 20% एल.एफ. (1089 कि.वा. घं./माह)	लघु (10 एच. पी. 25% एल.एफ. (1361 कि.वा. घं./माह)	मध्यम/ 50 एच.पी. 40% एल.एफ. (14600 कि.वा. घं./माह)	दीर्घ (1000 एच.पी. 65% एल.एफ. (474500 कि.वा. घं./माह)	भारी (10000 एच.पी. 60% एल.एफ. 4580000 कि.वा. घं./माह)	भारी (15000 एच.पी. 50% एल.एफ. 5475000 कि.वा. घं./माह)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आन्ध्र प्रदेश	4.6.2000	231	361	463	37.45	35.92	414.69	439.88	458.16	491.05	501.39
2.	असम	1.9.1998	228.2	280.92	292.35	99.5	144.18	284.26U, 139.76R	381.6	353.19	365.71	373.72
3.	बिहार	1.7.1993	139.00-U, 46.00-R	150.75	161.1	40.15	31.09	157	140.54	211.99	214.58	212.07
4.	गुजरात	22.10.1196	290.25-U, 274.69-R	411.72U, 381.27R	444.53U, 409.91R	51.06	61.21	342.87	371.44	461.94	493.19	-
5.	हरियाणा	15.6.1998	210	304.5	311.4	55.15	50	402	402	402	402	390.24
6.	हिमाचल प्रदेश	1.9.1998	69.75	93.81	113.6	65	65	172	232	252	252	248.55
7.	जम्मू एवं कश्मीर	1.4.2000	36	366	366	61	61	240	244	240	244	-
8.	कर्नाटक	1.11.1998	197.5	261.25	372	30.64	22.96	271.16	335.43	424.55	441.92	446.25
9.	केरल	1.2.1998	110	286	236	66.43	64.94	171.67	171.6	182.97	186	-
10.	मध्य प्रदेश	1.3.1999	92.2	194.73	229.78	73.53	55.1	227.6	396.2	434.59	437.71	427.33
11.	महाराष्ट्र	1.5.2000	239.25	359.57	447.43	91.91	107.44	335.23	360.53	429.85	436.36	-
12.	मेघालय	1.9.1996	85	103.57	107.5	56	56	149.49	168.43	156.07	157.8	-
13.	उड़ीसा	1.12.1998	115	190	220	85	85	245	290	325.02	333.73	344.68
14.	पंजाब	29.7.1998	172.8	214.95	251.58	0	0	240	258	290	290	391.75
15.	राजस्थान	1.11.1999	207.5	231.88	236.75	72	50.86	339	372	395	395	393.06
16.	तमिलनाडु	3.1.2000	117	216.25	269.7	25.53	19.13	234.53	416.42	406.53	420.30	418.27
	चैन्नई (नॉन एरिया)										405.92	396.05
	(नॉन मेट्रो एरिया)										409.80	407.77
17.	उत्तर प्रदेश नॉन क्रमिक उद्योग	25.1.1999	229.00-U 60.00-R	214	241	52.7	38.11	379.67	407.36	409.99	417.58	398.7
	क्रमिक उद्योग								416.95	436.19	439.29	425.43
18.	प. बंगाल	26.1.1999	181.25U, 168.1R	339.44U, 319.33R	405.83U, 361.75R	54.66	123	336.56U, 313.57R	407.46	377.48	370.73	370.37
19.	अरुणाचल प्रदेश	1.3.1993	95	135	135	-	-	185	195	250	250	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20.	गोवा	1.3.1999	95	143.75	192.5	70	70	225	286.85	337.79	248.52	354.64
21.	मणिपुर	18.3.2000	152.2	204.7	-	152.2	152.2	162.2	223.2	213.18	213.36	215.43
22.	मिजोरम	1.3.2000	115	200	227	55	55	242.65	200	200	200	200
23.	नागालैंड	1.12.1995	200	275	275	150	150	250	275	275	275	-
24.	सिक्किम	1.5.1999	125U.90R	177.5U, 131.25R	188U, 139.5R	195	197.04	201.63	135.12	149.44	151.21	-
25.	त्रिपुरा	1.4.1999	269	192.5	170	120	120	140	190	-	-	0
26.	अ. एवं नि. द्वीप	1.4.1994	85	182.5	217	50	50	218.3	228.63	-	-	-
27.	चंडीगढ़	10.11.1998	142.25	203.56	239.33	62.68	61.75	265	300	353	353	-
28.	दा. एवं न.	1.2.1987	72.5	85.63	98.25	50	50	170.1	170.36	180.86	181.85	342.76
29.	दमन एवं दीव	1.4.1998	122.5	153.16	191.25	56	55	210	224.18	234.30	236.06	-
30.	दिल्ली	1.4.1997	105	203.44	220.38	52.5	62	362	352.08	401.93	408.18	-
	एन.डी.एम.सी.	1.4.1997	105	203.75	270.5	0	0	-	362.13	-	-	404.5
31.	लक्षदीप	1.4.1997	150	200	200	0	0	160	100	-	-	-
32.	पांडिचेरी	1.4.1999	55	85	112	11.74	7.27	177.96	183.82	222.41	331.26	-
33.	अहमदाबाद	26.2.1998	292.6	264	400.76	292.31	281.78	348.23	339.47	398.94	402.27	-
34.	कलकत्ता	20.10.1998	205.43	365.98	436.25	-	-	377.01	425.5	424.12	427.14	-
35.	डीवीसी (बिहार)	1.9.2000				-	-	-	-	296.72	304.63	422.8
	बंगाल एरिया									312.68	321.19	311.19
36.	दुर्गापुर	1.2.1995	92.43	255.1	258.1	120	199	223.93	273.3	262.4	264.62	328.24
37.	मुम्बई बाईपास	15.7.1997	82.5	270.77	366.74	-	-	602.74	654.3	364.48	368.08	-
38.	बीएसईएस	1.10.1998	151.8	443.05	475.3	50	50	578.41	540.23	394.52	395.51	-
	कुल	1.12.1998	143	320.26	376.63	-	-	387.74	397.74	363.6	367.24	376.73

य=नगर, आर=देहात, ई=ऊर्जा शुल्कों के अतिरिक्त। उपर्युक्त विवरण विद्युत टेरिफ, इयूटी दर के आधार पर तैयार किया गया एवं 28.11.2000 तक एफ.सी.ए. द्वारा के.वि.प्रा. को रिपोर्ट किया गया।

[अनुवाद]

इन्द्रप्रस्थ ताप विद्युत केन्द्र दिल्ली की हालत

2417. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 6 नवम्बर, 2000 के 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' में 'इज द आई.पी. पावर हाउस हैव फ्यूचर' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या उक्त संयंत्र घाटे में चलने वाला ताप संयंत्र है;

(घ) यदि हाँ, तो क्या प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की सरकार से प्रगति स्टेशन से चालू होने के छह महीने के भीतर इस संयंत्र को बंद करने को कहा है; और

(ङ) यदि हाँ, तो सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) जी, हाँ।

(ख) दिल्ली विद्युत बोर्ड के इन्द्रप्रस्थ ताप विद्युत घर ने 30 वर्ष से अधिक की सेवा पूरी कर अपना उपयोगी जीवन पहले ही पूरा कर लिया

है। केन्द्र में 5 यूनिटें हैं, जिनमें से यूनिट (सं. 1) किफायती न होने के कारण 28.2.2000 से निष्क्रिय हो गई है। शेष 4 यूनिटों की कुल संस्थापित क्षमता 247.5 मे.वा. है। यूनिटों के बढ़ते हुए कार्यकाल को ध्यान में रखते हुए निष्पादन संतोषजनक नहीं रहा है और डीवीबी ने शेष चार यूनिटों का नवीकरण एवं आधुनिकीकरण का अनुमोदन कर दिया है। डीवीबी ने यूनिटों के शेष जीवन मूल्यांकन (आर.एल.ए.) अध्ययनों के लिए परामर्शदाता की नियुक्ति की है।

(ग) डीवीबी के अनुसार संयंत्र हानिप्रद नहीं है।

(घ) जी, हाँ।

(ङ) नवीकरण, आधुनिकीकरण के जरिए केन्द्र के निष्पादन में सुधार और यूनिटों के बड़े पैमाने पर आधुनिकीकरण और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए डीवीबी ने एन.टी.पी.सी. परामर्शदाताओं की सेवाएँ ली हैं ताकि वे अध्ययन के उपरांत केन्द्र की निष्पादन क्षमता में सुधार के लिए अल्पावधिक/दीर्घावधिक उपाय सुझा सके।

[हिन्दी]

विद्युत उत्पादन में आई लागत की तुलना में उपभोक्ताओं के लिए विद्युत दरें

2418. श्री हरीभाऊ शंकर महालेः क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में औद्योगिक और व्यावसायिक क्षेत्र के उपभोक्ताओं से विद्युत उत्पादन पर होने वाली वास्तविक लागत की तुलना में अधिक विद्युत दरें वसूल की जा रही हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो कितने प्रतिशत राशि अधिक दरों के रूप में वसूल की जा रही है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) वर्ष 1998-99 के लिए औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उपभोक्ताओं से प्रभारित औसत आपूर्ति लागत एवं औसत टैरिफ निम्नानुसार हैः

आपूर्ति की औसत लागत	औसत टैरिफ प्रभार (पैसे/कि.वा.घं.)			
	औद्योगिक	%भिन्नता	वाणिज्यिक	%भिन्नता
246.53	342.38	+34.00	337.65	+36.96

[अनुवाद]

मेघ-जल संचयन/कृत्रिम वर्षा

2419. श्री कालवा श्रीनिवासुलुः क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या गैर-सरकारी संगठनों द्वारा मेघ-जल संचयन/कृत्रिम वर्षा सम्बन्धी क्रिया-कलापों को समर्थन देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस क्षेत्र में अनुसंधान क्रियाकलापों हेतु अनुदानों को संस्वीकृत करने का है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान) : (क) और (ख) जी नहीं। गैर-सरकारी संगठनों ने मेघ संचयन/कृत्रिम वर्षा सम्बन्धी जिन क्रिया-कलापों को हाथ में लिया उन क्रिया-कलापों को समर्थन देने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। भारत सहित बहुत से देशों ने इस क्षेत्र में परीक्षण किए हैं, लेकिन ये परीक्षण अभी तक अनुसंधान स्तर तक ही हैं।

(ग) और (घ) उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण क्षेत्रों में भू-जोत

2420. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में भू-जोतों की तुलना में किसानों की संख्या में कमी आई है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपद यासो नाईक) : (क) से (ग) भारत की 1971, 1981 तथा 1991 की जनगणनाओं के अनुसार देश में कृषकों की संख्या क्रमशः 78.2 मिलियन, 92.5 मिलियन तथा 110.7 मिलियन है। कृषि संगणनाओं 1970-71, 1980-81 तथा 1990-91 के अनुसार, प्रचालनात्मक जोतों की अनुमानित संख्या क्रमशः 71.0 मिलियन, 88.9 मिलियन तथा 106.6 मिलियन है। इस प्रकार सांझी जोतों के कारण कृषकों की संख्या, प्रचालनात्मक जोतों की संख्या से अधिक है।

उड़ीसा में खारे पानी में मत्स्यपालन को बढ़ावा देना

2421. श्री प्रभात सामन्तरायः क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार उड़ीसा में, विशेषकर चक्रवात से प्रभावित जिलों में खारे पानी में मत्स्यपालन को बढ़ावा देने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो वर्ष 2000-2001 के दौरान खारे पानी में मत्स्यपालन को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य कृषकों को दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान) : (क) उड़ीसा सहित देशभर में खारा जल मत्स्य किसान विकास एजेंसियों के जरिए एक केन्द्रीय प्रायोजित अर्थात् समेकित तटवर्ती जलकृषि जिसमें झींगा पालकों के लिए तकनीकी, वित्तीय और विस्तार समर्थन शामिल है, क्रियान्वित की जा रही है।

(ख) उड़ीसा में केन्द्रपाडा, गंजम, खुर्दा, पुरी, जगतसिंहपुर, बालसोर और भद्रक के तटवर्ती जिलों में सात खारा जल मत्स्य किसान विकास एजेंसियाँ स्थापित की गई हैं। उपरोक्त योजना के तहत 2000-2001 के दौरान उड़ीसा सरकार को 48.75 लाख रुपए की राशि जारी की गई है। इसके अलावा, खारा जल मात्स्यिकी के संवर्धन के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(1) झींगा किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रदर्शन सह प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना द्वारा मानव संसाधन का विकास करना,

(2) सतत खारा जल जलकृषि पद्धतियों के विकास और प्रबंधन के लिए मानदंड तैयार करने सम्बन्धी दिशानिर्देश जारी करना,

(3) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत जलकृषि प्राधिकरण की स्थापना करके पारिस्थितिकी अनुकूल तरीके से तटवर्ती क्षेत्रों में झींगा पालन सम्बन्धी क्रिया-कलापों को विनियमित करना, और

(4) उड़ीसा राज्य में झींगा पालन के लिए लगभग 283 हेक्टेयर क्षेत्र को विकसित करने के लिए झींगा और मत्स्य पालन सम्बन्धी विश्व बैंक परियोजना को क्रियान्वित करना।

[हिन्दी]

ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए परियोजना

2422. श्री सुरेश चन्देल: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार किसी गाँव में केवल एक बल्ब लगाकर या केवल एक विद्युत खंभा लगाकर उस गाँव को विद्युतीकृत गाँव मान लेती है जबकि पूरा गाँव अंधेरे में डूबा रहता है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार ग्रामीण विद्युतीकरण की वर्तमान परिभाषा को बदलने का है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) शत प्रतिशत ग्रामीण विद्युतीकरण का लक्ष्य कब तक प्राप्त होने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) सरकार ने अक्तूबर, 1997 में ग्रामीण विद्युतीकरण की परिभाषा में परिवर्तन किया है। ग्रामीण विद्युतीकरण की पूर्व परिभाषा के अनुसार:

"एक गाँव को विद्युतीकृत माना जाएगा यदि उसके राजस्व क्षेत्र में किसी भी प्रयोजन से विद्युत का प्रयोग हो रहा हो।"

उक्त परिभाषा तब निर्धारित की गई थी जब विद्युतीकरण का स्तर काफी कम था एवं विद्युत सम्बन्धी सुविधाओं को गाँवों के स्तर तक ले जाने का लक्ष्य था। 1995 में औद्योगिक विद्युत मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति सार्वजनिक उपक्रम पर समिति की बैठकों में यह महसूस किया गया कि ग्रामीण विद्युतीकरण की पूर्व परिभाषा का क्षेत्र सीमित एवं अपर्याप्त था। अतः उन्होंने इसकी पुरानी परिभाषा पर पुनः गौर करने का विचार किया ताकि कम से कम गाँवों के आबादी वाले क्षेत्रों को इसकी परिधि में शामिल किया जा सके। मामले की के.वि.प्रा. एवं राज्य वि. बोर्डों के परामर्श से जाँच की गई एवं इसकी परिभाषा को निम्नलिखित रूप में बदलने का निर्णय लिया गया:

"एक गाँव को विद्युतीकृत माना जाएगा यदि उस गाँव के राजस्व क्षेत्र के आबादी वाले स्थान में किसी भी प्रयोजन से विद्युत का उपयोग हो रहा हो।"

(ग) और (घ) सरकार के पास ग्रामीण विद्युतीकरण की मौजूदा परिभाषा को बदलने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ङ) राज्यों के ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम को पूरा करने सम्बन्धी प्राथमिकताओं का निर्धारण सम्बन्धित राज्य सरकारों/रा.वि. बोर्डों/विद्युत यूटिलिटियों द्वारा किया जाता है। 1991 की जनगणना के अनुसार देश में आबादी वाले 5,87,258 गाँवों में से सितम्बर, 2000 के अंत तक 5,07,216 गाँवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। देश में गाँवों के पूर्ण विद्युतीकरण हेतु समय सीमा मुख्यतः वितरण प्रणाली तैयार करने/सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं राज्य में विद्युत की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

[अनुवाद]

"विश्वव्यापी परिवर्तन"

2423. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:
श्री आर.एस. पाटिल:

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जेराक मील और नेशनल क्लाइमेटिक डाटा सेन्टर के डेविड इंस्टरलिंग के अनुसार उग्र मौसम में अत्यंत वृद्धि हुई है;

(ख) क्या बीसवीं सदी के आरम्भ में पृथ्वी का तापमान लगभग 0.6 डिग्री सेल्सियस (1.1 डिग्री फारेनहाइट) बढ़ गया है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या इसके कारण अधिक वर्षा होने, अधिक गर्मी पड़ने और सूखे की आशंका बढ़ने की संभावना है; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार की इस चकित करने वाले विश्वव्यापी परिवर्तन पर क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (ग) जी हाँ। अध्ययन उग्र मौसम की घटनाओं में वृद्धि दर्शाता है।

(घ) पर्यावरण के संरक्षण और उसमें सुधार लाने के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों सहित देश में मौजूदा कानून एवं नीतिगत ढाँचा विश्वव्यापी परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए पर्याप्त है।

[हिन्दी]

"महाराष्ट्र में वनों का विकास"

2424. श्री उत्तमराव पाटील: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा देश में विशेषकर महाराष्ट्र में वनों के विकास पर कोई सर्वेक्षण करवाया गया है या कराए जाने का विचार है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार ने वनों के विकास से सम्बन्धित कोई प्रस्ताव भेजा है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त प्रस्ताव को कब तक अनुमोदित किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ख) जी, हाँ। भारतीय वन सर्वेक्षण 1987 से उपग्रह आँकड़ों का प्रयोग करके हर दो वर्ष बाद देश के वन आवरण का मूल्यांकन कर रहा है। हाल ही में प्रकाशित स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, 1999 के अनुसार देश में और महाराष्ट्र में वन आवरण में क्रमशः 3896 वर्ग कि.मी. और 529 वर्ग कि.मी. की बढ़ोत्तरी हुई है।

(ग) से (ङ) महाराष्ट्र राज्य के लिए नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 25005 हे. के सुधार के लिए 2223.27 लाख रु. के परिव्यय में से 14 परियोजनाएँ अनुमोदित की गई हैं। इसके अतिरिक्त समन्वित ग्राम वनीकरण समृद्धि योजना के तहत 6892.39 लाख रु. के प्रस्तावित परिव्यय के साथ अगस्त, 2000 में 8 परियोजनाएँ प्राप्त हुई हैं। ये प्रस्ताव स्कीम सम्बन्धी दिशानिर्देशों और लागत नियमों के अनुसार तैयार नहीं किए गए हैं। इन प्रस्तावों को राज्य सरकार द्वारा उपयुक्त ढंग से संशोधित किए जाने की शर्त पर ही अनुमोदित किया जाएगा।

[अनुवाद]

उन्नीसवीं विश्व खान बैठक (कौंग्रेस)

2425. श्री मंजय लाल: क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्होंने कोयला मंत्री के साथ हाल ही में 2003 के दौरान भारत में किए जाने वाले 19वीं विश्व खान बैठक के आयोजन के सम्बन्ध में अमेरिका का दौरा किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या परिणाम रहे?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंग राव गायकवाड़ पाटील): (क) और (ख) तत्कालीन युवा कार्यक्रम एवं खेल तथा खान मंत्री ने 18वीं विश्व खनन कौंग्रेस में भाग लेने के लिए अक्तूबर, 2000 में लास वेगास, यू.एस.ए. का दौरा किया था। अगली विश्व खनन कौंग्रेस का मेजबान बनने के लिए भारत को नामांकित किया गया जिसे भारत ने स्वीकार कर लिया। तद्नुसार, भारत में नवम्बर, 2003 में आयोजित की जाने वाली 19वीं विश्व खनन कौंग्रेस की व्यवस्था की देखरेख करने के लिए उन्होंने बैठक की अध्यक्षता की। कोयला राज्य मंत्री ने भी 18वीं विश्व खनन कौंग्रेस में भाग लिया था।

[हिन्दी]

बिहार में कदवाँ पनबिजली परियोजना की स्थापना

2426. मोहम्मद शहाबुद्दीन: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को बिहार सरकार से सोन नदी पर 450 मेगावाट की कदवाँ पनबिजली परियोजना की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना को कब तक मंजूरी मिलने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ग) कदवाँ जल विद्युत परियोजना (5x90 मे.वा.), जिसकी अनुमानित लागत 759.90 करोड़ रु. है, (जनवरी, 1994 का मूल्य स्तर) की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.डी.आर.) बिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (बी.एच.पी.सी.) से फरवरी, 1995 में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को प्राप्त हुई। कदवाँ सोन नदी पर संस्थापित की जा रही बहुउद्देशीय स्टोरेज परियोजना है जिसका मुख्य लक्ष्य सिंचाई, जल-विद्युत एवं बाढ़ नियंत्रण है। मार्च, 1995 में उक्त डी.पी.आर. बी.एच.पी.सी. को इस अनुरोध के साथ वापस कर दी गई कि बहुउद्देशीय परियोजना के सम्बन्ध में जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार के समन्वय से एक समेकित परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।

[अनुवाद]

"जैव-विविधता परियोजना"

2427. श्री विक्रम केशरी देवः क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने किसी जैव-विविधता परियोजना को संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल इन्वायरमेंट फेसिलिटी द्वारा वित्तपोषित किए जाने और देश में 9,68,200 डालर की लागत से कोई परियोजना आरम्भ करने की पहल की है;

(ख) यदि हाँ, तो इस परियोजना का आरम्भ पर्यावरणीय पहलुओं और पूर्वी घाट के पारिस्थितिकी संतुलन को ध्यान में रखते हुए किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस कार्यक्रम के कब तक पूरा होने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) जी, हाँ। सरकार ने विश्व पर्यावरणीय सुविधा की वित्तीय सहायता से एक राष्ट्रीय जैव विविधता कार्यनीति एवं कार्रवाई आयोजना प्रोजेक्ट शुरू किया है।

(ख) इस परियोजना की कार्यनीति एवं कार्रवाई योजना तैयार करने के लिए अभिनिर्धारित परिक्षेत्रों में पूर्वी घाट एक है।

(ग) सरकारी तौर पर यह परियोजना 11.4.2000 को शुरू की गई थी। परियोजना की अवधि दो वर्ष की है।

ऊर्जा के पुनःप्रयोज्य स्रोतों के लिए नई नीति का मसौदा

2428. मोहम्मद अनवारुल हकः
श्री राम प्रसाद सिंहः
श्री एस.डी.एन.आर. वाडियारः

क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या ऊर्जा के पुनःप्रयोज्य स्रोतों के विकास के लिए नई नीति का मसौदा सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी मुख्य विशेषताएँ क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने उक्त नीति का अनुमोदन कर दिया है;

(घ) यदि हाँ, तो कब तक इस नीति को कार्यान्वित किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन) : (क) और (ख) जी, हाँ। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय ने देश में अक्षय ऊर्जा स्रोतों के विकास के लिए अक्षय ऊर्जा नीति विवरण का प्रारूप तैयार किया है। इस नीति विवरण का उद्देश्य न्यूनतम ग्रामीण ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति करने; ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कृषि, उद्योग, वाणिज्यिक तथा घरेलू क्षेत्रों के लिए विकेन्द्रित/ऑफ-ग्रिड आपूर्ति उपलब्ध कराने; और ग्रिड किस्म की बिजली का उत्पादन और आपूर्ति करने के लिए अक्षय स्रोतों नामतः सौर, पवन, बायोमास तथा लघु पन बिजली के योगदान में वृद्धि करना है।

(ग) से (ङ) मंत्रालय द्वारा इस नीति विवरण के प्रारूप को आगे के अनुमोदनों के लिए प्रस्तुत कर दिया गया है।

कर्नाटक में राष्ट्रीय एकीकृत उत्पाद बाजार

2429. श्री कोलूर बसवनागौड़ः क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक में राष्ट्रीय एकीकृत उत्पाद बाजार की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता माँगी है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त वित्तीय सहायता पर कितनी ब्याज दर लगाने का विचार है;

(घ) क्या माँगी गई सहायता मंजूर कर ली गई है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपद यासो नाईक) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) ये प्रश्न नहीं उठते।

"वन भूमि का अतिक्रमण"

2430. श्री जार्ज ईडनः क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केरल में वृक्षारोपण कंपनियों ने वन भूमि पर अतिक्रमण कर लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (ग) राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

2431. श्री राम नायडू दग्गुबाटि: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन और औसत पैदावार के आधार पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना की संभावनाओं की खोज जरूरी है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के संवर्द्धन के लिए नए कदम उठाने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्री टीएच. चाओबा सिंह) : (क) से (ङ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना कच्चे माल की प्रसंस्करण योग्य किस्मों की उपलब्धता, उनकी उत्पादकता, प्रसंस्कृत खाद्य की माँग, उत्पादन लागत तथा मूल्य आदि जैसी कई बातों पर निर्भर करती है।

सरकार ने देश में प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए कई नीतिगत पहलें की हैं जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

(i) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग की योजना स्कीमों के तहत गैर-सरकारी उद्योगों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, गैर-सरकारी संगठनों, सहकारिताओं, मानव संसाधन विकास संगठनों तथा अनुसंधान और विकास संस्थाओं आदि को प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र के विकास के लिए आसान शर्तों पर ऋण तथा अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।

(ii) बैंक उधार के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्राथमिकता वाले क्षेत्र की सूची में सम्मिलित किया गया है।

(iii) अधिकांश खाद्य वस्तुओं का उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के तहत लाइसेंस लेने की अनिवार्यता से छूट दी गई है।

(iv) एल्कोहल एवं बीयर तथा लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित प्रसंस्कृत खाद्य वस्तुओं को छोड़कर अधिकांश प्रसंस्कृत खाद्य वस्तुओं के मामले में कुछ शर्तों के अध्यधीन विदेशी इक्विटी के स्वत: अनुमोदन की सुविधा उपलब्ध है।

[हिन्दी]

अखिल भारतीय महिला फुटबाल प्रतियोगिता

2432. श्री पुन्नू लाल मोहले: क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिले में अखिल भारतीय महिला फुटबाल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रतियोगिता के लिए किन-किन स्रोतों से कितनी राशि प्राप्त हुई है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन्) : (क) अखिल भारतीय फुटबाल परिसंघ से प्राप्त जानकारी के अनुसार उसने मध्य प्रदेश के कोरबा जिले में अखिल भारतीय महिला फुटबाल प्रतियोगिता का आयोजन नहीं किया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

विभागेत्तर डाकघर शाखाएँ/उप-डाकघरों का खोला जाना

2433. श्री ब्रजमोहन राम: क्या संचार मंत्री 24 अप्रैल, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4393 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वित्त वर्ष के दौरान 500 विभागेत्तर डाकघर शाखाएँ और 50 विभागीय उप-डाकघरों को खोले जाने के लिए वित्त मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, अभी तक अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखकर किसी प्रकार के उत्तर की आवश्यकता नहीं है।

[अनुवाद]

सड़क नेटवर्क की गुणवत्ता

2434. श्री वी.एस. शिवकुमार: क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत में 3 मिलियन किलोमीटर सड़क नेटवर्क है जो कि विश्व के सर्वाधिक बड़े

सड़क नेटवर्कों में से एक है लेकिन इस सड़क नेटवर्क की गुणवत्ता उपयुक्त नहीं है और इससे कुशल और तीव्र गति के यातायात की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती; और

(ख) यदि हाँ, तो देश में सड़कों की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) जी, हाँ।

(ख) केन्द्र सरकार केवल राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रख-रखाव के लिए उत्तरदायी है। केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के सुधार के लिए अनेक उपाय किए हैं जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना शुरू करना, ऊपरी सतह सुधार कार्यक्रम, राष्ट्रीय राजमार्गों पर 4 लेन बनाना, मौजूदा पेवमेंटों को मजबूत करना आदि। ग्रामीण सड़कों के विकास, राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्यीय सड़कों और आर्थिक तथा अंतर्राज्यीय महत्त्व की सड़कों के विकास और रख-रखाव के लिए समर्पित कोष के सृजन हेतु केन्द्रीय सड़क निधि का नवीकरण भी किया गया है।

"उत्तर प्रदेश में वनावरण"

2435. श्री जयभद्र सिंह: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनाँक 10 जुलाई, 2000 के 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' में 'फारेस्ट्स ग्रो ऑन पेपर इन उत्तर प्रदेश' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश में घना वन क्षेत्र घट रहा है;

(घ) यदि हाँ, तो क्या हाल ही में कोई वन सर्वेक्षण किया गया है;

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सर्वेक्षण के क्या परिणाम निकले;

(च) वर्षों से दो बिलियन पौधरोपण पर कितना खर्चा हुआ;

(छ) क्या गोरखपुर, गोंडा, भराइच, नैनीताल, अल्मोड़ा और देहरादून सहित तराई क्षेत्र में अवैध रूप से पेड़ों की कटाई वर्षों से चिंता की बात रही है; और

(ज) यदि हाँ, तो राज्य में हरियाली की बहाली हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) से (ङ) भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा उपग्रह आँकड़ों का उपयोग करके वर्ष 1987 से देश के वन आवरण का मूल्यांकन हर दो वर्ष में किया जाता है। वन स्थिति रिपोर्ट, 1999 के अनुसार उत्तर प्रदेश के वन आवरण में 22 वर्ग कि.मी. की वृद्धि हुई है तथा सघन वन क्षेत्र में 56 वर्ग कि.मी. की कमी हुई है।

(च) से (ज) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना

2436. श्री वैको: क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में नई दिल्ली में हुई उच्चस्तरीय बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना की कोई समीक्षा की गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) जी, हाँ।

(ख) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण फिलहाल चल रही 41 परियोजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है जिनमें से नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार 33 परियोजनाएँ राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना रूटों पर हैं तथा 8 परियोजनाएँ अन्य रूटों पर हैं:–

	परियोजनाओं की संख्या	लम्बाई (कि.मी. में)	लागत (करोड़ रु. में)	लक्ष्य
स्वर्णिम चतुर्भुज	13	697	3010	दिसम्बर, 2003
उत्तर-दक्षिण पूर्व-पश्चिम	20	272	839	दिसम्बर, 2003
अन्य	8	216	989	दिसम्बर, 2003
जोड़	41	1185	4838	

परियोजनाओं का कार्य निर्धारित समय के अनुसार प्रगति पर है।

डाक जीवन बीमा

2437. श्री दिनशा पटेल: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान गुजरात में डाक जीवन बीमा का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या सरकार उक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रही है;

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) देश में डाक जीवन बीमा के कार्यान्वयन के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) निर्धारित लक्ष्य एवं उपलब्धि (करोड़ रुपये में) निम्नलिखित के अनुसार है:

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि
1998-99	132 करोड़ रु.	142 करोड़ रु.
1999-2000	150 करोड़ रु.	213 करोड़ रु.

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) डाक जीवन बीमा पहले से ही समूचे देश में लागू है। मुख्य पोस्टमास्टर जनरलों के प्रभार के अधीन इसके 19 सर्किल कार्यालय हैं और रक्षाकर्मियों के लिए बीमा सम्बन्धी कार्य अपर महादेशक, सेना डाक सेवा के अधीन है।

राष्ट्र में लंबी दूरी वाला दूरसंचार बाजार

2438. श्रीमती रेणूका चौधरी:
श्री माधवराव सिंधिया:
श्री सुशील कुमार शिंदे:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्र के लंबी दूरी वाले दूरसंचार बाजार को नियंत्रणमुक्त करने के निर्णय के पीछे क्या परिस्थितियाँ और बाध्यताएँ हैं; और

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है कि इस क्षेत्र में काम कर रहे विभिन्न निजी और सरकारी अभिकरणों के क्रिया-कलाप देश के सर्वोत्तम हित और सेवा के अनुकूल बने?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) सरकार ने 1999 में राष्ट्रीय लंबी दूरी दूरसंचार क्षेत्र की शुरूआत की पुनरीक्षा करने के लिए विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) में प्रतिबद्धता व्यक्त की है। 1999 में घोषित नई दूरसंचार नीति में निजी क्षेत्र की भागीदारी हेतु प्रतिस्पर्धा, उपभोक्ताओं के विकल्प और देश में लंबी दूरी बैण्ड विद्युत क्षमता को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय लंबी दूरी सेवा की शुरूआत करने की परिकल्पना की गई थी।

(ख) सरकार और निजी एजेंसियों लाइसेंस करार की शर्तों के अनुसार सेवा प्रदान करेंगी जिससे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा प्राप्त होगी।

"प्राणी उद्यानों और आरक्षित वनों में बाघों का संरक्षण"

2439. श्री जी.एस. बसवराज:
श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने केन्द्रीय प्राणी उद्यान के प्राधिकरण के प्रमुख को देश के प्राणी उद्यानों और आरक्षित वनों में बाघों की जनसंख्या को संरक्षित करने के सम्बन्ध में उठाए गए कदमों को व्यक्तिगत रूप से स्पष्ट करने के लिए सम्मन जारी किए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में जारी किए गए दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन्हें क्रियान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (ग) माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के सदस्य सचिव 20 नवम्बर, 2000 को न्यायालय में पेश हुए थे। केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की ओर से उनका पक्ष सुनने के पश्चात् माननीय न्यायालय ने निर्देश दिया कि केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण से अनुमति लिए बगैर और न्यायालय के आदेशों के बिना कोई भी राज्य सरकार अथवा केन्द्रशासित प्रदेश नया चिड़ियाघर स्थापित नहीं करेगा। वन्य प्राणियों की सुरक्षा व्यवस्था बिना कोई और विलम्ब किए सुदृढ़ बनाई जानी चाहिए और राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को चिड़ियाघर के प्रबंधन में सुधार के लिए आवश्यक उपायों के बारे में केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के सदस्य सचिव के शपथ-पत्र में दिए गए सुझावों पर अमल करना चाहिए।

[हिन्दी]

फसलों की क्षति

2440. श्री पदमसेन चौधरी: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नेपाल से निकलने वाली नदियों में बाढ़ आने के कारण उत्तर प्रदेश के सीमांत जिलों में धन संपत्ति और फसलों की बड़े पैमाने पर क्षति हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इन सीमांत जिलों में फसलों, धनसंपत्ति और पशु धन को किस हद तक क्षति पहुँची है;

(ग) क्या सरकार ने नेपाल से निकलने वाली नदियों में आने वाली बाढ़ से इन क्षेत्रों को बचाने के लिए कोई योजना बनाई है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपद यासो नाईक) : (क) और (ख) विगत तीन वर्षों में बाढ़ के कारण उत्तर प्रदेश में फसल क्षेत्र, मकानों तथा पशुधन को हुई क्षति का ब्यौरा निम्नवत है:

वर्ष	क्षतिग्रस्त फसल क्षेत्र (लाख हेक्टे.)	क्षतिग्रस्त मकान (लाख)	मृत पशु (संख्या)
1997-98	1.55	0.05	114
1998-99	14.15	3.85	3399
1999-2000	0.33	0.01	9

जिलावार जानकारी नहीं रखी जाती।

(ग) और (घ) बाढ़ प्राकृतिक आपदा होने के कारण सभी प्रकार की बाढ़ों तथा उनके आने की संभावना होने पर सभी बाढ़ प्रवण क्षेत्रों की सम्पूर्ण रक्षा कर पाना न तो सम्भव है और न ही आर्थिक रूप से व्यवहार्य है। बाढ़ प्रबंध की जिम्मेवारी सम्बन्धित राज्य सरकार की होती है। तथापि, केन्द्र सरकार योजना आयोग के माध्यम से वार्षिक योजना में बाढ़ नियंत्रण स्कीमों के लिए राज्य सरकारों को धनराशि उपलब्ध कराती है।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में नेहरू युवक केन्द्र

2441. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले: क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सामान्यतः महाराष्ट्र में और विशेषकर विदर्भ क्षेत्र में नेहरू युवक केन्द्र कौन-कौन से स्थानों पर कार्य कर रहे हैं और उनके कार्य क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सामान्यतः महाराष्ट्र में और विशेषकर विदर्भ क्षेत्र में इस योजना के अंतर्गत नेहरू युवक केन्द्रों को सौंपे गए कार्य और आबंटित तथा उपयोग में गई धनराशि का ब्यौरा क्या है और चालू वर्ष तथा नौवीं पंचवर्षीय योजना में कितना आबंटन किया गया;

(ग) क्या उनके कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन किया गया है और यदि हाँ, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(घ) क्या सरकार इस योजना के पुनर्गठन पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन्) : (क) महाराष्ट्र में और विशेष रूप से विदर्भ क्षेत्र में कार्य कर रहे नेहरू युवा केन्द्रों की सूची संलग्न विवरण–I में दी गई है।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

(ग) योजना आयोग द्वारा ने.यु.के.सं. के प्रपत्र की समीक्षा 1990-91 में की गई थी और इस संगठन को मजबूत करने के लिए सुझाव दिए गए थे।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण–I

महाराष्ट्र और विशेष रूप से विदर्भ क्षेत्र में कार्य कर रहे नेहरू युवा केन्द्रों की सूची

क्र.सं.	आंचलिक कार्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय	केन्द्र का कार्यालय
1.	मुम्बई	1. पुणे	1. औरंगाबाद
	(महाराष्ट्र)	(महाराष्ट्र)	2. अलीबाग
			3. बुलडाना
			4. जालना
			5. थाणे
			6. कल्याण (पूर्वी)
			7. जलगाँव
			8. अहमद नगर
			9. नासिक
			10. बीड़
			11. धुले
			12. पुणे
	(विदर्भ क्षेत्र)	2. नागपुर	1. भंडारा
		(महाराष्ट्र)	2. यवतमाल
			3. अमरावती
			4. गड चरोली
			5. नांदेड़
			6. नागपुर
			7. अकोला
			8. चंद्रपुर
			9. वर्धा
			10. परभनी

क्र.सं.	आंचलिक कार्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय	केन्द्र का कार्यालय
		3. पणजी	1. कोल्हापुर
		(गोवा)	2. शोलापुर
			3. सिंधदुर्ग
			4. दक्षिण गोवा (मारगोवा)
			5. सांगली
			6. पणजी
			7. रत्नागिरि
			8. लातूर
			9. सतारा
			10. उस्मानाबाद
			11. उत्तरी गोवा

विवरण–II

योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की प्रक्रिया में ग्रामीण युवा क्लबों को उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने और राष्ट्रीय हित के मूल्यों को लोकप्रिय बनाने के लिए तैयार करना है। इन उद्देश्यों को बढ़ाने के लिए, प्रत्येक नेहरू युवा केन्द्र अपने नियमित कार्यक्रमों को आयोजित करता है। इसके अलावा, नेहरू युवा केन्द्र युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की योजनाएँ भी कार्यान्वित करते हैं। ने.यु.के.सं. के नियमित कार्यक्रम और ने.यु.के.सं. द्वारा कार्यान्वित की जा रही युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की योजनाएँ निम्नलिखित हैं:

नियमित कार्यक्रम:

- युवा क्लब विकास कार्यक्रम
- जागरूकता पैदा करने का कार्यक्रम
- व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम
- खेल संवर्धन कार्यक्रम
- कार्यशालाएं और सेमिनार
- सांस्कृतिक कार्यक्रम
- कार्य शिविर
- साक्षरता संवर्धन कार्यक्रम
- राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवसों/सप्ताहों को मनाना।

नेहरू युवा केन्द्र संगठन द्वारा कार्यान्वित की जा रही युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की योजनाएँ:

- राष्ट्रीय सेवा स्वयंसेवक योजना
- युवा विकास केन्द्र
- उत्कृष्ट युवा क्लबों को पुरस्कार
- युवा क्लबों को वित्तीय सहायता
- ग्रामीण खेल क्लब योजना

आठवीं योजना अवधि (1992-93 से 1996-97 तक) के दौरान जारी की गई और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा

जारी की गई धनराशि		उपयोग की गई धनराशि	
महाराष्ट्र	विदर्भ क्षेत्र	महाराष्ट्र	विदर्भ क्षेत्र
3,87,07,154.8	1,32,86,820.8	3,48,81,197.84	1,18,79,993.41

2000-2001 तथा 9वीं योजना अवधि के दौरान जारी की गई धनराशि

(2000-2001)		(1997-98 से 2000-2001) नौवीं योजना	
महाराष्ट्र	विदर्भ क्षेत्र	महाराष्ट्र	विदर्भ क्षेत्र
1,37,61,966.00	40,42,489.00	5,03,90,465.00	1,54,60,888.00

कृषि उत्पादों की आवाजाही

2442. डा. वी. सरोजा: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सम्पूर्ण देश में कृषि उत्पादों की बेरोकटोक आवाजाही को अनुमति देने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपद यासो नाईक) : (क) और (ख) देश में किसानों की मांग को ध्यान में रखते हुए और उन्हें देश में कहीं भी अपने उत्पाद के बाजार मूल्य प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए मार्च, 1993 में केन्द्र सरकार ने खाद्यान्नों के संचलन पर सभी अन्तर-राज्यीय और अन्तःराज्यीय प्रतिबन्ध हटाने का निर्णय लिया और सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को तदनुसार कार्रवाई करने का अनुरोध किया। सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने जम्मू व कश्मीर, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु को छोड़कर, खाद्यान्नों के निर्बाध संचालन की नीति का अनुपालन करने के लिए कार्रवाई की है। ये तीनों राज्य स्थानीय परिस्थितियों

की वजह से धान/चावल पर संचलन सम्बन्धी प्रतिबन्ध रखना चाहते हैं। हाल ही में उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से किसी भी किस्म के प्रतिबन्ध न लगाने का अनुरोध किया है क्योंकि यह देखा गया है कि कुछ राज्य/संघ शासित क्षेत्र स्वयं अपनी ओर से संचलन पर अनौपचारिक प्रतिबन्ध लगा देते हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

इंटरनेट सुविधा

2443. श्री विजय कुमार खंडेलवाल:
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:
श्री राजो सिंह:
श्री भाल चन्द्र यादव:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की देश के सभी जिलों में इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने की कोई नीति है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह सुविधा कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी;

(ग) देश में राज्य-वार इंटरनेट सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए सरकार के पास कितने आवेदन लंबित हैं;

(घ) उन पर क्या कार्रवाई की गई;

(ङ) वर्ष 2000-2001 के दौरान राज्य-वार इंटरनेट से जोड़े जाने वाले प्रस्तावित शहरों के नाम क्या-क्या हैं;

(च) क्या इंटरनेट चलाने के लिए विद्युत की अबाधित आपूर्ति सुनिश्चित की गई है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके लिये क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) सरकार के दिनांक 25 जुलाई, 1998 की राजपत्रित अधिसूचना के अनुसार देश के सभी जिला मुख्यालयों को इंटरनेट सुविधा निकटतम इंटरनेट नोड से स्थानीय कॉल आधार पर उपलब्ध करा दी गई है।

(ग) इंटरनेट उपभोक्ता की राज्यवार प्रतीक्षा सूची संलग्न विवरण–I (30.09.2000 की स्थिति के अनुसार) में दी गई है। इसमें भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.)/विदेश संचार निगम लिमिटेड (वी.एस.एन.एल.)-महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम.टी.एन.एल.) शामिल हैं।

(घ) बी.एस.एन.एल. नेशनल इंटरनेट बैकबोन चरण-I स्थापित करने की कार्रवाई कर रहा है, यह बैकबोन प्रथम चरण में 15 स्थानों को शामिल करेगी, जिसके लिए उपस्कर प्राप्त करके संस्थापित किए जा चुके हैं। इन नोडों को चालू करने की प्रक्रिया चल रही है तथा इस परियोजना के दिसम्बर 2000 के अंत तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है।

(ङ) जिन शहरों को वर्ष 2000-2001 के दौरान इंटरनेट नोड प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है, उनके नाम संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(च) जी, हाँ। जहाँ तक इंटरनेट नोड उपस्कर को चलाने के लिए विद्युत आपूर्ति की जरूरतों का सम्बन्ध है।

(छ) उपर्युक्त भाग (च) को ध्यान में रखते, प्रश्न नहीं उठता।

विवरण–I

30 सितम्बर, 2000 की स्थिति के अनुसार सरकार के पास इंटरनेट के लिए प्रतीक्षा सूची/लंबित आवेदनपत्रों का राज्यवार ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य का नाम	प्रतीक्षा सूची
1.	अंडमान निकोबार	0
2.	आंध्र प्रदेश	46
3.	अरूणाचल प्रदेश	0
4.	असम	0
5.	बिहार	0
6.	दिल्ली	0
7.	गुजरात	9
8.	हरियाणा	0
9.	हिमाचल प्रदेश	0
10.	जम्मू-कश्मीर	19
11.	कर्नाटक	0
12.	केरल	75
13.	मध्य प्रदेश	0
14.	महाराष्ट्र	0
15.	मणिपुर	0
16.	मेघालय	0
17.	मिजोरम	0
18.	नागालैंड	0
19.	उड़ीसा	33
20.	पंजाब	0
21.	राजस्थान	0
22.	तमिलनाडु	411
23.	त्रिपुरा	50
24.	उत्तर प्रदेश	0
25.	प. बंगाल	363
	कुल जोड़	1006

टिप्पणी : इनमें भारत संचार निगम लि., महानगर टेलीफोन निगम लि. और विदेश संचार संचार निगम लि. के आँकड़े शामिल हैं।

विवरण–II

वर्ष 2000-2001 के दौरान इंटरनेट नोडों के लिए प्रस्तावित शहरों की सूची

क्रम सं.	सर्किल	इंटरनेट नोडों की सूची स्टेशन
I.		अंडमान-निकोबार
I.	*अंडमान-निकोबार*	पोर्ट ब्लेयर
II.	*आंध्र प्रदेश*	
1		हैदराबाद
2.		विजयवाड़ा
3.		विशाखापट्नम
4.		तिरूपति
5.		राजामुंदरी
6.		गुंटूर
7.		इलूरु
8.		वारंगल
9.		अड़िलाबाद
10.		अनंतपुर
11.		कुड्डापाह
12.		करीमनगर
13.		खाम्म्भ
14.		कुरुनूल
15.		संगारेड्डी
16.		नेल्लोर
17.		श्रीकाकुलम
18.		महबूबनगर
19.		नालगोंडा
20.		अंगोले
21.		विजियानगरम
III.	*असम*	
1.		गुवाहाटी
2.		जोरहाट
3.		सिलचर
4.		बोंगई गाँव
5.		वारपेटा
6.		धुबरी
7.		डिब्रूगढ़
8.		गोलघाट
9.		करीमगंज
10.		नगाँव
11.		उ. लखीमपुर
12.		शिवसागर
13.		तेजपुर
14.		तिनसुकिया
IV.	*बिहार*	
1.		पटना
2.		जमशेदपुर
3.		राँची
4.		भागलपुर
5.		बोकारो
6.		धनबाद
7.		दरभंगा
8.		गया
9.		मुजफ्फरपुर
10.		आराह
11.		छपरा
12.		डालटनगंज
13.		दुमका
14.		हजारीबाग
15.		कटिहार
16.		मोतीहारी
17.		मुंगेर
18.		सासाराम
V.	*गुजरात*	
1.		अहमदाबाद
2.		सूरत
3.		वडोडरा
4.		राजकोट
5.		भावनगर

क्रम सं.	सर्किल	इंटरनेट नोडों की सूची स्टेशन
6.		जामनगर
7.		गाँधीनगर
8.		भड़ौंच
9.		भुज
10.		जूनागढ़
11.		महसाणा
12.		सुरेन्द्रनगर
13.		बलसाड़
14.		पालमपुर
15.		हिम्मतनगर
16.		गोधरा
17.		दमन
18.		अमरेली
19.		सिलवासा
20.		दिव
21.		आनंद
22.		नवसारी
VI.	*हिमाचल प्रदेश*	
1.		शिमला
2.		सोलन
3.		मंडी
4.		धर्मशाला
5.		हमीरपुर
6.		कुल्लू
VII.	*हरियाणा*	
1.		फरीदाबाद
2.		गुड़गाँव
3.		अम्बाला
4.		पानीपत
5.		हिसार
6.		रोहतक
7.		सोनीपत
8.		वाई नगर
9.		करनाल

क्रम सं.	सर्किल	इंटरनेट नोडों की सूची स्टेशन
10.		के.के.आर.
11.		सिरसा
12.		भिवानी
13.		बहादुरगढ़
14.		जींद
15.		रिवाड़ी
16		कैथल
17.		फतेहाबाद
18.		नारनौल
VIII.	*जम्मू और कश्मीर*	
1.		जम्मू
2.		श्रीनगर
3.		राजौरी
4.		उधमपुर
5.		लेह
IX.	*कर्नाटक*	
1.		बंगलौर
2.		मैसूर
3.		धारवाड़
4.		बेलगाम
5.		बेल्लारी
6.		देवनगेर
7.		गुलबर्गा
8.		सिमोगा
9.		तुमकुट
10		बागाल कोट
11.		बीदर
12.		बीजापुर
13.		चित्रादुर्गा
14.		गडग
15.		हावोरी
16.		कोलार
17.		कोप्पाल
18.		रायचूर

क्रम सं.	सर्किल	इंटरनेट नोडों की सूची स्टेशन
X.	केरल	
1.		अर्नाकुलम
2.		त्रिवेन्द्रम
3		कन्नाउर
4		काझीकोड
5.		त्रिचूर
6.		कोल्लाम
7.		कोट्टायम
8.		पालघाट
9.		पथनामथिटा
10.		एल्लेपी
11.		कासरगाड
12.		मालापुरम
13.		कलूपेटो
14.		इदूकी
15.		कावाराथी
XI.	मध्य प्रदेश	
1.		इन्दौर
2.		भोपाल
3.		ग्वालियर
4.		जबलपुर
5.		रायपुर
6.		दुर्ग
7.		उज्जैन
8.		बिलासपुर
9.		[illegible]
10.		सागर
11.		देवास
12.		सतना
13.		रीवा
14.		खान्डवा
15.		मन्दसौर
16.		छिन्दवाड़ा
17.		गुना
18.		कटनी
19.		विदिशा
20.		धार
21.		छतरपुर
22.		राजगढ़
23.		खरगौन
24.		शिवपुरी
25.		मुरैना
26.		भीन्द
27.		बेतुल
28.		राजनन्दगोन
29.		जगदलपुर
30.		सिवोली
31.		कोरबा
32.		होशंगाबाद
33.		बालाघाट
34.		दमोह
35.		सलुजा (अंबिकापुर)
36.		टीकमगढ़
37.		सिहोर
38.		शहडोल
39.		नरसिंगपुर
40.		शाजापुर
41.		शिबोपुरकलाँ
42.		दतिया
43.		मन्डला
44.		झबुआ
45.		बारबानी
46.		पन्ना
47.		सीधी
48.		रायसेन
49.		राजगढ
50.		कन्कर
51.		जानीगिर

क्रम सं.	सर्किल	इंटरनेट नोडों की सूची स्टेशन
52.		जसपूरनगर
53.		दिनद्रौन
54.		दन्तेवाड़ा
XII.	*महाराष्ट्र*	
1.		पुणे
2.		नासिक
3.		नागपुर
4.		कल्याण
5.		अहमदनगर
6.		पणजी
7.		मागाँव (गोवा)
8.		अकोला
9.		लातुर
10.		चंद्रापुर
11.		अमरावती
12.		धुले
13.		सतारा
14.		रत्नगिरी
15.		जालना
16.		वर्धा
17.		परबनी
18.		यवतमाल
19.		पेन
20.		बीड
21.		भंडारा
22.		उस्मानाबाद
23.		खामगाँव (बुलथाना)
24.		गढ़चिरोली
XIII.	*उत्तर-पूर्व*	
1.		शिलांग
2.		अगरतला
3.		ऐजवाल
4.		इम्फाल
5.		इटानगर
6.		कोहिमा

क्रम सं.	सर्किल	इंटरनेट नोडों की सूची स्टेशन
XIV.	*उड़ीसा*	
1.		भुवनेश्वर
2.		कटक
3.		बेरहामपुर
4.		राऊरकेला
5.		सौंभापुर
6.		बालासोर
7.		बारीपेडा
8.		धेनकेना
9.		क्योंझर
10.		कोरापुट
11.		फुलबनी
12.		बोलनगीर
13.		भवानीपटना
XV.	*तमिलनाडु*	
1.		कोयम्बटूर
2.		मदुरई
3.		कुड्डालोर
4.		डोंडोगल
5.		इरोड
6.		होसर
7.		काँचीपुरम
8.		करूर
9.		करईकुड़ी
10.		नागकोईल
11.		नामक्कल
12.		पांडिचेरी
13.		सलेम
14.		तंजोर
15.		थीरूनलवेलाई
16.		त्रिचि
17.		तूलीकोरिन
18.		वेलोर

क्रम सं.	सर्किल	इंटरनेट नोडों की सूची स्टेशन
19.		सिवकासी
20.		कुम्बाकोनम
21.		नागपटनम
22.		पुड्क्कोटई
23.		ऊटी
24.		थाइरूवरर
25.		थीरूवन्नामलई
26.		थीरूवलोर
27.		थीरूपुर
28.		वीलुपुरम
29.		रामानाथपुरम
XVI.	*पंजाब*	
1.		लुधियाना
2.		चंडीगढ़
3.		जालंधर
4.		अमृतसर
5.		पटियाला
6.		होशियारपुर
7.		भटिंडा
8.		कपूरथला
9.		संगरूर
10.		फिरोजपुर
11.		फरीदकोट
12.		मुक्तसर
13.		मानसा
14.		गुरदासपुर
15.		नवांशहर
16.		रोपड़
17.		मोगा
18.		फतेहगढ़ साहिब (मंडी गोबिंदगढ़ में संस्थापना की जाए)
XVII.	*राजस्थान*	
1.		जयपुर
2.		जोधपुर
3.		उदयपुर
4.		कोटा
5.		अजमेर
6.		भीलवाड़ा
7.		बीकानेर
8.		अलवर
9.		श्रीगंगानगर
10.		सीकर
11.		पाली
12.		भरतपुर
13.		चित्तौड़गढ़
14.		बाँसवाड़ा
15.		हनुमानगढ़
16.		झुंझनु
17.		सवाईमाधोपुर
18.		बूँदी
19.		नागपुर
20.		बारमेड़
21.		चुरु
22.		दौसा
23.		टोंक
24.		राजसमंद (कंकरोली)
25.		डूंगरपुर
26.		जैसलमेर
27.		धौलपुर
28.		बारन
29.		झालावाड़
30.		सिरोही
31.		जालोर
32.		करौली
XVIII.	*उत्तर प्रदेश (पूर्व)*	
1.		लखनऊ
2.		कानपुर
3.		वाराणसी

क्रम सं.	सर्किल	इंटरनेट नोडों की सूची स्टेशन
4.		इलाहाबाद
5.		गोरखपुर
6.		झाँसी
7.		फरुखाबाद
8.		मऊ
9.		शाहजहाँपुर
10.		फैजाबाद
11.		इटावा
12.		सीतापुर
13.		उन्नाव
14.		रायबरेली
15.		मिर्जापुर
16.		सुल्तानपुर
17.		आजमगढ़
18.		जौनपुर
19.		ललितपुर
20.		प्रतापगढ़
21.		बस्ती
22.		बाराबंकी
23.		बाँदा
24.		देवरिया
25.		बलिया
26.		गोंडा
27.		लखीमपुर
28.		भदोही
29.		गाजीपुर
30.		मैनपुरी
31.		बहराइच
32.		फतेहपुर
33.		कन्नौज
34.		औरिया
35.		हरदोई
36.		पड़रौना
37.		बलरामपुर
38.		अम्बेडकर नगर (अकबरपुर)
39.		हमीरपुर
40.		सिद्धार्थनगर
41.		सोनभद्र (रॉबर्टगंज)
42.		संतकबीरदास (खलीलाबाद)
43.		महाराजगंज
44.		कारवी
45.		महोबा
46.		जालौन
47.		कपुर ग्रामीण
48.		चंदरौली
49.		महाजनपुर (कौशाम्बी)
50.		भिंगा (श्रावस्ती)
XIX.	*उत्तर प्रदेश (पश्चिम)*	
1.		गाजियाबाद
2.		गौतमबुद्ध नगर
3.		आगरा
4.		मेरठ
5.		देहरादून
6.		सहारनपुर
7.		अलीगढ़
8.		बरेली
9.		मुरादाबाद
10.		मुजफ्फरनगर
11.		मथुरा
12.		हरिद्वार
13.		फिरोजाबाद
14.		बुलंदशहर
15.		रामपुर
16.		उधमसिंह नगर (रुद्रपुर)
17.		अल्मोड़ा
18.		महामाया नगर (हाथरस)
19.		ज्योतिबा फुलेनगर (अमरोहा)
20.		एटा

क्रम सं.	सर्किल	इंटरनेट नोडों की सूची स्टेशन
21.		नैनीताल
22.		बिजनौर
23.		पीलीभीत
24.		पिथौरागढ़
25.		बदायूँ
26.		पौड़ी
27.		चमोली (गोपेश्वर)
28.		बागपत
29.		उत्तरकाशी
XX.		*पश्चिम बंगाल*
1.		सिलीगुड़ी
2.		दुर्गापुर
3.		खड़गपुर
4.		बर्दवान
5.		बाँकुरा
6.		बेरहामपुर
7.		कूच बिहार
8.		गंगटोक
9		जलपाईगुड़ी
10.		कृशनगर
11.		मालदा
12.		रायगंज
13.		सूरी

[अनुवाद]

मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर बने पुलों को चौड़ा किया जाना

2444. श्रीमती जयश्री बैनर्जी: क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर बने पुलों को चौड़ा करके उनको मजबूत करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(घ) आवंटित धनराशि कब तक जारी किए जाने की संभावना है; और

(ङ) इस कार्यक्रम के अंतर्गत कुल कितने पुलों का निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) और (ख) 2000-2001 में कोई अनुमान स्वीकृत नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) चालू वार्षिक योजना में पुनरुद्धार के लिए 19 परियोजनाओं का प्रस्ताव है।

खाद्यान्न उत्पादन हेतु वित्तीय सहायता

2445. श्री रमेश चेन्नितला: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन-किन राज्यों में खाद्यान्न उत्पादन कम होना है;

(ख) क्या सरकार को केरल सहित उक्त राज्यों से खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपद यासो नाईक) : (क) और (ख) उन राज्यों के नाम जिनमें वर्ष 1998-99 को समाप्त होने वाली त्रिवार्षिकी के दौरान खाद्यान्न उत्पादन कम हुआ है तथा वर्ष 2000-2001 के दौरान राज्यों द्वारा तैयार कार्ययोजनाओं के लिए कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए वृहत् प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत उन्हें मुहैया की जाने वाली प्रस्तावित निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

कम खाद्यान्न उत्पादन वाले राज्यों तथा वर्ष 2000-2001 के दौरान कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु उन्हें आवंटित निधियों का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्यों का नाम	आवंटित निधियाँ (करोड़ रुपये में)
1.	असम	11.60
2.	बिहार	15.00
3.	गोवा	1.80
4.	गुजरात	30.00

क्र.सं.	राज्यों का नाम	आवंटित निधियाँ (करोड़ रुपये में)
5.	जम्मू और कश्मीर	15.00
6.	केरल	40.00
7.	महाराष्ट्र	100.00
8.	मणिपुर	10.00
9.	मेघालय	9.50
10.	मिजोरम	6.00
11.	नागालैण्ड	12.00
12.	उड़ीसा	35.00
13.	तमिलनाडु	50.00
14.	त्रिपुरा	8.00

[हिन्दी]

इजराइल के साथ आई.ए.आर.आई. की संयुक्त परियोजना

2446. श्री जगदम्बी प्रसाद यादवः क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने इजराइल के साथ कोई संयुक्त परियोजना शुरू की है;

(ख) इससे कितनी सफलता हासिल की गई;

(ग) इस परियोजना से किसानों को कितना लाभ होगा; और

(घ) इसमें किए गए सुधारों सहित एक्वाकल्चर के क्षेत्र में हमारे देश की क्या स्थिति है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी, हाँ।

(ख) ड्रिप इरिगेशन, ग्रीन-हाउस, नेट-हाउस, लो-टनल जैसी वुनियादी सुविधाओं को जुटा लिया गया है। इजराइल की तर्ज पर भिन्न-भिन्न पर्यावरण के अनुरूप अनेक प्रकार की सब्जियों, फूलों और फलों की फसलों की रोपाई की गई है।

(ग) किसानों को प्रदर्शनियों के जरिए और व्यावहारिक प्रशिक्षण देकर प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है।

(घ) भारत में ताजा जल जीव पालन क्षेत्र से 2.03 मिलियन मी. टन मछली का उत्पादन होने का अनुमान लगाया गया है। बीज उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी के विकास और कार्प, कैटफिश, ताजे जल की झींगा व श्रिम्प मछलियों के पालन से ही यह उपलब्धि प्राप्त हो सकी है। जल जीव पालन के क्षेत्र में सुधार के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं जैसे आनुवंशिक दृष्टि से उन्नत रोहू का उत्पादन, मत्स्य शुक्र का हिमशीतलीकरण कार्प, झींगा, श्रिम्प, महशीर और ताबास के लिए हैचरी प्रौद्योगिकी।

बिहार में आई.डी.डी.पी.

2447. श्री दिनेश चन्द्र यादवः क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार में भारतीय डेयरी विकास कार्यक्रम शुरू किया है;

(ख) यदि हाँ, तो जिलावार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए, इसकी क्या उपलब्धियाँ रहीं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार ने आठवीं योजना अवधि के दौरान बिहार में समेकित डेयरी विकास कार्यक्रम के तहत दो परियोजनाओं को मंजूरी दी थी। ब्यौरे संलग्न विवरण–I में दिए गए हैं।

(ग) कुछ महत्त्वपूर्ण घटकों के सम्बन्ध में 31.3.2000 तक के परियोजना के लक्ष्य और उपलब्धियाँ संलग्न विवरण–II में दी गई हैं।

विवरण–I

आठवीं योजना में बिहार में मंजूर की गई समेकित डेयरी विकास परियोजनाएँ

(राशि लाख रुपये में)

परियोजना	कवर किए गए जिले	अनुमोदन की तारीख	अनुमोदित परिव्यय	31.3.2000 तक जारी की गई धनराशि	31.3.2000 तक प्रयोग की गई राशि	1.4.2000 तक खर्च न की गई राशि
1.	पश्चिमी चम्पारन (बेतिया)	24.3.95	158.60	158.60	110.00	48.60
2.	पूर्णिया, कटियार, अररिया, किशनगंज, दुम्का, देवघर, गोड्डा एवं गिरिडिह	9.2.96	729.00	250.00	150.00	100.00

विवरण–II

बिहार में समेकित डेयरी विकास परियोजना की वास्तविक प्रगति

परियोजना	संगठित डी.सी.एस.		कृषक सदस्य (000)		दूध की खरी (टी.एल.पी.डी.)		प्रशीतन क्षमता (टी.एल.पी.डी.)	
	परियोजना के अंत तक लक्ष्य	31.3.2000 तक उपलब्धि	परियोजना के अंत तक लक्ष्य	31.3.2000 तक उपलब्धि	परियोजना के अंत तक लक्ष्य	31.3.2000 तक उपलब्धि	परियोजना के अंत तक लक्ष्य	31.3.2000 तक उपलब्धि
1.	100	115	3.48	3.49	5.38	0.60	2.00	4.00
2.	800	541	28.00	17.24	32.00	8.22	32.00	4.00

डी.सी.एस.–डेयरी सहकारी समितियाँ

टी.एल.पी.डी.–हजार लीटर प्रतिदिन

[अनुवाद]

"एकीकृत वानिकी विकास परियोजना"

2448. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जापान विभिन्न एकीकृत वानिकी विकास परियोजनाओं (इंटीग्रेटेड फोरेस्ट्री डेवेलपमेंट प्रोजेक्ट्स) के लिए भारत को अनुदान/सहायता प्रदान कर रहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो जापानी अनुदान/सहायता द्वारा चल रहीं विभिन्न परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) जी, हाँ।

(ख) वानिकी परियोजनाएँ जिनके लिए जापान अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग बैंक (जे.बी.आई.सी.) ने विदेशी सहायता देने हेतु सहमति दी है, उनका ब्यौरा निम्नलिखित है:

क्र.सं.	परियोजना का नाम	कार्यान्वित करने वाला अभिकरण	परियोजना लागत (करोड़ रु. में)	वास्तविक लक्ष्य ('000 हे. में)	विदेशी सहायता (मिलियन येन में)
सरकारी क्षेत्र					
1.	इन्दिरा गाँधी नहर के इर्द-गिर्द वनीकरण और चरागाह विकास (आई.डी.पी. 73) 1990-91 से 1999-01	राजस्थान सरकार	107.50	61.5	7869
2.	पंजाब वनीकरण परियोजना 1997-98 से 2004-05	पंजाब सरकार	442.00	59	6193
3.	एकीकृत गुजरात वानिकी विकास परियोजना (आई.डी.पी. 112) 1995-96 से 2000-01	गुजरात सरकार	608.50	230	15760
4.	राजस्थान वानिकी परियोजना (आई. डी.पी. 104) 1995-96 से 1999-00	राजस्थान सरकार	139.18	55	4219
5.	तमिलनाडु वनीकरण परियोजना 1996-97 से 2001-02	तमिलनाडु सरकार	499.20	405	13324
6.	पूर्वी कर्नाटक वनीकरण परियोजना 1996-97 से 2000-02	कर्नाटक सरकार	565.54	471	15968

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में सड़कों का उन्नयन

2449. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार सरकार ने बिहार में हाजीपुर-वैशाली-पारू, साहेबगंज-केसरिया-डुमरिया सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में उन्नयन करने की सिफारिश की है,

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस प्रकार की सिफारिश राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1995 के दौरान भी की गई थी;

(ग) क्या भगवान बुद्ध और भगवान महावीर के नाम से सम्बन्धित उक्त सड़क पर्यटन की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार का विचार राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में उक्त सड़क का उन्नयन कब तक करने का है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) से (ख) मई, 1997 में सभी राज्य सरकारों से 9वीं योजना के दौरान विचार किए जाने के लिए नए राष्ट्रीय राजमार्गों के प्रस्ताव आमंत्रित करते समय केन्द्र सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया था कि राज्य सरकारों द्वारा भेजे जाने वाले प्रस्तावों से 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य सरकारों द्वारा भेजे गए सभी प्रस्तावों/अनुरोधों का अधिक्रमण हो जाएगा। उसके बाद इस मंत्रालय को कोई ऐसा प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) जी, हाँ।

(घ) नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा के प्रस्तावों पर राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में शामिल करने के लिए निर्धारित मानदंडों अर्थात् यातायात की आवश्यकताओं, राज्य सरकारों से प्राप्त अन्य प्रस्तावों के साथ परस्पर प्राथमिकता और धनराशि की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाता है इसलिए इस स्तर पर कोई समय-सीमा नहीं बताई जा सकती।

[अनुवाद]

सीधे टेलीफोन करने की सुविधा

2450. श्री चिंतामन वनगा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सीधे टेलीफोन करने की सुविधा से थाणे जिले के पालघर और दहाना स्थानों को मुम्बई से जोड़ने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त सुविधा कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी;

(ग) क्या सरकार राज्य की राजधानी के साथ राज्य के सभी स्थानों को जोड़ने के लिए वचनबद्ध है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) मुम्बई से पालघर और दहानू को डायरेक्ट डायलिंग सुविधा नहीं दी जा सकती है, क्योंकि पालघर और दहानू एस.डी.सी.ए. न तो मुम्बई एस.डी.सी.ए. से संलग्न हैं अथवा न ही पालघर-मुम्बई, दहानू मुम्बई एस.डी.सी.ए. की अरीय दूरी 50 कि.मी. तक है।

(ग) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) ऊपर (ग) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए लागू नहीं होता।

विवरण

नीति के अनुसार स्थानीय कॉल (एसटीडी कोड के बिना) की अनुमति इस प्रकार है:

(I) एस.डी.सी.ए. (अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्र) के भीतर।

(II) जब दो एस.डी.सी.ए. संलग्न हों।

(III) जब एक ही या संलग्न लंबी दूरी प्रभारण क्षेत्रों (एल.डी.सी.ए.) में पड़ने वाले दो एस.डी.सी.ए. (अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्र) के दो अल्प दूरी प्रभारण केन्द्रों (एस.डी.सी.सी.) के बीच की अरीय दूरी 50 कि.मी. तक हो।

(IV) जब दो गैर-एल.डी.सी.ए. के दो एल.डी.सी.सी. के बीच कॉल दूरी 50 कि.मी. तक हो।

उपरोक्त श्रेणी (I) और (II) के अन्तर्गत स्थानीय कॉल की अनुमति है भले ही दूरी कितनी ही हो।

राज्य और राज्यों की राजधानियों के वे स्थान जो कि उपरोक्त नीति में कवर होते हैं उसको डायरेक्ट डायलिंग की सुविधा (एस.टी.डी.) आशुलिविज्ञान की अनुमति है। तथापि, राज्य और राज्यों की राजधानियों के वे स्थान जो उपरोक्त नीति के अन्तर्गत कवर नहीं होते हैं, वे साधारणतया एस.टी.डी. कोड से सम्पर्क कर सकते हैं।

छोटे और सीमांत किसानों के लिए योजनाएं

2451. श्री गंता श्रीनिवास रावः क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के विभिन्न राज्यों में छोटे और सीमान्त किसानों के लिए चल रही विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन योजनाओं से किसानों को किस सीमा तक लाभ पहुंचा है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपद यासो नाईक) : (क) और (ख): कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा छोटे राज्यों में और सीमान्त किसानों सहित विभिन्न वर्गों के किसानों को होने वाले लाभ की उपलब्धता के बारे में कोई भेदभाव नहीं किया जाता। तथापि, छोटे तथा सीमान्त किसानों को लाभान्वित करने वाली स्कीमों में से कुछ स्कीमें निम्नवत हैं–

(1) विभिन्न फसलोन्मुखी उत्पादन कार्यक्रमों के अन्तर्गत छिड़काव सिंचाई प्रणाली एवं टपका सिंचाई प्रणाली की स्थापना के लिए 25000 रुपये प्रति हेक्टेयर की अधिकतम सीमा के अधीन लागत की 90 प्रतिशत की दर से राजसहायता दी जाती है।

(2) तिलहन उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत उन्नत कृषि उपस्करों की लागत की 50% तक अथवा 1500 रुपये प्रति उपस्कर सहायता, जो भी कम हो।

(3) राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अन्तर्गत प्रीमियम पर 50% राजसहायता।

चूंकि उक्त स्कीमों के अन्तर्गत किसानों को मिलने वाले लाभ प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के होते हैं, अतः इनका अलग-अलग ब्यौरा रखना संभव नहीं है।

नारियल का उत्पादन

2452. श्री पी. राजेन्द्रनः क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेषकर केरल के दक्षिणी भागों में नारियल के उत्पादन को प्रभावित करने वाली माइट बीमारी को रोकने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं; और

(ख) माइट बीमारी के उन्मूलन के लिए प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपद यासो नाईक) : (क) देश के दक्षिणी भागों विशेषकर केरल में नारियल के उत्पादन पर प्रभाव डालने वाले कुटकी (माइट) रोग से बचने के लिए सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं:

(i) नारियल विकास बोर्ड ने कुटकी रोग पर पुस्तिकाए/पर्चे छापे हैं और वे प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए सहायता दे रहे हैं। इस कृमि का प्रकोप बहुत अधिक होने वाले क्षेत्रों में जागरूकता लाने संबंधी अभियान चलाए जा रहे हैं।

(ii) जैविकीय नियंत्रण परियोजना निदेशालय (भा.कृ.अ.प.) प्राकृतिक शत्रुओं से प्रभावी जैवनियंत्रण उपाय विकसित करने के लिए खेतों में और प्रयोगशाला में परीक्षण करना जारी रखे हुए है। यह इस समस्या का एक प्रभावी, सस्ता, पारिस्थितिकी की दृष्टि से अनुकूल और दीर्घकालीन हल है। बागवानी आयुक्त की अध्यक्षता में एक संचालन समिति बनाई गई है जिसमें केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों के प्रतिनिधि और इन तीनों के कृषि विश्वविद्यालयों, केन्द्रीय बागान फसल अनुसंधान संस्थान, कासरगौड, जैवनियंत्रण परियोजना निदेशालय और "कुटकी" संबंधी अखिल भारत समन्वित परियोजना (भा.कृ.अ.प.) के प्रतिनिधि शामिल हैं ताकि उपयुक्त नियंत्रण उपायों के विकास संबंधी प्रयासों और इस समस्या के प्रबन्धन की समीक्षा और समन्वयन किया जा सके। इसके अलावा, केन्द्रीय बागान फसल अनुसंधान संस्थान और केरल कृषि विश्वविद्यालय इस कृमि के लिए नियंत्रण उपाय तैयार करने संबंधी अनुसंधान में भी संलग्न हैं।

(iii) नारियल पर कुटकी के नियंत्रण के लिए पंजीकरण समिति ने "सौल्यूनीम" नामक जैव कृमिनाशी को पंजीकृत किया है।

(ख) भारत सरकार ने केवल नारियल में कुटकी रोग के लिए नियंत्रण उपाय करने के लिए "भारत में नारियल उद्योग के एकीकृत विकास" नामक स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 1998-99 और 1999-2000 के दौरान केरल सरकार को 584.00 लाख रुपये, तमिलनाडु सरकार को 104.42 लाख रुपये और कर्नाटक सरकार को 150.40 लाख रुपय की राशि निर्मुक्त की है।

राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना के अन्तर्गत, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में अनुसंधान केन्द्रों के लिए 141.95 लाख रुपये की राशि "दक्षिण राज्यों में नारियल की इरीयोफाइड कुटकी हेतु एकीकृत कृमि प्रबन्ध पैकेज का विकास" नामक अनुसंधान स्कीम के लिए संस्वीकृत की है।

दिल्ली में डाकघरों के लिए आरक्षित भूमि

2453. श्री होसबोमांग हौकिपः क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली और नई दिल्ली के विभिन्न भागों में स्थान-वार/वर्ष-वार डाकघरों के लिए आरक्षित भूमियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इन स्थानों पर डाकघरों के निर्माण की कोई पहल की है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इन भूमियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) दिल्ली/नई दिल्ली के विभिन्न भागों में डाकघरों के स्थान के लिए आरक्षित/खरीदे गए प्लॉटों के अवस्थितिवार/वर्षवार संलग्न विवरण पर दिए गए हैं।

(ख) जी हां! विवरण पर दिए गए 46 स्थानों में से 6 में डाकघर भवन हैं, 01 और भवन का निर्माण-कार्य पूरा होने वाला है तथा 07 और भवन के निर्माण की योजना बनाई गई है। शेष स्थानों के लिए डाकघर भवनों के निर्माण की योजना प्राथमिकता तथा संसाधन की उपलब्धता के अनुसार बनाई जाएगी।

(ग) उपर्युक्त (ख) को ध्यान में रखकर लागू नहीं होता।

(घ) अधिकांश स्थानों में चारदीवारी है और भूमि के दुरुपयोग को रोकने के लिए इनकी निरंतर मानीटरिंग की जाती है।

विवरण

क्र. सं.	स्थान का नाम	प्लाट का वर्ग मीटर में परिमाप	खरीदने का वर्ष
1	2	3	4
1.	आर. के. पुरम, सेक्टर-III	1706	1983
2.	आर. के. पुरम, सेक्टर-VI	2055	1968
3.	आर. के. पुरम, सेक्टर-VIII	1494	1967
4.	आर. के. पुरम, सेक्टर-IX	1543	1968
5.	वसंत कुंज सेक्टर "बी"	135	1992
6.	कालकाजी (अलकनन्दा)	135	1981
7.	नेहरू प्लेस	660	1983
8.	न्यू फ्रैंड्स कालोनी-I	371.6	1983
9.	न्यू फ्रैंड्स कालोनी-II	135	
10.	मस्जिद मोठ, ग्रेटर कैलाश पार्ट-II	200	1992
11.	सरिता विहार	146.25	1992
12.	बदरपुर	500	1992
13.	जनकपुरी "बी" ब्लॉक	390.30	1977
14.	जनकपुरी "सी" ब्लॉक	126.52	1977
15.	आईजीआई एयरपोर्ट, नई दिल्ली	13055	1984
16.	विकासपुरी	126.75	1984
17.	पंखा रोड इंस्टीच्यूशनल एरिया	2006	1988
18.	टैगोर गार्डन	120.40	1992
19.	रोहिणी सेक्टर-III	1000	1986
20.	रोहिणी सेक्टर-V	6000	1986
21.	रोहिणी सेक्टर-IX	1000	1986
22.	रोहिणी सेक्टर-XI	1000	1987
23.	रोहिणी सेक्टर-XV	1000	1986
24.	रोहिणी सेक्टर-V	1000	1987
25.	रोहिणी सेक्टर-XI	32376	1992
26.	रोहिणी सेक्टर-XI/III	1000	1987
27.	मंडावली फैजलपुर	167.3	1981
28.	यमुना विहार "सी" ब्लॉक	137.5	1981
29.	दिलशाद गार्डन	126	1987
30.	खुरेजी खास	1100	1985
31.	नरायणा कम्युनिटी सेंटर	120	1992/98
32.	किर्बी प्लेस	200	1997
33.	राजौरी गार्डन डिस्ट्रिक सेंटर	0.79 एकड़	1977
34.	राणा प्रताप बाग	3609.5	1977
35.	ईस्ट ऑफ कैलाश	818	1977
36.	मंगलापुरी	2265.6	1985
37.	नंगल राय	150	1991
38.	रेगड़पुरा (करोल बाग)	2035	1988
39.	मिन्टो रोड	117	1985
40.	प्रगति विहार (इन्स्टीच्यूशनल एरिया)	162	1985
41.	सरस्वती विहार	386.76	1997
42.	इन्द्रप्रस्थ एक्सटेंशन	02 हेक्टेयर	1998
43.	सेक्टर-VI द्वारका (पप्पनकलां)	300	1998
44.	जामिया नगर	200	1984
45.	गीता कालोनी	675.25	1986
46.	प्रसाद नगर (करोल बाग)	600	1987

राष्ट्रीय राजमार्ग पर गति अवरोधकों का निर्माण कार्य

2454. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग पर गति अवरोधकों का निर्माण नहीं किया जा सकता है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अनेक ग्रामीणों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों पर गति अवरोधकों का निर्माण किए जाने से दुर्घटना की संभावना बनी रहती है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं उठाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क विभाजकों की अनुपलब्धता के कारण प्राणघातक दुर्घटनाएं घट रही हैं; और

(ङ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय सड़क विभाजकों के निर्माण हेतु मंजूर की गई तथा खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खन्डूड़ी) : (क) इस मंत्रालय की नीति के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों पर किसी गति अवरोधक की अनुमति नहीं है।

(ख) जी हाँ।

(ग) जब कभी ऐसा कोई मामला इस मंत्रालय के ध्यान में आता है तो केन्द्र सरकार की ओर से एजेंसी के आधार पर राष्ट्रीय राजमार्गों की देखभाल करने वाले राज्यों के लो.नि.वि./भा.रा.प्रा./सी.स. संगठन से गति अवरोधक को हटाने का अनुरोध किया जाता है।

(घ) इस मंत्रालय को ऐसे किसी मामले की सूचना नहीं दी गई है।

(ङ) राष्ट्रीय राजमार्गों पर केवल विभाजकों के निर्माण के लिए कोई अलग स्वीकृतियाँ नहीं दी जाती हैं। सामान्यतः विभाजकों की व्यवस्था राष्ट्रीय राजमार्गों पर चार लेन बनाने के मामले में की जाती है जहां विभाजकों की लागत परियोजना लागत में शामिल होती है।

[हिन्दी]

"उत्तरांचल में औषधीय पौधों की खोज"

2455. डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:
श्री बृजलाल खाबरी:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तरांचल क्षेत्र में आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा पद्धति के प्रयोग में आने वाली अनेक जीवनरक्षक हर्बल औषधीय वन पौधों का इस तरह दोहन किया जा रहा है कि इन पौधों की अनेक किस्में लुप्त होने के कगार पर हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन पौधों का दोहन रोकने और इन्हें लुप्त न होने देने को सुनिश्चित करने और इनका उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ख) हिमालय क्षेत्र में कई सारे औषधीय पौधे पाए जाते हैं। तथापि, इस प्रकार के पौधों की कोई विस्तृत सूची नहीं है। सरकार ने इन दुर्लभ औषधीय पौधों की सुरक्षा और परिरक्षण के लिए निम्नलिखित कार्यक्रमों के तहत कदम उठाए हैं:

(i) भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (बी.एस.आई.) ने औषधीय पौधों सहित संकटापन्न प्रजातियों को सूचीबद्ध करते हुए एक "रेड डाटा बुक" तैयार की है।

(ii) 29 औषधीय पौधों, जो संकटापन्न स्थिति में हैं, की एक सूची को निर्यात की मनाही संबंधी सूची में शामिल किया गया है। जंगल से प्राप्त किए गए पौधों, इन पौधों के भागों, व्युत्पन्नों तथा इनसे तैयार किए गए तत्वों तथा इनके सार के निर्यात की अनुमति नहीं है। संकटापन्न औषधीय पौधा प्रजातियों को लुप्त होने से बचाने के लिए जंगल से इन प्रजातियों को प्राप्त करने की अनुमति नहीं है।

(iii) डॉ. डी.एन. तिवारी, सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में गठित कार्यबल की रिपोर्ट में एक रणनीति और कार्यक्रम का सुझाव दिया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ औषधीय पौधों के संरक्षण और सतत प्रयोग को भी शामिल किया गया है। इस कार्यक्रम में भारत सरकार के कई मंत्रालयों और विभागों को शामिल करते हुए औषधीय पौधों के संरक्षण, रोपण, प्रलेखन, सूचीकरण तथा परिमित प्रयोग जैसी विशिष्ट गतिविधियों का प्रावधान किया गया है।

(iv) राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारि-विकास बोर्ड (एन.ए.ई.बी.) द्वारा औषधीय पौधों सहित गैर-इमारती लकड़ी वनोत्पाद (एन.टी.एफ.पी.) के संरक्षण और विकास के लिए एक शत प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम क्रियान्वित की गई है। इस संबंध में विभिन्न राज्यों से प्रस्ताव मांगे गए थे तथा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की संयुक्त वन प्रबंधन (जे.एफ.एम.) स्कीम के तहत अवक्रमित वन क्षेत्रों में औषधीय पौधों का सम्पोषण किया जाता है।

(v) औषधीय पौधों के विकास और रोपाई संबंधी एक केन्द्रीय स्कीम है जिसमें औषधीय पौधों के बागान लगाने के लिए भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति विभाग द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। औषधीय पौधों

की सूची में प्राथमिकता भारतीय चिकित्सा पद्धति में औषधीय पौधों का उपयोग करने और संकटापन्न और खतरे में पड़ी औषधीय प्रजातियों के आधार पर दी गई है।

(vi) भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति विभाग के पास चुनिन्दा औषधीय पौधों की कृषि तकनीकों के विकास हेतु विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों को दी गई परियोजनाओं को सहायता प्रदान करने के लिए औषधीय पौधों की कृषि तकनीकों के विकास के लिए एक केन्द्रीय स्कीम भी है। इसके बाद इन्हें कल्टिवेशन प्लाटों पर प्रयोग किया जाता है।

[अनुवाद]

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्रीज रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन प्लाइवुड इंडस्ट्रीज रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2685/2000]

(3) (एक) इंडियन प्लाईवुड रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्रीज रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2686/2000]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपद यासो नाईक) : महोदय मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) बहुराज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1984 की धारा 104 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ 801 (अ) जो 30 सितम्बर, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में संशोधन करना है ताकि 'ट्राइफेड' को राष्ट्रीय सहकारी सोसायटी के रूप में अभिहित किया जा सके।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 2687/2000]

(2) (एक) नेशनल फेडरेशन आफ कोआपरेटिव शुगर फैक्टरीज लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल फेडरेशन आफ कोआपरेटिव शुगर फैक्टरीज लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2688/2000]

(3) (एक) नेशनल फेडरेशन आफ लेबर कोआपरेटिव्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल फेडरेशन आफ लेबर कोआपरेटिव्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2689/2000]

(4) (एक) नेशनल फेडरेशन आफ अरबन कोआपरेटिव बैंक्स एण्ड क्रेडिट सोसाइटीज लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल फेडरेशन आफ अरबन कोआपरेटिव बैंक्स एण्ड क्रेडिट सोसाइटीज लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल फेडरेशन आफ अरबन कोआपरेटिव बैंक्स एण्ड क्रेडिट सोसाइटीज लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2690/2000]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री श्रीपद यासो नाईक)** : महोदय, मैं डॉ. देवेन्द्र प्रधान की ओर से राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड अधिनियम, 1987 की धारा 50 के अंतर्गत राष्ट्रीय डेयरी विकास (दावों का प्रवर्तन) विनियम, 2000 जो 12 जुलाई, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एनडीडीवी लीगल/4401 में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. संख्या 2691/2000]

कृषि मंत्रालय के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्री टीएच. चाओबा सिंह) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) नार्थ-ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नार्थ-ईस्टर्न एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी का वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 2692/2000]

(2) (एक) पैडी प्रोसेसिंग रिसर्च सेंटर, तंजावूर के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पैडी प्रोसेसिंग रिसर्च सेंटर, तंजावूर के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 2693/2000]

अपराह्न 12.03 बजे

[अनुवाद]

राज्य सभा से संदेश

महासचिव महोदय : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना सभा को देनी है:

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 30 नवम्बर, 2000 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 27 नवम्बर, 2000 को हुई अपनी बैठक में पारित किए गए कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2000 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

अपराह्न 12.3½ बजे

[हिन्दी]

लोक लेखा समिति

बारहवाँ प्रतिवेदन

डॉ. मदन प्रसाद जायसवाल (बेलिया) : अध्यक्ष महोदय, मैं उपस्कर की समय-पूर्व खरीद और निर्माण में हुए विलंब से संबंधित प्रतिवेदन (ग्यारहवीं लोक सभा) पर की गई कार्यवाही के बारे में लोक लेखा समिति (तेरहवीं लोक सभा) का बारहवाँ प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

अपराह्न 12.04 बजे

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

विवरण

[अनुवाद]

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): महोदय, मैं भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (ग्यारहवीं लोक सभा) के आठवें प्रतिवेदन के अध्याय 1 में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही और अध्याय 5 में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में अंतिम उत्तरों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

अपराह्न 12.04½ बजे

कृषि संबंधी स्थायी समिति

ग्यारहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम (तंजावूर) : महोदय, मैं "जलकृषि प्राधिकरण विधेयक, 2000" के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति का ग्यारहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : अब, रेल मत्री वक्तव्य देंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदया वक्तव्य देने जा रही हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह क्या हो रहा है? आप मंत्री महोदया को वक्तव्य नहीं देने दे रहे हैं। वे अपना वक्तव्य देने जा रही हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप स्पष्टीकरण की माँग वक्तव्य देने के बाद कर सकते हैं अभी नहीं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : डा. रघुवंश प्रसाद सिंह, मैंने आपकी स्थगन प्रस्ताव संबंधी सूचना अस्वीकार कर दी है।

अब, मंत्री महोदया रेल दुर्घटना पर वक्तव्य देने वाली हैं और यदि आपको, कोई स्पष्टीकरण चाहिए, तो आप वक्तव्य समाप्त होने पर माँग सकते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह क्या हो रहा है? जब मंत्री महोदया वक्तव्य दे रही हैं, आप उन्हें बोलने नहीं दे रहे हैं।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, आप सभा में एक और दुर्घटना जैसी स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें वक्तव्य देने की अनुमति दी है। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। यदि आपकी कोई शंका है, तो आप बाद में पूछ सकते है। अब मंत्री महोदया, कृपया आप बोलिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय के वक्तव्य के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

अपराह्न 12.05 बजे

[अनुवाद]

मंत्री द्वारा वक्तव्य

पंजाब में सराय बंजारा में 'डाउन फूडग्रेन स्पेशल' के पटरी से उतरे मालडिब्बों से हावड़ा-अमृतसर मेल की पार्श्व टक्कर

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : आज मैं उत्तर रेलवे के अम्बाला मंडल के अम्बाला-लुधियाना खंड पर डाउन फूडग्रेन स्पेशल के पटरी से उतर कर अप लाइन पर गिरे मालडिब्बों के साथ 3005 अप हावड़ा-अमृतसर मेल के बीच हुई दुर्भाग्यपूर्ण पार्श्व टक्कर के संबंध में अत्यधिक दुःख के साथ और भारी मन से सदन को स्थिति से अवगत कराने के लिए उपस्थित हुई हूँ। यह टक्कर 2 दिसंबर, 2000 को लगभग 0537 बजे हुई।

नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार, इस दुर्घटना में 43 यात्रियों की जानें गई ...*(व्यवधान)*

मैं जो कुछ कह रही हूँ वह अब तक ज्ञात तथ्यों ...*(व्यवधान)* 145 यात्रियों में से जिन्हें गंभीर अथवा मामूली चोटें आई और जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया, एक को छोड़ कर जिसकी हालत गंभीर बनी हुई है, सब की हालत में सुधार हो रहा है। इसके अलावा, 44 यात्रियों को प्राथमिक चिकित्सा के बाद छुट्टी दे दी गई। घायलों को फतेहगढ़ साहिब, राजपुरा, चंडीगढ़ और पटियाला के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया और उनका यथासंभव बेहतर इलाज किया जा रहा है। अभी तक 20 शवों की पहचान की जा चुकी है, उनकी तथा घायल यात्रियों की सूची विभिन्न स्थानों पर स्थापित पूछताछ केंद्रों पर प्रदर्शित की गई है।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

2 दिसंबर, 2000 की भोर में डाउन फूडग्रेन स्पेशल साधूगढ़ स्टेशन से 0525 बजे सीधी गुजर गई। 0535 बजे 3005 अप हावड़ा-अमृतसर मेल सरायबंजारा स्टेशन से अप लाइन पर से सीधी गुजरी। यह गाड़ी अपने निर्धारित समय से लगभग 10 मिनट विलंब से चल रही थी। साधूगढ़ और सरायबंजारा के बीच का ब्लॉक खंड 8 कि.मी. लम्बा है और सामान्यत: इस दूरी को पार करने में माल गाड़ी को लगभग 10 मिनट और सवारी गाड़ी को लगभग 6 मिनट लगते हैं।

साधूगढ़ से गुजरने के 10 मिनट बाद लगभग 0535 पर डाउन फूडग्रेन स्पेशल गाड़ी के इंजन से तीसरे डिब्बे से लेकर 15 माल डिब्बे पटरी से उतर गए। इन 15 माल डिब्बों में से 2 माल डिब्बे अप लाइन की रेल पटरी पर जा गिरे।

इसके फौरन बाद, अप लाइन पर चल रही 3005 अप हावड़ा-अमृतसर मेल गाड़ी पटरी पर गिरे हुए माल डिब्बों से जा टकराई। इस टक्कर से 3005 अप गाड़ी का रेल इंजन और पहले 7 सवारी डिब्बे पटरी से उतर गए, इनमें से कुछ सवारी डिब्बे तो पूरी तरह क्षत-विक्षत हो गए।

ज्यों ही दुर्घटना की सूचना प्राप्त हुई, त्यों ही अम्बाला और लुधियाना, दोनों स्थानों से चिकित्सा राहत वाहन और दुर्घटना राहत गाड़ियों को दुर्घटना स्थल के लिए तुरंत रवाना कर दिया गया। अम्बाला के संबंधित मंडल अधिकारी डाक्टरों के साथ तत्काल दुर्घटना स्थल के लिए रवाना हो गए। बोर्ड से भी वरिष्ठ रेलवे अधिकारी भी बचाव और राहत कार्यों का मुआयना करने के लिए फौरन दुर्घटना स्थल के लिए रवाना हो गए था।

इस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना की सूचना मिलते ही मैं स्थिति का मौके पर जायजा लेने के लिए अपने सहयोगी श्री दिग्विजय सिंह, रेल राज्य मंत्री के साथ दुर्घटना स्थल के लिए रवाना हो गई। मैं पंजाब राज्य सरकार, गैर-सरकारी संगठनों और स्थानीय ग्रामवासियों के विलक्षण योगदान का उल्लेख करना चाहूँगी जिन्होंने दु:ख की इस घड़ी में रेलवे और दुर्घटना पीड़ित व्यक्तियों की सहायता करने के लिए नि:स्वार्थ सेवा प्रदान की।

हालांकि, निकट आश्रितों को उनके निकट परिजनों की मृत्यु से होने वाली अपूरणीय क्षति की पैसों से कभी भी पूर्ति नहीं की जा सकती, फिर भी मैंने उन व्यक्तियों के परिवारों को, जो इस दुर्घटना में मारे गए हैं, 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि के भुगतान और उन व्यक्तियों को जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, 1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि के भुगतान की घोषणा की है। इसके अलावा, एक स्थाई आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से मैंने इस दुर्घटना में मारे गए व्यक्तियों के परिवार के एक सदस्य को रेलवे में काम पर लगाने का निर्णय लिया है। इसके अलावा, यथास्वीकार्य मुआवजों का रेल दावा अधिकरणों द्वारा भुगतान किया जाएगा। यह राशि चोट के कारण अशक्तता की गंभीरता के आधार पर 32,000 रुपए से 4 लाख रुपए तक और मृत्यु के मामले में 4 लाख रुपए होती है।

निकटवर्ती ग्रामवासियों द्वारा की गई नि:स्वार्थ सेवा को देखते हुए रेलवे के आभार के प्रतीक के रूप में मैं यह घोषणा करना चाहूँगी कि भारतीय रेल इन संबंधित गांवों में विशिष्ट रूप से विकासात्मक कार्यों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार को 20 लाख रुपए की राशि सौंपेगी।

इस दुर्घटना की सांविधिक जांच रेल संरक्षा आयुक्त, उत्तरी परिमंडल द्वारा शुरू कर दी गई है। इसके अलावा, दुर्घटना की गंभीरता को देखते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय के एक पदासीन न्यायाधीश द्वारा न्यायिक जांच करवाने का मेरा प्रस्ताव है।

इस प्रकार की दुर्घटनाओं से रेलवे प्रणाली पर जनता के विश्वास को हमेशा ठेस पहुंचती है। मुझे पूरा विश्वास है कि दुर्घटनाएं सामान्यत: कुछ विफलताओं के कारण होती हैं। अत:, मैं सदन को आश्वस्त करती हूँ कि जांच के निष्कर्षों के आधार पर इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार पाए व्यक्तियों, चाहे वे कितने ऊंचे पदाधिकारी क्यों न हों, के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल, जांच के पूरा होने तथा दोषी व्यक्तियों को दंड दिए जाने से पहले यह निर्णय लिया है कि एक निष्पक्ष और तटस्थ जांच करने के उद्देश्य से सात वरिष्ठ अधिकारियों अर्थात् उत्तर रेलवे के मुख्य इंजीनियर और मुख्य रेलपथ इंजीनियर, मुख्य रेलइंजन इंजीनियर (रनिंग), उत्तर रेलवे, मंडल रेल प्रबंधक, अम्बाला, वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी, अम्बाला, संबंधित वरिष्ठ मंडल यांत्रिक इंजीनियर और वरिष्ठ मंडल इंजीनियर को तुरन्त छुट्टी पर जाने के लिए कह दिया गया है।

इस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना से पिछले काफी समय से निवेश में उत्तरोत्तर कमी और संरचनात्मक स्तर पर अत्यधिक अपेक्षित सुधार करने में अत्यन विलंब के कारण इस प्रणाली में होने वाली महत्वपूर्ण कमियां उभर कर सामने आई हैं। हम माननीय प्रधान मंत्री जी के आभारी हैं जिन्होंने अपने शोक संदेश में कल यह आश्वासन दिया है कि सरकार इस मामले में गंभीरतापूर्वक और अविलम्ब कार्रवाई करेगी।

रेलवे और स्वयं अपनी ओर से मैं शोकाकुल परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती हूँ और घायल व्यक्तियों के प्रति भी सहानुभूति व्यक्त करती हूं। मुझे विश्वास है कि शोकाकुल परिवारों को संवेदना व्यक्त करने में सभा भी मेरा साथ देगी ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूँ। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : न्यायिक जांच के आदेश दिए जा चुके हैं। ऐसी स्थिति में आप स्पष्टीकरण के लिए कैसे कह सकते हैं? यह सही नहीं है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उच्चतम न्यायालय के एक न्यायधीश को मामले की जांच के लिए कहा गया है। कृपया समझिए कि अब इस मामले की जांच की जाऐगी।

... *(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मैंने यह मुद्दा उठाने के लिए सूचना दी थी। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य, कृपया यह समझिए कि इस मुद्दे को लेकर पहले ही न्यायिक जांच के आदेश दिए जा चुके हैं। इन सब बातों पर चर्चा करने का यह उचित समय नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, पिछले मात्र दो सालों में कुछ गंभीर दुर्घटनाएं हुई हैं। इससे पहले भी इस तरह की दुर्घटनाएं हुई हैं। ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसीलिए, मामले की जांच के लिए एक न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं। कृपया यह समझिए कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश मामले की जांच करेंगे। इस बारे में सरकार ने सभी कदम उठाए हैं। कृपया इस बात को समझिए।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : वक्तव्य में कोई नई बात क्या है ? मंत्री जी को इसका दायित्व अपने ऊपर लेना चाहिए और उन्हें त्यागपत्र देना चाहिए *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब श्री संतोष मोहन देव बोलेंगे।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज) : अध्यक्ष महोदय, यह कोई बंगाल का सवाल नहीं है। यह पूरे राष्ट्र का सवाल है। जो दुर्घटना हुई है उसके बारे में मंत्री महोदया ने स्वयमेव सदन में बयान दिया है। मृतकों एवं गंभीर रूप से घायलों को बाकायदा मुआवजा दिए जाने की घोषणा मंत्री महोदया ने की है, फिर क्यों हल्ला मचा रहे हैं? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री माधवराव सिंधिया (गुना) : महोदय, शुक्रवार को श्री संतोष मोहन देव ने सभा का ध्यान पूर्वोत्तर क्षेत्र की स्थितियों पर दिलाया था और संसदीय कार्य मंत्री जी ने सभा को यह आश्वासन दिया था कि पूर्वोत्तर क्षेत्र की स्थिति के संबंध में सोमवार को गृह मंत्री एक वक्तव्य देंगे। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे प्रश्न काल में कहा था कि मुझे बोलने के लिए शून्य काल में समय देंगे, लेकिन अब मुझे बोलने के लिए समय नहीं दिया जा रहा है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मैंने यह मामला उठाने के लिए नोटिस दिया था। इस बारे में कई प्रश्न हैं। मंत्री जी ने एक वक्तव्य दिया है *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : बसुदेव आचार्य जी, आपको क्या हो गया है। आप इतना क्यों बोल रहे हैं। कृपया आप बैठिए।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : हर दुर्घटना के लिए जांच बैठा दी जाती है, इसमें नया क्या है ? *...(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : महोदय, पूर्वोत्तर की स्थिति के संबंध में, मैं अपने वचन के वायदे के अनुसार यह बताना चाहूँगा कि दोपहर के भोजन के पश्चात् माननीय गृह मंत्री जी वक्तव्य देंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अब श्री सुरेश रामराव जाधव बोलेंगे।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी) : अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में ग्रामीण सड़कों की हालत बहुत खराब है। *...(व्यवधान)* अकेले महाराष्ट्र में हर वर्ष लगभग तीन सौ गर्भवती महिलाओं की मृत्यु सही सड़कें न होने के कारण स्वास्थ्य केन्द्रों तक नहीं पहुंच पाने के कारण हो जाती है *...(व्यवधान)* ग्रामीण इलाकों में लाखों बच्चे सड़कें नहीं होने के कारण स्कूल नहीं पहुंच पाते तथा बारिश के दिनों में यह परेशानी और ज्यादा बढ़ जाती है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री जयपाल रेड्डी, जब ये अपनी बात समाप्त कर लेंगे तो मैं आपको बुलाऊँगा। मैं यह नाम पहले ही पुकार चुका हूँ।

...(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। मैं आपसे अध्यक्षपीठ से सहयोग की अपील करता हूँ। यहां दूसरे माननीय सदस्य भी हैं जो कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाना चाहते हैं। आज 25 माननीय सदस्यों ने महत्वपूर्ण और अविलंबनीय मुद्दे उठाने के बारे में सूचनाएं दी हैं।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : मुझे कई मुद्दे उठाने हैं *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सुरेश रामराव जाधव : महाराष्ट्र में सभी गांवों को सड़कों से जोड़ने के लिए 12.60 किलोमीटर सड़कें बनाने की जरूरत है। *...(व्यवधान)* निर्धारित गाइडलाइन न होने के कारण केन्द्रीय ग्रामीण सड़क कोष से महाराष्ट्र को केवल 80 करोड़ रुपये देकर भेदभाव बरता गया है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री जयपाल रेड्डी जी, ये अपनी बात समाप्त कर लें फिर मैं आपको बुलाऊँगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सुरेश रामराव जाधव : अतः मेरा सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि वह तुरन्त हस्तक्षेप करे तथा महाराष्ट्र में ग्रामीण सड़कों के निर्माण हेतु अधिक से अधिक धन उपलब्ध कराने का कष्ट करे ताकि महाराष्ट्र में सभी ग्रामीण क्षेत्रों को पक्की सड़कों से जोड़ा जा सके। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री बसुदेव आचार्य : आप हमें बोलने की अनुमति क्यों नहीं दे रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : आप भी मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। यह क्या है? आप एक वरिष्ट सदस्य हैं। कृपया पहले अपनी जगह पर बैठिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय रेल मंत्री द्वारा दिए गए स्वः प्रेरित वक्तव्य में ये सभी बातें हैं और मामले की जांच के लिए उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश को भी नियुक्त किया गया है।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : एक जांच का आदेश दिया गया है। इसमें नया क्या है ? *...(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : उनके पास कई रिपोर्टें हैं। दूसरी जांच रिपोर्टों का क्या हुआ ? *...(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : दो सालों में एक ही स्थान पर तीन दुर्घटनाएँ हो गई हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री जयपाल रेड्डी को बोलने के लिए आमंत्रित करता हूँ।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने बोलने के लिए श्री जयपाल रेड्डी का नाम पुकारा है। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री जयपाल रेड्डी के कथन के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कई और भी सदस्य हैं जो विभिन्न महत्वपूर्ण मामले उठाना चाहते हैं। कृपया अध्यक्षपीठ से सहयोग करें ताकि इन सदस्यों को बोलने का अवसर दिया जा सके।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, पहले ही एक न्यायिक जांच का आदेश दे चुकी हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये, प्लीज।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य मैंने अब श्री जयपाल रेड्डी जी का नाम पुकारा है। जब श्री जयपाल रेड्डी अपना भाषण समाप्त कर लेंगे तो फिर मैं आपको बुलाऊँगा। अब कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने एक सूचना दी थी *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जब श्री जयपाल रेड्डी अपनी बात कह लेंगे फिर मैं आपको बुलाऊँगा। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : अध्यक्ष महोदय, आपने जयपाल रेड्डी जी के बाद मुझे बोलने के लिए कहा है, अब आप कह रहे हैं कि उनको मौका देंगे। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रकाश परांजपे, आपको इस प्रकार नहीं बोलना चाहिए। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य जी, श्री जयपाल रेड्डी जी का भाषण समाप्त होने के पश्चात् मैं बोलने के लिए आपका नाम पुकारूंगा। अब कृपया अपनी सीट पर बैठिए।

...(व्यवधान)

श्री एस. जयपाल रेड्डी (मिरयालगुडा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, रोष से नहीं, दुख से मैं आपके माध्यम से सभा का ध्यान नियम 184 के अधीन दिए गए अपनी सूचना की ओर दिलाना चाहता हूँ।

मैं यह कहना चाहूँगा कि श्री लाल कृष्ण आडवाणी, डा. मुरली मनोहर जोशी और कुमारी उमा भारती जैसे वरिष्ठ सदस्यों को अपने कनिष्ठ सहयोगी श्री हरिन पाठक के उदाहरण का पालन करना चाहिए।

संपूर्ण सभा जानती है कि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने दिनांक 6 दिसम्बर, 1992 को बाबरी मस्जिद गिराए जाने की विस्तृत जांच कर उपर्युक्त इन तीनों मंत्रियों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की है।

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष जी, यह मामला कई बार यहां उठ चुका है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, इन्होंने 'शून्य काल' के लिए सूचना नहीं दी है।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : श्री प्रमोद महाजन, मैं सूचना के बारे में बता रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय : इन्होंने नियम 184 के अंतर्गत सूचना दी है।

...(व्यवधान)

श्री एस. जयपाल रेड्डी : महोदय, लखनऊ के सैशन कोर्ट ने प्रथम दृष्टया मामला पाया है *...(व्यवधान)* मंत्रीगण अभी भी अपने पदों पर बने हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। श्री जयपाल रेड्डी, आपने एक सूचना दी है और मैं उस पर विचार कर रहा हूँ।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : नहीं महोदय, यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। इसमें विलम्ब नहीं किया जाना चाहिए। *...(व्यवधान)* मंत्रिमंडल में बने रहना इन तीनों मंत्रियों के लिए पूरी तरह से आपत्तिजनक, घृणित और अनुचित है।

अध्यक्ष महोदय : आपने एक सूचना दी है। आप सभा में इस पर विस्तारपूर्वक चर्चा कैसे कर सकते हैं? आपकी यह सूचना मेरे विचाराधीन है।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : इस मामले को तुरन्त उठाये जाने की आवश्यकता है ...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : जब आप किसी सदस्य को बोलने का मौका देते हैं तो मंत्री महोदय उसके बोलने में रुकावट कैसे डाल सकते हैं?

श्री एस. जयपाल रेड्डी : एक मंत्री—उसमें भी संसदीय कार्य मंत्री इस तरह व्यवधान उत्पन्न कैसे कर सकता है ? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री एस. जयपाल रेड्डी : यह प्रथम दृष्ट्या मामला बनता है।

अध्यक्ष महोदय : आपकी सूचना मेरे विचाराधीन है। कृपया इस तथ्य को समझें।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : आरोप-पत्र के बाद श्री हरिन पाठ को त्यागपत्र देने के लिए कहा गया। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, इसे सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री एस. जयपाल रेड्डी (मिरयालगुडा) : इस मामले से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया समझने की कोशिश करें कि आपका मामला मेरे विचाराधीन है। आप इस स्तर पर यह मुद्दा कैसे उठा सकते हैं?

...*(व्यवधान)*

श्री एस. जयपाल रेड्डी : क्या आप मेरी पूरी बात सुनेंगे ...*(व्यवधान)* आपने मेरी बात नहीं सुनी है।

अध्यक्ष महोदय : आपने एक सूचना दी है।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : आप मुझे बोलने का मौका देते तो अच्छा होता।

अध्यक्ष महोदय : आप भी सभा की प्रक्रिया से अच्छी तरह से परिचित हैं।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : यह सर्वाधिक महत्व का विषय है ...*(व्यवधान)* यह सर्वोच्च महत्व का विषय है। इससे बढ़कर और कोई विषय महत्वपूर्ण नहीं है ...*(व्यवधान)*

श्री माधव राव सिंधिया (गुना) : उनकी सूचना का क्या हुआ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने सूचना दी है। यह मेरे विचाराधीन है। वे इस स्थिति में यह मुद्दा कैसे उठा सकते हैं?

श्री एस. जयपाल रेड्डी : महोदय क्यों नहीं? ...*(व्यवधान)* यह ऐसा विषय है जिसमें विलम्ब बिल्कुल नहीं किया जा सकता।

अध्यक्ष महोदय : एक बार जब विषय अध्यक्षपीठ के विचाराधीन गया है, तो इसे कैसे उठा सकते हैं?

श्री एस. जयपाल रेड्डी : महोदय, मेरा विचार यह है कि सभा इस विषय को अभी और इसी वक्त उठाए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप एक सुविज्ञ सांसद हैं। आप प्रक्रिया को भी अच्छी तरह से जानते हैं। एक बार जब मामला अध्यक्षपीठ के विचाराधीन चला जाता है, तो इस स्थिति में आप इसे यहां कैसे उठा सकते हैं? कृपया इस बात को समझिए। श्री अधीर चौधरी आप बोलें।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : सभा यह विषय अभी और इसी वक्त उठाना चाहती है ...*(व्यवधान)* कोई और विषय इससे ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ...*(व्यवधान)* इससे बढ़कर और कोई विषय महत्वपूर्ण नहीं है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए।

...*(व्यवधान)**

श्री एस. जयपाल रेड्डी : यह गंभीर अनौचित्यता का मामला बन गया है।

अध्यक्ष महोदय : श्री अधीर चौधरी क्या आप इस विषय को 'शून्य काल' के दौरान उठाना चाहते हैं?

...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : मंत्री महोदय, उनके बोलने में रुकावट कैसे डाल सकते हैं?

अध्यक्ष महोदय : वे उनके द्वारा दी गई सूचना का उल्लेख कर सकते हैं। अध्यक्षपीठ ने अपनी टिप्पणी पहले ही दे दी है।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : महोदय, मैंने अपनी सूचना में इस विषय को स्पष्ट कर दिया है। यदि आप मुझे बोलने का मौका देते तो अच्छा होता। कृपया मुझे बोलने की अनुमति दें ...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, उन्होंने यह मामला शून्य काल में उठाए जाने के लिए सूचना नहीं दी है। अपने विषय को 'शून्य काल' में प्रस्तुत करने के बहाने वे संपूर्ण विषय को प्रस्तुत कर रहे हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री रेड्डी, मैंने आपको अपनी सूचना में इस विषय का उल्लेख करने की अनुमति दी है। यह मेरे विचाराधीन है। आप इस स्तर पर इसे कैसे उठा सकते हैं?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया) : अध्यक्ष जी, पहले मेरा सबजेक्ट था। ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.31 बजे

(इस समय डा. गिरिजा व्यास और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

अपराह्न 12.31½ बजे

(इस समय श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया वापस अपनी सीट पर जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री रेड्डी, कृपया समझने की कोशिश करें कि आपकी सूचना मेरे विचाराधीन है। मैंने आपको इस मामले की अपनी सूचना में उल्लेख करने की अनुमति दी है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : पहले आप बैठ जाइए। मैं आपको बुलाऊँगा।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.32 बजे

(इस समय श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव अपने स्थान पर वापस चले गए)

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : सभा अपराह्न 2 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.33 बजे

(तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

अपराह्न 2.01 बजे

लोक सभा अपराह्न 2.01 बजे पुनः समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

अध्यक्ष महोदय : अब हम नियम 377 के अधीन मामले लेंगे। श्री प्रहलाद सिंह पटेल।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, एक गम्भीर रेल दुर्घटना हुई है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नियम 377 के अंतर्गत मामले उठाये जाने के बाद मैं आपको यह मामला उठाने की अनुमति दूँगा।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखे जा सकते हैं ...*(व्यवधान)*

श्री एस. जयपाल रेड्डी (मिरयालगुडा) : अध्यक्ष महोदय, कृपया मुझे कुछ बोलने की अनुमति दें। यह अत्यधिक महत्वपूर्ण मामला है। इसमें गंभीर अनौचित्यपूर्ण स्थिति अन्तर्ग्रस्त है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रतिदिन आप यही कर रहे हैं तथा सदस्यगण भी इससे खुश नहीं हैं। नियम 377 के अंतर्गत मामले उठाये जाने के बाद मैं आपको अनुमति दूँगा।

...*(व्यवधान)*

श्री मणिशंकर अय्यर (मयिलादुतुरई) : महोदय हम गृह मंत्री के त्यागपत्र की माँग कर रहे हैं ...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : नियम 377 के अंतर्गत मामले सभा पटल पर रखे जा सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल (चाँदनी चौक) क्या आपने हाउस को राजनीति का अखाड़ा बना लिया है? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री विजय गोयल जी कृपया बैठ जाइए। श्री प्रहलाद सिंह जी के भाषण के अलावा कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री जयपाल रेड्डी कृपया बैठ जाइए। मैं बोलने के लिए श्री प्रहलाद सिंह पटेल का नाम पुकार चुका हूँ। नियम 377 के मामले उठाये जाने के बाद मैं आपको अनुमति दूँगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल : महोदय, ये लोग जब मर्जी खड़े हो जाते हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री विजय गोयल कृपया बैठ जाइए। यह क्या है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नियम 377 के अंतर्गत उठाए जा रहे मामलों को छोड़कर कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाए।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : प्रतिदिन आप यही कर रहे हैं। सदस्यों ने नियम 377 के अंतर्गत सूचनाएं दी हैं। आप उन्हें मामले नहीं उठाने दे रहे हैं।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 2.03 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

[हिन्दी]

(एक) मध्य प्रदेश के लोगों को अधिक रेल सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (बालाघाट) : महोदय, मध्य प्रदश के हृदय स्थल एवं देश के केन्द्र बिन्दु से रेल यातायात का मार्ग आज भी अपेक्षित है:

1. मध्य रेलवे के मुम्बई-कलकत्ता मुख्य मार्ग का इटारसी जंक्शन से जबलपुर से कटनी जंक्शन तक रेल मार्ग विद्युतीकरण की आवश्यकता है।

2. माल एवं यात्री सुविधाओं के इस मुख्य मार्ग के दो महत्वपूर्ण पुल सौ वर्ष पुराने हैं। पहला पुल तवां नदी पर निर्मित है तथा दूसरा पुल शेर नदी पर नरसिंहपुर जिले में निर्मित है। इन दोनों रेल पुलों की आयु सीमा समाप्त हो गई है तथा इन दोनों पुलों पर रेल यातायात का एकांकी मार्ग है। यदि दुर्भाग्यवश कभी इन पुलों को क्षति पहुंची तो बहुत जन-धन की हानि होगी एवं यह रेल यातायात अगले निर्माण तक अवरुद्ध रहेगा।

3. गोटेगांव (श्रीधाम) से रामटेक तक के रेल मार्ग का सर्वे कार्य पूर्ण हो चुका है। उसे सागर तक बढ़ाया जाए ताकि उत्तर से दक्षिण की यात्रा करने वाले यात्रियों की दूरी लगभग 200 कि.मी. कम हो सके।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि उक्त कार्यों को शीघ्र पूरा करे।

(दो) झारखंड में रांची में अधिक रेल सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री राम टहल चौधरी (रांची) : महोदय, रांची जो अब झारखंड की राजधानी है, कई वर्ष पूर्व रांची में डी.आर.एम. कार्यालय खोलने की घोषणा की गई। भवन का शिलान्यास भी रेलवे मंत्री द्वारा किया गया। भवन निर्माण का कार्य अधूरा हुआ है। कार्य में तेजी लाई जाए और पूर्ण रूप से कार्यालय का स्थानांतरण आद्रा से रांची किया जाए। साथ-साथ राजधानी रांची को हर प्रमुख शहरों से जोड़ा जाए, यह माँग वर्षों से होती रही है। रांची से दिल्ली एक राजधानी एक्सप्रेस, रांची से कलकत्ता एक शताब्दी एक्सप्रेस वाया जमशेदपुर एवं बोकारो से मुम्बई वाया रांची सुपरफास्ट ट्रेन और रांची से टोरी वाया लोहरदगा छोटी लाइन को परिवर्तित करने और लोहरदगा से टोरी तक रेलवे लाइन को जोड़ने में जनहित में तीव्रता लाने का रेलवे मंत्रालय और भारत सरकार का ध्यान

आकृष्ट करना चाहता हूँ। यह रेलवे सुविधा उपलब्ध होने पर झारखंड क्षेत्र का विकास तेजी से हो पाएगा।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री मणिशंकर अय्यर जी सुबह मैंने श्री जयपाल रेड्डी को यह मामला उठाने की अनुमति दी है। कृपया इस बात को समझें। आप सभा की कार्यवाही में दूसरे सदस्यों को भाग नहीं लेने दे रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नियम 377 के अधीन मामले उठाए जाने के बाद इसकी अनुमति दी जाएगी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नियम 377 के अधीन उठाए जा रहे मामलों के अतिरिक्त कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए।

*...(व्यवधान)**

(तीन) दिल्ली में मंडावली रेलवे हाल्ट पर रेलगाड़ियों को रोके जाने तथा नन्दनगरी और धर्मपुरा अजित नगर में भी रेलवे हाल्ट का निर्माण किए जाने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

श्री लाल बिहारी तिवारी (पूर्वी दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों मैंने अपने संसदीय क्षेत्र में तीन नए हाल्ट मंडावली, नन्दनगरी व धमपुरा अजीत नगर में बनाने की मांग की थी जिसमें से मांडवली रेलवे हाल्ट का निर्माण कार्य शुरू हो गया है लेकिन वह आज तक पूरा नहीं हुआ है। उसे शीघ्र पूरा करने और यहां गाड़ियों को रोकने की व्यवस्था शीघ्र की जाए। *...(व्यवधान)* उपरोक्त दो रेलवे हाल्ट बनाने के लिए आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जिस तरह दिल्ली की आबादी लगातार बढ़ रही है उसे देखते हुए अगर ये रेलवे हाल्ट शीघ्र बन जाएंगे तो लोगों को भीड़-भाड़ का सामना नहीं करना पड़ेगा और जो यात्री पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली को जाते हैं वे यही से चढ़-उतर सकेंगे *...(व्यवधान)*

अतः मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ कि मंडावली रेलवे हाल्ट पर गाड़ियों के रोकने की शीघ्र व्यवस्था की जाए तथा अन्य दो रेलवे हाल्टों को मंजूर कर उनका निर्माण कार्य शुरू किया जाए।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नियम 377 के अधीन मामलों को छोड़कर कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अपराह्न 2.07 बजे

(इस समय डा. गिरिजा व्यास और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नियम 377 के अधीन मामलों को छोड़कर कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप नियम 377 के अधीन मामलों के बाद कह सकते हैं। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। आप उन्हें भी बोलने दीजिए। अनेक सदस्यों ने नियम 377 के अधीन सूचनाएं दी हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह सही तरीका नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : नियम 377 के अधीन मामलों को छोड़कर कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(चार) गुजरात के किसानों को फसल बीमा योजना के अन्तर्गत देय राशि का भुगतान सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका) : अध्यक्ष महोदय, पूरे देश में फसल बीमा योजना लागू करने तथा अधिकतर प्रश्नों को इसमें समाविष्ट करके भारत सरकार ने सराहनीय कार्य किया है, जिससे किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से राहत मिली है। *...(व्यवधान)* इस योजना के तहत कई किसान लाभान्वित भी हो रहे हैं परन्तु गुजरात के जिन कृषकों ने इस योजना में भाग लिया था उन्हें गत पांच वर्षों से फसल बीमा की अपनी बकाया राशि नहीं मिली है। *...(व्यवधान)* इनमें मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अहमदाबाद व भावनगर जिलों की संख्या ज्यादा है। इसके साथ समूचे सौराष्ट्र तथा उत्तरी गुजरात के किसान की लम्बी सूची राशि वापसी की उम्मीद लगाए हुए है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप रूल 377 के बाद इस मामले को उठाएं।

...(व्यवधान)

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : भारत सरकार की ओर से फसल बीमा योजना की बकाया धनराशि गुजरात सरकार को दी जाए ताकि प्रदेश सरकार अपना हिस्सा जोड़ कर किसानों की बकाया राशि का भुगतान कर सके। इससे फसल बीमा योजना के प्रति उनका विश्वास और अधिक दृढ़ बनेगा। मैं आशा रखता हूं कि केन्द्र सरकार तुरन्त उचित कदम उठा कर किसानों को संतुष्ट करेगी। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नियम 377 के अधीन शेष मामलों को सभा पटल पर रखा माना जाए।

(पाँच) कर्नाटक सरकार को बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता*

श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा (हसन) : महोदय, निरन्तर भारी वर्षा से गुलबर्गा, बिदर, चित्रदुग, दौना गेरे, धारवाड़, हवेरी, उत्तराकन्ना दा, दक्षिण कन्नड़ सहित कर्नाटक के अनेक जिलों में भारी क्षति हुई है। जानमाल की हानि और पशुओं की मौतों के अलावा अनेक स्थानों पर जमीन पानी में डूब गई है, भारी समुद्री कटाव हुआ है। अनेक सिंचाई टैंकों में दरारें पड़ गई और काफी नुकसान हुआ है। बताया गया है कि घाट क्षेत्रों में भूस्खलन हुआ है और सड़कें बुरी तरह से क्षतिगस्त हुई हैं। स्वास्थ्य और स्वच्छता की हालत बहुत बुरी हो गई है। सरकारी सम्पत्ति का नुकसान इस प्रकार है:

(1) सड़कें - 298.15 करोड़ रुपये
(2) पुल - 49.48 करोड़ रुपये
(3) सरकारी भवन - 8.79 करोड़ रुपये
(4) सिंचाई टैंक - 32.98 करोड़ रुपये
(5) निजी आवास - 16.38 करोड़ रुपये

अनुमानित कुल घाटा 406.08 करोड़ रुपये है।

अतः मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूँ कि कर्नाटक के प्रभावित क्षेत्रों का सर्वेक्षण करने हेतु एक विशेष अध्ययन दल भेजा जाए और कर्नाटक को राज्य में बाढ़ राहत कार्यों के लिए कम से कम 350 करोड़ रुपये तत्काल जारी किये जाएं।

(छह) सीमा सड़क द्वारा भारत-बांग्लादेश सीमा पर रिम्बाई-बदायूं-डूरोई-बोरसारा-जालापुर सड़क का रखरखाव किए जाने की आवश्यकता*

श्री पी.आर. किन्डिया (शिलांग) : महोदय, 'रिम्बाई-बदायूं-डूरोई-बोरसारा-जालापुर सड़क का निर्माण और सुधार' योजना के अंतर्गत भारत-बांग्लादेश सीमा पर महत्वपूर्ण सीमा सड़क, जिसमें मेघालय की जैंतियां पहाड़ी में सोनपुर-हुराई-हंगरिया-बोरघाट सड़क शामिल है, का कार्य प्रारम्भ में बी.आर.टी.एफ. द्वारा शुरू किया गया था। काफी कार्य कर लिया गया था। किसी कारणवश सड़क का कार्य राज्य के लोक निर्माण विभाग द्वारा ले लिया गया और वित्तीय बाधाओं के कारण सड़क का रखरखाव काफी खराब हो गया है। सड़क की मौजूदा स्थिति बहुत खराब है और अनेक स्थानों पर सड़क टूट गई है जिससे इस पर वाहन नहीं चल सकते हैं। लोगों को संचार के अभाव में बहुत कठिनाई हो रही है। इससे सामाजिक सेवाएं, व्यापार और आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह सीमा सड़क संगठन को अविलम्ब कार्य शुरू करने हेतु निर्देश दे।

(सात) अरूणाचल प्रदेश के चाय उत्पादकों का पंजीकरण निलम्बित करने और "प्लांटेशन सब्सिडी" जारी करने के निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता*

श्री राजकुमार वंग्चा (अरुणाचल पूर्व) : महोदय, पर्यावरण और वन मंत्रालय के विशिष्ट निर्देशों पर चाय बोर्ड ने अरूणाचल प्रदेश के चाय उत्पादकों का पंजीकरण, बागान राजसहायता आदि को बंद कर दिया है। राज्य सरकार से परामर्श किए बिना यह कार्यवाही अरूणाचल प्रदेश के हित में नहीं है जहां संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क (पैन) और जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक होने के अलावा वन क्षेत्र कुल भौगालिक क्षेत्र का लगभग 75 प्रतिशत है। इसके अलावा, चाय की खेती 1976 में राज्य वन विभाग द्वारा शुरू की गई थी। इस समय यह खेती मुख्यतः निजी/सामुदायिक भूमि सहित गैर-वन क्षेत्रों के निकट की जाती है। औषधीय गुण के अलावा हरियाली, मृदा संरक्षण, वनरोपण पर विचार करते हुए चाय की खेती सभी व्यावहारिक प्रयोजनों के लिए वानिकी कार्य है।

अतः, पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा इस अविकसित राज्य के किसानों के हित में इस आदेश को तत्काल निरस्त किए जाने की आवश्यकता है।

*सभा पटल पर रखा माना गया।

*सभा पटल पर रखा माना गया।

(आठ) तमिलनाडु में सेतु समुद्र परियोजना का शीघ्र निर्माण किए जाने की आवश्यकता*

श्री पी. मोहन (मदुरै) : सेतु समुद्र परियोजना की व्यवहार्यता का अध्ययन करने हेतु गठित 13 समितियों में से 12 समितियों द्वारा इसके निर्माण की अनिवार्यता को स्वीकृति प्रदान किए जाने के बाद भी तमिलनाडु में यह परियोजना पिछले 140 वर्षों से अधूरी पड़ी है।

इस समय पश्चिमी तट से अंतर्देशीय नौवहन वाहनों को पूर्वी तट तक जाने के लिए श्रीलंका से होकर जाना पड़ता है। तूतीकोरिन और चेन्नई के बीच 404 कि.मी. की दूरी है लेकिन सेतु समुद्र परियोजना के अभाव में इस घुमावदार रास्ते के कारण 803 कि.मी. की अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती है, अधिक समय, शक्ति लगती है तथा कोलम्बो बंदरगाह पर अधिक भुगतान करना पड़ता है। लेकिन सेतु समुद्र परियोजना पूरी करके अधिक विदेशी जहाज़ों के आगमन से हम विदेशी मुद्रा कमा सकते हैं। विशेषज्ञों ने भी बताया है कि इससे पूर्वी तट में पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में लगभग 15 बंदरगाह विकसित करने में सहायता मिलेगी। हमारे मछुआरों को बढ़िया किस्म की मछलियों के लिए कच्छ तिवू जाना पड़ता है और वे अक्सर श्रीलंकाई नौसेना द्वारा मारे भी जाते हैं। लेकिन सेतु समुद्र परियोजना से हमारे मछुआरों को अपने ही समुद्र में बढ़िया किस्म की मछलियां मिल सकेंगी।

मैं संघ सरकार से आग्रह करता हूँ कि वे सेतु समुद्र परियोजना पर आने वाली लागत की पूरी राशि की अलग से व्यवस्था करे और वर्ष 2001-2002 के आगामी बजट में इसे शामिल करे ताकि तमिलनाडु और हमारे देश दोनों को लाभ मिले।

(नौ) आन्ध्र प्रदेश के पेद्दापल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पेयजल की गम्भीर समस्या के समाधान के लिए विशेष निधियां स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता*

डॉ. (श्रीमती) सी. सुगुणा कुमारी (पेद्दापल्ली) : पेद्दापल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत दो जिलों अर्थात् करीम नगर और आदिलाबाद के 7 विधान सभा क्षेत्र आते हैं। करीमनगर जिले के पांच विधान सभा क्षेत्रों में 23 मंडल हैं और आदिलाबाद जिले के दो विधानसभा क्षेत्रों में 11 मंडल हैं। इन सभी क्षेत्रों में भारी सूखा पड़ा हुआ है और लोगों को पेयजल की विकट समस्या है। मवेशी मर रहे हैं और लोग मौत के शिकंजे में हैं। यह सब युगों से चल रहा है।

मैं, माननीय ग्रामीण विकास मंत्री से अनुरोध करती हूँ कि करीमनगर जिले में 7 विधान सभा क्षेत्रों अर्थात् मंतानी, पेद्दापल्ली, मयादरम, हुजुराबाद और इंदूरती तथा आदिलाबाद जिले के चिन्नूर और लुकसेतीपेट विधानसभा क्षेत्रों के लिए विशेष और अतिरिक्त निधि स्वीकृत की जाए ताकि प्यास से होने वाली मौतों को तत्काल रोका जा सके और दीर्घावधिक पेयजल नीति बनाई जा सके।

महोदय, मैं आप के माध्यम से अनुरोध करती हूँ कि इसे अविलंबनीय महत्त्व का मामला समझा जाए तथा यथाशीघ्र निधि स्वीकृत और जारी की जाए।

*सभा पटल पर रखा माना गया।

(दस) उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में माखनपुर औद्योगिक क्षेत्र को प्राकृतिक गैस आपूर्ति किए जाने की आवश्यकता*

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : मेरे संसदीय क्षेत्र फिरोजाबाद (उ.प्र.) में मक्खनपुर औद्योगिक क्षेत्र है, जहां काँच की दर्जनों इकाइयाँ लगी हुई हैं। फिरोजाबाद का कांच उद्योग सम्पूर्ण विश्व में जाना जाता है। चूड़ियों के अतिरिक्त सैंकड़ों प्रकार के आइटम यहां बनते हैं। मक्खनपुर कभी जनपद मैनपुरी में आता था, राज्य सरकार द्वारा इस क्षेत्र को पिछड़ा घोषित किए जाने पर लोगों ने यहां कांच की औद्योगिक इकाइयां बड़े उत्साह के साथ लगाई थीं। फिरोजाबाद के नया जनपद बनने पर मक्खनपुर की ये औद्योगिक इकाइयां मैनपुरी जनपद से फिरोजाबाद में आ गई। ताज को प्रदूषण से बचाने हेतु सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र बना और कोयले से चलने वाली औद्योगिक इकाइयों को गैस की आपूर्ति किया जाना सुनिश्चित हुआ। मक्खनपुर में कोयले एवं तेल से चलने वाली औद्योगिक इकाइयां स्पर्धा में फिरोजाबाद की गैस से चलने वाली इकाइयों के सामने टिक नहीं सकतीं, परिणामस्वरूप 3 साल से मक्खनपुर की कांच इकाइयां बंद हो गई हैं।

मक्खनपुर की कांच इकाइयां बद होने से मक्खनपुर से सटे गांवों के हजारों मजूदर बेकार हो गए हैं। जिन लोगों ने बैकों से ऋण लेकर ये औद्योगिक इकाइयां लगाई थीं, वे आर्थिक रूप से पूरी तरह टूट गए हैं।

मैं सरकार से मांग करता हूँ कि हजारों श्रमिकों के रोजगार को बचाने एवं औद्योगिक इकाइयों पर आए अत्यधिक आर्थिक संकट से उन्हें उबारने हेतु मक्खनपुर क्षेत्र को अविलम्ब गैस आपूर्ति कराये जाने के आदेश दें।

(ग्यारह) महाराष्ट्र के किसानों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए राज्य को नेशनल ग्रिड से विद्युत आपूर्ति किए जाने की आवश्यकता*

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी) : महाराष्ट्र में बिजली की कमी के कारण किसानों की हालत बहुत खराब है। भारी मात्रा में लोड शेडिंग के कारण किसान अपने खेतों में सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं। इस समय रबी की बुआई का मौसम जोरों पर है तथा किसानों को बिजली की नियमित आपूर्ति न होने के कारण किसान बहुत परेशान हो रहे हैं। दूसरी ओर राज्य सरकार उन पर बिजली के बिलों की तुरन्त भुगतान करने के लिये कह रही है तथा जो ऐसा करने में असमर्थ हैं उनकी बिजली काटी जा रही है। इसी विषय को लेकर 6 नवम्बर को किसानों ने चक्का जाम आंदोलन किया था तथा किसान बहुत अधिक उग्र तथा क्रुद्ध हैं।

अतः मेरा इस माननीय सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि वह तुरन्त हस्तक्षेप करे तथा महाराष्ट्र के किसानों को नियमित और पर्याप्त मात्रा में बिजली की पर्याप्त आपूर्ति नेशनल ग्रिड से सुनिश्चित कराने के साथ-साथ उनके बिजली के बिलों के भुगतान को भी कुछ समय के लिए स्थगित करवाए।

*सभा पटल पर रखा माना गया।

[अनुवाद]

(बारह) उड़ीसा में कुष्ठ रोग उन्मूलन के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम शुरू किए जाने की आवश्यकता*

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : मैं, सरकार का ध्यान उड़ीसा में कुष्ठ रोग के मामले में वृद्धि की ओर दिलाना चाहता हूँ। 1980 में उड़ीसा में कुष्ठ रोग के विरुद्ध शुरू किए गए प्रयासों के बावजूद राज्य में हर वर्ष 10,000 नए मामले सामने आ रहे हैं। पश्चिमी उड़ीसा में इस रोग की वर्तमान दर राष्ट्रीय औसत की तुलना में बहुत अधिक है।

कुष्ठ रोग के मामले में बिहार के बाद उड़ीसा आता है जहां प्रत्येक 10,000 में से औसतन 10 लोग इस रोग से ग्रस्त हैं। मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में कुष्ट रोग अपेक्षाकृत अधिक है। पश्चिमी उड़ीसा के बारगढ़ जिले में प्रत्येक 10,000 में से 38 लोग इस रोग से ग्रस्त हैं जो सबसे अधिक दर है और इसके बाद झारसूगुड़ा (26.5), सम्बलपुर (19), बौद्ध (18), सोनपुर और सुंदरगढ़ (15) का नाम आता है। कुष्ठ रोग के मामले में राष्ट्रीय औसत एक रोगी प्रति 10,000 व्यक्ति है। अकेले बिहार में ही देश के 60 प्रतिशत और विश्व के 40 प्रतिशत कुष्ठ रोगी हैं।

मैं, सरकार से आग्रह करता हूँ कि उड़ीसा से इस घातक बीमारी को समाप्त करने हेतु एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाया जाए।

(तेरह) तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले में एकीकृत होगेजकल पेयजल योजना का शीघ्र कार्यान्वयन किए जाने की आवश्यकता*

श्री पी.डी. एलानगोवन (धर्मपुरी) : तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले में समेकित होगेजकल पेयजल योजना के शीघ्र क्रियान्वयन की आवश्यकता है ताकि 25 लाख लोगों को फ्लोराइड युक्त भूमिगत जाल और फ्लोरिसिस से बचाया जा सके क्योंकि इसके परिणामस्वरूप हड्डियों, दांतों, हृदय तथा अन्य शरीर संरचना संबंधी विकार उत्पन्न होते हैं तथा इस जिले के लोगों की समग्र औसत आयु कम होती है। इसलिए, मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि धर्मपुरी जिले में लाखों लोगों के जीवन को बचाने हेतु होगेजकल पेयजल योजना क्रियान्वित की जाए।

(चौदह) पश्चिम बंगाल में झारग्राम और पुरूलिया के बीच बड़ी रेल लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता*

श्री बीर सिंह महतो (पुरुलिया) : महोदय, पश्चिम बंगाल के पुरूलिया जिले के एक बड़े भाग को भारत के रेलवे मानचित्र में शामिल नहीं किया गया है। पुरूलिया बहुत समय से मांग कर रहा है कि दक्षिण पूर्वी रेलवे में झारग्राम से पुरूलिया तक नई रेल लाइन बिछाई जाए। इससे उड़ीसा और नई दिल्ली की दूरी कम हो जाएगी। इससे हल्दिया कैमिकल और पुरूलिया पम्प स्टोरेज हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना को भी लाभ मिलेगा।

मैं, सरकार से आग्रह करता हूँ कि झारग्राम से पुरूलिया तक बड़ी रेल लाइन बिछायी जाए।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा कल पूर्वाह्न ग्यारह बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 2.09 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 5 दिसम्बर, 2000/14 अग्रहायण, 1922 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

*सभा पटल पर रखा गया।

*सभा पटल पर रखा गया।

लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)

सोमवार, 4 दिसम्बर,2000/13 अग्रहायण ,1923 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
200	18	श्री एस.वी.वी.एस.मूर्ति	श्री एम.वी.वी.एस.मूर्ति
211	27	श्री श्रीपद यासो नोईक	श्री श्रीपद यासो नाईक
223	अंतिम	(घ) के बाद निम्नलिखित पढ़िएः ' (ड.)क्या सरकार का विचार भविष्य में इस सम्मान को बदलने के लिए कुछ उपाय करने का है ; और '	
224	1	(ड.)	(च)

पी॰एल॰एस॰-48/12/11/2000 (एन॰)
280

© 2000 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और
नैशनल प्रिंटर्स, 20/3, वैस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली–110 008 द्वारा मुद्रित।